लौहपुरुष रामलखन प्रसाद गुप्त
स्मति-ग्रंथ

स्मति-ग्रंथ प्रकाशन समिति, मुंगेर, बिहार

गुप्त परिवार के आराध्य एवं इष्टदेव

संत कबीर दास

ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय।
औरन को शीतल करै, आपहु शीतल होय।।

सौजन्य : साधुगुरु श्री तनुक लाल साह
'कल्पना', सं. 2013, सन् 1955

लौहपुरुष रामलखन प्रसाद गुप्त
स्मति-ग्रंथ

संपादक

डॉ. रमेश नीलकमल

प्रबंध एवं संयोजन

राजेश कुमार गुप्त

स्मति-ग्रंथ प्रकाशन समिति, मुंगेर, बिहार

लौहपुरुष रामलखन प्रसाद गुप्त स्मति-ग्रंथ

ISBN : 81-89264-76-1

संपादक
डॉ॰ रमेश नीलकमल

प्रकाशक
समाजरत्न स्व॰ रामलखन प्रसाद गुप्त स्मति -ग्रंथ प्रकाशन समिति,
कल्पना भवन, कौड़ा मैदान, कॉलेज रोड,
रामलखन प्रसाद गुप्त पथ, मुंगेर-811201
दूरभाष : 09430050327

प्रकाशन वर्ष
2007, प्रथम संस्करण

अक्षर संयोजन
विकास चन्द्र
चन्द्रा कम्प्यूटर्स, आर-27, रीता ब्लॉक,
शकरपुर, दिल्ली-110092
दूरभाष : 011-20098438, 30280100

मुद्रक
बी.के. ऑफसेट
नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032

LAUH PURUSH RAMLAKHAN PRASAD GUPTA – SMRITI-GRANTH
(A Book of Remembrance)
Edited by : Dr. Ramesh Neelkamal

समाज की दष्टि में स्व० रामलखन प्रसाद गुप्त

परिश्रमी

बात के धनी

मदुभाषी

आत्मविश्वासी

स्वाभिमानी

मार्गदर्शक

क्षमतावान

सजग

कर्मठ

निर्भीक

जुझारू

दूरदर्शी

दढ़प्रतिज्ञ

प्रतिभाशाली

सेवाभावी

समाजसेवी

मानवताप्रेमी

सफल उद्यमी

परम गोभक्त

कुशल नेतत्वकर्ता

साहसी

शेरदिल

नेकदिल

दानशील

सुधी विचारक

अदम्य साहसी

संघर्षशील लौहपुरुष प्रेरणास्रोत

व्यक्ति एक : भाव अनेक

अनुक्रम

खंड एक - आरंभिकी

- # संपादक एवं परामर्शी/12
- # संपादकीय/13
- # जीवन-यात्रा की क्रोश-शिलाएँ/17
- # वंशवक्ष, व्यवसाय, लोकातंरण/ 18
- # गुप्त जी का संस्थागत अवदान/19
- # लौहपुरुष का संबोधन/21
- # बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ का परिचय/22

खंड दो - संवेदना के स्वर

- # स्मति -ग्रंथ प्रकाशन पर हृदयोद्गार एवं स्मत्यार्चन
  - ✍ श्री कैलाशपति मिश्र/25
  - ✍ श्री कलराज मिश्र/26
  - ✍ श्री रामनारायण साहु/27
  - ✍ श्री अमीर दास/28
  - ✍ श्रीमती प्रभावती गुप्त/29
  - ✍ श्री रामविलास पासवान/30
  - ✍ श्री जयप्रकाश नारायण यादव/31
  - ✍ श्री नरेन्द्र मोदी/32
  - ✍ डॉ. मोनाज़िर हसन/33
  - ✍ श्री ताराकांत झा/34
  - ✍ श्री रघुनंदन गोस्वामी/35
  - ✍ आचार्य लक्ष्मीकांत मिश्र/36
  - ✍ श्री कुमार अरविन्द गुप्त/37
  - ✍ श्री सियाराम प्रहरी/38
  - ✍ डॉ. राजेन्द्र पंजियार/39
  - ✍ श्री विनोद कुमार/40
- # चित्रावली–1/41

खंड तीन - व्यक्तित्व-व्याकरण

स्व॰ रामलखन प्रसाद गुप्त : संक्षिप्त जीवन वत्त (संकलित)/ 51
एक ज्योतिर्मय व्यक्तित्व/डॉ॰ वासुदेव प्रसाद 'श्रीपुंज'/54
दो अभिनंदन पत्र
✍ बाढ़ नगरपालिका/59
✍ देवघर व्यावसायिक संघ/61

खंड चार - संस्मतियों का अंतरिक्ष

✍ ....कान कहानी सुन्यो करे/डी.पी. यादव, पूर्व सांसद/65
✍ इस लौहपुरुष की स्मति रहे हर स्वन में/डॉ. रमेश नीलकमल/ 68
✍ मेरे आदर्श मेरे पिताजी/डॉ. चन्द्रमणि प्रसाद गुप्त/71
✍ राजनीति और समाजसेवा के अप्रतिम प्रकाशपुंज/डॉ. प्रभुनारायण विद्यार्थी/73
✍ बिहार के ज्योतिबा फूले/जयकिशोर सिंह/77
✍ संसद में सवाल उठाया तो लेखक को बल मिला/डॉ. ओमप्रकाश साह 'प्रियम्वद'/80
✍ प्रेरणास्पद पिता/श्रीमती मंजु साह/83
✍ मानवता के सर्वोत्तम हितैषी लौहपुरुष/डॉ. छेदी साह/84
✍ महान राजनेता थे गुप्तजी/रामचन्द्र प्रसाद/85
✍ रामलखन प्रसाद गुप्त : एक संस्मरण/काशी प्रसाद/86
✍ विनम्रता की प्रतिमूर्ति/धर्मपाल विद्यार्थी/88
✍ एक संस्मरण/डॉ. जे. एम. साह/89
✍ अंतिम भेंट/श्रीमती मंजु साह/90
✍ आदर्शों के प्रतीक एक संतुलित असामान्य व्यक्ति/बलराम प्रसाद/91
✍ अजातशत्रु गुप्तजी का एक यज्ञमय जीवन/केशव कुमार सोनी/96
✍ मार्गदर्शक व्यक्तित्व/अश्विनी कुमार/99
✍ हरदिल अजीज/शिवनन्दन प्रसाद/100
✍ चिरस्मरणीय हैं रामलखन बाबू/नवल किशोर अग्रवाल/102
✍ हमारा वह अप्रतिम पुरुष/कष्ण मुरारी ठाकुर/ 103
✍ एक समर्पित व्यक्तित्व/देवेन्द्र प्रसाद/105
✍ वकालत, राजनीति एवं समाजसेवा की त्रिवेणी/डॉ. अशोक कुमार गुप्त/107
✍ मेरे दादाश्री/निकिता गुप्त/110
✍ हर मोड़ पर याद आते हैं वे/प्रो. डॉ. ज्ञानशंकर पोद्दार/110

- भूली-बिसरी यादें/शिवनन्दन प्रसाद साहु/111
- वे अक्सर याद आते हैं/अशोक कुमार पोद्दार/114
- रामलखन बाबू के सान्निध्य में/ब्रजनंदन प्रसाद साहु/116
- My Memory / Alpana Gupta /118

खंड पाँच - लेखन-चिंतन

हमारे संगठन की आधारशिला और उद्देश्य/रामलखन प्रसाद गुप्त/123
महंगाई और खाद्यान्न व्यवसाय का सरकारीकरण/रामलखन प्रसाद गुप्त/126
विदेश यात्रा की कहानी अपनी ही जुबानी/रामलखन प्रसाद गुप्त/130

खंड छह - अभिभाषण

विधान परिषद् (मार्च, 1973) सम्भाषण
- गल्ला व्यापार के सरकारीकरण...../137
राज्यसभा (मई, 1979) सम्भाषण
- वित्त विधेयक/143
राज्यसभा (मार्च, 1980) सम्भाषण
- निर्दोष व्यापारी...../148
राज्यसभा (23 अप्रैल, 1981) सम्भाषण
- आवश्यक वस्तु (विशेष व्यवस्था बिल)/152
राज्यसभा (03.05.1982) सम्भाषण
- एप्रोप्रियेशन बिल/154
राज्यसभा (21.12.1983) सम्भाषण
- आवश्यक वस्तु अधिनियम/162
साहु जैन हॉल में अध्यक्षीय भाषण (04.02.1979) सम्भाषण
- पटना में आयोजित सम्मेलन में/168
लोकसभा अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ की अध्यक्षता में (09.11.1982) सम्भाषण
- अ.भा.वि.मंडल के पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन में/174
बि.रा.खा. व्यवसायी संघ की बैठक
- सरचार्ज का विरोध/177

खंड सात - गुप्त-परिवार

गुप्त-परिवार : परिचय-क्त/ 185
चित्रावली-2/187

खंड आठ - विविधा

- स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त के तैलचित्र का अनावरण/199
- अपनों से अपनी बात/बलराम प्रसाद/200
- रामलखन प्रसाद गुप्त स्मति -सम्मान, 2002/205
- चित्रावली-3/209
- स्मति -ग्रंथ के प्राज्ञ-पुरुषों के नाम और पते/225
- स्मति -ग्रंथ संपादक का चित्र एवं परिचय/227

खंड नौ - महाप्रयाण

- शवयात्रा का आँखों देखा हाल/गुरुमुख प्रसाद साह/231
- Proceeding of Meetings of Bar Council..../232
- श्रद्धापुष्प/कष्ण मुरारी ठाकुर/ 233
- शोकोद्‌गार/234

आरंभिकी

संपादक
डॉ॰ रमेश नीलकमल

लौहपुरुष रामलखन प्रसाद गुप्त स्मति-ग्रंथ

परामर्शी

श्री बलराम प्रसाद, पटना सिटी
श्री जयकिशोर सिंह, मुंगेर
श्री ब्रजनन्दन प्रसाद साहु, बेगूसराय
श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त
श्री शिवनन्दन प्रसाद, पटना
डॉ. चन्द्रमणि प्रसाद गुप्त, जमालपुर
श्री राजेश कुमार गुप्त, धमदाहा
श्री राकेश कुमार गुप्त, मुंगेर

स्मति-ग्रंथ

संपादक की कलम से

आदमी से बड़ा आदमी : राजनेता से बड़ा राजनेता

स्मतियों के अंतरिक्ष में स्व॰ रामलखन गुप्त की याद एक अद्भुत अनुभव है। 'स्नेह चाहिए छूने भर का'—उन्होंने मुझे स्नेह-भर छुआ था। दिन-तिथि स्मरण में नहीं है, पर 1972-73 का वर्ष रहा होगा। 8 डाउन तूफान एक्सप्रेस से पटना-किऊल तक की यात्रा। कूपे में कई लोग थे, पर जिस व्यक्तित्व से मेरा आत्मीय साक्षात्कार हुआ, वे और कोई नहीं, रामलखन गुप्त ही थे। मैंने उनका नाम सुना भर था, दर्शन-भेंट नहीं हुई थी। उस दिन उनके सामने ही बैठकर मन आह्लाद से भर उठा। परस्पर बातें हुईं—सामाजिकता पर, तत्कालीन राजनीति पर। स्मतियों को खँगालने पर भी बातचीत के प्रकरण, आज 35 वर्षों के बाद, स्मरण में नहीं आ रहे हैं। लेकिन तब मैंने अहसासा था कि इस व्यक्तित्व में प्रच्छन्न सौहार्द, मिलनसारिता, सादगी, वैचारिक शुभ्रता तथा शोषण-दमन के खिलाफ दढ़संकल्प कूट -कूटकर भरा हुआ है।

जब मैं नौ सितम्बर, 1985 को जमालपुर आया, तब जाना कि वह जिंदादिल इन्सान रामलखन गुप्त अब नहीं हैं। 1985 की 28 जनवरी को ही एक दढ़ -निश्चयी, वाक्पटु, जन-जागरण का पांचजन्य रेलवे अस्पताल में चुप हो गया। उनके ज्येष्ठ सुपुत्र, जो रेलवे मंडल चिकित्सालय में मंडल चिकित्सा अधिकारी थे, से जानकारी मिली थी। मन अफसोस से भर गया।

विनम्रता की प्रतिमूर्ति, सजग समाजसेवी, स्वतंत्रता-सेनानी, दुबले-पतले, पर ऊर्जावान व्यक्तित्व वाले रामलखन प्रसाद गुप्त जी को आज भी, उनके मत्योपरांत 22 वर्ष बाद भी, जानने वाले कम नहीं हैं। अपने जीवन का दो-तिहाई हिस्सा उन्होंने समाज की बेहतरी, व्यावसायिक संघों का अभिभावकत्व तथा दीन-दलितों की आवाज न केवल भाषण मंचों पर, बल्कि विधान परिषद् तथा संसद में बुलंद करने में बिताया। उनका सांसदीय जीवन अनुकरणीय था, क्योंकि इस जीवन का क्षण-क्षण इन्होंने समाज की चिंता में लगाया, जन-जागरण का पांचजन्य फूंकने में लगाया।

वे लौहपुरुष थे। वे बात के धनी थे, मदुभाषी और आत्मविश्वासी थे। क्षमतावान मार्गदर्शक थे। सजग, स्वाभिमानी, कर्मठ तथा निर्भीक थे। दढ़प्रतिज्ञ, जुझारू तथा दूरदर्शी थे। सेवाभावी, समाजसेवी तथा मानवताप्रेमी थे। साहसी कुशल नेतत्वकर्त्ता थे, सफल उद्यमी तथा गोभक्त थे। शेरदिल साहसी थे, नेकदिल दानी थे। अदम्य साहस था उनमें। संघर्षशील आत्मविश्लेषक तथा सुधी विचारक थे। वस्तुतः वे उपर्युक्त तमाम गुणों के संगम थे तथा संपूर्ण मानव जाति की जिजीविषा के प्रेरणास्रोत थे। दलित, विगलित तथा अननुप्राणित जन के मसीहा थे वे। वस्तुतः लौहपुरुष थे वे, क्योंकि जन-जागरण के दौरान संघर्षों को वे लोहे की दीवार की तरह झेल लेते थे।

अब 'स्मति -पुरुष' हो गये हैं।

बकौल डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव, 'स्मरण' से अनिष्टकारी तत्त्वों का अभिज्ञान होता है जिससे मनुष्य अनिष्ट को छोड़कर इष्ट की ओर प्रवत्त होता है। इस प्रकार, 'स्मति' या 'स्मरण' इष्ट की ओर प्रवत्त करने वाला एक ऐसा संचारी भाव है, जिससे चिंतन, मनन, चेतना और अवबोध पुंखानुपुंख रूप से जुड़े हुए हैं। संस्मरण केवल आस्था रंजित गुणकीर्त्तन नहीं होता, वरन् वह संस्मरणीय के रूप और स्वरूप का स्वस्थ निरूपण होता है जिससे इतिहास निर्मित होता है। रामलखन प्रसाद गुप्त का संस्मरणीय व्यक्तित्व है। उपर्युक्त गुणों के आलोक में हम यह निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हैं कि वे हमारे 'इष्ट' को संवलित करने तथा उसे संस्कारित करने में सक्षम थे। उनकी कर्त्तव्यनिष्ठा एवं कर्मनिष्ठा हमारे लिए अनुकरणीय थी। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्हें याद करना तथा 'स्मति -ग्रंथ' निकालकर उनकी स्मति को व्यापकता देना अभीप्सित है।

स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त आदमी से बड़ा आदमी थे, राजनेता से बड़ा राजनेता थे। इस अर्थ में कि उनकी सोच का वितान उन्मुक्त था यानी एक आम आदमी की सोच से बड़ी, बहुत बड़ी सोच जिसमें वे सारे जनगण को समेट लेते थे। स्वार्थरहित उनका यह मानव-प्रेम उन्हें 'बुद्ध' की श्रेणी में ले आता है। राजनेताओं की परिणति न्यारी होती है। वे कर्मनिष्ठ होते हैं, तो कर्त्तव्यनिष्ठ नहीं। उनकी सारी सोच स्वार्थ के खंभों पर खड़ी होती है। वे अपना भविष्य सँवारने के लिए संकल्पित होते हैं। रामलखन बाबू वैसे राजनेता नहीं थे। उन जैसा विशाल व्यक्तित्व वाले आदमी को वैसा राजनेता तो होना भी नहीं चाहिए। वे तो राजनेता से बड़े राजनेता थे। विपश्यना (कर के देखो) में विश्वास करते थे; दीन, दलित, जनगणमन की आवाज बन जाते थे। उन्होंने अपना जीवन स्वयं गढ़ा था। 'अप्प दीपो भव' के अन्यतम उदाहरण थे, तो जनगणमन को प्रोद्भाषित करने में सक्षम थे।

अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीड़नम्

परोपकार पुण्य है, तो परपीड़ा महापाप। स्व. रामलखन गुप्त का स्मरण करते हुए यह बात रेखांकित करने योग्य है कि वे परोपकारी तो थे ही, परपीड़ा उन्हें बहुत उद्वेलित करती थी। वे परपीड़ितों के सहभागी हो जाते थे और उनकी आवाज बनकर उभरते थे। **अविद्यया मत्युं तीर्त्वा विद्ययामतमश्नुते।** अविद्या यानी अज्ञानजनित अहंकार की भर्त्सना सभी चिंतकों ने की है। स्व. रामलखन गुप्त तो अज्ञानी अहंकारियों के लिए तो राम और लक्ष्मण के शरासन थे जिनसे ऐसों को विनष्ट करना वे अपना कर्त्तव्य मानते थे।

कविगुरु रवीन्द्रनाथ ने स्व-अहंकार को प्रेमाश्रु में बदल देने की ईश्वर से अभ्यर्थना की है—

आमार माथा नत करे दाव हे तोमार चरणधूलार तले
सकल अहंकार हे आमार, डुबाओ चोखेर जले

स्व. रामलखन गुप्त का व्यक्तित्व निरभिमानी तो था ही, अहंकारशून्य भी था। उन्होंने 'चरैवेति-चरैवेति' का पाठ पढ़ा था। दो सितम्बर, 1926 से 28 जनवरी, 1985 (लगभग 60 वर्ष) की जीवन-यात्रा में उन्होंने

'चलना' ही तो सीखा था। विन्द टोली (छर्रापट्टी) से मुंगेर, मुंगेर से पटना, पटना से दिल्ली और दिल्ली से विदेश-यात्रा उनकी जीवन-यात्रा के आयाम थे। 'कर्म' और 'कर्त्तव्य' इनके जीवन के अध्याय थे। उन्होंने समस्त जन के लिए **मा भेषि मा भेषि** यानी **डरो नहीं डरो नहीं** का आर्षमंत्र दुहराया था और दलित, दमित, प्रतिहत समाज में नवचेतना का सजन किया था।

कवि रवि बाबू ने मानव के लिए कुछ विशेषताएँ चिह्नित की थीं—

अंतर मम विकसित करो अंतरतर हे
निर्मल करो उज्ज्वल करो सुंदर करो हे

अंतर मम विकसित करो अंतरतर हे
जाग्रत करो उद्यत करो निर्भय करो हे

अंतर मम विकसित करो अंतरतर हे
मंगल करो, निरलस करो, निःसंशय करो हे

अंतर मम विकसित करो अंतरतर हे
नन्दित नन्दित करो, नन्दित करो हे

अंतर मम विकसित करो अंतरतर हे

ध्यातव्य है कि स्व॰ रामलखन गुप्त में ये सारे मानवीय गुण प्रच्छन्नभावेण संगुफित थे, इस तथ्य से शायद ही कोई अनवगत हो।

लौहपुरुष रामलखन प्रसाद गुप्त स्मति -ग्रंथ संयोजन समिति ने स्मति -ग्रंथ का संपादन प्रभार मेरे कंधों पर डाल दिया। मैं नानुनच करता, पर फर्म बलराम प्रसाद संजय कुमार के सुजन श्री बलराम प्रसाद का सौजन्य एवं लौहपुरुष के ततीय पुत्र श्री राजेश कुमार गुप्त का आग्रह, कहिए कि मुझे न कहते नहीं बना।

कालजयी लौहपुरुष रामलखन प्रसाद गुप्त स्मति -ग्रंथ के संपादनक्रम में मैं इनके व्यक्तित्व से इतना अभिभूत हुआ कि एक कविता मेरे मानस-पटल पर अनायास उद्भूत हो गयी—

अक्षर-अक्षर, शब्द-शब्द से मंत्रस्नात थे रामलखन।
विनयावनत सदैव, दुष्ट पर सन्निपात थे रामलखन।।

छिंदे-विंधे पाँवों से अहरह उन्नति के सोपान चढ़े।
चढ़-चढ़कर उगने वाला नव सुप्रभात थे रामलखन।।

'बिंदटोली' (बेगूसराय) के, जगमग 'मुद्गलपुरी' हुई।
श्री-सौरभ से चुस्त देश था, उपोद्धात* थे रामलखन।।

जन-नेता बन, मुखर हुए थे, सौम्य सौख्य जन हितकारी।
बात-बात में हँसी बटोरे सजल गात थे रामलखन।।

मनसा-वाचा-कर्म पुण्य-पीयूष सदा थे बरसाते।
पयस्विनी सजला-सुजला के पारिजात थे रामलखन।।

चतुष्पुत्र, दो कन्याओं के जीवन के श्ंगार बने।
ममता के आगार, विनय के सार, तात थे रामलखन।।

थे ऐसे वे स्व-प्रकाश से अँधियारे को हरते थे।
उमा-तनुक-खेसारी गद्दी, सुखद प्रात थे रामलखन।।

अधिवक्ता थे, बने पार्षद, संसद गए सुशोभित हो।
लौहपुरुष बन अग-जग चमके, सभी मात थे रामलखन।।

मदुभाषी थे, सफल उद्यमी, दढ़प्रतिज्ञ, निर्भीक, सजग।
प्रतिभाशाली, बात के धनी, व्यक्ति सात थे रामलखन।।

अंततः, इस स्मति -ग्रंथ के प्रणयन-संपादन में जिन भी प्रज्ञा-पुरुषों के ग्रंथों का सहारा लिया गया है, वे सभी आदरणीय हैं। उनके प्रति कतज्ञता ज्ञापित करना शायद औपचारिक लगे, इसीलिए उन्हें यहाँ श्रद्धापूर्वक स्मरण कर आभार प्रकट किया जाता है।

—रमेश नीलकमल

जीवन-यात्रा की क्रोश-शिलाएँ

संक्षिप्त जीवन-वत्त :

नाम	:	रामलखन प्रसाद गुप्त
वास्तविक नाम (राश्यानुसार)	:	बाबू जुगल किशोर
पिताश्री	:	श्री तनुक लाल साह (कुल तीन भाई) लोकांतरण : 1956 ई.
माताश्री	:	श्रीमती तेजो देवी लोकांतरण : 1974 ई.
जन्म विवरण	:	2 सितम्बर, 1926 ई. ज्येष्ठा नक्षत्र, चतुर्थ चरण, मिथुन लग्न, वश्चिक राशि
जन्म-कुंडली विवरण	:	लग्न : मिथुन द्वितीय भाव : राहु पंचम भाव : मंगल, शनि षष्ठ भाव : बुध, चन्द्र सप्तम भाव : सूर्य अष्टम भाव : केतु, बहस्पति, शुक्र जन्म महादशा : बुध
जन्म स्थान	:	बिन्द टोली ग्राम, जिला-मुंगेर (संप्रति बेगूसराय जिला में)
शिक्षा	:	प्राथमिक शिक्षा : मध्यविद्यालय, शालिग्रामी (साहेबपुर कमाल) माध्यमिक शिक्षा : मैट्रिक/इंटर, आरडी एंड डीजे कॉलेज, मुंगेर स्नातक/स्नातकोत्तर शिक्षा स्नातक : टीएनबी कॉलेज, भागलपुर स्नातकोत्तर : पटना विश्वविद्यालय, पटना विधि स्नातक : पटना विधि महाविद्यालय विशेष : Institute of Psychological Research and Sciences, Patna से प्रशिक्षित
विवाह	:	चकदीवान (शेखपुरा) निवासी बाबू लालजी साह की सुपुत्री सरला के साथ 1941 ई. में विवाह।

वंश-वक्ष

उमा साव

तनुक लाल साह
(पत्नी तेजो देवी)

- **रामलखन प्र. गुप्त** (पत्नी सरला देवी)
  - डॉ. चंद्रमणि प्र. गुप्त
    - अभिषेक
    - अभिनव
    - मेरुल
  - ई. जयकुमार गुप्त
  - राजेश कुमार गुप्त
    - निकेता
    - राहुल
    - नेहा
    - रोहित
  - राकेश कुमार गुप्त
    - खुशी
    - मानवी
  - मंजु साह
  - पुष्पा प्रसाद
- साधुशरण गुप्त
- सुमित्रा देवी (पति भागवत साह)
- सुहागी देवी (पति फौदी साह)

व्यवसाय

पिताजी की नामी **'खेसारी गद्दी'**, भागवत भवन, कौड़ा मैदान, मुंगेर सदर।
अधिवक्ता के रूप में पंजीकत होकर 8 अप्रैल, 1953 से मुंगेर न्यायालय में प्रवेश।
1970 ई. से मत्युपर्यन्त बिहार स्टेट बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्य।
06.08.1942 से राजनीति में प्रवेश।
1970-76 बिहार विधान परिषद् के सदस्य रहे। 1977 में पुनः मनोनीत, 1978 में त्यागपत्र।
जून 1978-मई 1984 तक राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य।

लोकांतरण

28 जनवरी, 1985 ई. अपराहन चार बजे। जमालपुर रेलवे मुख्य अस्पताल में। अंत्येष्टि : 30 जनवरी, 1985 ई. को मुंगेर गंगा नदी के किनारे श्मशान घाट पर दिन के 12:30 बजे सम्पन्न। मुखाग्नि : ज्येष्ठ पुत्र डॉ. चन्द्रमणि प्रसाद गुप्त द्वारा दी गई।

गुप्तजी का संस्थागत अवदान

6 अगस्त, 1942 को राजनीति में प्रवेश। तभी से सक्रिय भागीदारी।
'अंग्रेजो भारत छोड़ो' आंदोलन में मुंगेर में डी.जे. कॉलेज के छात्रों का नेतत्व।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय सहभागिता।
1945 ई. में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओ.टी.सी. में नागपुर गए।
स्थापना-काल से ही जनसंघ से जुड़े। 19 बार जेल-यात्रा।
मुंगेर जिला जनसंघ के अध्यक्ष रहे।
1973-74 तथा 1974-75 के दो कार्यकाल में बिहार प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष रहे।
भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य।
जनता पार्टी गठन के उपरांत बिहार प्रदेश जनता पार्टी के उपाध्यक्ष (1977-78)।
1967 में मुंगेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से मधु लिमये के खिलाफ जनसंघ प्रत्याशी।
1970 में बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित (कार्यकाल 1970-76)।
पुनः 1977 में विधानसभाई प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान परिषद् सदस्य बने। 1978 में त्यागपत्र।
1978 में जनता पार्टी (बिहार) के प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा के लिए निर्वाचित।

❖

संस्थापक अध्यक्ष	:	बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ (मत्युपर्यन्त)
अध्यक्ष	:	बिहार राज्य तैलिक वैश्य महासभा (1968) 1980 में पुनः अध्यक्ष, मत्युपर्यन्त रहे।
	:	अखिल भारतीय तैलिक वैश्य महासभा, दिल्ली (1978 से मत्युपर्यन्त)।
	:	सीताराम साहु कॉलेज, नवादा, बिहार
उपाध्यक्ष	:	दुर्गा संस्था उच्च विद्यालय, दुर्गा संस्था, रामकष्ण मिशन गोरक्षा समिति, गोशाला, अनाथालय, भारत सेवाश्रम संघ, मुंगेर एवं अखिल भारतीय वैश्य महासभा
महामंत्री	:	पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय संगठन
निदेशक	:	बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक
सदस्य	:	सलाहकार समिति, खान एवं इस्पात मंत्रालय, केन्द्रीय सहकारिता संस्थाएँ, रेलवे सम्मेलन तथा पूर्व रेलवे।
	:	बिहार स्टेट बार काउन्सिल, पटना (1970 से मत्युपर्यंत)

मजदूर-संगठनों से जुड़ाव

\# अध्यक्ष : National Organisation of Insurance Workers
अखिल भारतीय रेलवे अवर पर्यवेक्षक संघ
बिहार राज्य किसान परिषद्
भारतीय रेलवे मजदूर संघ, जमालपुर
डाक कर्मचारी संघ, मुंगेर

पत्रकारिता

\# संपादन : व्यवसायी संघ संदेश, बुनियादी संघर्ष तथा बिहार स्टेट बार काउंसिल जर्नल

\# प्रकाशन : महासभा समाचार (नई दिल्ली) तथा तैलिक वैश्य बंधु (पटना)

जेल-प्रवास

\# पटना, मुंगेर, भागलपुर, फुलवारीशरीफ (बिहार) तथा तिहाड़ (दिल्ली) में 19 बार जेल-प्रवास।

\# 1975-77 में 19 महीने मीसा में नजरबंद

विदेश यात्रा

\# लोकसभा अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ के नेतत्व में—
सोवियत संघ, रूमानिया, इटली, फ्रांस, मिश्र, ब्रिटेन, कुवैत, दुबई की यात्राएँ।

\# 16 सितम्बर, 1982 को यात्रारंभ।

स्वास्थ्य-विवरण

\# अत्यधिक सक्रियता, सामाजिक, राजनैतिक गतिविधि एवं वर्षों तक अखिल भारतीय यात्राओं के कारण रोगग्रस्त।

\# मधुमेह, हाइपरटेंशन, हृदयरोग, गुर्दे की खराबी, एन्जिना, अल्सर से पीड़ित।

\# दिसम्बर, 1982 ई. में भोपाल (म.प्र.) में गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल। पत्नी द्वारा रक्तदान देकर प्राणरक्षा।

\# 11 मई, 1983 ई. में डॉ. लोहिया नर्सिंग होम (कमरा सं.-19), दिल्ली में चिकित्सा-जाँच हेतु दाखिल।

अंततः

\# 28 जनवरी, 1985 को देहावसान।

—स्रोत : कर्मा-संदेश अंक-3, सं. सीताराम साहु 'मानव'/विनोद कुमार

'लौहपुरुष' का सम्बोधन

स्व॰ रामलखन प्रसाद गुप्त से मेरा संबंध 1978 मार्च से हुआ। उस समय मैं पलामू जिला व्यवसायी संघ के सचिव के पद पर था। मैं इस पद पर 1978 से 1980 तक रहा तथा इसी अवधि में मेरी निकटता श्री गुप्त से विभिन्न समस्याओं के आदान-प्रदान की वजह से दिनानुदिन बढ़ती ही गई। श्री गुप्त एक प्रख्यात समाजसेवी, कुशल राजनीतिज्ञ तथा राष्ट्रभक्त थे। इनका सहयोग एवं नेतत्व बिहार के व्यवसायियों को जीवनपर्यन्त मिला। बिहार के व्यवसायियों की हर छोटी बड़ी समस्याओं को इन्होंने बराबर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के समक्ष निःसंकोच प्रस्तुत किया। इनकी निःस्वार्थ सेवा निःसंदेह सराहनीय है। आज श्री गुप्त को हम अपने बीच नहीं पाकर अपने को कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनका निधन बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ की एक अपूरणीय क्षति है। वे वस्तुतः हमारे लौहपुरुष थे—एक लोहे की दीवार जो न केवल व्यवसायियों की झंझटों को, बल्कि जनगण की आपदाओं को भी झेल लेती थी। करुणा-संवेदना भरा उनका नवनीत-हृदय मानव-मात्र के दुखों से द्रवित हो जाता था।

—प्रभात कुमार अग्रवाल
नावाहाता, डालटेनगंज

परिचय

बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ

प्राणप्रतिष्ठापक	:	महामना श्री रामलखन प्रसाद गुप्त
स्थापना-दिवस	:	01.10.1967
प्रथम सभापति	:	श्री रामलखन प्रसाद गुप्त
प्रथम महामंत्री	:	श्री बलराम प्रसाद
वर्तमान सभापति	:	श्रीमती प्रभावती गुप्त, पूर्व सांसद
वर्तमान महामंत्री	:	श्री बलराम प्रसाद

उद्देश्य :

खाद्यान्न एवं खाद्य पदार्थ के व्यवसाय एवं इस पर आधारित उद्योग को आदर्श एवं प्रगतिशील बनाना।
उक्त व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना।
उचित नियम एवं कानूनों के अनुपालन हेतु व्यवसायियों को प्रेरित करना।
गलत एवं अनुचित कार्रवाई का विरोध करना।
व्यवसायियों एवं सरकार के बीच सद्भाव पैदा करना।
व्यवसाय संबंधी कानूनों, न्यायालय के फैसलों तथा संघ के क्रियाकलापों का प्रकाशन कर सदस्यों को उससे अवगत कराना।

पत्रिका :

'व्यवसायी संघ संदेश', पटना
संपादक : श्री रामावतार प्रसाद सर्राफ

श्री गुप्त ने व्यवसायी संघ से अंतिम बार मुंगेर प्रस्थान करने वक्त यह इच्छा व्यक्त की थी कि अब व्यवसायी संघ को और अधिक चुस्त एवं दुरुस्त कर इसके क्रियाकलापों में पुरजोर प्रगति लायी जाय एवं 1985 में इसकी सदस्य संख्या में कम से कम 25 प्रतिशत की वद्धि की जाय।

उनकी अंतिम इच्छा की पूर्ति हेतु हम सब सक्रिय रहे हैं और सक्रिय रहना ही दिवंगत आत्मा के प्रति हमलोगों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

संवेदना के स्वर

पिताजी!

—राजेश कुमार गुप्त

"मायावी सरोवर की तरह
अदश्य हो गए पिता
रह गए हम
पानी की खोज में भटकते पक्षी-से।

"ओ मेरे आकाश पिता
टूट गए हम
तुम्हारी नीलिमा में टँके
झिलमिल तारे-से।

"ओ मेरे जंगल पिता
सूख गए हम
तुम्हारी हरियाली में बहते
कल-कल झरने-से।

"ओ मेरे काल पिता
बीत गए तुम
रह गए हम
तुम्हारे कैलेण्डर की
उदास तारीखों-से।

"हम झेलेंगे दुःख
पोछेंगे आँसू
और तुम्हारे रास्ते पर चलकर
बनेंगे सरोवर, आकाश, जंगल और काल
ताकि हरी रहे घर की
एक-एक डाल।

"हम कर्त्तव्य-पथ पर
अग्रसर हैं, पिता!
आपके आशीर्वाद
जो हम सबको है।"

मनसि वचसि काये पुण्यपीयूष पूर्णाः,
त्रिभुवनमुपकार श्रेणिनिः प्रीणयन्तः।
परगुण परमाणुन् पर्वतीकत्य नित्यं,
निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः क्रियन्तः।

—भर्तहरि

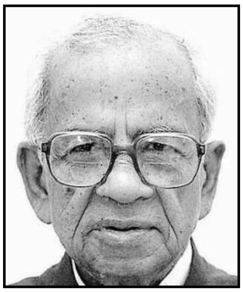

भू.पू. संसद सदस्य
भू.पू. राज्यपाल
गुजरात एवं राजस्थान

प्रिय श्री राजेश कुमार गुप्त जी,

सादर अभिवादन,

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त के स्मति ग्रंथ के आयोजन में संयोजन समिति बनी है, यह जानकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई है।

श्री रामलखन जी से मेरा बहुत ही पुराना एवं गहरा संबंध रहा है। मेरे लिए उनका परिवार अपना ही परिवार है, ऐसा हमेशा अनुभव होता रहा है। परिवार के एक-एक घटक से इतना सहज स्वाभाविक संबंध रहा है, जिससे परिवार में न कोई हिचक और न ही किसी से बात करने में कोई बाधा। उनसे मेरा पहला परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के नाते हुआ। फिर भारतीय जनसंघ के सदस्य, कार्यकर्ता तथा अलग-अलग पदों पर योग्य पदाधिकारी के नाते परिचय बढ़ता गया। वे एक अच्छे अधिवक्ता भी थे। व्यवसायी परिवार के होने के कारण वे अच्छे व्यवसायी भी थे। उनका संसदीय जीवन भी सदा ही स्मरणीय रहेगा। वे चाहे विधान परिषद् में पार्षद के नाते रहे हों या संसद में राज्यसभा के सांसद के नाते रहे हों, सदा ही बहुत सक्रिय रहे। अन्यान्य कई संगठनों में उन्होंने श्रेष्ठ स्थान बनाया था। बिहार में बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ नाम का कोई जीवंत संगठन है। गुप्त जी के पैर रखने के पहले अनुभव नहीं होता था। जब से श्री रामलखन गुप्त जी ने इस संगठन में पैर रखा, यह संगठन बिहार में एक प्रभावी तथा शक्तिशाली संगठन के रूप में प्रकट हो गया। जब तक वे जीवित रहे तब तक खाद्यान्न व्यवसायी संघ के निर्विरोध नेता रहे।

किसी व्यक्ति में एक साथ इतने गुणों का समूह हो, शायद ही देखने के लिए मिलता है। निःसंदेह श्री रामलखन गुप्त का जीवन चिरस्मरणीय है। उनकी आत्मा को मेरा शत्-शत् नमन है।

भवदीय

(कैलाशपति मिश्र)

सेवा में,
श्री राजेश कुमार गुप्त
कल्पना भवन, कौड़ा मैदान, कॉलेज
रोड, मुंगेर-811 201

कलराज मिश्र
संसद सदस्य
(राज्य सभा)
KALRAJ MISHRA
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

सत्यमेव जयते

9, सफदरजंग लेन
नई दिल्ली—110011
दूरभाष : 23016181
फैक्स : 23014678
9, Safdarjung Lane,
New Delhi-110011
Phone : 23016181
Fax 23014678

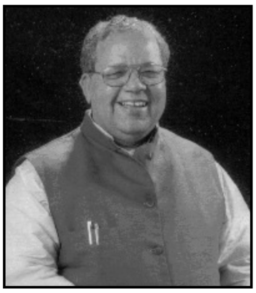

28 मार्च, 2007

आदरणीय श्री राजेश जी,

आपका दिनांक 23 फरवरी, 2007 का पत्र मिला। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि लौहपुरूष रामलखन प्रसाद गुप्ता जी की स्मृति में एक स्मृतिग्रंथ निकाला जा रहा है।

लौहपुरूष रामलखन प्रसाद गुप्ता जी ने अपना जीवन समाज की बेहतरी तथा दीन-दलितों की सेवा में लगाया। वे अपने युग के एक महान व्यक्ति थे जिनकी गौरव-गाथा सदैव अणुप्राणित करती रहेगी।

मैं इस संस्था से जुड़े सभी कर्मठ तथा निष्ठावान कर्मियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ तथा यह आशा भी करता हूँ कि यह संस्था अपने इस महती उद्देश्य को पूरा करने में एक लम्बा सफर तय करेगी।

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

कलराज मिश्र

(कलराज मिश्र)

श्री राजेश कुमार गुप्ता
अध्यक्ष
लौहपुरूष रामलखन प्रसाद गुप्ता
स्मृतिग्रंथ संयोजन समिति
कल्पना भवन, कौड़ा मैदान,कॉलेज रोड़
मुंगेर-811201,बिहार

निवास (लखनऊ) : 11, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ दूरभाष : 0522-2235222 फैक्स : 0522-2235703
Resi. (Lucknow) : 11, Vikramaditya Marg, Lucknow Tel. : 0522-2235222 Fax : 0522-2235703

राम नरायन साहू
संसद सदस्य (राज्य सभा)
Ram Narayan Sahu
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

सत्यमेव जयते

97, साऊथ एवेन्यू
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 011-23795003
97, South Avenue
New Delhi - 110011
Ph. No. 011-23795003

MPRS/L - 2470

Date : 23-03-2007

सन्देश

मुझे यह जानकर अत्याधिक प्रशन्नता की अनुभूति हो रही है कि आप लोगों के सद्प्रयासों से एक परमतत्व विलीन महान कर्मयोगी के सद्कर्मों को समाजहितार्थ एक ऐसे प्रकाशपुंज रूपी समृतिग्रन्थ के रूप में प्रकाशित करने का सफल प्रयास किया गया है जो आने वाली पीढ़ियों के जीवन को सदैव प्रेरणा प्रकाश प्रदान करता रहेगा । वास्तव में किसी भी समाज के विकास में सद्साहित्य एक पथप्रदर्शक का कार्य करता है तथा श्री रामलखन प्रसाद गुप्ता जी जैसे महान समाज सेवी के सेवा कार्य भावी पीढ़ियों के लिये प्रेरणा स्त्रोत बनकर अमर रहते हैं, यूं तो महान आत्मायें भी एक न एक दिन पंचतत्व में विलीन होकर परमतत्व में समाहित हो जाती हैं परन्तु उनके सेवा एवं श्रेष्ठ कार्य ही जनमानस के हृदय पटल पर अंकित होकर अमरत्व की अनुभूति कराते हैं ।

इस बहुपयोगी स्मृति ग्रन्थ के सफल प्रकाशन हेतु प्रकाशन समिति के मा० अध्यक्ष एवं सभी सहयोगियों को कोटिशः बधाई ज्ञापित करते हुये आशा करता हूं कि यह स्मृतिग्रन्थ भावी पीढ़ी हेतु अनुकरणीय एवं प्रेरणादायी सिद्ध होगा ।

राम नरायन साहू

कार्यालय : शुभम् थियेटर बिल्डिंग, कैन्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ - 226001, फोन : 0522 - 2628182
Office : Shubham Theatre Building Cantt. Road, Kaisharbagh, Lucknow - 226001, Ph. : 0522 - 2628182
Website : Httpi//parllamentofindia.nic.in

अमीर दास
पूर्व न्यायाधीश

सादीपुर, मुंगेर-811201
जुलाई 30, 2007

प्रिय राजेश,

यह जानकर सुखद अनुभूति हुई कि पूर्व सांसद **स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त** के आदर्श व्यक्तित्व, समाज एवं राष्ट्रहित में किये गये उनकी उल्लेखनीय सेवाएँ एवं कार्यकलापों को रेखांकित करने हेतु रामलखन प्रसाद गुप्त स्मति -ग्रंथ प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। स्व. गुप्त जी राजनेता ही नहीं एक सफल अधिवक्ता भी थे। आयकर, वाणिज्यकर एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम से जुड़े मामलों में उनका विशिष्ट स्थान था। वे स्टेट बार काउन्सिल के भी सदस्य थे जहाँ उन्होंने अपना विशिष्ट स्थान बनाया था। उन्होंने जीवनपर्यन्त समाज के कमजोर वर्गों के हितों के लिए निर्भीकतापूर्वक संघर्ष किया। उनसे मेरा पारिवारिक संबंध था तथा उनका स्नेह सदैव प्राप्त होता था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

आशा है उक्त स्मति -ग्रंथ में विभिन्न क्षेत्रों में किये गये उनके कत्यों का संकलन एवं प्रकाशन प्रभावशाली ढंग से किया जायेगा जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य कर सकेगा।

शुभकामनाओं के साथ,

भवदीय

(अमीर दास)
अवकाशप्राप्त न्यायाधीश
पटना हाईकोर्ट

सेवा में,
श्री राजेश कुमार गुप्त
कल्पना भवन, कौड़ा मैदान, कॉलेज
रोड, मुंगेर-811 201

बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ

(स्थापित – 1967)

स्व0 रामलखन प्रसाद गुप्त स्मृति कक्ष

2, सूर्य बिहार अपार्टमेन्ट,एक्जीबिशन रोड पटना– 1, दूरभाष– 221518

प्रभावती गुप्ता, पू0 सांसद
अध्यक्ष

बलराम प्रसाद
महामंत्री

पत्रांक ——————————

दिनांक :– 21/4/2007

प्रिय राजेश

आपका पत्र प्राप्त हुआ। यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के संस्थापक अध्यक्ष स्व0 रामलखन प्रसाद गुप्त की स्मृति में एक ग्रंथ प्रकाशित की जा रही हैं। स्व0 गुप्तजी एक सफल अधिवक्ता,प्रखर सांसद , ओजस्वी वक्ता एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित राजनेता थे। उनके अदम्य साहस, विलक्षण प्रतिभा एवं अद्भुत संगठन शक्ति का प्रतीक है बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ जो सम्पूर्ण राज्य में एक वट वृक्ष की तरह पल्लवित एवं पुष्पित होकर राज्य के व्यवसायियों को शीतल छाया प्रदान कर रहा हैं। उनका त्याग एवं उल्लेखनीय सेवा हमारा आदर्श है तथा उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही यह संस्था निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। स्व0 गुप्तजी न सिर्फ व्यवसायी वर्ग अपितु राज्य के उपेक्षित एवं कमजोर वर्ग के हितों एवं मान–सम्मान के लिये निर्भीकतापूर्वक जीवन पर्यंत संघर्ष किया फलस्वरूप उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में 19 वार जेल यात्राएँ करनी पड़ी एवं यातनाएँ सहनी पड़ी। उन्होंने अपने जीवन में सदैव समाज एवं राष्ट्रहित को प्रमुखता दी। उनके कथनी एवं करनी में कोई अन्तर नहीं था। वे सवों से आत्मीय व्यवहार करते थे तथा सबों पर अपना स्नेह न्योछावर करते थे। यह उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की खासियत थी कि उन्हें सब अपना समझते थे। जो बिरले ही देखने को मिलता हैं। स्व0 गुप्त जी मुझे सदैव अपनी छोटी बहन की तरह स्नेह दिया,हिम्मत दी, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जिसे मैं कभी भुल नहीं सकती। वे एक महामानव थे। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हुॅं तथा आपको बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के अध्यक्ष की हैसियत से विश्वास दिलाती हुॅं कि उनके बताए हुए मार्गो पर चलते हुए उनके आकांक्षा के अनुरूप कार्य करती रहुॅंगी।

मैं आशा करती हुॅं कि रामलखन प्रसाद गुप्त स्मृति ग्रंथ आनेवाली पीढ़ी के लिये मार्गदर्शन एवं प्रेरणा पूंज का काम करेगा।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ।

आपकी

(प्रभावती गुप्ता) पू0सांसद
अध्यक्ष

राम विलास पासवान
Ram Vilas Paswan

रसायन एवम् उर्वरक
तथा इस्पात मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली
MINISTER OF CHEMICALS
& FERTILIZERS AND STEEL
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI

सन्देश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि लौहपुरूष रामलखन प्रसाद गुप्ता स्मृतिग्रंथ संयोजन समिति, मुगेर, बिहार द्वारा उनकी स्मृति में एक **स्मृति-ग्रन्थ** का प्रकाशन कराकर आगामी 2 सितम्बर, 2007 को इसका लोकार्पण-विमोचन कराया जा रहा है ।

आशा है कि यह स्मृति-ग्रन्थ विनम्र समाजसेवी, स्वतंत्रता-सेनानी, विधान पार्षद तथा सांसद रहे स्वर्गीय रामलखन प्रसाद गुप्ता के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से आम जनता को अवगत करायेगा ।

मैं इस नेक कार्य के लिए स्मृति-ग्रन्थ संयोजन समिति के सदस्यों को बधाई देता हूँ तथा इस स्मृति-ग्रन्थ के सफल प्रकाशन एवं वितरण की कामना करता हूँ ।

(राम विलास पासवान)

नई दिल्ली ।
15 दिसम्बर, 2006,

जय प्रकाश नारायण यादव
JAI PRAKASH NARAYAN YADAV

जल संसाधन राज्य मंत्री
भारत सरकार
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली-110001
MINISTER OF STATE FOR
WATER RESOURCES
GOVERNMENT OF INDIA
SHRAM SHAKTI BHAWAN
NEW DELHI-110001

संदेश

5 JUN 2007

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि सजग समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी, अन्याय से लोहा लेने वाला, सांसद एवं विधान पार्षद रह चुके स्व0 रामलखन प्रसाद गुप्ता की स्मृति में एक स्मृतिग्रंथ का लोकार्पण–विमोचन दिनांक 02.09.2007 को किया जा रहा है। स्व0 रामलखन प्रसाद गुप्ता एक कर्मयोगी, निर्भीक–समाजसेवी एवं गरीबों पर होने वाले अन्याय से लोहा लेने वाले व्यक्ति थे। वे विद्वान एवं एक सफल अधिवक्ता होने के साथ–साथ समाजिक–सांस्कृतिक कार्यो के प्रणेता रहे।

मुझे आशा है कि इस स्मृतिग्रंथ के प्रकाशन से स्व0 रामलखन प्रसाद गुप्ता के गरीबों के प्रति किये गये कार्यो एवं देश को आजादी दिलाने में उनके योगदान का मुंगेर में ही नही वरन् पूरे राज्य एवं देश में व्यापक प्रचार–प्रसार होगा तथा समाज के युवा वर्ग को इससे एक नई दिशा मिलेगी।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

(जय प्रकाश नारायण यादव)

जल संरक्षण – जीवन संरक्षण
Conserve water - Save life

संदेश

मानव में कोई न कोई विशेषता रहती है जिसके कारण समाज में वह अनूठा स्थान प्राप्त करता है। अपने कार्यों और सेवाओं से वह समाज को प्रगति की नई राह दिखाता है और जनसेवा एवं समाजसेवा में अपना जीवन समर्पित करता है।

अपनी सामाजिक और आध्यात्मिक सेवाओं के कारण पहचाने जाते बिहार के ऐसे ही समाजसेवी **स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त** के प्रति श्रद्धा व्यक्ति करने हेतु उनके व्यक्तित्व और कतित्व पर **स्मति-ग्रंथ** प्रकाशित किया जा रहा है, यह खुशी की बात है।

यह ग्रंथ सभी वर्गों को समाज और राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इस सुकार्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आपका,

(नरेन्द्र मोदी)

प्रति,
श्री राजेश कुमार गुप्ता - *अध्यक्ष,*
संयोजन समिति,
कल्पना भवन,
कौड़ा मैदान, कॉलेज रोड,
(रामलखन प्रसाद गुप्ता पथ)
मुंगेर - ८११ २०१. (बिहार)

नरेन्द्र मोदी
मुख्य मंत्री, गुजरात राज्य

डा० मोनाजिर हसन
Dr. Monazir Hassan
ڈاکٹر مناظر حسن

मंत्री
भवन निर्माण विभाग
बिहार सरकार, पटना
MINISTER
Deptt. of Building Construction
Govt. of Bihar, Patna
Office : Vishwasharaya Bhawan, Bailey Road, Patna
Phone & Fax : 0612-2233629

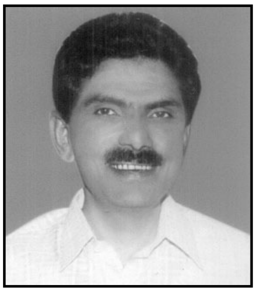

पत्रांक : ....

दिनांक : ....

संदेश

प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, लगातार विधान पार्षद एवं राज्य सभा सदस्य रहे स्व0 रामलखन बाबू एक प्रखर वक्ता एवं आम जनता के दिलों पर राज करने वाले कर्मठ समाजसेवी थे । जनसंघ पार्टी पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगता रहा है, परन्तु उस पार्टी में रहकर भी अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक सभी को साथ लेकर चलने की जो क्षमता स्व0 रामलखन बाबू में थी, वह आज भी अनुकरणीय है । मैं उनके बहुआयामी व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित हूँ । उनकी स्मृति में जो स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित होने जा रहा है, वह बहुत ही सराहणीय है । स्मृति ग्रंथ के प्रकाशन के उपरान्त इसे पढ़ने वाले लोग उनके व्यक्तित्व एवं सद्विचारों से प्रेरणा ग्रहण करेंगे तथा समाज को एक नई दिशा मिलेगी ऐसा मेरा विश्वास है ।

इस स्मृति-ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ ।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ।

28.7.07

(डॉ० मोनाजिर हसन)

Residence/आवास : 4, Bailey Road, Patna, Bihar / 4, बेली रोड, पटना, बिहार
Ph. & Fax : 0612-2232753

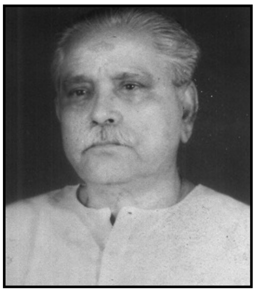

ताराकांत झा
सदस्य, बिहार विधान परिषद्

दूरभाष : 2532420
बोरिंग केनाल रोड,
पटना-800001
जुलाई 31, 2007

प्रिय राजेश,

श्री रामलखन जी गुप्त के बारे में तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। मेरा परिचय 1946 ई. से था जब वे भागलपुर में कॉलेज छात्र थे। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक था और वे स्वयंसेवक थे। छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि थी। उसका ही परिणाम था अखिल भारतीय तैलिक वैश्य सभा में सक्रिय योगदान। राज्यसभा के सदस्य रहे या नहीं रहे, पर जनसंघ से जुड़े रहे। भाजपा से जुड़े रहे। संघ से जुड़े रहे। स्वभाव ऐसा ही कि मैंने उन्हें किसी से झगड़ते नहीं देखा। मुंगेर वकालतखाना में वे एवं श्री जगदम्बी यादव दोनों भाजपा के सदस्य थे। छर्रा पट्टी उनका मूल गाँव कई बार गया। उन्होंने गाँव को कभी नहीं छोड़ा। उनकी याद सदैव आती रही है। बिहार राज्य बार काउन्सिल में वे सदस्य थे जब मैं चेयरमैन था। सजग प्रहरी वे वकीलों की अधिकार पर थे। किसी मुद्दा को नहीं छोड़ा। सौभाग्य से उनका परिवार सुशिक्षित एवं सुखी है।

स्व. गुप्त जीवनपर्यन्त संघ परिवार के लिए जिए। जनसंघ भाजपा के माध्यम से समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के लिए समर्पित रहे। अपने पिछड़े, दलित एवं अंतिम छोर पर पड़े लोगों के लिए सर्वस्व दांव पर लगा दिया।

उनका समर्पित जीवन अनुकरणीय रहा और रहेगा।

भवदीय

(ताराकांत झा)

सेवा में,
श्री राजेश कुमार गुप्त
कल्पना भवन, कौड़ा मैदान, कॉलेज
रोड, मुंगेर-811 201

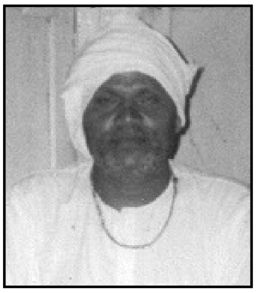

रघुनंदन गोस्वामी

सद्‌गुरु कबीर मंडलेश्वर
मठ गादी, कबीर आश्रम
बुन्नी (खगड़िया)
जुलाई 31, 2007

आज के इस परिवेश में यह लिखते मन में किंचिन्मात्र संकोच नहीं है कि आपके पिताश्री स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त वास्तविक रूप में कबीर पंथ समाज के एक प्रखर मशाल के रूप में मानव समाज के बीच प्रज्ज्वलित होते रहे हैं और इस प्रकाशपुंज के आलोक में मैंने सद्‌गुरु कबीर की एक साखी पढ़ी थी—

जो मानुष गह धर्मयुद्ध, राखे शील विचार।
गुरुमुख वाणी सार शब्द, मन बच सेवा सार।।

आपका जीवन गहस्थ धर्म के अनुकूल प्राणीमात्र पर दयाभाव, साधु गुरु की सच्ची सेवा, सत्यासत्य का वास्तविक विचार, रूढ़िवादी परम्परा यथा—जातिगत भाव, काल्पनिक अंधविश्वास, ऊँच-नीच की परिकल्पना, अमीर-गरीब इत्यादि सामाजिक कुरीतियों का दोषों से विमुक्त आपका जीवन सद्‌गुरु कबीर का दो-टूक विचार—**सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूँ टुकड़ों में, यह मेरे वश की बात नहीं।** से बिल्कुल सराबोर था। इतना ही नहीं, आपने आगामी दिनों को ध्यान में रखते हुए संत सम्राट युगपुरुष संत कबीर के नाम से जमीन भी दान किया जो आज भी आनंद बाग जिला मुंगेर के नाम से प्रख्यात है। जिससे साधु-संतों को वास्तविक परमार्थ मिलता रहेगा। आप **'कबीरा खड़ा बजार में लिये लुकाठी हाथ, जो जारे घर आपनो चले हमारे साथ'** के उपासक थे, जिनके माध्यम से आपके पिताश्री स्व. तनुक लाल साह झाँका करते थे।

आपके तेजपुंज के अमर ज्योति आज भी आपके परिवार में देखी जाती है कि आपकी भावी पीढ़ी तन-मन-धन से कबीरपंथ समाज की सेवा में समर्पित भाव से संलग्न है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको मेरी ओर से तथा मेरी गादी से संबंधित सभी मठों से साधु ब्रह्मचारियों की ओर श्रद्धांजलि सुमन समर्पित है। प्रस्तुत **स्मति-ग्रंथ** का प्रकाश मानवमात्र के जीवन को आलोकित करता रहेगा।

भवदीय

(रघुनंदन गोस्वामी)

सेवा में,
श्री राजेश कुमार गुप्त
कल्पना भवन, कौड़ा मैदान, कॉलेज
रोड, मुंगेर-811 201

भारत सरकार के डी.ए.वी.पी. और बिहार सरकार द्वारा स्वीकत

अग्रसर (साप्ताहिक)
संपादक : आचार्य लक्ष्मीकान्त मिश्र
दूरभाष : 06344-222578

कार्यालय :
दलहट्टा चौक, मुंगेर
दिनांक : 20.05.2007

प्रिय राजेश गुप्त जी,

एक जमाना था जब भारत की राजनीति सेवा का पर्याय हुआ करती थी। उसी जमाने के एक खूबसूरत यादगार का नाम है रामलखन प्रसाद गुप्त। उस दौर में राजनीति सत्तालोलुपता से ऊपर हुआ करती थी। सामाजिक न्याय और दलित उद्धार के ऊँचे-ऊँचे नारों और चकमक बैनरों के नीचे घोटाले जैसे धंधे नहीं हुआ करत थे। पर आज के ऐसे सियासी हालत से अगर इस देश को और खास तौर पर इस राज्य को उबरना है तो स्व॰ रामलखन प्रसाद गुप्त जी की ज्योतिर्मयी स्मति को बचाये रखना जरूरी है। उनका नाम भी मानो प्रतीक था—उनकी मान्यताओं का। अपने नाम में राम और लखन के आदर्शों को समेटे हुए और बिना ढिंढोरा पीटे हुए गुप्त रूप से देश और समाज की सेवा करना उनका जीवनादर्श था। हम गौरव का अनुभव करते हैं—यह सोचकर कि वे उसी मुंगेर की माटी के लाल थे जहाँ हम भी हैं।

उनकी स्मति में प्रकाशित होने वाला स्मति -ग्रंथ निश्चय ही सार्थक और मार्गदर्शक सिद्ध होगा, इसी विश्वास के साथ मैं आपके इस सारस्वत प्रयास का स्वागत और अभिनन्दन करता हूँ।

आभारी हूँ कि शब्दों के दो-चार तुलसीदल अर्पित करने का अवसर मुझे आपने दिया। धन्यवाद।

आपका
लक्ष्मीकांत मिश्र
सम्पादक 'अग्रसर',
मुंगेर, बिहार

भारतीय जनता पार्टी

कला एवं संस्कृति मंच

बिहार प्रदेश

कुमार अरविन्दगुप्त

प्रदेश अध्यक्ष

8, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800 001

दूरभाष : (0612) 2230529, 2230244, फैक्स : (0612) 2237852

(e-mail) : bjppatna@rediffmail.com.

आवास : चौराहा, फुलवारी शरीफ, पटना-801505

फोन-0612-2556846, मो०-9431636488

पत्रांक 152/07 — दिनांक 30/7/2007

'ओ३म्'

श्रद्धेय नीलकमल जी,

सादर नमस्ते,

कुशलतोपरान्त कुशलता की कामना।

हमें यह जानकर अतीव प्रसन्नता हुई कि प्रखर राजनेता एवं समाजसेवी स्व० रामलखन प्र० गुप्त जी के यादों को संजोने के लिए आपके संपादन में 'रामलखन प्र० गुप्त स्मृति ग्रंथ' का प्रकाशन होने जा रहा है।

स्व० गुप्त ने अपने कृतित्व के बल पर राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अनेकों यादगार कार्य किये हैं। आशा है, स्मृति ग्रंथ में उनके जीवन के सभी पक्षों का समावेश होगा।

सादर,

सेवा में,

श्री रमेश नीलकमल जी,

अक्षर विहार, अवन्तिका मार्ग

जमालपुर-811214

आपका ही,

(कुमार अरविंदगुप्त)

स्मत्यार्चन- 1

सियाराम प्रहरी

रामलखन जी गुप्त की जब-जब आई याद।
श्रद्धा से सिर नत हुआ, मन का मिटा प्रमाद।।

कुछ दिन उनके कुछ निकट रहने का संयोग।
उनको देखा औ सुना उनका योग-वियोग।।

सज्जनता-शालीनता में अटूट विश्वास।
अहंकार-अभिमान को आने दिया न पास।।

मन में जलती थी सदा देश-प्रेम की आग।
अपने दामन पर कभी लगने दिया न दाग।।

विधि-ज्ञाता थे गुप्त जी, राजनीति मतिमान।
सांसद बन पाते रहे जनता का सम्मान।।

सबके हित की कामना, सबके हित का ध्यान।
रामलखन जी गुप्त का था यह लक्ष्य महान।।

जीवन भर चलते रहे लेकर दीपक हाथ।
उस प्रकाश की राह में बहुतों को ले साथ।।

मानवीय संवेदना, शुभ आचार-विचार।
जिनका जीवन-लक्ष्य था प्यार, प्यार, बस प्यार।।

❖

स्मत्यार्चन- 2

डॉ. राजेन्द्र पंजियार

जीवन के सुरभित सुरम्य पथ पर विकीर्ण थे फूल।
घणा, द्वेष, दुर्भाव, वैर को आप गए थे भूल।।

विश्व प्रेम का कल्पवक्ष विकसित था उर अंतर में।
दीन-दुखी निबलों के बल बन बिचरे ये घर-घर में।।

बन विराट संस्कति के साधक दे जग को आलोक।
द्वन्द्वों-संघर्षों से सबका मिटा दिया था शोक।।

भीतिमुक्त हो मानवता का, ध्वजवाहक बन विहरे।
समरसता का गीत स्वरित कर अग-जग फैले गहरे।।

यादों में उमड़ी-घुमड़ी है स्मतियों का उच्छ्वास।
नमन, गुप्त जी! लौहपुरुष हे! हम सबके विश्वास।।

❖

भपके से केवल एक बूंद छनती है
सारे जीवन में एक मूर्ति बनती है
जिसमें सारी साधना समा जाती है
जो युग-युग का इतिहास बना जाती है

—डॉ॰ शिवमंगल सिंह 'सुमन'

स्मत्यार्चन- 3

विनोद कुमार

राका-नभ में छिटकी चाँदनी-सम तुम ज्योत्स्नामय

मरुस्थल में नखलिस्तान-सदश सुशोभायमान

लक्ष्य पर बढ़ते रहे निरन्तर, कभी डिगे नहीं

खण्डित मानसिकता एवं वैचारिक रिक्तता के निवारण हेतु

न कभी सुशयन-आराम कुछ सुख-चैन किया

प्रमाद त्याग, शोषण-दमन के खिलाफ लड़ते रहे निरन्तर

सादा जीवन, उच्च विचार, रहा सदा उच्च आदर्श

दया, परोपकार, समष्टि-हितार्थ किया समर्पित निज जीवन

गुजित कर दिया समस्त देश में
राजनीति-संगठन-जागरण का अद्भुत मूलमंत्र

प्लुत-प्रगल्भता, प्रतिष्ठा-लिप्सा से मुक्त, रहे अहंमुक्त भी

तनुक-पुत्र रामलखन प्रसाद गुप्त! तुम्हें शत बार नमन!!
तुम्हें शत बार नमन!!!

❖

व्यक्तित्व व्याकरण

From Geetanjali

Where the mind is without fear
and the head is held high;
Where knowledge is free
Where the world has not been broken up
into fragments by narrow domestic walls;
Where the clear stream of reason has not lost
its way into the dreary habits;
Into the heaven of freedom, my Father,
let my country awake.

–Ravindra Nath Thakur

Ravindra Nath's (as also of Ramlakhan) qualified support of nationalist movements came from this committment. So did his reservations about patriotism, which, he argued, can limit both the freedom to engage ideas from outside 'Narrow Domestic Walls' and the freedom also to support the causes of the people. His passion for freedom underlies his firm opposition to unreasoned traditionalism, which makes one a prisoner of the past.

–Amartya Sen
In his Argumentative Indian

रामलखन प्रसाद गुप्त : संक्षिप्त जीवन-वत्त

गंगा तट पर स्थित, विन्द टोली (छर्रापट्टी) ग्राम, साहेबपुर कमाल, सम्प्रति जिला बेगूसराय (बिहार) में दिनांक 2 सितम्बर, 1926 को श्री रामलखन प्रसाद गुप्त का जन्म एक सुसंस्कत सम्पन्न एवं देश की स्वतंत्रता में लगे संघर्षशील परिवार में हुआ। देश की आजादी की लड़ाई में अग्रसर ग्राम और उसमें स्थापित महात्मा गांधी का मंदिर तथा राष्ट्रीय विचार वाले अनेकों ग्रामीणों से प्रभावित बाल्यकाल से ही रहे श्री गुप्त। आपके पिता स्व॰ तनुक लाल साह सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से बगावत करने वाले ही नहीं, वे उस रूका ग्राम में कबीरपंथी महात्माओं के संपर्क से आये और हिंदी, संस्कत, अंग्रेजी, उर्दू एवं बंगला के ज्ञाता हो गए। महात्मा कबीर के 'बीजक', महाभारत, गीता तथा तुलसीदास के रामचरितमानस, विनय पत्रिका, भर्तहरि के शतक, अन्य संतों की पुस्तकें, उनके भजन आदि के महान ज्ञाता सिद्ध हुए। वद्धावस्था तक सर्वदा प्रातःकाल पुस्तकों का अध्ययन स्मरण करना उनका जारी रहा। उन्होंने सम्पूर्ण भारत की यात्रा की। आर्थिक दष्टि से कषि, व्यापार, बैंकिंग तथा सम्पत्ति में उन्होंने सम्पन्नता हासिल की। वे अपने साथ अपने पड़ोसियों, कर्मचारियों को भी सम्पन्नता प्राप्त करने में सहयोग करते रहे। कबीरपंथी संतों का समागम बराबर होता रहता था और इस हेतु उन्होंने **'कबीर मठ'** की स्थापना की। वे ग्रामीणों, हरिजन, पिछड़ों, कर्मचारियों के साथ बैठकर बराबर ज्ञान की चर्चा करते और तरह-तरह के वाद्ययंत्रों पर भजन भी करते। अपने दोनों पुत्र रामलखन प्रसाद गुप्त तथा साधुशरण गुप्त को एम.ए., एलएल.बी. तक की शिक्षा दिलवायी और दोनों भाइयों ने वकालत पेशा अपनाया।

रामलखन गुप्त की प्राथमिक शिक्षा, साहेबपुर कमाल के ही शालिग्रामी ग्राम के मिड्ल स्कूल, मैट्रिक डी. जे. कॉलेज, मुंगेर, स्नातक टी.एन.बी. कॉलेज, भागलपुर, एम.ए. इंस्टीच्यूट ऑफ साइकोलॉजिक रिसर्च एण्ड सर्विसेज, पटना तथा बी.एल. पटना लॉ कॉलेज (पटना यूनिवर्सिटी) में हुई। 1953 में मुंगेर में एक लब्ध प्रतिष्ठित एवं सफल एडवोकेट के रूप में वकालत प्रारंभ की।

रामलखन गुप्त का विवाह मुंगेर जिला के शहर शेखपुरा के एक कुलीन एवं सम्पन्न परिवार में सुश्री सरला गुप्त के साथ 1941 ई. में हुआ। आज आपके चार पुत्रों में एक डॉक्टर (सीनियर डीएमओ, ई.रेलवे, जमालपुर) एवं एक सिविल इंजीनियर, एक एम.बी.ए. कर अभी ब्रांच मैनेजर, लैंड डेवलपमेंट बैंक के पद पर सेवारत हैं और एक पुत्र कॉलेज छात्र (लॉ) हैं। आपकी दोनों पुत्रियाँ भी विज्ञान स्नातक हैं। बड़े दामाद खाद कारखाना गोरखपुर में जेनरल मैनेजर (एचएफसी) तथा छोटे दामाद रेलवे में सीनियर डीएमओ हैं।

उनका राजनैतिक जीवन 6 अगस्त, 1942 से शुरू हुआ। बंबई में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध 'भारत छोड़ो' का नारा दिया और स्व॰ गुप्त मुंगेर के डी.जे. कॉलेज के छात्रों का नेतत्व करते आंदोलन में सक्रिय हो गए और तत्पश्चात् आज तक क्रियाकलापों में सक्रिय भाग ले रहे हैं।

किशोरावस्था में ही ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। 1945 में ततीय वर्ष अधिकारी शिक्षण शिविर की शिक्षा नागपुर में प्राप्त कर संघ कार्य के प्रचार एवं विस्तार में लग गए। संघ पर प्रतिबंध लगने पर मुंगेर जेल में बंद किये गए और तब से अब तक 19 बार नजरबंद किए गए। ये केन्द्रीय बजट, शिमला समझौता, रेल बजट, मूल्य-वद्धि के विरोध में एवं बंगला देश को मान्यता आदि विभिन्न कारणों से बंदी बनाकर पटना, मुंगेर, तिहाड़ (दिल्ली), भागलपुर, फुलवारीशरीफ आदि जेलों में रखे गए।

1974 में **'जयप्रकाश आंदोलन'** में वे सक्रिय भाग लेते रहे। जिस समय वे **'भारतीय जनसंघ'** के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष थे, उस समय उन्हें 'मीसा' में बिना लिखित कारण बताए नजरबंद किया गया था, चूंकि उन्होंने जयप्रकाश आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार विद्यार्थियों को रिहा कराने के लिए तथा रेलवे हड़तालियों की जमानत हेतु बिना 'फी' लिए वकालत की थी। देश में इमरजेंसी लागू होने पर जुलाई 1975 से फरवरी 1977 तक लगातार 19 महीने तक मीसा के तहत फुलवारीशरीफ कैम्प जेल के सीखचों में बंद रखे गए।

1982 में तो श्री गुप्त एवं उनकी पत्नी श्रीमती सरला गुप्त को मूल्य-वद्धि के विरोध आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार कर मुंगेर जेल में बंद रखा गया। श्री गुप्त के ऊपर दर्जनों राजनैतिक मुकदमे चलाए गए जिनमें कुछ तो अब तक न्यायालय में लम्बित हैं।

स्वर्गीय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा भारतीय जनसंघ के स्थापना काल से ही आप भारतीय जनसंघ के सदस्य रहे। मुंगेर जिला जनसंघ के अध्यक्ष, बिहार प्रदेश जनसंघ के दो बार 1973-1975 के अध्यक्ष आप रहे। भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय कार्य समिति के भी आप सदस्य रह चुके हैं।

भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय के बाद श्री गुप्त ने बिहार प्रदेश जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पद पर 1977-78 में अच्छी ख्याति प्राप्त की थी। जनता पार्टी के विभाजन के पश्चात् भारतीय जनता पार्टी, बिहार के आप उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए।

श्री गुप्त कई सामाजिक संस्था—श्री दुर्गा संस्था, गोरक्षा समिति, गोशाला, अनाथालय, रामकष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ आदि से सम्बद्ध रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में इनका सराहनीय योगदान रहा है। कई विद्यालयों, उच्च विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आप संस्थापक, मंत्री एवं अध्यक्ष रह चुके हैं।

ट्रेड यूनियन क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे हैं। भारतीय रेलवे मजदूर संघ, जमालपुर, डाकिया कर्मचारी संघ, मुंगेर, बिहार राज्य किसान परिषद् के अध्यक्ष पद पर आप रह चुके हैं।

अंत तक आप 'बीमा कर्मचारी राष्ट्रीय संगठन', 'अखिल भारतीय तैलिक वैश्य महासभा', 'बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ' के अध्यक्ष, 'अखिल भारतीय वैश्य महासभा' के उपाध्यक्ष तथा पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री के पद पर कार्यरत थे।

श्री गुप्त बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के निर्देशक मंडल में रह चुके थे। ये बिहार विधान परिषद् के सदस्य दो बार रहने के बाद 1978 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए।

श्री गुप्त बिहार 'स्टेट बार काउंसिल' के सदस्य 1969 से लगातार रहे थे एवं अधिवक्ताओं के वेलफेयर

एवं उनकी स्थिति पर सदा जागरुक रहते थे। महत्त्वपूर्ण सेमिनार में बराबर भाग लेते रहे थे। 'बिहार स्टेट बार काउंसिल जर्नल' के सम्पादक भी अंतिम क्षण तक थे।

श्री गुप्त 'व्यवसायी संघ संदेश', 'बुनियादी संघर्ष' हिंदी-अंग्रेजी के सम्पादक तथा 'महासभा समाचार' के प्रकाशक भी थे।

भारत की यात्रा सुदूर क्षेत्रों तक उन्होंने की थी। 1982 में लोकसभा अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ के नेतत्व में संसद के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में श्री गुप्त रूमानिया गए। इसी यात्रा में वे रूस, इटली, फ्रांस, कुवैत, दुबई, इंग्लैंड, कैरो भी गये और वहाँ के राजनैतिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया।

आप खान एवं इस्पात मंत्रालय एवं सलाहकार समिति, केन्द्रीय कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल—संयुक्त से लेबर कमिटी के सदस्य रह चुके थे। अभी आप वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध हिंदी, सलाहकार समिति, रेलवे कन्वेन्सन कमिटी तथा रेलवे (पूर्वी क्षेत्र) के सदस्य थे।

श्री गुप्त अद्‌भुत वक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, ईमानदार राजनीतिज्ञ, कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता, गरीब एवं दलितों की सेवा में विशेष रुचि, सादगी जीवन, प्रसन्नचित्त एवं कथनी-करनी में अभिन्नता रखते थे।

विशिष्टजनों के उद्‌गार

प्रभावती गुप्त, पूर्व सांसद : रामलखन बाबू अपनी छोटी बहन की तरह मुझे प्यार एवं स्नेह प्रदान करते थे।

श्री सुशील कुमार मोदी, उपमुख्यमंत्री, बिहार : रामलखन बाबू समाज के लिए अकेले जितना काम करते थे आज वैश्य समाज के सभी विधायक मिलकर भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते।

श्री अब्दुलबारी सिद्दीकी, तत्कालीन वित्त (वाणिज्य-कर) मंत्री : रामलखन बाबू हमारे अभिभावक सह मित्र थे, उनके प्यार एवं स्नेह को मैं कभी भुला नहीं सकता।

डॉ. रामचंद्र पूर्वे, मंत्री, प्राथमिक शिक्षा एवं संसदीय कार्य : रामलखन बाबू ने जनहित से जुड़े मुद्दों के लिए सदैव संघर्ष एवं आवाज बुलंद की जिसे बिहार विधान परिषद के कार्यवाही में आज भी देखा जा सकता है।

एक ज्योतिर्मय व्यक्तित्व

डॉ॰ वासुदेव प्रसाद 'श्रीपुंज'

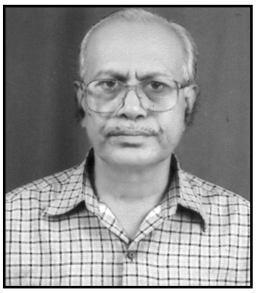

यह संसार एक समर भूमि है। उज्ज्वल कतित्व के समायोजन का यह एक विराट मंच है। यहाँ सजनता क्षण-क्षण नये रूपों में अठखेलियाँ खेलती है। नियति का यह नियम है कि जब सूर्य की किरणें अपनी ओजपूर्ण रश्मियाँ नभमंडल में बिखेरती हैं तब जीवन को प्रकाश का एहसास होता है और नवचेतना जाग्रत हो उठती है। उसी प्रकार इस धरती का मानव जब अपने विविध गुणों का विकास कर अपनी कीर्ति का स्तुत्य स्तंभ खड़ा करता है तो यही कीर्तिमय पुंज उसके मत्योपरांत पीढ़ी-दर-पीढ़ी जनचेतना का मार्गदर्शन करता रहता है।

मनुष्य सष्टि की सर्वोत्कष्ट रचना है। यह अपने बुद्धि बल से, कल्याणकारी भावनाओं से प्रेरित हो समाज, देश तथा संसार को अपनी विलक्षण प्रतिभाओं से सुवासित करता है, तो कभी-कभी अपने कलुषित कत्यों से समाज में रुदन भी लाता है।

एक जीवन्त तथा निष्कपट व्यक्तित्व में सदा ही सकारात्मक राग के विविध स्वर प्रतिध्वनित होते हैं। उन्हें इस बात की चिंता कतई नहीं रहती है कि नियति की ओर से उम्र का कितना हिस्सा उसके जीवन की झोली में मिला है। वह तो एक कर्मयोगी की तरह बहुसंख्यक कल्याण की विशाल दष्टि से अभिभूत हो कर्म पथ पर बढ़ना जानता है।

बीसवीं शताब्दी के ततीय दशक में ऐसे ही एक निर्भीक कर्मयोगी का उदय मुंगेर की पावन मिट्‌टी से हुआ। दानवीर कर्ण की आराध्य भूमि मुंगेर सदा से अपने राजनैतिक सह सांस्कतिक ऐश्वर्यपूर्ण क्रियाकलापों पर इतराता रहा है, क्योंकि पूर्वकाल से ही ममतामयी उत्तरवाहिनी गंगा, ज्ञानशक्ति प्रदान करने वाली माता चंडिके तथा परमसिद्ध तपस्वी मुद्‌गल ऋषि की अपार कपा तथा तपबल ने इस मिट्‌टी को जीवंत बनाया है। इस मिट्‌टी ने अपनी कोख से अनेक वीर, त्यागी तथा विद्वान व्यक्तियों को जन्म दिया। उन्हीं व्यक्तियों में एक थे रामलखन प्रसाद गुप्त जिन्होंने अपनी अद्‌भुत तथा विविध सेवाओं से भारतीय समाज में एक मिसाल खड़ी की।

गुप्त जी का जन्म 2 सितम्बर, 1926 को बेगूसराय जिला स्थित साहेबपुर कमाल की विन्द टोली ग्राम में एक समद्ध तैलिक परिवार में हुआ था। उनके पिता स्व॰ तनुक लाल साह एक सजग भारतीय, कबीरपंथ के उपासक, उच्च कोटि के रामायणी तथा देश की गौरव-गरिमा के रक्षार्थ मर मिटने वाले व्यक्ति थे। आर्य कुल की श्रेष्ठ परम्पराओं तथा ईश्वर सेवा में लीन इनकी माता जी बहुत ही सौम्य, स्नेहिल तथा आश्रितों की सेवा में निरत रहने वाली दयालु महिला थीं। किसी भी अभावग्रस्त या रोगग्रस्त महिला की सेवा में ये सदा

तत्पर रहती थीं। अतः संत पिता तथा धर्माचरण में लीन माता, दोनों के उच्च संस्कार का प्रत्यक्ष व सकारात्मक प्रभाव दोनों भाइयों यथा—रामलखन प्रसाद गुप्त एवं साधुशरण गुप्त पर पड़ा। गुप्त जी बाल्यकाल से ही सरल, गंभीर तथा उत्साही स्वभाव के प्रतिभाशाली बालक थे। थोड़ा जिद्दी भी थे पर उद्दंड नहीं।

साहेबपुर कमाल के शालीग्रामी ग्राम स्थित एक मिड्ल स्कूल में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। बाद में ये मुंगेर चले आये तथा स्थानीय डी.जे. कॉलेज, मुंगेर से मैट्रिक की परीक्षा पास की। तत्पश्चात्, टी.एन.बी. कॉलेज, भागलपुर से स्नातक की डिग्री ले उच्च शिक्षा हेतु पटना चले आये तथा यहाँ इंस्टीच्यूट ऑफ साइकोलॉजिक रिसर्च एण्ड सर्विसेज, पटना से एम.ए. की उपाधि ली। पटना लॉ कॉलेज, पटना से ही उन्होंने बी.एल. की डिग्री भी ली। उनका बहुमुखी व्यक्तित्व बाल्यकाल से ही शिक्षा, राजनीति, सांस्कतिक कार्यकलाप तथा जनसेवा आदि विविध दिशाओं में महती कार्य करते हुए परिपक्वता की ओर आगे बढ़ा है। इनकी सोच में अहम् का स्थान नहीं था। जिस कार्य के लिए जितना समय ये निर्धारित करते, उसी समय में वे उस कार्य को सम्पन्न करने की कोशिश करते थे। परिश्रमी और लगनशील तो बाल्यकाल से रहे ही, अतः विविध बाह्य क्रियाकलापों के बीच रहते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा ली।

ये उच्च कोटि के राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। इनका ह्रदय राष्ट्रीय चेतना से ओत-प्रोत था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन राष्ट्रीय मूल्यों की अवनति, देशी उद्योग-धंधों का विनाश तथा भारतीय जनता पर असीम अत्याचार आदि परिप्रेक्ष्यों का इनके मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ा। उन्होंने सोचा कि जिस देश की मिट्टी ने मुझे जन्म दिया है उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। अतः 16 वर्ष की उम्र में ही वे अंग्रेजों के खिलाफ स्वातंत्र्य आंदोलन में कूद पड़े। सन् 1942 ई. में बम्बई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ **'भारत छोड़ो'** आंदोलन का नारा दिया तब सम्पूर्ण भारत में सभी वर्ग के लोगों में अपूर्व जोश उमड़ने लगा। गरीब-अमीर, बूढ़े-बच्चे, अशिक्षित-विद्वान, नर-नारियों ने एक स्वर से गांधी जी के उस आह्वान पर अपनी सम्पूर्ण ताकत झोंक दी। रामलखन प्रसाद गुप्त जी उस समय मात्र 16 वर्ष के थे और छात्र जीवन में ही उन्होंने डी.जे. कॉलेज, मुंगेर के छात्रों को संगठित कर गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का नेतत्व बड़े जोश-खरोश से किया। इन्होंने निम्न पंक्तियों को—

ए! वीर जवानो जगे रहो
दुश्मन के आगे डटे रहो
यह देश तुम्हारा अपना है
आजादी तुम्हारा सपना है
हर ओर मचा कुहराम यहाँ
पर चतुराई से बढ़ना है
दुश्मन तुझसे थर्रायेगा
किंचित् बिगाड़ ना पाएगा
गर इससे मुख तुम मोड़े तो
जीवन निष्फल ही जायेगा
धरती माता ललकार रही
मेरे लाल, वक्त अब आया है
रण-कुंड ने तुझे बुलाया है
जा भूल अभी खुशियाँ सारी
ममता ने तुझे जगाया है।

माँ की पुकार को जीवन का उच्च आदर्श मान

स्वातंत्र्य आंदोलन की बलिवेदी पर स्वयं को न्योछावर कर दिया। आजादी के बाद भी जीवन की अंतिम साँस तक गुप्त जी देश की खुशहाली, व्यापार जगत की समद्धि तथा जन-कल्याण के लिए राजनीति में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे।

कम उम्र यानी 15 वर्ष की आयु में न चाहते हुए भी माता-पिता के आदेश का पालन करते हुए इन्होंने शेखपुरा के सम्पन्न तथा सुसंस्कत परिवार में सरला गुप्त से विवाह किया तथा इनसे चार प्रतिभाशाली पुत्रों तथा सौम्य व शीलवती दो पुत्रियों के पिता हुए। सरला जी के साथ इनका दाम्पत्य जीवन बड़ा ही पावन व सुखमय रहा।

इनके विशाल ह्रदय में परिवार के प्रति ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों के प्रति भी करुणा, दयालुता, समभाव तथा निष्पक्ष न्याय के प्रेमपूर्ण भाव भरे थे। इन्हें काम से थोड़ा भी विश्राम मिलता तो विविध मूल्यवान पुस्तकों का अध्ययन करते हुए ज्ञान की नये-नये परतों को आत्मसात् करने का प्रयास करते। ये एक ईमानदार तथा कर्मठ राष्ट्रप्रेमी थे। इनका यह मानना था कि देश की राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा, आम जिंदगी में खुशहाली तथा हिन्दू समाज के गौरवपूर्ण अतीत के पुनरुत्थान व सशक्तिकरण के लिए किसी राष्ट्रवादी संगठन से जुड़ना जरूरी है। अतः हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए ये **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ** से जुड़ गये तथा 1945 ई. में ततीय वर्ष अधिकारी शिक्षण शिविर की शिक्षा नागपुर में प्राप्त कर संघ के देशव्यापी प्रचार-प्रसार में जी-जान से लग गए। इस देश का यह दुर्भाग्य है कि हिंदू धर्म, जो विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म रहा है, के मानने वालों को साम्प्रदायिक कहा जाता है, जबकि इस धर्म में करुणा ही करुणा है। वस्तुतः यही एक धर्म है जिसमें मानवता के कल्याण का तत्त्व छिपा है पर दुर्भाग्यवश बहुतेरे हिंदू ही अपनी फूहड़ सोच के कारण इस पावन धर्म का उपहास करते हैं और इसकी आड़ का सहारा लेकर दूसरे धर्म के कट्टर मतावलम्बी हिंदू धर्म तथा भारत माता की रक्षा में वर्षों पूर्व से प्रयासरत 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' को साम्प्रदायिक कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रव्यापी कार्यों के सम्पादनार्थ रामलखन प्रसाद गुप्त ने हर समय उपलब्ध रहकर हिंदू धर्म तथा भारत माता की महती सेवा की। 15 अगस्त, 1947 ई. को भारत आजाद हुआ पर आजादी के बाद का भारत वह भारत नहीं बन सका जिसकी कल्पना इसकी बलिवेदी पर मर-मिटने वाले कोटि-कोटि शहीदों ने की थी। विविध क्षेत्र के विद्वानों तथा वैज्ञानिक प्रतिभाओं के बलबूते देश ने प्रगति भी की है पर इसके साथ ही साथ भारतीय समाज में विविध रूपों के दोष जैसे रिश्वतखोरी, सरकारी सम्पत्ति की विभागीय लूट, व्यापारियों का शोषण, नारियों की अस्मत लुटाई तथा गरीबों पर मतलबपरस्त अमीरों द्वारा हो रहे शोषण में वद्धि होती गई। अदालत की पेचीदी प्रक्रियाओं तथा कानूनी उठापटक के कारण आम लोगों को न्याय मिलने में कठिनाई होने लगी। खासकर व्यापारिक जगत में राज्य सरकारों ने कई ऐसे कानूनों को पास कर छोटे-बड़े व्यापारियों पर लाद दिया जिसके कारण व्यापारिक समद्धि तो अवरुद्ध हुई ही, व्यवसायियों को भी व्यापार करने के मार्ग में अनेक अवांछित बाधाओं का सामना करना पड़ा। रामलखन प्रसाद गुप्त ने सरकार के व्यापार विरोधी कानूनों का स्वलेखनी तथा अन्य प्रयासों से डट कर विरोध किया। सन् 1972 के 19 मार्च, 20 जून तथा

अक्टूबर महीने में बिहार तथा बिहार के बाहर सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ रामलखन प्रसाद गुप्त जी के नेतत्व में व्यापारियों ने एकजुट होकर हड़ताल व विरोध प्रदर्शन कर यह बता दिया कि बिहार के व्यापारी सत्ता पक्ष के अनुचित कदमों का डट कर विरोध करेंगे।

रामलखन प्रसाद गुप्त जब बिहार विधान परिषद् के सदस्य थे तो मार्च 1973 ई. में परिषद् के सदन में अपना सारगर्भित भाषण पढ़ा जो उनकी विद्वतापूर्ण सूझबूझ तथा एक उच्च कोटि की वाक् प्रतिभा को दर्शाता है।

अपने भाषण में उन्होंने दो-टूक शब्दों में तत्कालीन बिहार सरकार की अव्यावहारिक शासन नीति का पर्दाफाश करते हुए सत्ता पक्ष को अच्छी सलाह दी। अपने कार्यों को वे बड़ी शांति से निपटाते थे। उनके व्यक्तित्व से शालीनता व मदुलता टपकती थी। वे किसी भी गलत कार्य का डटकर विरोध करते थे। सरकार के ही गलत कार्यों का विरोध उन्होंने विधान परिषद् के सदन में ही कई बार अपने महत्त्वपूर्ण भाषणों में किया।

वे केवल व्यापारियों के ही हितैषी नहीं थे, बल्कि असंख्य गरीबों तथा निहायत जरूरतमंदों के मददगार भी थे। वे उच्च कोटि के न्यायविद् तथा मँजे हुए राजनीतिज्ञ थे। वे बिहार ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश को आर्थिक दष्टि से विकसित तथा समुन्नत देखना चाहते थे। आम व्यक्ति को सहजता से न्याय दिलाने के लिए उन्होंने मुंगेर कोर्ट में वकालत शुरू की। किसी भी प्रकार की मदद के लिए संकटग्रस्त जो भी व्यक्ति उनके पास गया, उन्हें रामलखन बाबू से मदद ही मिली। किसी भी व्यक्ति को उन्होंने निराश नहीं लौटाया।

व्यावसायिक जगत में स्थिरता, समद्धि तथा व्यापारियों के हित की रक्षा के लिए उन्होंने एक संगठित व्यावसायिक मंच की आवश्यकता महसूस की और इसी भावना से प्रेरित हो उन्होंने अक्टूबर 1967 ई. में बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ की स्थापना की तथा अध्यक्ष पद पर कार्य करने के लिए ऐसे व्यक्तित्व की खोज करने लगे जो इस पद की गरिमा के अनुकूल अपने कर्त्तव्य का निर्वाह ईमानदारी से कर सके। इस तरह की त्यागमय क्षमता, वचन की दढ़ता तथा समाज सेवा की आदर्शमय ललक तो व्यापारियों ने उनमें ही देखी थी। अतः सभी व्यवसायियों ने एकमत से इन्हें ही बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के अध्यक्ष पद पर कार्य करने का आशीर्वाद दे दिया। सन् 1968 ई. में इन्हें बिहार राज्य तैलिक वैश्य सभा का अध्यक्ष तथा 1980 ई. में तो ये अखिल भारतीय तैलिक महासभा के अध्यक्ष बनाये गये। मत्योपरान्त तक ये इस गुरुतर पद पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अपने कर्त्तव्य का निष्पादन करते रहे।

बीसवीं शताब्दी के आठवें दशक में देश की केन्द्रीय सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी। उस समय (1974) भारत सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के नेतत्व में एक प्रबल जन -आंदोलन छिड़ा जो सम्पूर्ण देश में अग्नि की तरह फैल गया। जनता के हिमायती रामलखन बाबू कैसे अपने को इससे अलग रख सकते थे। उन्होंने भी पूरे जोश-खरोश से जनता की आवाज उठाई जिसके कारण बिना लिखित वजह बताये इन्हें मीसा के तहत नजरबंद कर लिया गया। कारण बिल्कुल छोटा-सा था। जयप्रकाश आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार विद्यार्थियों को रिहा कराने तथा

रेलवे हड़तालियों की जमानत की वकालत बिना फीस लिए ही की थी। देश में लागू इमरजेंसी के दौरान उसी मीसा के अंदर जुलाई 1975 से फरवरी 1977 तक फुलवारीशरीफ कैम्प जेल में इन्हें 19 महीने तक बंद रखा गया। पुनः 1982 ई. में मूल्य वद्धि के विरोध में जन-आंदोलन का नेतत्व करने के कारण गुप्त जी को पुनः गिरफ्तार कर मुंगेर जेल में बंद रखा गया पर इन राजनैतिक यातनाओं का इनके राजनैतिक क्रियाकलापों पर कोई असर नहीं पड़ा। ये पूर्व की भांति देश तथा जनता की सेवा के लिए कभी भी सरकारी रहनुमाओं के आगे झुके नहीं। कई सामाजिक संस्थाएँ यथा, दुर्गा संस्था, गोरक्षा समिति, गोशाला, अनाथालय, रामकष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम आदि अनेक संस्थाएँ इनके वात्सल्य लगाव से सम्पोषित होती रहीं।

भारतीय रेल मजदूर संघ, डाकिया कर्मचारी संघ तथा बिहार राज्य किसान परिषद् भी इनकी सेवा से अछूता नहीं रहा।

बिहार स्टेट बार काउंसिल के स्थायी सदस्य के रूप में उन्होंने अधिवक्ताओं की रक्षा तथा स्थिति में सुधार के लिए कई सराहनीय कार्य किये। इनके प्रतिभापूर्ण सम्पादन में कई महत्त्वपूर्ण पत्रिकाएँ जैसे बिहार स्टेट बार काउंसिल जर्नल, व्यवसायी संघ संदेश, बुनियादी संघर्ष तथा महासभा समाचार का सफल प्रकाशन इनके जीवित काल में होता रहा। निम्नलिखित संघ-समितियों के उच्च पद पर रहते हुए इन्होंने श्रमिकों के हितार्थ कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में भरपूर मदद की—

1. नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्श्योरेंस, चेयरमैन
2. अखिल भारतीय रेलवे अवर पर्यवेक्षक संघ, अध्यक्ष
3. रेलवे सलाहकार समिति, सदस्य
4. खान एवं इस्पात मंत्रालय (सलाहकार समिति), सदस्य
5. केन्द्रीय कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल (लेबर कमिटी), सदस्य
6. वाणिज्य मंत्रालय से सम्बद्ध हिंदी सलाहकार समिति, सदस्य

सन् 1978 ई. में जब ये राज्यसभा के सदस्य हुए तो इनका कार्यक्षेत्र और विस्तत हो गया। 19.9. 1982 ई. को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री बलराम जाखड़ के नेतत्व में संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में सद्भावना यात्रा पर ये ताशकंद, मास्को, रूमानिया, रोम, लंदन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, कैरो, कुवैत तथा दुबई की यात्रा की तथा वहाँ के उन्नत विचारों तथा उन देशों में हुई प्रगतियों से यहाँ के लोगों को परिचित कराया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि रामलखन प्रसाद गुप्त एक संभ्रांत पुरुष, उच्च कोटि के वक्ता, कुशल राजनीतिज्ञ तथा लोकहित के रक्षक थे। बिहार की धरती पर एक युगपुरुष के रूप में उनका उदय हुआ। वे एक असाधारण युगचिंतक थे। उनकी दूरदष्टि में एक अखंड व समुन्नत भारत की छवि थी। कितना लघुकाल मिला उन्हें अपने विराट् कार्यों के निष्पादन के लिए, अपने जर्जर शरीर को भी उन्होंने नहीं देखा, अवरोध और संघर्ष के पथ पर चलते हुए इस लोक गगन में उन्होंने जो किया वह स्तुत्य तथा अनुकरणीय है। ऐसे पुण्य देवात्मा को मेरा शत-शत बार नमन।

❖

अभिनन्दन-पत्र

परम पूजनीय, दलित बन्धु, महान अधिवेत्ता **श्री रामलखन प्रसाद गुप्त**, अधिवक्ता
उपाध्यक्ष, बिहार प्रांतीय जनता पार्टी के कर-कमलों में सादर समर्पित

श्रद्धापुष्प

श्रद्धेय!

प्राचीन ऐतिहासिक एवं धार्मिक पष्ठभूमि लिए उत्तरवाहिनी गंगा तट पर स्थित यह बाढ़ नगर अपने बीच इस अनुपम एवं मधुर मंगलमय वेला में मुख्य अतिथि के रूप में आपको पाकर भाव-विभोर हो रहा है। आपका जन्म एवं कर्मस्थान भी पुनीत उत्तरवाहिनी गंगा के तट पर है—यह एक मंगलमय संयोग है। अपने ही घर में हम आपका सादर अभिनन्दन, शत-शत अविरत अभिनन्दन, श्रद्धा-सम्मान से ही नहीं, एक विशिष्ट स्वाभिमान से, एक अनिर्वचनीय आनन्द और उल्लास उत्फुल्ल होकर करते हैं।

सादगी एवं विनम्रता के प्रतीक!

आपके जीवन में कर्मठता, सादगी और अखण्ड देशप्रेम की त्रिवेणी बह रही है। व्यापारियों की समस्याओं में उलझे रहने पर भी राजनीति को कभी भी व्यापार नहीं माना। राजनीति को आपने सदा पवित्र बनाकर रखा, देश-सेवा की भावना में रत रहकर उसका स्तर उठाये रखने के लिए आपने अतिशय कुर्बानियाँ की हैं, जो वस्तुतः सराहनीय हैं। आपका निर्मल व्यक्तित्व, सरल वाणी, मदुभाषिता, निश्छल व्यक्तित्व, सरल व्यवहार आपके जीवन के आधार-स्तंभ हैं, आपकी सफलता एवं उन्नति के मूलमंत्र हैं। 'प्रभुता पाइ काहि मद नाहीं'—तुलसी के इस कलयुगी सत्य के आप पूर्ण अपवाद हैं।

विधिवेत्ता!

आपका कर्मठ जीवन, आपकी असाधारण प्रतिभा, विधि-ज्ञान-मेधा, निरंतर क्रियाशीलता एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व जिसका मूल्यांकन समाज और राष्ट्र दोनों कर रहा है। 'राम' के आदर्श एवं 'लखन' के तेज—दोनों को आपने 'गुप्त' नहीं रखा, बल्कि जीवन में प्रकाशित किया है। राज्य सरकार के मंत्री की गद्दी और जेल की कोठरी में यातनारत रहकर समान

भाव से आपने आदर्शों को अक्षुण्ण रखकर हमारा मस्तक ऊँचा उठाया है। आत्मोत्सर्ग की अंतिम सीढ़ी आत्मविश्वासी है। आपने सचमुच उस अमर सत्य को जान लिया है कि मनुष्य का पद सबसे बड़ा है और मनुष्यता की सेवा सबसे बड़ा धर्म। यह आपके मदुल व्यक्तित्व का दार्शनिक सत्य है। अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरुकता, तन्मयता, निमित्तता के साथ ही अपने आप में व्याप्त मधुर शिष्टता, सज्जनता, दूरदर्शिता, विवेकशीलता, ईमानदारी, संयमशीलता, मितव्ययिता, सादगी, सहृदयता एवं सेवा भावना को समर्पित कर हमारा मस्तक ऊँचा उठाया है।

जनता के सच्चे सेवक!

गंगा अवतरण की कहानी याद दिलाते हुए कहना चाहते हैं कि माँ गंगा बाढ़ के रास्ते से अमत बिखेरती मुंगेर गई थी। आपके स्नेह की निश्छल धारा उसी क्रम में प्रवाहित होगी, हमें पूरा विश्वास है। 'जनता' पार्टी के संगठन कार्य में रत रहते हुए, बाढ़ एवं बाढ़ नगरपालिका की समस्याओं को विधान परिषद्, बिहार बार काउंसिल एवं सरकारी मंच तक आपकी सशक्त वाणी का सहारा मिला, तो निश्चय ही बाढ़ का औद्योगिक, व्यापारिक और सामाजिक भाग्य-द्वार जो अब तक बंद रहा है, खुल जायेगा।

राष्ट्रभक्त!

आपके जीवन में 'योगः कर्मसु कौशलम्' पूर्ण रूप से प्रतिबिम्बित हुआ है। राजनीति की जटिल परिस्थितियों के बीच उलझे रहकर बाढ़ नगरपालिका के इस समारोह में आगमन, हमारे लिए संतोष का विषय है। ईश्वर आपको लम्बी उम्र दे ताकि सदियों तक आपका कुशल निर्देशन, सहयोग एवं आशीर्वाद से यह पालिका नागरिकों की भाग्य-दशा में परिवर्तन एवं उन्नयन लाता रहे।

हम हैं आपके ही
बाढ़ नगरपालिका के आयुक्तगण

बाढ़
2 मार्च, 1978

अभिनन्दन-पत्र

भारत और भारती के वरद पुत्र तरुण तपस्वी, उद्भट वक्ता और अधिवक्ता
बिहार व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष माननीय **श्री रामलखन गुप्त**, एम.ए., बी.एल.
के कर-कमलों में सादर समर्पित

मान्यवर!

नैसर्गिक सुषमाओं से परिवेष्ठित भगवान भूतनाथ की इस पावन नगरी में आपका अभिनन्दन करते हुए हृदय फूला नहीं समा रहा है। अगर हमारे नश्वर स्वरों में आपके अविनश्वर कार्यों को शब्दबद्ध करने की क्षमता होती तो हम बताते कि यह पुरी किस प्रकार आनन्द से झूम उठी है।

तरुण तपस्वी!

छात्र जीवन में छात्र नेता के रूप में आपने राष्ट्र का श्रंगार किया। होश संभालते ही जननी जन्मभूमि से आपको प्यार हुआ। और, आज अपने चढ़ते हुए जीवन और खिलते हुए यौवन को राष्ट्र मंदिर की बेदी पर शमां की भांति तिल-तिल कर जलाते रहने में ही अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं।

सच्चे मार्गदर्शक!

भामाशाह की परम्परा में रहकर आपने राष्ट्रहित अपना सब कुछ उत्सर्ग किया। सच्चे विधायक की भाँति आपने त्रस्त और पीड़ित जनता की वाणी को मुखर किया। साधनहीन हम व्यवसायियों की वाणी बनकर वनराज-सा आप सख्त दहाड़ते रहे और सरकारी नौकरशाही की आँखों की किरकिरी बने रहे। दर्जनों संस्थाओं के पदाधिकारी रह कर भी आप जिस खूबी से और बारीकी से सभी वस्तुओं को सहेजते रहे हैं, यह अन्य तथाकथित नेताओं के लिए स्पहा की वस्तु बन रही है।

युगचेता!

युग के त्रस्त और दीन जनों की वाणी आपकी आत्मा के साथ एकाकार हो उठी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्ष बाद भी हम मध्यम-छोटे व्यवसायियों की दशा चिंतनीय है।

छोटी पूंजी और कठिन मेहनत के बल पर ही आज हम संघर्षरत जीवन जी रहे हैं, फिर भी सरकार अपनी गलत नीति की चक्की में हमें बेतरह पीसती चली जा रही है। एक तरफ सरकार मुट्ठी भर लोगों को व्यवसाय में एकाधिकार करने की छूट दे रही है तो दूसरी ओर हम मध्यम-छोटे व्यवसायियों को समाप्त करने का कुटिल चक्र चला रही है। ऐसे संक्रमण एवं संकट की घड़ी में आपका अजेय पौरुष एवं नन्दादीप समाज समर्पित जीवन हमें ठोस बल एवं संबल प्रदान करेगा।

कर्मठता के प्रतीक!

आज की इस मंगलमय घड़ी में हम साधनविहीन व्यवसायीजन आपकी क्या अभ्यर्थना करें—हृदय थाल में श्रद्धा के सुमन ही संजोकर आ सके हैं प्रियवर! परन्तु आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके सपनों के भारत को अपने श्रम और स्नेह के गुलाल से रंजित कर प्रत्यक्षमान कर देंगे। परन्तु यह तभी हो सकेगा युवकवर! जबकि आपके प्रेरक वचन निरंतर जीवनमंत्र बनकर हृदय वीणा के तार को झंकत करता रहे।

हम हैं आपके ही स्नेह से पल्लवित और पुष्पित
देवघर व्यावसायिक संघ के
सदस्यगण

संस्मतियों का अंतरिक्ष

भारतीय चिंतन में ज्ञान के प्रतिकल्प 'स्मति' या 'स्मरण' को विशेष मूल्य दिया गया है; क्योंकि इससे अनिष्टकारी तत्त्वों का अभिज्ञान होता है, जिससे मनुष्य अनिष्ट को छोड़कर इष्ट की ओर प्रवत्त होता है। इस प्रकार, स्मति इष्ट की ओर प्रवत्त करने वाला एक ऐसा संचारी भाव है जिससे चिंतन, मनन, चेतना और अवबोध पुंखानुपुंख रूप से जुड़े हुए हैं। स्मति या स्मरण का ही विशिष्ट रूप संस्मति या संस्मरण है, जो स्मति या पूर्वानुभूत विषय के ज्ञान के आधार पर किसी वस्तु या व्यक्ति के संदर्भ में लिखित आलेख या ग्रंथ (रेमिनिसेन्स) का अवबोधक है। 'संस्मरण' ही अपनी विशिष्टता के कारण 'प्रत्यास्मरण' (रिकॉल) कहलाता है, जिसमें भूली हुई बातों या विस्मत घटनाओं का पुनः स्मरण किया जाता है। इस प्रकार, अतीत का वर्तमान में पुनः स्मरण या प्रत्यास्मरण ही 'संस्मरण' है।

—डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव

'बिहार के स्मति -पुरुष' की 'प्रस्थापना' से

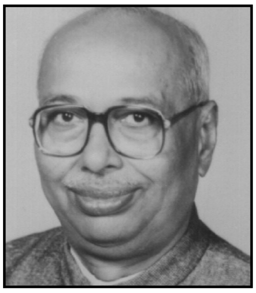

....कान कहानी सुन्यो करे

डी.पी. यादव, पूर्व सांसद

हर व्यक्ति के जीवन का एक सपना होता है। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सांसारिक जीवन के प्रति हर व्यक्ति की एक सोच होती है; एक उद्देश्य, एक गन्तव्य, एक रास्ता होता है। हम जिस वातावरण में पलते हैं, हमारे जीवन की सोच भी उसी परिवेश की इंगिति होती है। पुत्र की सोच पिता से भिन्न होती है, तो शिष्य की सोच अपने गुरु से अलग। जन्म के समय का संस्कार, लालन-पालन का संस्कार, स्थानीय सामाजिक पर्यावरण का संस्कार, विद्यालयी-महाविद्यालयी शिक्षा, पर्यटन, देश-विदेश के अनुभव, धर्मगुरुओं के संसर्ग, माता-पिता और परिजन-पुरजनों के संस्कार, राजनायकों एवं राष्ट्रनायकों के जीवनचरित आदि अनेक तत्त्व हैं जो एक व्यक्ति की निर्मिति के कारक-तत्त्व होते हैं।

ऐसे ही संस्कार, सोच एवं परिवेश से परिनिर्मित था जनसेवी, उदारमना एवं कर्त्तव्यनिष्ठ बाबू रामलखन प्रसाद गुप्त जी का व्यक्तित्व जिनसे मैं तब जुड़ा जब वे सैंतीस वर्ष के थे और मैं छब्बीस का। 1963 का समय था और मेरे राजनीतिक रुझान ने सीएसआईआर की नौकरी छुड़वाकर मुझे मुंगेर ला पहुँचाया जहाँ मेरा जन्म हुआ था।

मुंगेर का अपना एक इतिहास है और एक विशिष्ट भूगोल भी। पाल राजाओं से मीरकासिम तक; अंग्रेजों की मिल्कियत से लेकर बिहार केसरी श्रीकष्ण सिंह के सिंहनाद तक मुंगेर अपने आप में एक अनूठा प्रक्षेत्र है। पुरातन पहाड़ियों से दूर-दूर तक घिरा, उत्तरवाहिनी गंगा से पखारा यह शस्य-श्यामल अंचल सदा से मेरे लिए एक पवित्र तीर्थ रहा तथा इस प्रदेश और इसके जनजीवन के प्रति शुरू से ही मेरे मन में एक समर्पण भाव रहा। शायद यही कारण हो कि बाबू रामलखन गुप्त जी भी उत्तरवाहिनी गंगा के पश्चिमी तट पर बसे गाँव से चलकर मुद्गलपुरी (मुंगेर) के इस धाम पर आ बसे। तब यहाँ कौड़ा मैदान में उनके पिताजी की व्यावसायिक गद्दी थी। मुंगेर के उत्थान और विकास का सपना मेरी आँखों में था, तो वही सपना मैं गुप्तजी की आँखों में भी देखता था और प्रफुल्लित होता था। वे मेरे समक्ष एक समाजसेवी तथा प्रख्यात वकील के रूप में समुपस्थित थे और मैं उनकी उदारता की कहानियाँ सुन-सुनकर प्रफुल्लित हुआ करता था।

1964 ई. में कांग्रेसी सांसद बनारसी प्रसाद सिंह का असामयिक निधन हो गया। श्री शिवनन्दन भगत को टिकट मिला, पर कांग्रेसियों की तुरूप चाल के कारण वे चुनाव हार गए और श्री मधुलिमये जीत गए। इसी दौरान अगड़ों-पिछड़ों की राजनीति ने अपना पत्ता खोला। पिछड़े वर्ग के लोग इकट्ठा होने लगे। रामलखन बाबू जनसंघी होने के बावजूद, इस भावनात्मक लड़ाई में पिछड़ों के प्रति स्नेहशील थे।

1967 ई. में हवा कांग्रेस के विपरीत थी। मैंने चन्द्रशेखर बाबू तथा उमेश्वर प्रसाद वर्मा के विधानसभा

चुनावों में विजयी होने में अपने राजनीतिक प्रबंधन का सबूत दिया। लेकिन राजनीति में तो मेरा ध्यान कहीं और था—एक सुदूर गंतव्य की ओर। कहना नहीं होगा कि मेरे इस अभियान के दौरान रामलखन बाबू से मेरा संपर्क बढ़ा और उनकी राजनीतिक पाठशाला से रूबरू होते हुए मैं प्रवीण होता चला गया।

1970 तक आते-आते इन्दिरा लहर देश में आने लगी थी। लोकसभा अपनी पूरी अवधि पूरी होने के पहले ही भंग हो गई। 1971 में आम चुनाव घोषित हुआ और टिकट के लिए मेरी दावेदारी भी दर्ज हुई। टिकट मुझे ही मिला। मेरे विरुद्ध खड़े थे श्री मधु लिमये और गिद्धौर के महाराज श्री प्रताप नारायण सिंह। मैंने अपनी संस्मरण-पुस्तक 'Development Imperatives for Grassroot Planning' में अपनी बात कहते हुए लिखा—"Madhu Limaye won at his 'Zenith of parliamentary life'. He was a scholar, a freedom fighter and a hard care socialist. I was fielded to contest him. It was a thrill and suspense for me, since I was contesting a political giant. The third candidate was Maharaja Gidhaur, Sri Pratap Narain Singh. So the contest was triangular"

मैं मार्च, 1971 का चुनाव जीत गया। श्रीमती गाँधी के मंत्रिमंडल में केन्द्रीय शिक्षा उपमंत्री बना और रामलखन बाबू की आँखों में देखे गए सपनों को साकार करने की इच्छा मेरे मन में जगी, क्योंकि वह मेरा भी तो सपना था।

जे.पी. आंदोलन का तूफान उठा और इन्दिरा गाँधी समेत कांग्रेस के बहुशः धुरंधर भी 1977 का चुनाव हार गए, लेकिन 1980 के मध्यावधि चुनाव में मैं कांग्रेस (एस) के चुनाव-चिह्न पर चुनाव लड़ा और श्री तारिणी प्रसाद मंडल एवं श्री रामचन्द्र साहु जैसे महारथियों को चारो खाने चित्त कर दिया था। फिर 1984 में श्रीमती गाँधी की हत्या के बाद चुनाव में, जब श्री रामलखन गुप्त जी भी जनसंघी उम्मीदवार थे, मैं 1,75,000 वोटों से जीत गया। लेकिन बताना पड़ेगा कि चुनाव के दौरान गुप्त जी कभी भी मेरे प्रति कटु नहीं रहे, बल्कि बड़े भाई का दायित्व निभाया और मेरे जीतने पर उतने ही खुश हुए जितना कोई बड़ा भाई हो सकता था। यह उनके हृदय की विशालता थी। जब कभी मैं उनके घर जाता था या मुझे याद करते थे, तब वे वहाँ पर बहुशः सामाजिक समस्याओं की चर्चा करते थे। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि उनकी श्रीमती सरला गुप्त जी मेरे व्यक्तिगत गुणों के कारण तथा पारिवारिक सौहार्द के कारण भी, मेरा पक्ष लेती थीं; यद्यपि गुप्त जी जनसंघ की नीति के कारण स्वयं अडिग रहते थे। उनके सुपुत्र राजेश जी से यह जानकर कि सरला जी अब नहीं रहीं, मैं शोकाकुल हो उठा। ऐसी भव्यात्मा को मेरा नमन।

रामलखन बाबू जब राज्यसभा के (1978-84) सदस्य हुए, तो मैं लोकसभा में था। संसद में प्रायः उनके भाषण को सुना करता था। लगता था कि वे सामाजिक न्याय के पुरजोर समर्थक हैं। उन्होंने व्यवसायी संघ की कमान थाम ली थी, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के उनके प्रति आतंक से वे हिल गए थे।

मैं उनके विरोधी दल का सांसद होने के बावजूद उनके बहुत निकट था। उनके ज्येष्ठ पुत्र डॉ. चन्द्रमणि की शादी इमरजेंसी के दौरान 1976 में हुई थी। उस समय मैं मंत्री था और पारिवारिक सौहार्द के कारण

बारात में शामिल हुआ था। लोगों को आश्चर्य था कि जो रामलखन गुप्त इमरजेंसी के विरोधी थे, उनके बेटे की शादी में केन्द्रीय मंत्री कैसे उपस्थित हो गए! कारण स्पष्ट था—मेरा उनका पारिवारिक लगाव और राजनीति इतनी ओछी नहीं है कि पारिवारिक रिश्ते की राह में रोड़े अटकाए।

श्री रामलखन गुप्त जी पिछड़ा वर्ग आंदोलन के अग्रणी नेता थे। सुदूर दक्षिण भारत के मद्रास जैसे शहर में जब पिछड़े वर्ग का समायोजन होता था, मैं और श्रद्धेय गुप्त जी एक ही मंच से सभा को संबोधित करते थे।

गुप्त जी का परिचय मैंने ही द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता जे.पेरियार के उत्तराधिकारी के.वी. मणि से करवाया था, तो उसके बाद दक्षिण भारत की पिछड़े वर्ग की हर सभा में वे आमंत्रित होते थे। वे वहाँ जाते थे और आदर-सम्मान पाते थे। गुप्त जी इस तरह न केवल बिहार के एक लब्धप्रतिष्ठित नेता थे, बल्कि वे पूरे देश में जाने जाते थे।

मुंगेर की जनसभा में जब कभी चर्चा होती है, तो मैं इतना भर अवश्य कहता हूँ कि गुप्त जी के निधन के बाद मुंगेर प्रक्षेत्र में कोई अभिभावकतुल्य व्यक्तित्व नहीं रह गया है।

पिछले दिनों जब मैंने सुना कि साहित्यकार कवि श्री रमेश नीलकमल जी उनके निधन के 22 वर्षों के उपरांत उन पर एक स्मति-ग्रंथ संपादित करने जा रहे हैं, तो स्वयं को व्यक्त करने के लिए मुझे यह अवसर उपयुक्त लगा। जिस महामना जनसेवक तथा उदार व्यक्तित्व वाले गुप्त जी का मैं राजनैतिक पड़ोसी था, वे अब केवल स्मतियों में रह गए हैं। उनसे साक्षात्कार अब तो नहीं ही होगा, कान भले ही उनकी कहानी सुनता रहे।

गाँधी जी का जन्तर

"मैं तुम्हें एक जन्तर देता हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओ—

जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा! क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुँचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतप्त है?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम् समाप्त होता जा रहा है।"

—महात्मा गाँधी

जाहिर है, उदारमना व्यक्तित्व के धनी श्री रामलखन प्रसाद गुप्त अपने हर कदम पर गाँधी जी का उपर्युक्त जन्तर अपने पास रखते थे; सोचते थे, विचारते थे, तब ही कोई निर्णय लेते थे। 'उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बकम्' ही उनका आप्त मंत्र था।

—प्रस्तुति : राकेश कुमार गुप्त

इस लौहपुरुष की स्मति रहे हर स्वन में

रमेश नीलकमल

विंद टोली एक अनन्य ग्राम
गंगा-तट की सुषमा थी ललाम
थे तनुक लाल जी पिता वहाँ अक्षरधर।
नन्दन वन-सा वह प्रखर प्रान्त
'तेजो' देवी तब थीं अशान्त
जनमे थे 'रामलखन' पावन सम कतिधर।।

तब के मुँगेर का गंगा-तट
था शुभ्र निरामय बालु-विकट
था 'तनुक-लाल-तेजो'-गह तब रस भास्वर।
शिक्षा-दीक्षा का सुप्रबंध
भाषित थी तब निर्बन्ध गंध
जो प्रखर हुई तो चमक उठा ज्योतिर्धर।।

आए चलकर मुंगेर सदर
पढ़ने-लिखने-गुनने सत्वर
तब बही ज्ञान की, सुप्त मधुर जल-धारा।
चेतन का नव उन्मेष हुआ
तम-त्रास मिटा, हत क्लेश हुआ
छू-मंतर थे मन के विकार, श्लथ हारा।।

आए चलकर तब न्यायालय
बन अधिवक्ता हो रहे सदय
खीझे न कभी, था क्रोध नहीं अंतरतर।
तब धन्य हुए जन के प्रतीक
खींची उनने तब नई लीक
तब हुए पुरस्कत -सम्मानित ज्योतिर्धर।।

जिज्ञासा का पथ अंतहीन
हो गए गुप्तजी सतत लीन
करने आए तब महायज्ञ पटना में।
रचकर व्यावसायिक मंच मुखर
हो गए स्वयं मुखरित भास्वर
फिर रहे खड़े हर घटना-दुर्घटना में।।

साधना और प्रतिभा अनन्त
पार्षद बनकर बन गए कन्त
भाषण-अभिभाषण गूंज उठा जन-जन में।
अक्षर-समाज के बन सपूत
रह विभा-पुंज, बन देवदूत
थे अग्रवंद्य, आदत थे, सबके मन में।।

सांसद हो निखरा और रूप
विद्वत्समाज के बने भूप
जनता ने तब उनको बहु सम्मान दिया
संसद-प्रशाल में ले मशाल
उद्भासित कर, कर दिव्य भाल
पी गरल वेदना-पीड़ा का, यशगान लिया।।

जब आ धमका लीलाप्रवेश
था समय रुका, रुक गया देश
बुझ गया दीप, तब स्नेह चुका जीवन का
जीवित ईश्वर का हुआ अंत
सब मूर्च्छित जो थे प्राणवन्त
था मचा शोर अग-जग में कुल-क्रंदन का।।

मरता न कभी यशवान पुरुष
उसका यश लाँघे हिन्दूकुश
हैं रामलखन जी गुप्त अमर मन-मन में।
अग-जग है यश से प्रोद्भासित
कर रहा समर्पित भाव अमित
इस लौहपुरुष की स्मति रहे हर स्वन में।।

❖

के लेवे मोर कारज, कहे संध्या रवि
सुनीय जगत रहे निरुत्तर छवि
माटिर प्रदीप छिले से कहे स्वामी आमार
स्वामी आमार जेतुक साध्य करिबो त आमि।

अर्थात्

संध्या काल में डूबते हुए सूरज ने पूछा—प्रकाश फैलाने का मेरा कार्य कौन करेगा? उसके इस प्रश्न को सुनकर विश्व निरुत्तर रह गया। तब मिट्टी के एक नन्हे प्रदीप ने कहा—"हे स्वामी! जहाँ तक मेरी सामर्थ्य है, मैं आपके कार्य को पूरा करूँगा।

—संकलित

मेरे आदर्श : मेरे पिताजी

डॉ. चन्द्रमणि प्रसाद गुप्त

ऐसे लोग संसार में बहुत मिलेंगे, जिनके पास जाने से मनुष्य अपने भीतर के दोषों को देखता है और अपने अंतस्तल के असुर को प्रत्यक्ष देखकर निराश हो जाता है, परन्तु ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे, जो मनुष्य के भीतर के देवता का प्रत्यक्ष करा दे, ताकि मनुष्य अनुपम काम करके देवत्व को प्राप्त कर सके। स्व॰ रामलखन प्रसाद गुप्त ऐसे ही महापुरुष थे, जिन्होंने लोगों के भीतर के अच्छे संस्कार को प्रत्यक्ष करा कर उनका पथ-प्रदर्शन किया। ऐसे महापुरुष को पिता के रूप में प्राप्त करना विधाता के वरदान के सिवा और क्या कहा जा सकता है और 28 जनवरी, 1985 को ऐसे स्नेहाधार से वियुक्त होने को दुर्दैव के भयंकर अभिशाप के सिवा और क्या कहा जा सकता है? उनके विषय में आज कहना है—

"आँखिन में रखिबों जो सदा, तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें"

मरने वालों में फिर से जन्म किसका होता है और किसका नहीं, यह मैं नहीं जानता, किन्तु जन्म लेने वाले को मरना अवश्य पड़ता है। फिर भी ऐसे कई लोग होते हैं, जो मरने पर भी बिल्कुल निःशेष नहीं होते हैं, बल्कि धराधाम पर स्थापित अपनी कीर्ति के द्वारा अपनी मरणोत्तर आयु की सूचना देते रहते हैं।

"आये हैं सो जायँगे, राजा, रंक, फकीर
एक सिंहासन चढ़ि चलै, एक बँधे जंजीर।"

रामलखन प्रसाद गुप्त सिंहासनासीन हो गये हैं। उनकी मरणोत्तर आयु अभी शेष है।

फौलाद के चूर्ण में सीमेंट मिलाकर अगर किसी प्रतिमा का निर्माण किया जाए और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाय तो वह स्व॰ रामलखन प्रसाद गुप्त का जीता-जागता स्वरूप होगा। श्यामल वर्ण, उन्नत छाती, चमकता ललाट, आकर्षक आँखें, मदुभाषी और बात -बात पर हँसने और हँसाने वाले गुप्त जी सिर्फ मेरे पिता ही नहीं, मेरी उपासना की मूर्ति हैं और साथ ही साथ प्रणम्य हैं।

'संघ' के सच्चे सिपाही और भाजपा के महान नेता के रूप में सारा देश उन्हें जानता और पहचानता रहा है। गुप्त जी को समाजसेवा और राष्ट्रहित के लिए कई बार जेल की यातनाएँ भी सहनी पड़ी हैं। 'मीसा' के काले कानून की यातनाओं की अग्नि में तपकर उनका व्यक्तित्व खरे कुंदन की तरह चमकता रहा है। सांसद, विधान पार्षद, अखिल भारतीय तैलिक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार राज्य खाद्यान्न व्यावसायिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष एवं बिहार राज्य स्टेट बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्य के रूप में उनकी छवि निखरती रही है। उनके विराट व्यक्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि राष्ट्रीय-स्वयंसेवक संघ के सर संघ संचालक परमपूज्य गुरु जी, श्री अटल बिहारी बाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख एवं

स्व॰ दीनबंधु साहु सरीखे नेताओं ने मेरे निवास-स्थान पर आकर उनके सम्मान को बढ़ाया है। मैं भी कई बार इन नेताओं के स्नेह-जल से अभिसिंचित हुआ हूँ।

सच्चाई की जीत के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ता गुप्त जी के विराट् व्यक्तित्व को उच्च न्यायालय, पटना और उच्चतम न्यायालय, दिल्ली के सभी लोग अच्छी तरह जानते रहे हैं। उनमें बात की तह तक पहुँचने की अपूर्व शक्ति थी।

शैशव की चित्रशाला के जिन चित्रों से हमारा रागात्मक संबंध गहरा होता है, उनकी रेखाएँ और रंग इतने स्पष्ट और चटकीले होते चलते हैं कि धुँधली आँखों से भी उन्हें प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। अपने पिता के स्नेह और मनुहारी पुचकार, जो शैशवावस्था में मैंने उनसे प्राप्त किया, उसे मैं आजीवन नहीं भुला पाऊँगा। उनका मेरे प्रति स्नेह आँसुओं से सींचा गया था—

"अँसुअन जल सींचि-सींचि प्रेम-बेलि बोई।"

दक्षिण भारत की यात्रा से लौटने के क्रम में रेल पर खून की उल्टी से आहत होकर पिताजी को भोपाल स्टेशन पर उतरना पड़ा। उस अनजान जगह में सैकड़ों की संख्या में लोग अपना खून देने के लिए व्याकुल हो उठे—यह था उनके अनुपम व्यक्तित्व और पॉपुलेरिटी का जीता-जागता मिसाल।

'चन्द्रमणि' में चन्द्रमा की शीतलता और मणि की चमक पैदा कर मेरे नाम को साकार करने वाले मेरे पिता आज मेरे बीच नहीं हैं, परन्तु हनुमान के हृदय में सदैव निवास करने वाले 'राम' की छवि की तरह, मेरे 'राम' भी मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहेंगे।

राम के आदर्श और लक्ष्मण के त्याग के समन्वित स्वरूप का नाम है—रामलखन प्रसाद गुप्त। मैंने उन्हें अनेक विचित्र और जटिल समस्याओं के भीतर निष्कम्प दीपशिखा की भाँति प्रशांत तेज में जलते देखा है। दीपक की तरह वे पल-पल जलते रहे, परन्तु समाज और देश को रोशनी प्रदान कर उनका पथ-प्रदर्शन किया। समाजसेवा उनके जीवन का व्रत था। इस व्रत का निर्वाह उन्होंने आजीवन किया। यही कारण है कि आज भी वह लोगों के स्मति -निकुंज में निवास कर रहे हैं।

तम में दीपक, दिशाभ्रम में रवि और आपात्काल में धैर्य का सेतु बनकर जिनकी वाणी मुझे अपार शौर्यशक्ति प्रदान करती रही है, वो और कोई नहीं, मेरी प्रेरणा के अमर स्रोत मेरे पिता स्व॰ रामलखन प्रसाद गुप्त जी ही हैं।

प्रतिष्ठित वैश्य कुल में 2 सितम्बर, 1926 ई. को आदर्श ग्राम, विन्द टोली, (जिला-मुंगेर/बेगूसराय) में जन्म लेने वाले गुप्त जी के व्यक्तित्व के तीन आयाम स्पष्ट दष्टिगोचर होते हैं—विख्यात अधिवक्ता के रूप में, महान राजनीतिज्ञ के रूप में और समर्पित समाजसेवी के रूप में। परमात्मा की अशेष कपा से मुझे उनके ज्येष्ठ पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके स्नेहिल छाँव में मेरी बाल्यावस्था का पुष्प पल्लवित, मुकुलित और पुष्पित हुआ है। उनके दिशा-निर्देश से मेरे यौवन को लक्ष्य की प्राप्ति हुई है और एक चिकित्सक का पदभार ग्रहण कर मैं अनवरत समाजसेवा में संलग्न हूँ।

श्री श्याम बिहारी मिश्र, सांसद : रामलखन बाबू का हर कदम मुझे एक दिशा दी है।
श्री रामजीवन सिंह, सांसद : रामलखन बाबू मेरे अच्छे मित्र थे।

राजनीति और समाजसेवा के अप्रतिम प्रकाशपुंज

डॉ॰ प्रभुनारायण विद्यार्थी

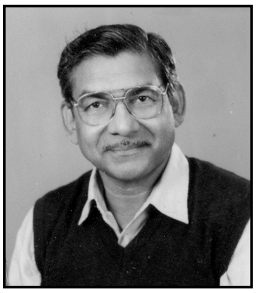

सुगंधित पुष्पों के सुवास अपने तक ही सीमित नहीं रहते, उसके मदुल सुवास दिग्-दिगंत को आप्लावित एवं सुवासित करते रहते हैं। तिरता सुवास संचरित होता संपूर्ण वातावरण को मोहक और आकर्षक बना डालता है। ठीक इसी तरह महापुरुष के व्यक्तित्व और कतित्व का सुवास सिर्फ उनतक सीमित नहीं रहता बल्कि संपूर्ण मानव जाति और प्राणियों तक पहुँचता है। महापुरुष का सारा जीवन समाज की बेहतरी और उसके हित चिंतन में लगता है। स्वार्थ मनुष्य की कमजोरी है पर एक महापुरुष स्वार्थ की सीमा लांघकर संपूर्ण मानवजाति का हित चिंतक हो जाता है। ऐसा ही व्यक्ति सामान्य मानव से उठकर महामानव की श्रेणी में आ खड़ा होता है। जीवन जीना तो एक साधारण जानवर भी कर लेता है पर समाज के लिए जीना और उसके लिए कुछ करना विरल महापुरुषों से ही संभव है। इस संदर्भ में महामना रामलखन प्रसाद गुप्त के विचार, उनकी छवि, उनका व्यक्तित्व, उनके कतित्व, उनकी स्मतियाँ हमें आज भी प्रेरित करती हैं, आंदोलित करती हैं और निजता की सीमा से उठाकर समाजोन्मुख बनाती हैं।

रामलखन प्रसाद गुप्त को 1960 के बाद दो-तीन दशकों तक काफी सक्रिय देखा। वे पेशे से अधिवक्ता थे। वकालत उनकी जीविका थी पर सेवा का एक माध्यम था। उनका सारा जीवन समाजसेवा और राजनीति को अर्पित था। वे एक सार्वजनिक व्यक्तित्व के स्वामी थे और उनके चिंतन में राष्ट्र-प्रेम, समाजसेवा, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी थी। मुझे स्मरण है कि 1968 में बिहारशरीफ में आयोजित अखिल भारतीय साहु समाज अधिवेशन में पहली बार उनसे साक्षात्कार हुआ था। उस अधिवेशन में उल्लेखनीय व्यक्ति थे उड़ीसा के दीनबंधु साहु, उत्तरप्रदेश के पन्ना लाल गुप्त और शिवदीन प्रसाद श्रीवास्तव, बिहार के रामलखन प्रसाद गुप्त, प्रो. श्यामनन्दन शास्त्री, शिवनन्दन प्रसाद, हजारीबाग के अधिवक्ता हरिनारायण साहु इत्यादि।

दीनबंधु साहु जी और रामलखन गुप्त दोनों राजनैतिक जीवन से जुड़े थे। उड़ीसा के दीनबंधु साहु का जुड़ाव कांग्रेस से था और रामलखन प्रसाद गुप्त का भारतीय जनसंघ से। रामलखन प्रसाद गुप्त बिहार जनसंघ के शीर्ष पद पर रहे। हालांकि दोनों के राजनीतिक विचार दो ध्रुवों पर थे पर दीनबंधु बाबू के सामाजिक विचारों से इनकी सहमति थी। दीनबंधु बाबू चाहते थे कि समाज की पहचान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत तक फैले। पूरे समाज के लोग एक-दूसरे को जानें। भाषा का कोई व्यवधान न हो। इस कार्य में दीनबंधु बाबू के साथ रामलखन प्रसाद गुप्त ने कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को आगे बढ़ाया। दीनबंधु बाबू ने रोटरी क्लब के पैटर्न पर स्नेही समाज और स्नेही क्लब की परिकल्पना की थी। कतिपय

समाजसेवियों के द्वारा इस अवधारणा का तब काफी विरोध हुआ था पर बाद में शिवनन्दन प्रसाद जी ने इसे अमलीजामा पहनाया। जब रामलखन प्रसाद गुप्त अखिल भारतीय साहु समाज के अध्यक्ष हुए तो इस संदेश को उत्तरी भारतवर्ष के दायरे से निकालकर तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, केरल और कर्नाटक तक प्रसारित किया और पूरे भारतवर्ष के बिखरे और बिछुड़े समाज को एकसूत्र में बाँधने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।

रामलखन प्रसाद गुप्त अखिल भारतीय साहु समाज के अध्यक्ष थे। स्मरण है, 1972 में उनकी अध्यक्षता में पटना स्थित बिहारी साव लेन में एक भूखंड क्रय करने की बात आई। उन्होंने इस कार्य में बढ़-चढ़ कर सहयोग प्रदान किया। यह निर्विवाद है कि शिवनन्दन प्रसाद जी ने खून-पसीना एक कर इसे कार्य रूप में परिणत किया। इस कार्य में सोहसराय के प्रयाग लाल साहु, बिहारशरीफ के रामखेलावन साहु, बाकरगंज के जगदीश प्रसाद, तत्कालीन विधान पार्षद रामनाथ गुप्त, विधायक पूरन चंद इत्यादि ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। बड़े जद्दोजहद के बाद 1,10,000 हजार रुपया एकत्र कर वह जमीन क्रय की गई जिस पर आज साहु समाज भवन, पटना निर्मित है। इस कार्य को अंजाम देने में भले ही कुछ लोगों ने बाह्य रूप से सक्रियता दिखाई हो पर इसके नेपथ्य में रामलखन बाबू हिमालय की तरह खड़े रह दिशानिर्देश देते रहे।

रामलखन प्रसाद गुप्त बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य रहे। बाद में बिहार जनसंघ के प्रांतीय अध्यक्ष भी बने। अपने अध्यक्षीय काल में समाज और पार्टी दोनों के क्रियाकलापों को शिखर तक पहुँचाने में उन्होंने जी-तोड़ परिश्रम किया। इसके बावजूद राजनीतिक स्तर पर भारतीय जनसंघ के कतिपय नेताओं की दुर्भावना के कारण इनकी उपेक्षा हुई। 1967 में जब बिहार में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी तो बिहार के जातिवादी नेताओं ने इनकी उपेक्षा की। इसमें एक उच्च स्तरीय साजिश थी जिस कारण तत्कालीन महामाया प्रसाद की सरकार में इन्हें स्थान नहीं मिल सका। बाद में प्रायश्चित स्वरूप 1970-76 में बिहार विधान परिषद् के सदस्य बनाए गए। अनन्तर लोकसभा चुनाव में भी इनके साथ भेदभाव होता रहा। पर वे एक अनुशासित सिपाही की तरह भारतीय जनसंघ से जुड़े रहे और अनंतर 6 वर्षों के लिए 1978-84 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया। इस तरह हम देखते हैं कि उन्हें पार्टी में उपेक्षा के बाद भी सम्मानजनक स्थान दिया जाता रहा। पर हम यह नहीं भूल सकते कि उन्हें शीर्ष स्थान प्राप्त करने में धोखाधड़ी और आँखमिचौनी खेली जाती रही।

रामलखन प्रसाद गुप्त एक गंभीर राजनैतिक सोच के व्यक्ति थे। अपने समाज की दुःस्थिति से अवगत थे। उन्होंने बिहार के संपूर्ण व्यवसायियों को एक मंच पर लाने के लिए बिहार खाद्यान्न व्यवसायी संघ संगठित किया। यह संगठन आज भी पूरी बुलंदी के साथ कार्यरत है। उन्होंने बिहार के बिखरे हुए व्यवसायियों को एक मंच प्रदान किया ताकि प्रशासन और राजनीतिज्ञों के द्वारा उनका जो शोषण किया जाता रहा है उसके विरुद्ध वे अपनी आवाज बुलंद कर सके। आज रामलखन प्रसाद गुप्त हम सबों के बीच नहीं रहे लेकिन उनकी स्मतियाँ हमें सदैव प्रेरणा देती रहेंगी। उनका निधन 28 जनवरी, 1985 को हुआ। उन्होंने समाज के उपेक्षित समुदाय को एक रास्ता दिखाया, उन्हें ऊँचाई दी। उन्होंने राजनीति

और समाजसेवा में एक बड़ी लकीर खींची जिसकी बराबरी संभव नहीं।

रामलखन बाबू के कतिपय विचार अब भी मस्तिष्क में कौंधते हैं। सामाजिक संगठन पर उनके विचार मौलिक थे। यहाँ हम संक्षेप में इसे प्रस्तुत करना चाहेंगे। वे हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था पर अपना विचार रखते थे—"इस भारत-भू के विशाल हिंदू समाज में जाति-व्यवस्था विद्यमान है। वर्ण-व्यवस्था श्रेष्ठ एवं विभाजन के आधार पर वैज्ञानिक समाज-रचना है। इसमें कुछ विकतियाँ आ गयी हैं। ऊँच-नीच की भावना तथा छुआछूत आदि के दोष इस विकति के कारण हैं। यह वर्ण -व्यवस्था न तो भेद का और न पारस्परिक संघर्ष का ही कारण है। इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जब एक जाति या वर्ण ने दूसरी जाति या वर्ण पर आक्रमण किया हो या इस आधार पर राष्ट्रविरोधी भावना का परिचय दिया हो। इसके विपरीत दीखता तो यही है कि पथ्वीराज के विरुद्ध मुहम्मद गोरी पर आक्रमण के लिए आमंत्रण देने वाला जयचंद, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के मनसूबों को पूरा करने में सहायक मानसिंह, छत्रपति शिवाजी के मार्ग में बाधाएँ उपस्थित करने वाले, सम्भा जी को पकड़कर उनका वध करने वाले तथा पेशवाओं के शनिवार वाड़े पर भगवा ध्वज को उतार कर उसकी जगह अंग्रेजों का यूनियन जैक फहराने वाले सब उनकी ही जाति के व्यक्ति थे। झगड़ा जाति-जाति के बीच नहीं, व्यक्ति-व्यक्ति के ही बीच होता रहा है।"

आज की जातिप्रथा पर उन्होंने भेदमूलक संघर्ष की भर्त्सना की है। उनका कथन था—"जातियों ने तो संपूर्ण राष्ट्र की कल्पना लेकर, आधार-धर्म के नियमों को भंग करके भी राष्ट्रीय एकात्मकता का परिचय दिया है। किन्तु आज तो जाति के आधार पर भी पारस्परिक विरोधी और राष्ट्र के हितों के विरुद्ध आचरण चारों ओर दिखाई देता है। इसी प्रकार सम्प्रदाय, पंथ, भाषा आदि सबका आधार लेकर भेदमूलक संघर्ष की भावनाएँ आज चारों ओर बड़ी हो गई हैं।"

जातिप्रथा में संकीर्ण दष्टिकोण को उन्होंने सर्वनाश की संज्ञा दी। उनका कथन था—"जाति हिंदू समाज का एक अंग है। हमें इस समाज के लिए आदर रखना है। संपूर्ण हिंदू समाज के महापुरुषों को स्मरण रखना है परन्तु आज इसका अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया जा रहा है। इस मनोवत्ति की मैं भर्त्सना करता हूँ। हम सभी जाति के लोग एक धर्म-संस्कति वाले समाज के ही पुत्र हैं। एक-दूसरे से हम जुड़े हैं—इसे भूलना नहीं चाहिए। पथकता से तो सर्वनाश ही हो जाता है। जब समाज ही समाप्त हो जायेगा तो जाति कहाँ रहेगी?"

उन्होंने जाति-प्रथा में आई ऊँच-नीच की भावना की आलोचना की। "जाति में जो ऊँच-नीच का भाव आ गया है, वह ठीक नहीं है। वास्तव में तो इस प्रकार की भिन्नता न तो समाज के लोगों में किसी भेद की सष्टि करती है और न किसी को छोटा या बड़ा, ऊँचा या नीचा बनाती है। गीता में तो कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने नियोजित कर्म को करता है, वह उसी के द्वारा परमात्मा की भी उपासना करता है। यदि ज्ञानदाता होने के कारण ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं तो क्षत्रिय शत्रु संहार करने के कारण उतना ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार वैश्य, जो कषि और व्यवसाय करते हुए समाज का भरण-पोषण करता है तथा शूद्र, जो अपनी शिल्प-कुशलता एवं श्रम से समाज की सेवा करता है, श्रेष्ठता में किसी से कम नहीं है—यही हमारे यहाँ की वर्ण-व्यवस्था है।"

उन्होंने समाज में राजनीति के महत्त्व को रेखांकित करते समाज को संदेश दिया है—"इस संगठन का आधार विरोध भी नहीं हो सकता। विरोध से न तो कार्य में सात्विकता रहती है और न ही स्थायित्व, उलटे अपने विरोधी की बुराइयाँ ही अपने अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। संगठन विरोध के कारण नहीं, अपितु पारस्परिक प्रेम, एक-दूसरे के प्रति सहयोग भाव, बिना प्रतिदान की आशा के अपने बंधुओं के कल्याण आदि के कारण ही बल प्राप्त करता है। इसकी इस स्पीरिट केप्रति जाति-सेवक हर सदस्य के मन में सच्ची निष्ठा होनी चाहिए और हमेशा तदनुकूल रचनात्मक आचरण निष्ठा के साथ करना चाहिए। निस्संदेह ऊँच-नीच तथा छुआछूत की भावना हिंदू समाज में है। इसे हटाने के लिए प्रशासनिक, वैधानिक एवं शैक्षणिक उपाय करने होंगे। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं रखना चाहिए। राजनीति में अभिशप्त, सदियों से अभिशाप झेलते, शिक्षा तथा संस्कार की दष्टि से पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए विशेष सुविधा सरकार को देनी चाहिए। बिना उसके, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति करना संभव नहीं होगा। यह जात भी हिंदू समाज में दूसरों के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, इसके लिए इसे हमेशा जागरुक रहना होगा। प्रशासन में अभिरुचि लेना आवश्यक है। इसमें अभिरुचि नहीं लेने से हम प्रगति में पीछे पड़ते जायेंगे। आजकल सामाजिक जीवन का हर पहलू राजनीति के प्रभाव में है—चाहे वह क्षेत्र शिक्षा का हो अथवा व्यवसाय एवं उद्योग का—यहाँ तक कि नौकरी भी इससे वंचित नहीं है।"

अपने प्राचीन इतिहास और योगदान की चर्चा करते हुए उन्होंने अपने मनोबल को ऊँचा रखने और सामाजिक कुरीतियों को मिटाकर दूर करने का संकल्प लेने कहा। इस संदर्भ में वे कहा करते थे—"हमारा इतिहास श्रेष्ठ रहा है। हमारा योगदान समाज में चलते हुए हर आंदोलन के साथ रहा है। हम काफी प्रगति भी कर रहे हैं। एक-से-एक विद्वान, कर्मनिष्ठ, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच हुए हैं और हो रहे हैं फिर हमारा मनोबल नीचा क्यों रहे? हम निराशावादी क्यों बनें? हमें तो उच्च मनोबल से कार्य करना है। सामाजिक कुरीतियों को हमें लग-भिड़कर यथाशीघ्र दूर करना है।"

आजीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने के कारण उनके विचारों में हिंदू धर्म एवं राष्ट्रीयता प्रतिबिम्बित होती थी। वे कहते थे—"जाति के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, परन्तु अन्ततः श्रद्धा का केन्द्र तो हमारा हिंदू धर्म और अपनी मातभूमि है। राष्ट्रीयता की प्रखर भावना जागत रखते हुए कार्य करना हमारा कर्त्तव्य होगा। स्वयं में मातभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की मनोवत्ति को हमें उत्तरोत्तर बढ़ाना चाहिए। इससे हमें स्फूर्ति मिलेगी। मातभूमि को पूज्य कहा गया है। यहाँ के जड़चेतन सभी को बराबर कहा गया है। पहाड़ों को देवताओं के निवास के रूप में देखा गया है। नदियों को माता समझा गया है। अतः हिमालय से सागर तक फैली हुई मातभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने का हम संकल्प लें। यही हमारा परम कर्त्तव्य होगा।"—ऐसे थे राष्ट्रभक्त महामानव रामलखन प्रसाद गुप्त के उद्दात विचार। उनकी स्मतियाँ और विचार समाज और राष्ट्र के अंधेरे में ध्रुव तारे की तरह प्रकाशमान और पथप्रदर्शक रहेंगे। उस महान व्यक्तित्व को हमारा शत-शत नमन।

बिहार के ज्योतिबा फूले

जयकिशोर सिंह

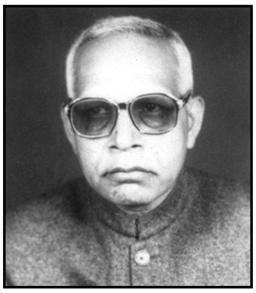

स्व. श्री रामलखन प्रसाद गुप्त से परिचय 1967 के विधानसभा एवं संसदीय चुनाव के दौर में हुआ। और निरंतर संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ती चली गई। कारण उनका एक वरीय अधिवक्ता अथवा कुशल संगठनकर्त्ता के अतिरिक्त कार्यकर्त्ताओं से निबटने की व्यवहारकुशलता थी। मुझसे अभिन्न संबंधों का खुलासा निम्न तथ्यों से समझा जा सकता है कि एक बार उनकी धर्मपत्नी स्व. सरला गुप्त ने कहा था कि आप गुप्त जी के लिए बने हैं और गुप्त जी आपके लिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस दुनिया में गुप्त जी के सच्चे, सगे सहयोगी व भ्रातास्वरूप सिर्फ आप ही साबित हुए हैं। उनकी उपर्युक्त कपादष्टि के लिए मैं आभारी रहा हूँ।

श्री गुप्त में मैंने पाया कि वे खुले दिमाग और चौड़ी छाती के अध्ययनशील व्यक्ति थे और कि राजनैतिक तथा सामाजिक समस्याओं के लिए निरंतर संघर्षरत रहने में उन्हें आनंद का अनुभव होता था। एतदर्थ वे किसी भी हदतक त्याग करने और जोखिम उठाने के लिए तत्पर रहा करते थे।

जातियों में बँटा हिंदू समाज और उसमें निम्न सामाजिक परिवेश में जन्म लेने के कारण उन्हें विभिन्न स्तरों पर सवर्णों द्वारा उपेक्षा सहित प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था। चाहे वह स्कूल-कॉलेज का शिक्षा काल रहा हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक जमीनी कार्यकर्त्ता का रूप रहा हो अथवा जनसंघ, भाजपा के पदाधिकारी का रूप रहा हो, उन्हें हर स्तर पर सामाजिक विषमता, जाति विभेद, सवर्णों द्वारा षड़यंत्र के आधार पर हर स्तर पर दबाने का प्रयास किया गया। वे दबे नहीं ओर संघर्षरत रहे। यद्यपि उन्हें दो बार विधान परिषद तथा एक बार राज्यसभा के सदस्य और दो बार प्रदेश जनसंध अध्यक्ष बन जाने से रोका नहीं जा सका।

यह जानकर आश्चर्य होगा कि मंडल कमीशन गठन के पूर्व उन्होंने एक पुस्तिका 'Why Reservation Necessary?' प्रकाशित एवं प्रसारित की था जिसे संपूर्ण भारत के सांसद एवं विधायकों के विचारार्थ भेजा गया था। उक्त पुस्तिका में अभिव्यक्त विचारों को मंडल कमीशन की भूमिका मानी जा सकती है। मेरी तो राय है कि उक्त पुस्तिका में उल्लिखित तेवरों को देख-समझ कर ही मुरारजी देसाई ने मंडल कमीशन गठित किया। मंडल कमीशन का महत्त्व क्या है और उक्त कमीशन के प्रतिवेदन ने भारतीय राजनीति को किस हद तक प्रभावित एवं निर्देशित किया, विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में सिर्फ श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की एक पंक्ति का कि—शासन चाहे भारत में अब किसी का हो लेकिन राज मंडल करेगा।' अगर

उपर्युक्त स्थिति आ सकने का कुछ हद तक श्रेय स्व. रामलखन गुप्त को दिया जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

गुप्त जी की निरंतर बेचैनी देखने का मुझे निकट से अवसर प्राप्त हुआ है। सामाजिक विभेद से लड़ने, उसके लिए धारा के विपरीत जाकर भी विद्रोह का झंडा उठाकर चौराहे पर निकलने में भी उन्हें कोई परहेज नहीं था। चाहे वह संगठन अपनी जाति का ही क्यों न हो, चाहे वह संगठन खाद्यान्न व्यवसायियों का ही क्यों न हों, उपर्युक्त संगठनों के माध्यम से निरंतर संघर्ष ने उन्हें सामाजिक तथा राजनैतिक पहचान दी और उपर्युक्त पहचान के बल पर पद और प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई ।

यहाँ मैं गुप्त जी के ज्ञान की भूख और पुस्तक का उल्लेख बड़े फख्र के साथ करना चाहूँगा। मुझे उनके विधान परिषद काल की याद आती है, जबकि वे पटना और दिल्ली में प्रकाशित होने वाली अद्यतन पुस्तकें खरीदकर मेरे पास सुपुर्द कर जाते थे कि उन्हें पढ़कर मैं उन्हें एक संसदीय प्रतिनिधि के रूप में क्या बातें अपने भाषण, आलेख एवं प्रश्नों के द्वारा उठायी जानी चाहिए, बताऊँ। अपने संसदीय काल में तो उन्होंने प्रश्न पूछने का ब्लैंक चेक भी दे दिया था। यद्यपि मैंने कभी उसका दुरूपयोग नहीं किया।

गुप्त जी के दिवंगत हुए वर्षों गुजर गये, उनकी धर्मपत्नी का भी विगत वर्ष में देहावसान हो गया। वे लोग जहाँ भी हों, उनकी यादें मेरे पास सुरक्षित हैं जो मेरे लिए उत्प्रेरक हैं। अगर वे कुछ और वर्षों तक जीवित रहे होते तो मेरी सेवा को, उनकी जिज्ञासु सामाजिक सेवा की प्रवत्ति को, और भी बल प्रदान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ होता।

आपातकाल की एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। हुआ यह था कि उन्होंने उन दिनों बेऊर (फुलवारीशरीफ) जेल में मीसा बंदी के रूप में जेल से ही विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। चूंकि श्री गुप्त जेल में थे, उन्होंने अपने निकटतम साथियों, सहयोगियों तथा संबंधियों से चुनाव प्रभारी बनने का आग्रह किया, लेकिन आपातकाल जैसे भयानक काल में उनके सभी लोगों ने चुनाव प्रभारी बनने से इनकार कर दिया। इसी दौर में उनका संदेश पाकर मैं बेऊर (फुलवारीशरीफ) जेल उनसे मिलने गया। श्री गुप्त से मुलाकात होते ही वे अविरल रोने लगे कि चुनाव लड़ने की इच्छा है लेकिन जेल में रहते हुए बिना चुनाव प्रभारी के कैसे चुनाव लडूंगा। उनके आँसू पोंछते हुए मैंने उन्हें धीरज बँधाया कि मुझे आपने चुनाव प्रभारी बनने के लिए कहाँ कहा। उन्होंने विनीत भाव से कहा कि मैं आपको कहने का साहस नहीं जुटा पाया कि आप एक निर्धनतम नए अधिवक्ता हैं और घर से बाहर रहकर जीविकोपार्जन के लिए संघर्षरत हैं। मैंने उनका आग्रह स्वीकार किया और आपातकाल के दौरान उनका चुनाव सफलतापूर्वक मेरी देखरेख में लड़ा गया, यद्यपि चुनाव हम लोग हार गये। आपातकाल का अंत हुआ लेकिन श्री गुप्त मत्युपर्यन्त जब भी मुंगेर आते तो मेरी कठिनाई से अवगत होकर मुझे हर प्रकार की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे लेकिन तब तक मुझे वैसी किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता ही नहीं थी। जीवन संघर्षमय तो था लेकिन मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था।

अगर गुप्त जी कुछ वर्षों तक और जिंदा रहे होते तो अपनी सामान्य बुद्धि तथा अध्ययनप्रियता से

उनकी निरंतर सहायता करता रहता।

मैं कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में जो कार्य महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया यह कार्य श्री रामलखन गुप्त बिहार में कर रहे थे और किया। वे बिहार के ज्योतिबा फूले थे। ऐसा मैं इसलिए कहने का साहस करता हूँ कि जिस प्रकार ज्योतिबा फूले ने हिंदू समाज में व्याप्त सवर्ण-सह-ब्राह्मणवाद का खुलकर विरोध किया और तमाम बुराइयों की जड़ भी घणित जाति-व्यवस्था को मानकर सामाजिक सुधार के लिए संघर्ष करते हुए सदियों से सोए समाज को जगाकर उसकी अस्मिता का भान कराया और कबीर की शैली में सर्वस्व त्याग करते हुए आधुनिक महाराष्ट्र के निर्माणार्थ युगद्रष्टा की भूमिका अदा की; ठीक उसी प्रकार श्री गुप्त ने आजादी के बाद निरंतर जकड़ते जा रहे सवर्ण वर्चस्व को अपने ढंग से चुनौती दी और निम्नवर्गीय समाज खासकर व्यावसायिक वर्गों के बीच स्वाभिमान जगाने के लिए अपने चमकते हुए वकालत पेशे को प्रायः परित्याग कर दिया। आज बिहार व्यवसायी वर्ग संगठित है और किसी भी समसामयिक चुनौती को स्वीकार कर सकता है, तो इसका श्रेय गुरुजी को जाता है। उनके प्रेरक नेता के चलते दबे-कुचले समाज को एक दिशा मिली और वह आंदोलन एक राजनैतिक आंदोलन में परिवर्तित हो सका। ज्योतिबा से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने उद्घोष किया कि योग्यता के अभाव में धन-संपदा रहते हुए भी पिछड़ा समाज आगे तभी बढ़ सकता है जब उस आंदोलन को धारदार बनाया जाय।

यहाँ ज्योतिबा का कहना कि 'पंडितों ने बेशर्मी से शूद्रों को हमेशा ही धोखा दिया है। उन्होंने कल्पना करके अनेक भगवान बनाये, स्वार्थ के लिए पाखंडपूर्ण ग्रंथ बनाये, झूठे साहित्य के माध्यम से शूद्रों को फंसाया।'

श्री गुप्त महात्मा फूले की उपर्युक्त उक्ति से प्रेरणा ग्रहण करते थे। श्री गुप्त ललकारते हुए पिछड़ों के बीच कहा करते थे कि जिस प्रकार ज्योतिबा कहते थे कि

'विद्या बिना मति गई,
मति बिना नीति गई,
नीति बिना गति गई,
गति बिना वित्त गया,
वित्त बिना शूद्र टूटे,
इतने अनर्थ एक अविद्या ने किये।'

ज्योतिबा ने नारी-शिक्षा के लिए सर्वप्रथम कन्याओं के लिए विद्यालय खोला। अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर घर की चहारदीवारी से बाहर किया और कन्याओं के विद्यालय में शिक्षिका नियुक्त किया। महिला एवं अछूत समाज के लिए पहला स्कूल जयोतिबा के कारण प्रारंभ हुआ। ठीक उसी प्रकार श्री गुप्त ने भी अपने घर की बहू-बेटियों को पढ़ा-लिखाकर मंच पर लाया। उदाहरणस्वरूप, उनकी पत्नी का जनआंदोलन के सिलसिले में जेल जाना तथा उनकी विदुषी पुत्रियों द्वारा सार्वजनिक मंच से राजनीति में आगे आने के लिए आह्वान करना माना जा सकता है।

इसीलिए मैं कहता हूँ कि श्री रामलखन गुप्त बिहार के ज्योतिबा फूले थे। क्यों? ठीक नहीं कह रहा हूँ क्या? आप मानिए, यह सच है समुचित है। यह मेरे अंतरतम की आवाज है। आपकी यह आवाज नहीं होगी क्या? होगी, होकर रहेगी।

❖

संसद में सवाल उठाया तो लेखन को बल मिला

डॉ. ओमप्रकाश साह 'प्रियम्वद'

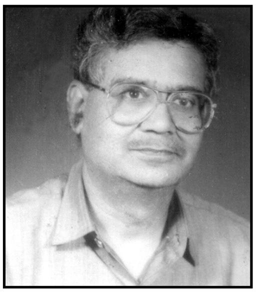

कद लंबा, विचार ऊँचा, व्यवहार मदुल,
चेहरा सौम्य-भाव से भरा
शरीर भरा-पूरा, व्यक्तित्व से विद्वता झाँकती हुई,
हर बढ़ता हुआ कदम संकल्प की सूचना देता हुआ,
अंदाज में अनोखा विश्वास,
ओठों पर हर किसी से दो मीठे बोल
कर लेने की फुरकन—
—भला कैसे कोई भूल जाए!
वह जिनकी याद सदा ताजी बनी रहती हो
और जिंदादिली भरती हो
तो कितनी सुखद है उस व्यक्ति की स्मति
जो अब शरीर रूप में नहीं है
किंतु जो अब दिल का एक हिस्सा बन चुका है
और उसी हिस्से का नाम है—
रामलखन-प्रसाद-गुप्त
जिनकी पूरी जिंदगी अपने आप में एक ग्रंथ है
और अध्याय हैं उसके
—राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय व्यक्तित्व,
—क्रांतिकारी गुप्तजी का जेल-जीवन,
—वरिष्ठ अधिवक्ता/श्रमिक नेता,
—बिहार प्रदेश व्यवसायी संघ के अध्यक्ष
—राज्यसभा के सांसद
और न जाने कितने-कितने।'

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त जी का देहावसान मन के इस कदर विपरीत प्रतीत होता है कि अब भी, उनके देहावसान के बाइस पतझरों के बाद भी, यह अनुभूति स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है कि वे अब भी हमारे

बीच हैं। वे बहुत अच्छे व्यक्ति, सफल अधिवक्ता, सफल नेता, गंभीर अध्येता तथा एक मौलिक चिंतक विचारक थे। उन्होंने सही अर्थ में इतना कुछ कर दिखाया जिनसे जाने वाले की कीर्ति चमक उठती है।

विद्या-बुद्धि, विवेक, नेतत्व क्षमता, वक्तत्व कला के अलावा गुप्त जी में एक बड़ी चीज और थी और वह यह थी कि वे सुसंकत, विनम्र और विनयशील थे। उनके चेहरे पर उत्तेजना दिखाई नहीं पड़ती थी, क्रोध को वे अपने पास फटकने नहीं देते थे।

गुप्तजी की मित्रता बड़ी निश्छल सहज थी। उनका प्रेम निर्विकार तथा निःस्वार्थ था। अब भी उनकी मित्रता को अनमोल बताते हुए जमालपुर नगर परिषद के पुराने आयुक्त श्रीप्रसाद विश्वकर्मा थकते नहीं हैं। पुरानी स्मतियों को बड़े करीने से सहेजे रखनेवाले श्रीजी बताते हैं—

"जमालपुर से गुप्तजी का गहरा लगाव रहा। श्रीजी, डॉ. गुरुनाथ स्वामी (मद्रासी दवाखाना), वलीपुर मुहल्ले के बाजोलाल शर्मा, मिर्जापुर वाले ओमप्रकाश गुप्त उनके खास मित्रों में थे। इन्हीं मित्रों के सहयोग से गुप्तजी ने 1941 ई. में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा मारवाड़ी धर्मशाला, जमालपुर में खोली। उल्लेखनीय है कि गुप्त जी 1939 से ही मुंगेर में आर. एस.एस. की गया शाखा में जाने लगे थे। यूं, नागपुर में 1925 में डॉ. केशव वलीराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने गुप्तजी भागलपुर गए तो उन्होंने भागलपुर में भी 1941 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा खोली। इसके पूर्व 1940 ई. में आर.एस.एस. का ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप (ओटीसी), नागपुर शाखा में आयोजित हुआ तो गुप्तजी ने उसमें भी भाग लिया। यह कैंप एक महीने दस दिनों का था। 1943 में ओटीसी कैंप गोदोलिया, बनारस स्थित डी.ए.वी. कॉलेज मैदान में आयोजित हुआ, तब गुप्त जी द्वितीय वर्ष तथा श्रीजी प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थी थे। इस कैंप में गोलवलकरजी भी पहुँचे थे। गुप्तजी ने आर.एस.एस. के तीनों वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 1944 में गुप्त जी ने जमालपुर-मुंगेर की पूरी टीम लेकर बबुआ जी के टोला धर्मशाला गया में आयोजित बिहार के आर.एस.एस. कैंप में भी भाग लिया था।

"1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की हत्या के सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान में आर.एस.एस. कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी की जाने लगी तो वे रामलखन गुप्त के साथ जमालपुर के बाजोलाल शर्मा, विष्णुप्रसाद, श्रीप्रसाद विश्वकर्मा, नेमधारी सिंह, डॉ. रामस्वरूप मंडल आदि मुंगेर जेल में 15 दिन रखे गए। फिर छोड़ दिये गये।

"भारत सरकार ने आर.एस.एस. पर प्रतिबंध लगा दिया तो 1948-49 में आर.एस.एस. ने पूरे हिंदुस्तान में सत्याग्रह शुरू किया। तब रामलखन गुप्त जी मुंगेर-जमालपुर के लगभग 125 संघ कार्यकर्त्ताओं के साथ जेल भेजे गए। सेन्ट्रल जेल में उस समय आर. एस.एस. के 650 कैदी थे। गुप्त जी को इस जेल में साढ़े सात माह तक रखा गया। जेल में भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक कार्यक्रम चलता रहता था।

"भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 के अक्टूबर में की गई। उसी समय जमालपुर-मुंगेर में जनसंघ की स्थापना हुई। मुंगेर में रामलखन बाबू जनसंघ का प्रतिनिधित्व करने लगे। वे वकालत भी करते थे। पार्टी कार्यकर्त्ताओं के लिए अपने वकील थे।

"जमालपुर रेल कारखाने के विकास के लिए मजदूरों का सशक्त संगठन गुप्तीजी ने किया। फलतः कारखाने के श्रमिकों में उनकी गहरी पैठ हो गयी।

"सन् 1964 में जमालपुर नगर पालिका (जो देश की अत्यंत पुरानी नगर पालिका है।) के कुल छः वार्डों में 10 प्रतिनिधियों का चुनाव होना था। रामलखन गुप्त और जगदंबी प्रसाद यादव-जनसंघ के इन दोनों नेताओं ने जमालपुर में मुस्तैदी के साथ जनसंपर्क के अभियान चलाया तथा जन-सभाएँ आयोजित की। सुफल रहा कि कुल 10 प्रतिनिधियों में 4 प्रतिनिधि (उम्मीदवार) जनसंघ के ही श्रीप्रसाद विश्वकर्मा, मनोहरलाल शर्मा, डॉ. रामस्वरूप मंडल, प्रो. मिथिलेश कुमार सिन्हा विजयी हुए। बाद में जनसंघ के श्री श्यामसुंदर शर्मा नगरपालिका (अब नगर परिषद) के सदस्य बने।

"1984 में जमालपुर नगरपालिका का पुनः चुनाव हुआ। कुल 25 वार्ड बनाये गये जिनपर चुनाव हुए। बिहार के वित्तमंत्री कैलाशपति मिश्र थे। नगर विकास मंत्री सुमित्रा देवी थीं जो चंदनपुरा, जमालपुर की निवासी थीं। उन दोनों के सहयोग से गुप्त जी ने जमालपुर के 25 वार्ड बनवाये। इस चुनाव में वार्ड नं. 18 नक्की नगर, केशवपुर, से मैं (ओमप्रकाश साह) भी उम्मीदवार था। वार्ड नं. 14 सदर बाजार के श्रीप्रसाद विश्वकर्मा उम्मीदवार थे। तब रामलखन गुप्त जी व जगदंबी प्रसाद यादव ने हमारे और श्रीजी के पक्ष में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित किया था।

एक अविस्मरणीय प्रसंग गुप्त जी के निवास पर का है। तब श्री लालकष्ण आडवाणी जनसंघ के राष्ट्रीय स्तर के मान्य नेता और सांसद थे। गुप्त जी ने उन्हें मुंगेर आमंत्रित किया था। गुप्त जी के कौड़ा मैदान, मुंगेर स्थित कल्पना-निवास पर आडवाणी जी का प्रेस-मीट हुआ। उस अवसर पर पत्रकार पं. लक्ष्मीकांत मिश्र, पत्रकार काशी प्रसाद तथा मैं (ओमप्रकाश साह प्रियम्वद) मौजूद था।

मैंने एशिया प्रसिद्ध जमालपुर रेल कारखाना के विकास-विस्तार के लिए पटना (बिहार) से प्रकाशित दैनिक प्रदीप समाचार पत्र में 20 अप्रैल 1978 के अंक में **'जमालपुर रेल कारखाना' उपलब्धि और संभावनाएँ'** शीर्षक लेख लिखा। इस लेख की ओर राज्यसभा सदस्य रामलखन गुप्त ने संसद का ध्यान आकष्ट कराया और इस विशाल रेल कारखाने के अस्तित्व को बचाने के लिए और इसके आधुनिकीकरण के लिए आवाज उठाई। यह आवाज उठाने में सांसद लखनलाल कपूर का भरपूर सहयोग उन्हें मिला।

इसका सुफल यह हुआ कि जमालपुर कारखाने के डीजल कर्मशाला के आधुनिकीकरण की योजना स्वीकत की गई जिस पर 3 करोड़ रुपये व्यय किये जाने की स्वीकति मिली। यह खबर देते हुए गुप्त जी ने जमालपुर रेल कारखाने के मुख्य कारखाना प्रबंधक को स्पष्ट कहा कि 'हम और लखनलाल कपूर दोनों कारखाना पहुंच रहे हैं। प्रकाश प्रियम्वद (ओमप्रकाश साह) जी को भी अमुक तिथि पर कारखाने में रहने का आमंत्रण दिया जाए। जानकारी पाकर मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ उन दोनों सांसदों से भेंट हुई। दोनों ने लेख के लिए खुशी जाहिर की।

इसके बाद से ही गुप्त जी से मेरी आत्मीयता हो गयी। जब भी वे किसी कार्यक्रम में जमालपुर आते तो बड़े स्नेहपूर्वक मेरा हाथ पकड़कर चलते। उनके पीछे समर्थकों-शुभचिंतकों, कार्यकर्ताओं का

एक बड़ा जत्था चलता।

आज मैं छूट गया। गुप्त जी हमारा हाथ छोड़ न जाने क्यों, कहाँ चल पड़े। सोच नहीं पाता। उनका स्नेह हमें घेरे है। मदुस्मति मन -प्राणों को भिगोये है। यही मेरी पूंजी भी है।

आज पुनः उनकी स्मति को नमस्कार करता हूँ तो खुद को बड़ी सांत्वना मिलती है।

❖

प्रेरणास्पद पिताजी

मंजु साह

हर पिता अपने बच्चों के लिए प्रेरणा स्वरूप होते हैं। मेरे परम पूज्य पिता स्व. श्री रामलखन प्रसाद गुप्त हर कदम पर मुझे प्रेरणा देते रहते थे। आज जो भी मैं हूँ, मेरा छोटा-सा परिवार है और मेरे बच्चे हैं, ये सब उन्हीं की प्रेरणा के फल हैं। उनकी महत्त्वाकांक्षाएँ बहुत बड़ी थीं। यथासंभव मैं उनके बताये रास्ते पर चलने की कोशिश करती रही।

हमेशा कहा करते थे—देखूँगा, तुम अपने बच्चों को क्या बनाओगी! यही प्रेरणा थी कि मैंने मन में यह ठान लिया था कि अपने बच्चों को काबिल बनाकर पिताजी को दिखाना है। आज मेरे पिताजी नहीं रहे पर उनकी आत्मा को जरूर संतोष प्राप्त हो रहा होगा। उनका बड़ा नाती Indian Audit & Account Services में Director है और छोटा नाती Indian Air Force में Squr. Leader की Post पर है। बेटी मेरी Electrical Engineer है और California के San. Jose. University से M.S. भी है। दामाद Software Engineer है। दोनों बहुएँ M.B.A. हैं। उनके आशीर्वाद से एक पोता है। उसे भी इनके आशीर्वाद की जरूरत है। उन्हीं की प्रेरणा का फल है जो आज मैं अपने छोटे से परिवार को यहाँ तक ला पाई हूँ। उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी वे मेरे पथ-प्रदर्शक रहेंगे और हमें शक्ति प्रदान करेंगे। मैं अपने परम पूज्य ईश्वर स्वरूप पिता स्व. श्री रामलखन प्रसाद गुप्त जी को कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ।

मैंने जहाँ पिताजी को स्मरण किया है वहाँ मैं अपनी माता स्व. श्री मती सरला गुप्त को कैसे भूल सकती हूँ। सरल और मदुल स्वभाव की महिला जो अपने बच्चों को देख हमेशा गौरवान्वित हुआ करती थीं। पिताजी के स्वर्गवास के बाद घर-परिवार, बच्चों और समाज की जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया। उन्हें भी मैं कोटि-कोटि नमन करती हूँ। ऐसे महापुरुष पिता और साहसी माता की पुत्री होने का गर्व है मुझे। मैं अपनी माता स्व. श्रीमती सरला गुप्त और पिता स्व. श्रीरामलखन प्रसाद गुप्त जी को स्मरण कर उन्हें शत् शत् नमन करती हूँ और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ।

मानवता के सर्वोत्तम हितैषी लौहपुरुष

डॉ छेदी साह, डी.लिट्.

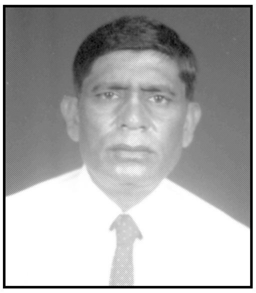

लौहपुरुष रामलखन गुप्त का जन्म 2 सितंबर 1926 में बिहार प्रांत के अंतर्गत मुंगेर जिला के एक प्रतिष्ठित 'स्नेही' परिवार में हुआ था। इस धरती ने एक ऐसे महामानव को जन्म दिया जिन्होंने अपने 60 वर्षीय वय का लगभग दो तिहाई हिस्सा पीड़ित मानवता की खुशहाली, व्यावसायिक संघर्षों को अभिभावकत्व तथा दीन-दलितों की आवाज, विधान परिषद् और संसद में बुलंद करने में बिताया था। इनका संसदीय जीवन अविस्मरणीय, अनुपम और अनुकरणीय था, क्योंकि आपने अपने जीवन का प्रतिफल समाज की सेवा में समर्पित किया। आप केवल एक श्रेष्ठ अधिवक्ता ही नहीं रहे बल्कि सामाजिक-सांस्कतिक कार्यों के प्रणेता भी रहे। उनका निधन सामाजिक -राजनीतिक जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आप ऐसी हस्ती थे जो प्रत्येक संपर्क करने वाले पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ते थे। आप मानवता के ऐसे सर्वोत्तम हितैषी थे जिनके हृदय में सांस्कतिक क्रांति की ज्वाला जीवनपर्यन्त धधकती रही और सांस्कतिक चेतना मुंगेर के कई सार्वजनिक समितियों के निर्माण में फलित हुई है। आप कालजयी नेता थे। आपके व्यक्तित्व एवं प्यार की सहसा याद कर अभिभूत हो उठा हूँ।

आप अंग जनपद ही नहीं संपूर्ण राजनीतिक चेतना के अक्षय प्रेरणा स्रोत थे। आपका कभी न भूलने वाला व्यक्तित्व है और आपके व्यक्तित्व से सामाजिकों को ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। आपके सिद्धांत और विचार अभिनंदनीय हैं। आप भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के सशक्त हस्ताक्षर थे। राजनीति-जगत की यह महान विभूति यद्यपि हमारे बीच नहीं हैं, तथापि समाज के हित चिंतन में जो यश उन्हें मिला कदाचित वह किसी भी महापुरुष के समकक्ष हैं। एक दिन किसी कार्यवश मेरी आपसे भेंट हुई। यह भेंट आपसे 1979 ई. में पटना में हुई थी। मेरे स्वजन कुटुम्ब ने कहा कि श्री रामलखन गुप्त जी एक सरल हृदय के, सबकी सहायता करने वाले हँसमुख तथा अत्यंत संवेदनशील समाजसेवी हैं। मुझे एक अच्छे इंसान से मिलने की जिज्ञासा हुई। उस समय सीताराम साह महाविद्यालय नवादा में व्याख्याता पद के लिए प्रयास कर रहा था। मैंने उनके समक्ष नौकरी के लिए परेशानी बतायी। उनको मेरी परेशानी मालूम हुई। उन्होंने तुरंत कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है। मैं हर संभव आपकी मदद करूँगा। मेरी दष्टि में गुप्त जी एक महामानव हैं। यद्यपि यह सामाजिक राजनीतिक जगत का देदीप्यमान सितार का तार टूट गया, पर हमारे बीच आज भी झंकतियाँ मौजूद हैं। मैं श्री गुप्त जी के संपर्क में अल्पकाल ही रहा हूँ, पर उनके स्नेह ने मुझ अकिंचन को सम्पन्न कर दिया। मैंने उन्हें एक कविता भी 'झोपड़ी के द्वार पर दीपक नहीं तो.....' सुनाई थी। कविता सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए थे। उन्होंने कहा कि स्नेही समाज के विद्वानों का समुचित सम्मान होना चाहिए,

पर अपने समाज में बड़प्पन का अभाव है। आपका उत्तरदायित्व है सिर्फ कर्म करना। जो होना है वो अवश्य होगा। सबकुछ ईश्वराधीन है। गोस्वामी तुलसीदास ने ठीक लिखा है—

सुनहुँ भरत भावी प्रबल बिलखि कहेऊँ मुनिनाथ।
हानि लाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश विधि हाथ।।

यह निःसंदेह कहा जा सकता है कि आपने शुरू से ही ऐसा परोपकार का काम किया है कि स्नेही समाज और इतर समाज भी बड़प्पन लेता रहेगा। कबीर की पंक्ति आपके साथ चरितार्थ होती है—

ऐसी करनी कर चलो, हम हँसें जग रोये

मत्यु को एक लेखक ने 'शाश्वत आराम' और 'दुःखों से मुक्ति' कहा है। रामलखन गुप्त जी ने जाने की तैयारी सही ढंग से की थी—

'He has taken his last journey,
In God's beautiful ship called Rest.'

महान राजनेता थे गुप्तजी

रामचन्द्र प्रसाद

मैं सौभाग्यशाली हूँ कि स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त के साथ मेरा भी निकटतम संपर्क रहा और उनका आत्मीय प्यार एवं स्नेह सदैव प्राप्त होता रहा जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता हूँ। जब कभी भी मैं स्व. गुप्त जी से मिलता था, हर क्षण उनसे प्रेरणा मिलती थी। उनकी हर बात एवं संस्मरण मेरे दिल दिमाग पर सदैव छाये रहते हैं, खासकर उनकी एक बात, जो वे हमेशा कहा करते थे कि जो व्यक्ति इस पथ्वी पर जन्म लेता है, वह अपने एवं परिवार के लिए तो करता ही है। समाज के उत्थान के लिए जो जितना तन-मन और साधन लगा पाता है, वह उतना ही महान है और इसी भावना से अविभूत स्व. रामलखन बाबू जीवनपर्यंत समाज एवं राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन न्योछावर करते रहे।

हर व्यक्ति को समाज एवं राष्ट्र के उत्थान के लिए अपने सोच में, कार्य एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। समाज से लेने की नहीं बल्कि उसे कुछ देने का प्रयत्न करना चाहिए।

स्व. गुप्त जी दूरदष्टि, उच्च विचार एवं बहुआयामी व्यक्तित्व के महान राजनेता थे। समाज को आगे बढ़ाने हेतु हर क्षण सबों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते रहते थे। समाज के व्यापक हितों को खासकर सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने एवं उसे हर दष्टि से सबल बनाने के वे बहुत बड़े हिमायती थे। मैं स्व. गुप्त जी को स्मति -ग्रंथ प्रकाशित होने के अवसर पर उनका नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

रामलखन प्रसाद गुप्त : एक संस्मरण

काशी प्रसाद

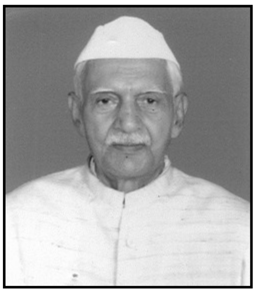

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त पेशे से वकील, किंतु राजनीतिक विचारों से ओत-प्रोत एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे एक बार मिलने पर कोई उन्हें भुला नहीं सकता। एक खबरिया चौकीदार के रूप में श्री गुप्तजी से मेरा संपर्क सन् 1950 ई. में हुआ जब वे जनसंघ (वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी) के नेता के रूप में अपनी एक अच्छी पहचान बना चुके थे। खबरों के सिलसिले में उनसे प्रायः भेंट मुलाकात हो जाया करती थी। मीडियाकर्मियों के प्रति उनका विचार बहुत सहानुभूतिपूर्ण रहता था। किसी भी अखबार के संवाददाता को कहीं भी पुलिस या प्रशासन से टकराव होता, श्री गुप्त सबसे पहले आगे बढ़कर सहयोग करने को आतुर रहते। यहाँ तक कि कानूनी सलाह एवं सहायता भी पुलिस और प्रशासन से त्रस्त पत्रकारों को निःशुल्क प्रदान करने में कभी भी हिचकिचाहट अनुभव नहीं किया।

श्री गुप्त ने सत्ता के विरोध की राजनीति करते हुए भी व्यवसाय में हाथ डाला और एक कुशल व्यवसायी के रूप में न केवल मुंगेर जिले में, वरन् संपूर्ण प्रदेश में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। खासकर खाद्यान्न व्यवसायियों को संगठित करने में उनको आशातीत सफलता हाथ लगी। अपूर्व संगठन क्षमता मानो ईश्वरीय देन के रूप में वरदान स्वरूप मिला था। कानून में निष्णात होने के कारण खाद्यान्न व्यवसायियों को प्रशासनिक अत्याचारों से राहत दिलाकर समस्त प्रदेश के व्यवसायियों को एक ठोस मंच पर ला खड़ा किया। व्यवसायियों ने उन्हें अपना मसीहा मान लिया और प्रदेश खाद्यान्न, व्यवसायी संघ के अध्यक्ष बनाकर संगठन को इतना सुदढ़ और सुसंगठित कर दिया कि एक बार सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की आड़ में राज्य के व्यवसायियों को तंग करने पर खाद्यान्न व्यवसायियों की हड़ताल हुई कि अंततोगत्वा सरकार को उनकी मांगों के सामने झुकना ही पड़ा और व्यवयसायी विरोधी आदेश वापस लेना पड़ा।

राजनीति में भी वे अग्रणी रहे और राष्ट्रीय स्तर के उनकी पार्टी के नेताओं ने उनकी कर्मठता और विद्वता के सही उपयोग के लिए बिहार विधान परिषद में दो बार भेजा और एक बार संसद में राज्यसभा के सदस्य के रूप में।

श्री गुप्तजी एक निडर और निर्भीक व्यक्ति थे। साथ ही वे सहृदय भी इतने थे कि एक विपक्षी दल के सांसद के रूप में भी केंद्रीय सरकार के मंत्रियों द्वारा उन्हें सदैव इतना आदर और सम्मान प्राप्त था कि गुप्तजी की किसी भी बात को स्वीकार करने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती थी, यद्यपि केंद्र में कांग्रेस का शासन था।

सन् 1983 की बात है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने मुफस्सिल के प्रमाणित प्रेस प्रतिनिधियों को

पूर्व से प्रदत्त रियायती रेल-यात्रा सुविधा को एकाएक रद्द कर दिया। कारण बताया गया कि चंद प्रेस प्रतिनिधियों द्वारा उसका दुरुपयोग पकड़ा गया था जैसा कि आये दिनों चंद विधायकों तथा सांसदों द्वारा प्राप्त सुविधाओं का दुरुपयोग किये जाने की बात उजागर हुई है। राज्य में पत्रकार संगठनों द्वारा मुफस्सिल के प्रेस संवादाताओं की समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इन पंक्तियों के लेखक ने, पत्रकारों के संगठन की हैसियत से भारत सरकार के तत्कालीन रेलमंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी से मिलकर रेलमंत्रालय के द्वारा मुफस्सिल के प्रेस संवाददाताओं को उपलब्ध रियायती रेल यात्रा सुविधा के रद्द किये जाने की शिकायत करने का विचार किया ताकि वह सुविधा पुनः जारी कर दी जाय। चूंकि पं. कमलापति त्रिपाठी से लेखक को उस समय का पुराना संपर्क था जब वे वाराणसी (उ.प्र.) से प्रकाशित हिंदी दैनिक 'संसार' के संपादक थे और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैलेट के कारनामों पर तल्ख आलेख लिख रहे थे। श्री विष्णुराव पराड़कर के कार्यकाल में दैनिक 'आग' का मुंगेर संवाददाता के रूप में कार्य करने के कारण श्री त्रिपाठीजी ने लेखक को 'संसार' के लिए भी समाचार प्रेषण का निर्देश दिया। फलतः संबंध सूत्र मजबूत ही होता गया। फिर भी केंद्रीय मंत्री से मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति का आवास पर मुलाकात करना उस समय सहज नहीं था। मैंने श्री गुप्तजी से अपनी मंशा व्यक्त की। श्री गुप्तजी इस बात से अत्यंत द्रवित हुए कि बिहार प्रदेश के सभी मुफस्सिल प्रेस संवाददाताओं को मिलनेवाली यात्रा सुविधा निरस्त कर दी गई है। उन्हें मेरी पहल अच्छी लगी। मैं दिल्ली गया और गुप्त जी ने टेलिफोन पर रेलमंत्री से बातें कर मेरी मुलाकात का समय ले लिया। मैं जब उनसे उनके निवास पर मिला तो मैं हतप्रभ रह गया यह देख कर कि रेलमंत्री जी की दोनों आँखों पर पट्टी बंधी है। उन्होंने मेरा नाम पूछा और पास ही बैठ जाने को कहा। उनकी आँख की पीड़ा देखकर मैं तो मर्माहत हो गया। उनसे क्षमा याचना करते हुए फिर किसी दूसरे दिन मिलने की बात कहकर जाना चाहा, किंतु उन्होंने उस पीड़ा में भी बड़े सरल भाव से बिना किसी तनाव के रुककर मुझे अपनी बात कह सुनाने का आग्रह किया और कहा कि सांसद रामलखन गुप्त ही 'नाराज' हो जायेंगे यदि बात आज मैंने नहीं सुनी। मैं लगभग 40 मिनटों तक उनके पास रहा और बिहार के मुफस्सिल प्रेस संवाददाताओं के संबंध में पूछताछ करते रहे। मैं रेलयात्रा सुविधा संबंधी एक आलेख भी लिखकर गया था। श्री त्रिपाठी जी ने आवेदन के बारे में पूछा तो मैंने उनके हाथों दे दिया। फिर श्री रामलखन गुप्त की चर्चा करते हुए राज्यसभा में उनके कुछ भाषणों का उल्लेख करते हुए व्यवसाय तथा टैक्सेशन संबंधी कानूनी जानकारी की तारीफ की। रेलमंत्रीजी ने कहा कि मुझे तो स्मरण नहीं हो रहा है, फिर भी संचिका मंगाकर स्वयं देखूँगा और शीघ्र सुविधा जारी कर दी जायेगी। यह श्री रामलखन प्रसाद गुप्त की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता का ही प्रभाव था कि रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी मेरे सदश्य एक साधारण प्रेस प्रतिनिधि के साथ 40 मिनटों तक बातचीत करते रहे।

श्री रामलखन गुप्त अद्‌भुत शिक्षा प्रेमी भी थे। श्री दुर्गा संस्था उच्च विद्यालय को आज जो अपनी जमीन उपलब्ध है, वह श्रीगुप्त जी के उत्कट शिक्षा-प्रेम

का प्रतीक है। उन्होंने इस विद्यालय को अपनी जमीन उपलब्ध करने के लिए मुंगेर के एक-एक गोलेदार से भिक्षाटन किया और शाहजुवैर रोड में शाह फैमिली से निहोराकर उतनी बड़ी जमीन बकायदा केबाला के द्वारा हासिल कर ली और किराये के एक मकान में खानकाह रहमानी के सामने वषो ं से संचालित उस विद्यालय को अपनी जमीन उपलब्ध कराकर तथा उस पर झोपड़ियां खड़ा कर स्कूल यहाँ ले आये जिसे आज के युग में शांतिनिकेतन के नाम से लोग पुकारने लगे। फिर उन्होंने किशोर विद्यालय के नाम से एक नये मध्य विद्यालय की भी स्थापना उच्च विद्यालय के परिसर में की। शिक्षा के क्षेत्र में किया गया श्री गुप्त जी का यह कार्य आज एक प्रकाश-स्तंभ बन गया है जो प्रतिक्षण दूसरों को वैसा ही कुछ कर गुजरने की प्रेरणा दे रहा है।

इस महासमर में उन्होंने अपने सहयोगी गोलेदारों यथा सर्वश्री ठाकुर प्रसाद मिश्र, बाबूलाल साह, रघुनाथ साह जैसे उदारचेता समरयोद्धाओं का भरपूर सहयोग एवं सद्भावना रही जिनके अथक प्रयास और प्रेरणा से अन्य छोटे-छोटे सभी गोलेदारों ने बिल्कुल निःस्वार्थ भाव से एक ऐतिहासिक कार्य कर दिखाया। जब तक विद्यालय का सरकारीकरण नहीं हुआ अर्थात् 1976 तक उपर्युक्त सज्जनों के प्रयास से विद्यालय के शिक्षकों का नियमित वेतन भुगतान होता रहा। यह भी श्री गुप्त जी के सह नेतत्व में किया गया एक कार्य था जो इतिहास के पष्ठों में सदा के लिए अंकित रहेगा।

विनम्रता की प्रतिमूर्ति

धर्मपाल विद्यार्थी

मेरा स्वर्गीय रामलखन प्रसाद जी से संबंध फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फुडग्रेन डीलर्स एसोसियेशन के द्वारा बहुत निकट का रहा है। वे संसद-सदस्य होते हुए भी हमारी कार्यकारिणी की बैठक में पधारने का कष्ट करके हमारा मार्गदर्शन करते थे।

मैंने उनमें जो गुण देखे, वह बहुत कम व्यक्तियों में मिलते हैं। वैसे तो हर महान व्यक्ति का स्मरण अपने गुणों के कारण ही किया जाता है।

वे एक निर्भीक व्यक्ति थे। उन्हें जो कहना होता था वह लोकसभा में भी व्यापारियों के लिए स्पष्ट रूप से कहते थे। मुझे उनके समीप बैठने का और भाषण सुनने का कई बार अवसर मिला है, जब वह बोलते थे, अपने ओजस्वी विचार बड़े निर्भीकता से रखते थे।

वे विनम्रता की प्रतिमूर्ति एवं सरल हृदय थे। वे छल-छिद्र से दूर थे। उनसे बातें करके उनके विचारों से मुझे बड़ी शांति मिलती थी। उनकी कथनी-व-करनी में कोई अंतर नहीं था।

उन्होंने बिहार राज्य के खाद्यान्न व्यापारियों की ही सेवा नहीं की थी बल्कि सारे देश के व्यापारियों की बड़ी सेवाऐं की थीं। मैं परम पिता से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे महान लोगों को बार-बार भारत में भेजें जिससे व्यापारी समाज का कल्याण हो।

एक संस्मरण

डॉ. जे.एन.साह

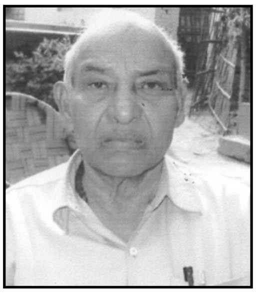

जिनके बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ पहले उन्हें मेरा शत-शत बार नमन है।

मैं आर.डी. एंड डी.जे. कॉलेज में आई.एससी. का छात्र था। कौड़ा मैदान (शादीपुर) में रहता था। 1956 में पहली बार श्रद्धेय रामलखन बाबू से मेरी मुलाकात हुई। उनकी मुलाकात से मुझे काफी लाभ हुआ। श्रद्धेय गुप्त जी हमारी धरती की एक महान विभूति थे और आज भी वे हमारे लिए प्रेरणा एवं शक्ति के स्रोत हैं। यह स्मति -ग्रंथ उनके उच्च आदशों एवं विचारों को जन-जन तक पहुँचाने में काम आयेगा।

आत्मविश्वासयुक्त व्यक्तित्व, काफी प्रतिष्ठित, चरित्रवान, वकील श्रद्धेय गुप्त जी संवेदनशील व्यक्ति थे। वे कभी भी उलझनें पैदा नहीं करते थे। अवकाश के क्षणों में वैश्य समाज से मिलना इनका प्रमुख कार्य था। मुलाकात में वे समाज की समस्या एवं उसे सुधारने के उपाय पर बात करते थे, कार्य करते थे। समाज या पार्टी द्वारा सौंपे गये प्रभार को ठीक ढंग से निभाने की इनमें प्रखर क्षमता थी। समाज एवं पार्टी में जागरुकता पैदा करने एवं पार्टी में असमानता और शोषण की प्रतीक परपराओं से जीवन भर जूझते रहे। कष्ण -सुदामा की तरह थे और डॉ.डी.एन. प्रसाद, (आदर्श ग्राम महलीपुर) अच्छे मित्र थे। दोनों का कार्यक्षेत्र एक जैसा था और वे एक दूसरे के प्रेरणास्रोत थे।

अच्छे एवं संपन्न परिवार में जन्म लेने के बावजूद कठिन, संघर्षमय जीवन जीना उनको विरासत में मिली थी। ये कठिन संघर्षमय जीवन से कभी घबराये नहीं और अपने लक्ष्य की चरम सीमा को प्राप्त करने के लिए अपने पथ पर चलते रहे।

श्रद्धेय गुप्त जी के राजनीतिक विचार, राजनीतिक जीवन और जीवन के क्रिया-कलाप का मूल्यांकन एक रोचक विषय हैं। लोगों को दलित भावना से मुक्ति दिलाना इनको विरासत में मिली थी। समय और काल के मुताबिक थे। अपनी विचार-धाराओं में पलते रहे। सुधारवाद के पथ पर चलने के लिए अपने आर्थिक साधन का उपयोग किया करते थे। कार्यक्षेत्र ऐतिहासिक एवं गौरवशाली रहा है। ये निश्चित रूप में पूर्व सुधारक, महान विभूतियों की उज्ज्वल परंपराओं के कुशल संवाहक के रूप में जन-मानस में छाये रहेंगे।

निष्कामी, कर्मयोगी, धर्मनिरपेक्ष और मानवोचित्त गुणों से सुसंपन्न महापुरुष श्रद्धेय रामलखन गुप्त जी का विकल्प हमारे समाज में नहीं है।

पार्टी में अपनी कर्मठता एवं अच्छे विचारों के कारण ये सांसद भी चुने गये। संसद-भवन में इनकी आवाज को सभी दलों के सांसदों ने हमेशा हृदय से सराहा। सांसद के रूप में इनका कार्यकाल काफी

ऐतिहासिक एवं गौरवशाली रहा है। जीवन के अंतिम क्षण तक ये नदी की धारा की तरह बिना थके, बिना रुके चलते रहे। आज ये हमारे बीच नहीं हैं, परंतु ये सदा याद किये जाते रहेंगे। ईश्वर इनकी आत्मा को पूर्ण शांति प्रदान करे।

खुशी हो रही है, स्मति -ग्रंथ का प्रकाशन हो रहा है। इसके सफल प्रकाशन के लिए अपनी एवं अपने समाज की ओर से हार्दिक शुभकामना के साथ मंगलकामना करता हूँ। लौहपुरुष रामलखन गुप्त स्मति -ग्रंथ के प्रकाशन द्वारा उनके सत्कर्मों का अनुशीलन होगा और दिवंगत जननायक के मधुर-सपनों को साकार करने में हम अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। अंत में श्री राजेश को ढेर-सा आशीर्वाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ इस पुनीत कार्य के लिए।

अंतिम भेंट

मंजु साह

नये साल का शुभारम्भ इस बार कुछ ऐसा हुआ जो जीवन की यादगार बनकर रह गई। छः जनवरी का दिन था। ठंढ अपनी चरम सीमा पर थी। इस साल जाड़े में छः जनवरी को शायद सबसे कम तापक्रम रहा होगा। साथ ही साथ जाड़े में अगर बारिश हो जाए तो वो शरीर की हड्डियों को छू जाती है। ऐसी ही ठंढ और बारिश छः जनवरी 1985 को थी। मैं मुंगेर से सिंदरी आने वाली थी। पिताजी के साथ अक्सर मैं पटना तक आती और वहाँ से फिर सिंदरी आ जाती। मुझे क्या मालूम था कि पिताजी के साथ यह मेरी अंतिम यात्रा होगी। मैंने उन्हें काफी मना किया कि इस ठंढक में वे पटना न जाएँ पर उन्होंने नहीं माना। अंत में हमलोग एक साथ पटना आये। स्टेशन पर ही सब लोग साथ खाना खाये। किसे मालूम था कि यह अंतिम भेंट मेरे लिए यादों की दास्तां बनकर रह जायेगी।

इतनी ठंढ के बावजूद उस दिन ट्रेन में काफी भीड़ थी। किसी तरह हमलोग ट्रेन में चढ़ गए पर आधी सफर खड़े ही रहना पड़ा था। मुझे अपनी तथा बच्चों की चिंता नहीं थी पर पिताजी की चिंता हो रही थी कि वे इस भीड़ में किस तरह खड़े होंगे। आधा सफर खत्म होने के बाद हमलोगों को बैठने की जगह मिली। तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया यह याद मैं आजीवन कैसे भुला पाऊँगी। हमेशा की तरह पिताजी ने मुझे विदाई दी। कपड़े, कपड़ों की सिलाई, ट्रेन के टिकट और रास्ते के खर्च के पैसे सभी उन्होंने हमेशा की तरह मुझे दिये। मैं उस समय इसका महत्त्व नहीं समझ पाई थी पर मुझे क्या पता था कि यही छोटी-छोटी बातें जिंदगी में न मिटने वाली यादें बन जाती हैं।

इतना प्यार और स्नेह अब उस परम पूज्य पिता का कहाँ मिलेगा जिन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। अब यही कामना है कि उनका आशीर्वाद हमलोगों के साथ रहे और जन्म-जन्मान्तर यह संबंध बना रहे।

आदर्शों के प्रतीक एक संतुलित असामान्य व्यक्तित्व

बलराम प्रसाद

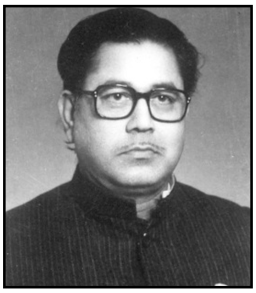

सामान्यतः सभी के जीवन का लक्ष्य सुख-शांति एवं सफलता की प्राप्ति है। व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य बाल्यकाल से छोटे-बड़े आयामों में बनता व बदलता रहता है। परंतु कतिपय असामान्य व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन का लक्ष्य **'सर्वजन हिताय तथा सर्वजन सुखाय'** निर्धारित करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे स्वर्गीय रामलखन प्रसाद गुप्त, जिन्हें हम बार-बार याद करते हैं तथा अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, उनके बताये मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं।

सफलता सबको प्रिय है। व्यक्ति कार्य करता ही है सफलता को सामने रखकर। सफलता पाने के लिए एकता, एकाग्रता, परिश्रम, दढ़ता एवं मनोबल के साथ भाग्यबल भी आवश्यक है। परंतु सफलता का सबसे महत्त्वपूर्ण सूत्र है—'संतुलन'। एक संत ने व्यावहारिक मर्यादा की धारणा बताई है—खाओ-पीओ —चखो मत, लियो-दियो—रखो मत, हालो-चालो—थको मत, बोलो-चालो—बको मत। शारीरिक मानसिक, सामाजिक, प्राकतिक एवं अध्यात्मिक संतुलन रखकर ही जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। रामलखन बाबू ने अपनी पारिवारिक परंपरा तथा अपने संस्कारों के कारण ही दलित, पीड़ित एवं शोषित समाज एवं सामान्य व्यवसायी वर्ग के नैतिक तथा भौतिक उत्थान का संकल्प किया। इस संकल्प को मूर्तरूप देने में उनका जीवन समर्पित रहा और समाज में प्रतिष्ठित हुए। निश्चित ही सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय, निंदा-स्तुति जैसी परिस्थितियों में संतुलन रखना उनकी विशेषता रही, जिसने उन्हें एकरस स्थिति प्रदान की और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहे।

कर्मयोगी तथा मनस्वी रामलखन प्रसाद गुप्त का जन्म एक संवेदनशील तथा धर्मविष्णु, मध्यवर्गीय वैश्य परिवार में गंगा माता के तट पर अविस्थत साहेबपुर कमाल (जिला बेगूसराय) के बिंद टोली (छर्रापट्टी) गांव में 2 सितम्बर, 1926 को हुआ। उनका शैशवकाल पिताश्री तनुकलाल साह के संरक्षण तथा मार्गदर्शन में पल्लवित तथा पुष्पित हुआ। बचपन तथा छात्र जीवन में ही राष्ट्र प्रेम तथा भारतमाता को अंग्रेजों की दासता से मुक्ति दिलाने की लालसा उनके मन-मस्तिष्क में जड़ जमा चुकी थी और वे स्वतंत्रता संग्राम या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, अपनी सक्रिय भूमिका से जनमानस पर अपने नेतत्व का सिक्का जमाया। इस राजनीतिक तथा सामाजिक उथल-पुथल के मध्य ही उन्होंने एम.ए., बी.एल. की उच्च शिक्षा प्राप्त की। मुंगेर व्यवहार न्यायालय में वकालत भी प्रारंभ की, परंतु विधाता ने इनके लिए तो एक दूसरा ही क्षेत्र चुना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इनका कार्यक्षेत्र था—समाज के विभिन्न उपेक्षित वर्गों को संगठित करना तथा उन्हें आर्थिक दासता, भूख, भय, भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक शोषण से मुक्ति दिलाना। जनसंघ (आज की भारतीय

जनता पार्टी) के एक अनुशासित योद्धा के रूप में पार्टी के उच्च पदों पर रहते हुए रामलखन बाबू बिहार विधान परिषद तथा कालांतर में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। अपनी निडर स्पष्टवादिता से इन्होंने लोकतंत्रीय मर्यादाओं की रक्षा की तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का स्नेह तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। पार्षद तथा सांसद दोनों भूमिकाओं में उनके सक्रिय तथा सकारात्मक सहयोग ने इन्हें सब का प्रियपात्र बना दिया। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ के नेतत्व में भारतीय संसद के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में इन्होंने विभिन्न देशों यथा रूमानियां, रूस, इटली, फ्रांस, कुवैत, इग्लैंड आदि का भ्रमण किया तथा स्थानीय राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को जानने-समझने का प्रयास किया।

1942 की अगस्त क्रांति तथा आवश्यक वस्तुओं की अप्रत्याशित मूल्यवद्धि के विरोध में सक्रिय तथा देश में आपातकाल लागू होने पर जुलाई 1975 ई. से फरवरी 1977 तक लगातार 19 माह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (मीसा) के अंतर्गत फुलवारीशरीफ कैंप में जेल में नजरबंदी भी इनका मनोबल नहीं तोड़ सकी और वे अपने जीवन में आदर्शों के प्रति समर्पित रहे। जेल यात्रा हो या सामाजिक कार्य, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरला गुप्त इनकी प्रेरणा-शक्ति रहीं तथा सहधर्मिणी की भूमिका श्रद्धा एवं निष्ठापूर्वक निभाती रहीं।

बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ की स्थापना तथा इसके मुख-पत्र **'व्यवसायी संघ संदेश'** जिसके वे संस्थापक अध्यक्ष तथा संपादक रहे, के माध्यम से रामलखन बाबू का संघर्ष अन्याय, अत्याचार, निरंकुशता तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीवनपर्यन्त जारी रहा। उन्होंने अपनी जीवन लीला अल्पायु में ही 28 जनवरी 1985 को समाप्त की। परंतु आस्था तथा विश्वास की किरणें आज भी वैश्य समाज तथा व्यवसायी वर्ग को निरंतर नई ऊर्जा तथा स्फूर्ति दे रही हैं।

उनकी 79 वीं जन्म जयंती पर हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं और उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प दुहरा रहे हैं। इस भौतिकवादी युग में, बढ़ती गलाकाट स्पर्धा में, रातोंरात कुबेरपति बनने की धुन में व्यक्ति अशांत, परेशान, हताश, निराश और उदास दीखता है। मन-इच्छित सफलता सबको मिले, असफलता कभी हो ही नहीं, हर बार जीत ही हो, हार तो हो ही नहीं—ऐसा सोचना भी प्रकति के नियमों के विरुद्ध है। परंतु जीवन को अनुशासित रखते हुए संतुलित रहनेवाला ही सफलता प्राप्त कर सकता है।

जीवन में सुख-दुःख, आशा-निराशा, रात-दिन होना तो प्रकति का शाश्वत क्रम है। अपने महाकाव्य 'साकेत' में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है—

कमल तुम्हारा दिन है, और कुमुद यामिनी तुम्हारी है।
कोई हताश क्यों हो, आती सबकी समान बारी है।।
धन्य कमल, दिन जिसके धन्य कुमुद, रात साथ में जिसके।
दिन और रात दोनों होते हैं, हाय! हाथ में किसके।।

रामलखन बाबू ने दिन और रात, सुख-दुःख तथा जीवन में आते उतार-चढ़ाव को मुस्कुराते हुए झेला तथा आनेवाली पीढ़ी का प्रत्येक अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक संतुलन बनाये रखकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने का संदेश दे गये। कर्म और योग का संतुलन, साधना एवं साधनों में संतुलन, लौकिक एवं

अलौकिक में संतुलन, कथनी-करनी में, भावना-विवेक में, प्रेम-नियम में, स्वास्थ्य एवं सेवा में संतुलन निश्चित ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं, ऐसा रामलखन बाबू का दढ़ विश्वास था।

पुनश्च—

हमारी उनकी पहली मुलाकात आज से चालीस वर्ष पूर्व हुई थी। स्वजातीय को राजनैतिक जागरुकता प्रदान करने हेतु उन्होंने पटनासिटी हमारे आवास पर आकर एक बैठक बुलाने का आग्रह किया। तदनुसार बैठक बुलाई गई। उन्होंने राजनैतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक चेतना जगाने हेतु एक शानदार-जानदार भाषण किया। बैठक में आये सभी लोगों ने अनुभव किया कि इस व्यक्ति में लोगों को सामाजिक, राजनैतिक एवं बौद्धिक जागति जगाने की ललक है।

उनमें व्यवसायियों में एक जागति लाने की ललक साफ दिखाई पड़ती थी। उस वक्त व्यवसायियों पर सरकार का दमनचक्र चल रहा था। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् व्यवसायियों पर अनेकों प्रकार के जुल्म ढाये जा रहे थे। उनका हृदय तत्कालीन सरकार के इस कठोर कदम से द्रवित था। उन्होंने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम **बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ** रखा जो पूर्व में जिला स्तर पर ही अपना कार्य कर रहा था।

उन्होंने इस संस्था को व्यापक स्वरूप देना चाहा और एक राज्यस्तरीय अधिवेशन करने का निर्णय लिया। उक्त निर्णय के आलोक में एक स्मारिका निकालने की बात बताई और उस स्मारिका के संयोजन का भार हमें दिया और प्रकाशन का भार हम पर सौंप कर वे अपने आपको भारमुक्त अनुभव करने लगे। हमने इस स्मारिका का संपादन का भार प्रो. श्यामनंदन शास्त्री 'हंसराज' को दिया और उनका सहयोग प्राप्त कर अधिवेशन के पूर्व स्मारिका का प्रकाशन हो गया जिसका विमोचन उक्त अधिवेशन में किया गया। स्मारिका के लेख, गेटअप, प्रिंटिंग देखकर वे बहुत ही खुश नजर आये।

अधिवेशन के पश्चात् उक्त संस्था की कार्य समिति का चुनाव किया गया और महामंत्री का भार हमारे कमजोर कंधों पर देकर अपने कार्यभार से वे हल्का महसूस करने लगे। हमसे पूर्व श्री रामनारायण प्रसाद, एम.कॉम., बी.एल. इस संस्था के महामंत्री थे जिन्हें उपाध्यक्ष के पद पर आसीन किया गया।

सन् 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई। चूंकि रामलखन गुप्त उस उक्त प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे थे, अतएव उन पर भी आफत के बादल मँडराने लगे।

संयोग ऐसा था कि उनका बड़ा पुत्र मेडिकल में पढ़ रहा था और नालंदा मेडिकल कॉलेज का छात्र था। शादी योग्य था। मेरी बड़ी पुत्री भी स्नातक कर चुकी थी। व्यवसायी संघ के कई सदस्यों के विचार पर श्री गुप्त ने हमारी कन्या से शादी की बात मंजूर कर ली। हमारे आग्रह पर वे हमारे आवास पर आये और उसी दिन संबंध तय कर सगाई कर डाली। यह हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात थी। रिश्ता तय होने के कुछ ही दिनों बाद वे मीसा के अंतर्गत फुलवारीशरीफ कैंप के जेल में डाल दिये गये। उनके जेल जाने के बाद व्यवसायी संघ कार्यालय पर आफत आ गिरा। **'व्यवसायी संघ संदेश'** जो मासिक पत्रिका व्यवसायी संघ द्वारा प्रकाशित की जाती थी, उसपर सेंसरशिप लागू हो गया। चूंकि मेरे संरक्षण में पत्रिका निकाली जा रही थी, अतः मीसा

के भय से मैं भी घबड़ाया हुआ था। मैं प्रत्येक सप्ताह उनसे फुलवारीशरीफ जेल जाकर मिलता रहता था और व्यवसायी संघ के क्रियाकलापों से अवगत कराता रहता था। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि आप पर भी मीसा लागू करने हेतु प्रक्रिया चालू है। आप पर ऐसा सरकारी आरोप है कि आप व्यवसायी संघ के Financer हैं। मैं जेल से ही इस संबंध में जिलाधिकारी से बातें कर रहा हूँ। यदि आप को जाना पड़े तो फुलवारीशरीफ कैंप जेल में ही आने का प्रयास करें। चूंकि आप आयकर दाता हैं, अतः आपको यह सहूलियत प्राप्त होगी।

मुझे डी.आई.आर. के अंतर्गत एक सम्माननीय व्यक्ति का जो पेरोल पर राजस्थान अपने घर जाने वाले थे, उनकी जमानत गुप्त जी के आदेश पर लेनी पड़ी। उस समय जमानतदार कोई होता नहीं था। सभी भय से ग्रसित रहते थे, पर गुप्त जी एक आदर्श व्यक्ति थे। उन्होंने अपने निज की स्थिति का भान किया तो लगा बलराम बाबू और देवेन्द्र बाबू के अतिरिक्त दूसरा जमानतदार मिलना मुश्किल है, तो उनका आदेश आया और हम दोनों ने उनका जमानती-फॉर्म भरा।

जमानत लेकर जब वे अपने घर राजस्थान की ओर चले तो ट्रेन से ही धन्यवाद का पत्र पोस्टकार्ड पर लिखकर हम दोनों व्यक्तियों को भेजा। संयोगवश वह पत्र सेंसर हो गया और इंस्पेक्टर उस पत्र को साथ लेकर मेरे व्यापार-परिसर में आया। संयोग ऐसा था कि हम दोनों व्यक्ति अपने व्यापार-परिसर में बैठे थे। वे आकर कहने लगे कि आप दोनों व्यक्तियों पर मीसा में बंद करने की प्रक्रिया के अंतर्गत मैं जांच में आया हूँ। आपका संबंध है, तभी आपने डी.आई.आर के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत ली है। मैंने स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि चूंकि मेरी बच्ची की शादी उनके बच्चे से तय है, अतः विशेष परिस्थितिवश भी जमानत लेना ही था और हमने उनकी जमानत ली।

एक ऐसी स्थिति से भी गुजरना पड़ा जब गुप्त जी ने हमसे कहा कि मैं मीसा के अंतर्गत हूँ। कब बाहर आ पाऊँगा, कहा नहीं जा सकता। आप मेरे बगैर भी शादी की तैयारी करें। हमारे परिवार के अन्य सदस्य तथा संबंधी जाकर इस रस्म को पूरी कर लेंगे। मैंने उनसे साफ-साफ कह दिया कि आपकी गैरहाजिरी में यह संबंध नहीं किया जा सकता है। जब तक आप समधी बनकर मेरे द्वार पर नहीं आयेंगे, मैं कतई तैयार नहीं हो सकता।

विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि गुप्त जी को पैरोल पर कुछ दिनों के लिए लाया जाय। हमने बगैर उनकी जानकारी के पेरोल के लिए कागज भर दिया। जब पेरोल की बात की जानकारी गुप्त जी को मिली तो उन्होंने तुरंत हमें मिलने के लिए कहा। मैं जाकर मिला।

उन्होंने हमें एक पुरानी सच्ची कहानी सुनाई। बलराम बाबू! ये बातें आजादी के पूर्व की हैं। श्रीमती कमला नेहरू क्षय रोग से ग्रसित थीं। इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनका इलाज करवाया जा रहा था। उधर पंडित जवाहर लाल नेहरू जी जेल के अंदर बंद थे। कमला नेहरू की स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही थी। ब्रिटिश सरकार को यह समझ में नहीं आया कि यदि कमला नेहरू के साथ अनहोनी घटना घट जाये तो भारत की जनता माफ नहीं करेगी। अतः तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने पंडित

नेहरू को बगैर उनकी जानकारी के लंदन के लिए रवाना कर दिया। पंडित नेहरू शायद यह सोच रहे थे कि हमें किसी अन्य जेल में भेजा जा रहा है। जब उन्हें पुलिस संरक्षण में कमला नेहरू के पास पहुँचाया गया तो वे हतप्रभ रह गये। कमला नेहरू की स्थिति बदतर हो चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने पंडित नेहरू की ओर देखा तो हठात् बोली—"आप ब्रिटिश सरकार के सामने सर झुका कर अपनी बीमार पत्नी से मिलने चले आये। भारत की जनता तो माफ करे ना करे, मैं तो आपको माफ नहीं कर सकती।"

इस उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए हमें सुझाया कि आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए यह बड़े ही शर्म की बात है। गुप्त जी पुनः सात दिनों के अंदर जेल चले गये।

स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त सादगी और आदर्श की प्रतिमूर्ति, मिथ्याभिमान से परे सच्चे कर्मयोगी थे। तपस्वी जीवन गुजार कार्यकर्त्ताओं के प्रेरणापुंज बन ममता और अनुशासन का संगम एक आदर्श का अनुकरणीय जीवन जिया। एक आदर्श सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्त्ता रह उन्नीस बार जेल की यात्रा की। पार्टी एवं राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पित रह सभी राजनैतिक पार्टियों से समसद्भाव की भावना से प्रेरित एक सफल संगठनकर्त्ता के रूप में उभरे। उनके जीवन का हर पल संगठन के लिए समर्पित था। कार्यकर्त्ताओं को वात्सल्य जैसा प्रेम प्रदान करना उनकी सहज स्वाभाविकता थी। उनका व्यक्तित्व और कतित्व मेरे लिए प्रेरणापुंज एवं उनका हर शब्द और काम मेरे लिए मार्गदर्शन रहा है। वैसे तपस्वी महामानव को मैं स्नेहिल श्रद्धासुमन समर्पित करता हूँ।

Caste system is not so bad as casteism. The present society of our country suffers from casteism and I think Bihar is the first among all the states. Casteism is one of the main causes of most of the present evils. To illustrate-casteism was never so powerful a force in the decision concerning appointments and postings to key offices as it is at present. Take any institutions and look at the caste structures of the appointments and postings made there in, and you would be stunned to note that the dominant castes among the so called forward and backward classes of society have had their respective shares with vengeance so far unknown in the annals of this state. The crazy logic of this decision pattern has been that not the fittest person in any dominant caste was chosen to fill up a crucial post but instead the person who was fortunate was invariably one of the average calibre but enjoyed the confidence of the patron minister or a political leader. It was expected that he would remain loyal to his patron and try his utmost to induct as many of his caste-men in his own institutions so that the creed grows by a certain multiplication. The patrons cleanly forgot that such decisions did not conduce to the general good of the state and entailed frustrations of great severity. The end result was that the truely forwards among the forward remained forward and the truely backwards among the backward remianed backward.

– R.L.P. Gupta

अजातशत्रु गुप्तजी का एक यज्ञमय जीवन

केशव कुमार सोनी

दो सितंबर। हमारे स्मति पटल पर अनायास ही उमड़ आती है एक सौम्य छवि, एक भारत माता के अनन्य सपूत रामलखन प्रसाद गुप्त की, जो एक कर्मयोगी के साथ ही अजातशत्रु भी थे। गुप्त जी ने बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ तथा 'व्यवसायी संघ संदेश' के रूप में जो ज्योति प्रज्वलित की, वह आज भी वैश्य समाज तथा व्यवसायी वर्ग का मार्ग आलोकित कर रही है। समाज तथा विभिन्न व्यवसाय से जुड़े लोगों को एकजुट कर, हीनता की भावना से मुक्ति दिला, उन्हें समाज के सम्मानित, महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में प्रतिष्ठित करने का संघर्ष अभी भी जारी है जिसके सूत्रधार और प्रेरणास्रोत रहे रामलखन बाबू जो अपने सिद्धांतों पर उस समुद्र की चट्टान की तरह अडिग रहे जो उत्ताल लहरों के थपेड़े मुस्कुराते हुए सहन करते थे। जीवन के संघर्ष, झंझावात, रोध और प्रतिरोध उन्हें कभी विचलित नहीं कर सके। सैद्धांतिक विरोधियों के लिए उनके मन में कभी कलुष, रोष और विद्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। उनके सौम्य और स्पष्टवादी व्यक्तित्व ने उनके सामाजिक और राजनीतिक विरोधियों को सम्मोहित किया तथा वे उनके मित्र और प्रशंसक बन गये। शत्रु को भी मित्र बना लेना उनकी नैसर्गिक विशिष्टता थी और शायद इसी कारण उन्हें 'अजातशत्रु' के रूप में जाना-माना जाता था।

'संघर्ष ही जीवन है', उनका मूलमंत्र था। 'बहुजन हिताय', बहुजन सुखाय' निष्काम कर्म ही उन्हें प्रिय था। उनके कतिपय सहयोगी, स्वार्थ तथा सत्ता की विकत हो रही राजनीति के शतरंज के मोहरे बनकर रह गये, परंतु रामलखन बाबू बिना किसी राग-द्वेष के अपने निर्धारित लक्ष्य का मशाल उठाये, आगे बढ़ते रहे और प्रबुद्ध वर्ग उनके साथ चलता रहा। योगिराज श्रीकष्ण के गीता के संदेश, **'कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन'** को मानो गुप्त जी ने आत्मसात कर लिया था। उनका मानना था कि **'हमारी न सही, भावी पीढ़ी और मानवता के आदशों की रक्षा तो हो सकेगी।'**

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की काव्य-कल्पना के अनुरूप वे एक 'व्यक्ति' नहीं एक संस्था थे; एक 'अनल-कण' थे जिसकी ऊष्मा तथा ऊर्जा युवा पीढ़ी में नए उत्साह और उमंग का संचार कर रही है तथा समाज में नव-जागरण के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। अपने अधिकार तथा कर्तव्य के प्रति वे सजग हुए हैं और रामलखन बाबू की जलायी मशाल अनवरत जलती जा रही है।

बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी रामलखन प्रसाद गुप्त का अवतरण एक धर्मसहिष्णु, मध्यवर्गीय वैश्य परिवार में पतितपावनी गंगा के तट पर स्थित साहेबपुर कमाल (जिला बेगूसराय) के बिंद टोली (छर्रापट्टी) गांव में 2 सितम्बर, 1926 को हुआ था। इन्हें अपने पिताश्री तनुकलाल साह के संरक्षण तथा मार्गदर्शन में, मातभूमि, भारतीय संस्कति तथा समाजसेवा का समुचित प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के कर्मठ और अग्रिम

पंक्ति के सेनानी होने तथा प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने एम.ए., बी.एल. की उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1953 में वकालत प्रारंभ की तथा एक सफल एडवोकेट के रूप में प्रतिष्ठित हुए। परंतु नियति ने इन्हें भारतमाता तथा उसकी तिरस्कत तथा उपेक्षित संतानों की सेवा करना लिखा था। 1942 ई. की अगस्त क्रांति तथा 'भारत छोड़ो आंदोलन' की स्मतियाँ इन्हें बार-बार राजनीतिक गुलामी से मुक्ति परंतु आर्थिक एंव सामाजिक शोषण के शिकार समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा के लिए प्रेरित करती रहती थी। उन्होंने यह संघर्षपूर्ण चुनौती सहर्ष स्वीकार किया। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात भी इनका संघर्ष आर्थिक-दासता, भूख, भय तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीवनपर्यन्त जारी रहा। जनसंघ (आज की भारतीय जनता पार्टी) के एक अनुशासित योद्धा के रूप में बिहार विधान परिषद तथा बाद में राज्यसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। पार्षद तथा सांसद के रूप में इन्होंने संसदीय गरिमा को कभी भी धूमिल नहीं होने दिया तथा उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में हमेशा तत्पर रहे। सांसद के रूप में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ के नेतत्व में भारतीय संसाद प्रतिनिधिमंडल के साथ इन्हें विभिन्न देशों यथा रूमानिया, रूस, इटली, फ्रांस, कुवैत, इंग्लैंड आदि का भ्रमण करने तथा स्थानीय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं को जानने-समझने का सुअवसर प्राप्त हुआ।

इनकी स्पष्टवादिता, निर्भीकता तथा न्यायप्रियता के कारण ही इन्हें आवश्यक वस्तुओं की अप्रत्याशित मूल्यवद्धि के विरोध में सक्रिय संघर्ष के क्रम में कई बार सरकारी दमन का शिकार हो जेल यात्रा भी करनी पड़ी। लगभग 16 बार की जेल यात्रा तथा देश में आपातकाल लागू होने पर जुलाई 1975 ई. से फरवरी 1977 ई. तक लगातार 19 माह, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (मीसा) के अंतर्गत फुलवारीशरीफ कैंप जेल का प्रवास भी इनका मनोबल नहीं तोड़ सका। स्व. गुप्त जी का अन्याय, अत्याचार, निरंकुशता, तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा। व्यवसाय तथा व्यवसायी और उपभोक्ता विरोधी सरकारी नीतियों, प्रशासनतंत्र की हठधर्मिता, उत्पीड़न तथा भयादोहन के विरुद्ध इस लौह-पुरुष का संघर्ष निरंतर चलता रहा। बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ तथा इसके मुखपत्र **'व्यवसायी संघ संदेश'** के माध्यम से यह संघर्ष आज भी जारी है। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरला गुप्त भी इनकी प्रेरणाशक्ति के रूप में सर्वदा इन्हें प्रोत्साहित करती रहीं।

साहस, सर्जन और संवेदना की चिनगारियों को दावानल में बदल देने की सामर्थ्य रखते थे स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त। व्यवसाय से जुड़े लोगों को उनका सम्मान, गौरव तथा समाज में प्रतिष्ठा दिलाने को कतसंकल्प, रामलखन बाबू का मानना था कि समाज के लिए किया गया थोड़ा-सा प्रयास भी अंतरस्थ शक्ति को जागत कर देता है। दूसरों के प्रति थोड़ी सी भलाई का विचार भी हृदय में सिंह का बल संचारित कर देता है। अमतपुत्रों को मत्यु का डर नहीं सताता। पराजय की कभी उन्होंने चिंता नहीं की। उनकी अदम्य शक्ति तथा साहस उनको हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करती रही। उनकी वाणी आज भी युवा शक्ति का आह्वान कर रही है—

जीवन कर्म, सहज भीषण है,
उसका सब सुख, केवल क्षण है।

यद्यपि लक्ष्य, कठिन सुदूर है,
फिर भी संकल्प, सदा अविचल है।
अंधकार को चीर, अभय हो,
बढ़ो साहसी जग विजयी हो।'

एक सकारात्मक और सही दष्टिकोण, मन में सबके लिए सद्भावनाएँ, संयमपूर्ण सच्चरित्रता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, दूसरों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील तथा उनके निराकरण के लिए यथासंभव प्रयत्नशील रहना, स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त के कतिपय मानवीय गुण थे, जिनके लिए वे आज भी स्मरण किये जाते हैं। वे सर्वदा भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्त्तव्य पथ पर आरूढ़ रहे, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित नहीं होना उनके जीवन की विशेषता थी। इन्हीं सद्‌गुणों के कारण उनका संपूर्ण जीवन यज्ञमय बन गया था।

मनुष्य जीवन को सफल बना लेना ही सच्ची दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता थी। रामलखन बाबू अपनी मानसिक ऊर्जा का अपव्यय नहीं करते थे तथा अपनी आलोचनाओं से चिढ़ते नहीं थे। आत्मसम्मान संपन्न व्यक्ति न तो दूसरों पर दोषारोपण करता है और न अपने को अधिक शक्तिमान वस्तुओं से आच्छादित होने के बाद भी स्थितियों की अवहेलना करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह किसी परिस्थिति को जब वह उसके मनोनुकूल नहीं हो, सहज भाव से स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन रामलखन बाबू इस तथ्य से अवगत थे कि जहाँ स्वीकारोक्ति है, वहीं सफलता है। स्वीकार करने से परिस्थिति को समान करने का सहज उपाय मिल जाता है।

वैश्य समाज, विशेषकर व्यवसायीवर्ग में , बिखराव, परस्पर ईर्ष्या, द्वेष तथा कलह से वे सर्वदा चिंतित रहा करते थे। इस वर्ग को समाज में उनका आदर-सम्मान तथा अधिकार दिलाने का इन्होंने शुभ-संकल्प लिया। इस वर्ग को संगठित करने के उद्देश्य से ही बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ की स्थापना हुई तथा वे इसके संस्थापक अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

संस्था का मासिक मुख-पत्र **'व्यवसायी संघ संदेश'** का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। प्रतिरोध तथा प्रतिकूल परिस्थितियाँ, उन्हें अपने कर्म-मार्ग से डिगा नहीं सकीं। भारतीय संस्कति तथा सभ्यता से उनका परंपरागत लगाव था ही, अपने उद्देश्य तथा लक्ष्य की पूर्ति ने उन्हें राजनीतिज्ञ भी बना दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वे सदस्य बने तथा 1948 ई. में संस्था पर प्रतिबंध लगने के पश्चात उन्हें मुंगेर जेल में बंद कर दिया गया।

'हम भी दरिया हैं, हमें अपने हुनर मालूम हैं,
जिस तरफ भी चल पड़ेंगे, रास्ता मिल जायेगा।'

इसके बाद रामलखन बाबू ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। लोकनायक जयप्रकाश नारायाण द्वारा 1974 ई. में चलाये गये 'अवज्ञा आंदोलन' के क्रम में 'मीसा' कानून के अंतर्गत बिना कारण बताये जेल में बंद कर दिया गया। उस समय वे भारतीय जनसंघ (आज की भारतीय जनता पार्टी) के प्रांतीय अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे थे। देश में आपातकाल लागू होने पर वे जुलाई 1975 से फरवरी 1977 ई. तक लगातार 19 माह फुलवारीशरीफ कैंप जेल में बंद रखे गये। परतंत्र तथा स्वतंत्र भारत दोनों ही में उन्हें सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा। दर्जनों

राजनैतिक मुकदमों तथा जेल यातनाओं ने भी उनका मनोबल नहीं तोड़ा।

भारतीय जनसंघ तथा इसके भारतीय जनता पार्टी में विलय के क्रम में इन्होंने कई संगठनात्मक पदों को सुशोभित किया। प्रकारांतर में बिहार विधान परिषद तथा नई दिल्ली में राज्यसभा के सदस्य भी बने। इसके अतिरिक्त कई सार्वजनिक संस्थाओं, यथा श्रीदुर्गा संस्था, गोरक्षा समिति, गोशाला, अनाथालय, रामकष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ आदि से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय रहा। मजदूर तथा कषि मजदूर आंदालनों में उनकी सक्रिय भूमिका रही तथा जीवन के अंतिम क्षणों तक बीमा कर्मचारी राष्ट्रीय संगठन, अखिल भारतीय तैलिक वैश्य महासभा, अखिल भारतीय वैश्य महासभा, बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ तथा पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय संगठन के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन रहे। स्वं. गुप्त बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के निदेशक मंडल में भी सदस्य थे। बिहार विधान परिषद् के सदस्य रहने के बाद 1978 ई. में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। विधान पार्षद तथा राज्यसभा सदस्य के रूप में इनकी सकारात्मक तथा दलित और पीड़ित मानवता के उन्नयन के लिए इनकी निष्पक्ष भूमिका की सराहना विपक्षी दलों के सदस्य भी मुक्तकंठ से करते थे।

चिरयुक्त इस अनन्य भारतमाता के सपूत का निधन अल्पायु में ही 28 जनवरी 1985 ई. को हो गया। इनके यज्ञमय जीवन का अंत भले ही हो गया हो, युवा शक्ति के प्रेरणास्तंभ पर उनके द्वारा प्रज्वलित मशाल सर्वदा—आगे, आगे बढ़े चलो, अनंत शक्ति, असीम उत्साह, साहस और धैर्य के साथ अपनी धवल ज्योति किरणों से युवा पीढ़ी के मार्ग को आलोकित करती रही है, रहेगी भी।

मार्गदर्शक व्यक्तित्व

अश्विनी कुमार, भूतपूर्व सांसद

उनसे मेरा प्रथम परिचय 1965 में जब मैं भारतीय जनसंघ का बिहार प्रदेश का संगठन मंत्री होकर श्रीमान् नानाजी देशमुख के साथ मुंगेर गया तो हुआ। उस समय से लेकर उनके अंतिम समय तक उनके सहयोग से राजनीति में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनसे इतना आत्मीय संबंध स्थापित हो गया था कि मुंगेर जाने पर उनका घर अपना घर लगता रहा है। अपनी वकालत करते हुए भी वह जिले एवं प्रदेश में पार्टी के काम के लिए सदैव समय देने को तैयार रहते थे और काम करते थे। प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य से लेकर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से निभाई। वकालत तथा राजनीति के साथ-साथ उनका समय बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ तथा अध्ययन में लगता था। वे जिस काम को हाथ में लेते बड़ी लगन तन्मयता एवं अध्ययन के साथ करते हुए यश प्राप्त करते। विधान परिषद् एवं राज्यसभा में उनके भाषण अनेक विषयों पर उनके गंभीर अध्ययन के परिचायक हैं। संसद की विभिन्न समितियों में भी उनका योगदान महत्त्वपूर्ण होता रहा है। उनके आकस्मिक निधन से मुंगेर तथा बिहार की राजनीति में एक रिक्तता आ गयी है जो सहज पूरी होना संभव नहीं है। उनका जीवन बहुमुखी प्रतिभा का जीवन रहा जिससे आनेवाली पीढ़ी को विशेष मार्ग-दर्शन प्राप्त होगा।

हर दिल अज़ीज

शिवनन्दन प्रसाद

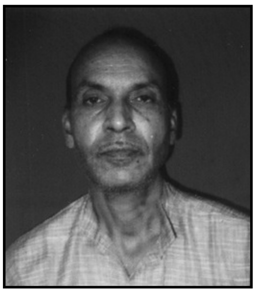

प्रखर सांसद, ओजस्वी वक्ता, प्रख्यात विधिवेत्ता एवं बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के संस्थापक अध्यक्ष स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त की संगठन शक्ति, कार्यशैली, यथार्थवादी सोच एवं आत्मीय व्यवहार से उनके संपर्क में आनेवाला बिरले ही कोई व्यक्ति ऐसा हो, जो प्रभावित नहीं हुआ हो। वे हमारे प्रेरणास्रोत हैं एवं उन्होंने जो दिशा दी है, वह आज भी हमें मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है तथा हमें सतत् आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। स्व. गुप्त जी ने अनेकों, सामाजिक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं से संबद्ध रहते हुए समाज को उल्लेखनीय सेवाएँ प्रदान कीं। वे जिस किसी भी संस्था से जुड़े उसे सदैव गतिशील बनाये रखा। वे हमेशा कहा करते थे—व्यक्ति नहीं संस्था सर्वोपरि होती है और संस्था के हित में किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि सन् 1975 के आपातकाल में जब अनगिनत संस्थाएँ बंद हो गयीं, उसके कार्यालय में ताला जड़ दिये गये तथा देश के बड़े-बड़े राजनेताओं को जेल के सीखचों में बंद कर दिया गया उस समय स्व. गुप्त जी तत्कालीन जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें भी 'मीसा' के तहत फुलवारीशरीफ जेल में नजरबंद कर दिया गया। उस वक्त बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के भविष्य की कल्पना से विस्मित एवं चिंतित मन से जब मैं उनसे फुलवारीशरीफ जेल में मिलने गया तो उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के संस्था एवं समाज के व्यापक हितों को दष्टिगत रखते हुए हमें निर्देश दिया कि बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के क्रियाकलापों में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी एवं 'व्यवसायी संघ संदेश' का नियमित प्रकाशन जारी रहेगा। उस वक्त कोई भी प्रकाश्य सामग्री बगैर सेंसर ऑफिस से पास कराये प्रकाशित नहीं किया जाता था। मैं आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा, जब देश में विपक्ष के सारे राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जिस संस्था का अध्यक्ष तत्कालीन प्रमुख विपक्षी पार्टी प्रदेश जनसंघ का भी अध्यक्ष हो भला उस संस्था का संचालन कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने मेरी शंकाओं को दूर करते हुए हमें निर्देश दिया कि बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया जाय।

क्योंकि मुझे जनसंघ पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते गिरफ्तार किया गया है तथा मैं उस पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से राजनीति करता हूँ। बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ गैर-राजनीतिक संगठन है तथा मैं व्यवसायी संघ का भी अध्यक्ष हूँ, अतः समाज के हित में सरकार की नीतियों का समर्थन करने में कोई बुराई नहीं है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर आपातकाल में भी बिहार राज्य खाद्यान्न

व्यवसायी संघ निर्बाध गति से चलता रहा। जिस किसी भी संस्था से वे संबद्ध थे, कहीं भी राजनीतिक बू नहीं आने दी। वे समाज के प्रबुद्ध जनों को राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सदैव प्रेरित करते थे। साथ ही कहा करते थे कि आप राजनीति में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेना होगा। समाज के कमजोर वर्ग में दुःख-दर्द को महसूस करना होगा। वे अपने बंधुओं से सदैव कहा करते थे कि आप किसी भी क्षेत्र से आते हों, किसी भी दल से जुड़े हों, कोई बात नहीं है। आप जहाँ भी रहें अपने मान-सम्मान की रक्षा एवं अपनी स्थिति को सुदढ़ बनाएँ तथा हम जब भी किसी सामाजिक संगठनों के मंच पर एक जगह समाज के हित में विचार करने के लिए एकत्रित हों, वहाँ हम सभी भेदभाव को भूलकर तथा दल विशेष से ऊपर समाज के हित में सोचें।

स्व. गुप्त जी के संपर्क में किसी भी राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठनों के जो भी व्यक्ति आये उनसे उन्होंने बगैर छोटे-बड़े का ख्याल किये सदैव आत्मीय व्यवहार एवं सम्मान किया करते थे तथा हर व्यक्ति को ऐसा महसूस होता था कि मुझसे निकटतम एवं आत्मीय व्यक्ति गुप्त जी का कोई और नहीं। किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता उनमें थी। ऐसा कोई दिन नहीं होता, जिस दिन वे अपने हाथ से 10-20 पोस्टकार्ड अपने शुभचिंतकों एवं परिजनों को नहीं लिखते थे, भले ही वे यात्रा के क्रम में रेलगाड़ी में क्यों न बैठे हों।

गुप्त जी हमारे बीच आज नहीं हैं। उनकी विलक्षण प्रतिभा, उच्च विचार एवं यथार्थवादी सोच पर आधारित एक-एक बात हमें सदैव आलोकित कर रही है तथा उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

मैं अपनी सोच, समझ एवं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैंने जो कुछ गुप्त जी के क्रियाकलापों एवं व्यवहार में देखा एवं महसूस किया उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती है। ऐसे महामानव स्व. गुप्त जी को मेरा शत्-शत् नमन।

श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे चिल्लाते हैं
माँ की हड्डी से चिपक-चिपक जाड़े की रात बिताते हैं
मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी-सा द्रव्य बहाते हैं
युवती की लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाने जाते हैं

पापी महलों का अहंकार तब देता मुझको आमंत्रण।

—रामलखन प्रसाद गुप्त के प्रिय कवि 'दिनकर' का
एक कवितांश जो इनमें सामाजिक विसंगतियों के विरुद्ध चेतना भरता था।

चिरस्मरणीय हैं रामलखन बाबू

नवल किशोर अग्रवाल

बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के संस्थापक अध्यक्ष स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त, पूर्व सांसद की 79वीं जन्म-जयंती सह व्यापारियों का सम्मेलन के अवसर पर स्मारिका प्रकाशित की जा रही है, जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। मैं स्मारिका प्रकाशन एवं उसकी उपयोगिता की शुभकामना करता हूँ।

जहाँ तक स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त के व्यक्तित्व एवं कतित्व का प्रश्न है, मैं चंद शब्दों में अपनी भावना को व्यक्त कर रहा हूँ। मैं प्रारंभ में स्व. गुप्त जी को एक अधिवक्ता के रूप में जानता था लेकिन बहुत ही कम समय के अंतराल में मैंने महसूस किया कि उनमें समाज के प्रति एवं सामाजिक क्रियाकलापों से जुड़े लोगों के प्रति अच्छे भाव और विचार तथा असीम स्नेह की भावना थी। समाज का उत्थान हो एवं सभी वर्ग के लोग सुख और शांति से रहें इसके लिए वे हमेशा प्रयत्नशील व आकांक्षी रहते थे । मुझे वे पुत्रवत स्नेह व प्यार देते थे तथा मैं उन्हें न सिर्फ अपना शुभचिंतक, बल्कि अभिभावक मानता था। उनकी योग्यता, क्षमता एवं लोकप्रियता की चर्चाएँ सर्वत्र आदर के साथ की जाती थीं।

उन्होंने एक ओर जहाँ एक प्रखर सांसद, ओजस्वी वक्ता एवं लोकप्रिय समाजसेवी के रूप में ख्याति अर्जित की वहीं दूसरी ओर संयुक्त बिहार में वकीलों की सबसे बड़ी संस्था बिहार स्टेट बार काउन्सिल की सदस्यता हासिल कर वकालत-सेवा से जुड़े और समाज में गौरव हासिल किया। उनकी लोकप्रियता राजनीति, वकालत एवं समाजसेवा तीनों क्षेत्रों में थी, जो सर्वविदित है। समाज ने उन्हें बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के अध्यक्ष पद पर आसीन किया था और यह गौरव का विषय है कि वे लगभग 18 वर्षों तक यानी मत्युपर्यन्त अध्यक्ष पद को सुशोभित करते रहे। समाज उनके लिए था और वे समाज के लिए थे। प्रत्येक व्यक्ति उन्हें अपना शुभचिंतक व अभिभावक मानता था। उनके संरक्षण एवं देखरेख में समाज के लोग अपने को हमेशा निश्चिंत एवं सुरक्षित समझते थे।

राजनीति में भी उनकी अच्छी पैठ एवं इज्जत थी। उन्होंने अपने संघर्षरत व्यक्तित्व एवं विवेक के कारण राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनायी तथा दो बार बिहार विधान परिषद् एवं एक बार राज्यसभा के सदस्य बने। मैं यह महसूस करता हूँ कि यदि भगवान उन्हें हम लोगों के बीच कुछ और दिनों के लिए छोड़ देते तो समाज के लिए और अच्छा होता। परंतु अच्छे और सच्चे लोगों की आवश्कता, जैसा कि सुनते हैं, भगवान को भी होती है। अतएव वे इस तरह के लोगों को अपने पास रखना पसंद करते हैं और मात्र 60 वर्ष की उम्र में ही उन्हें हमसे जुदा कर दिया गया। मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा तथा समाज के लिए वे चिरस्मरणीय रहेंगे। वे जहाँ भी हों हमलोगों का मार्गदशर्न करते रहें तथा हमलोग उनके द्वारा दर्शाये गये कार्यकलापों को आगे बढ़ाते रहें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके।

हमारा वह अप्रतिम पुरुष

कष्ण मुरारी ठाकुर

लीलाधारी प्रभु संक्रमण काल में धर्म संस्थापन एवं कंटकाकीर्ण मार्ग के प्रशस्तीकरण हेतु समयोचित विभिन्न शरीर धारण कर इस धराधाम पर आते हैं, जिसे 'अवतार' (Incarnation) की संज्ञा दी जाती है। कभी-कभी वे अपना अंश प्राणी विशेष को देकर कार्य साधन करवाते हैं।

व्यवसायियों के लिए बड़ा ही दुर्दिन आ पड़ा था। 'कषिगौरक्ष्य वाणिज्यम' में लीन जो कि उनका योग साधन "स्वे-स्वे कर्मण्य भिरतः संसिद्धि लभते नराः" तथा "योगः कर्मसु कौशलम्" ("अपने-अपने कर्मों में तल्लीनता से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है" तथा "कर्म में कुशलता ही योग है") थे, पिसे जाने लगे। सरकार की अव्यावहारिक एवं अनर्गल अधिनियम सुरसा की भाँति निर्दोष व्यापारियों को भी ग्रास बनाने लगी। सर्वत्र हाहाकार एवं गहन अंधकार व्याप्त था।

अकस्मात् दिग-दिगन्त में व्याप्त तिमिरतोम विध्वंस हुआ, ऊषा की अंगड़ाइयों के साथ प्रत्यूष का अवतरण हुआ—1926 को। 'प्रसाद' वाणीव संपूर्ण लोक आलोकित हो उठा, जनमानस की संसतियाँ मिट गयीं, अनन्त प्रभु के अंशस्वरूप एक दिव्य पुरुष रामलखन प्रसाद गुप्त के आविर्भाव होने पर।

जीवन के प्रथम चरण में इन्होंने अंग्रेजी दासता से मोहमुग्ध सुषुप्त भारतवासियों को अपने तत्त्वान्वेषी, विश्लेषण, सुलझे दष्टिकोण एवं ओजस्वी वक्तत्व कला से नवजागरण प्रदान कर स्वतंत्रता का महत्त्व 'पराधीनता दुःख महा, सुख जग में स्वाधीन' का उद्घोष कर नवोन्मीलित किया। तत्पश्चात् सर्वहारा समाज, पिछड़े समुदायों के स्वत्वों का अपहरण तथा व्यवसायी वर्ग के व्यथा-कथाओं को उजागर कर उसके विरोध में नायकत्व कर जनता-जनार्दन में प्राण का संचार किया।

वह दिव्य पुरुष यत्र-तत्र बिखरे पड़े हुए व्यवसायी बंधुओं की शक्तियों का पुंजीकरण तथा सूझों का 'सूत्रे मणि गणा इव' सुग्रंथन कर एक क्रांति का उद्वेलन किया। फलस्वरूप बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ की स्थापना हुई और वर्ष 1967 में इन्होंने अध्यक्ष का पद सुशोभित किया। उक्त संघ का नवोद्भूत विरवा इनकी अध्यक्षता में सघन अभिवर्द्धित हुआ जिसकी शीतल छाया में आतपाकुल व्यवसायी वर्ग विश्रान्ति प्राप्त कर ताजगी अनुभव करता है। वेदना प्रदायक अव्यावहारिक कानूनों एवं रक्तचूषक पदाधिकारियों की कशाहत से जरा-जर्जर व्यवसायियों का इससे कायाकल्प होता है। इस संघ के मंच से सिंह पुरुष द्वारा उच्चरित वाणी को मैं उद्धत करने का लोभ संवरण कर रहा हूँ।

"व्यवसायी संघ एक ऐसा फोरम है जहाँ से हम कुछ बोल सकते हैं, हमारी आवाज एक दिन अवश्य बुलंद होगी, यह संस्था व्यवसायियों का प्रतीक बनकर रहेगी, सही दष्टिकोण दिखायेगा।"—हर समय के लिए समीचीन है। संघ द्वारा प्रकाशित मासिक 'व्यवसायी संघ संदेश' पत्रिका को वे व्यवसायियों का प्रेरणा दूत

मानते थे। उसकी भाव, भाषा एवं साज-सामग्रियों में उत्तरोत्तर विकास लाने में वे सदैव सचेष्ट रहा करते थे। उनकी इस मंशा पर एक उक्ति स्मत हो जाती है—"तीर खींचो न तलवार निकालो। जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार (पत्रिका) निकालो।।"

परमादरणीय श्री ब्रह्मदेव प्रसाद जी, संगठन मंत्री बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ से मैं उनकी प्रशंसा सुना करता था और वे कानों पर टिक नहीं पाते थे कि क्या सचमुच में इस युग में भी इतना उच्चादर्श वाला कोई अप्रतिम पुरुष हो सकता है? परन्तु वर्ष 1982 से लगातार उनकी सान्निध्यता क्रम में श्री प्रसाद जी द्वारा कथित बातें सत्य प्रतीत हुईं एवं मेरा भ्रम भंग हुआ। मैं अपने वरेण्य रामलखन प्रसाद गुप्त जी के आचरण में आधुनिक नेताओं के विपरीत उनकी कथनी और करनी में एकरूपता, मुखर वक्तत्वता सौम्य स्वभाव हेतु रहित अकिंचन पर भी दयालुता का मर्यादा श्रीराम-सा आदर्श प्रतिरूप तथा अन्याय एवं अत्याचार पर टूट पड़ने वाले साक्षात् शेषावतार लखन अर्थात् लक्ष्मण जी-सा स्वभाव मानो एकबारगी दोनों का सम्मिश्रण प्रसादवत् उन्हें मिला हो, यह गुप्त तथ्य देखकर स्तम्भित-सा हो गया।

उनकी अभिव्यक्तियाँ तो सहज व बोधगम्य परन्तु विश्लेषण पर अनिर्वाच्य होते थे। संघ में प्रचार-प्रसार सचिव के कारण उनकी सान्निध्यता एवं अभिभावकत्व पाकर मैं कतकत्य हो गया था। उस करुणार्णव, सर्वतोमुखी प्रतिभासम्पन्न सरस्वती के वरद पुत्र से मैंने कुछ ज्ञान अनुभव एवं लोकानुरंजित जीवन जीने की कला पायी थी और बहुत कुछ प्राप्त करने को शेष थे।

विधि की विचित्र विडम्बना कि हम सभी दलितों, व्यवसायियों का उत्थान एवं उत्कर्ष उसे नहीं सुहाया और 28 जनवरी 1985 को वह साया जो हम सभी को सुख-शांति का वर्णन, प्रगति पथ पर आरोहण, दिशा-निर्देशन एवं लक्ष्य प्राप्त का साधन था, सदा के लिए उठ गया।

आज हम करुणा विलम्बित, प्रकम्पित एवं अशक्त काया, रुँधे कंठ, आँखों में सैलाव एवं मानस में वियोग से उत्पन्न तनाव लिये उस आभापुंज को जो कि हमारा नेतत्व "तमसो मा ज्योतिर्गमय" की ओर कर रहा था, प्रकाशपुंज की खोज में भटक रहे हैं तत्क्षण ही वैज्ञानिकों की खोज-वाणी अमर है जो अनन्त काल तक ईथर तरंगों के साथ भ्रमण करती है, जानकर कुछ तोष होता है।

आज हम उनकी वाणी का आश्रयण कर एक दिव्य आभा (Divine light) प्राप्त कर सकते हैं, सही निर्देशन प्राप्त कर सकते हैं। अतएव हम उनके वाणी पथ का अनुसरण करने का व्रत लें।

"त्वदीयं वस्तु गोविन्दम् तुभ्यमेव समर्पये।"

श्री गंगा प्रसाद, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधान परिषद : *रामलखन बाबू के व्यक्तित्व एवं कार्य संस्कति से मुझे आज भी प्रेरणा मिल रही है।*

श्री विजय कष्ण, पूर्व मंत्री : *रामलखन बाबू आदर्श पुरुष एवं महान राजनेता थे, उनके स्वरूप एवं व्यक्तित्व के अनुसार समाज के हित में कुछ न कुछ विशेष कार्यक्रम होना चाहिए।*

एक समर्पित व्यक्तित्व

देवेन्द्र प्रसाद

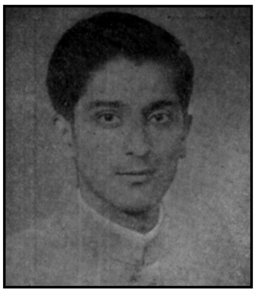

28 जनवरी, 1985 की संध्या का समय था। बाजार प्रांगण से मैं तुरत वापस मंसूरगंज आया था, इसी समय टेलीफोन की घंटी संघ कार्यालय विजय निकेतन से आई कि श्री रामलखन प्रसाद गुप्त का देहावसान अभी-अभी लगभग 4:30 बजे संध्या में हो चुका है। सुनकर मानो एक बार काठ मार गया। परन्तु यह सच्चाई थी। इसके तुरत बाद मानस पटल पर पिछले सत्रह-अठारह वर्षों का वह समय जबसे मेरा उनसे परिचय था, एक-एक कर आने लगे। 1967 के चुनाव के समय से मेरा उनसे परिचय बढ़ा तथा यह परिचय धीरे-धीरे बढ़ता रहा तथा अंत समय तक परिचय का दायरा बढ़ता गया। 1967 में मधु लिमये से हारने के बाद इनके परिचय का दायरा मुंगेर से हटकर प्रादेशिक स्तर का होता गया। पहले अक्टूबर, 1967 में उन्होंने बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ की स्थापना की तथा मरणोपरांत इसके अध्यक्ष रहे।

1968 में बिहार राज्य तैलिक वैश्य सभा के अध्यक्ष बने। 1980 में श्री दीनबंधु साह के निधन के उपरांत अखिल भारतीय तैलिक वैश्य महासभा के अध्यक्ष बने तथा मरणोपरांत तक उस पद को उन्होंने सुशोभित किया।

1975 के आपातकाल में इन्होंने 20 माह का समय जेल में ही बिताया। उस समय इनकी कट्टरता देखने में आती थी। मधुमेह के रोगी होने के बावजूद इन्होंने समाज तथा देश के प्रति अपने कर्त्तव्य का सही ढंग से निर्वाह किया तथा लोकतंत्र की पुनः प्रतिष्ठा में इन्होंने भरपूर सहयोग दिया।

आपातकाल की समाप्ति के बाद जेल से छूटने के बाद इन्होंने जनता पार्टी के कार्यों पर पूरा ध्यान दिया तथा पिछले रिकार्ड के आधार पर 1978 में इन्हें राज्यसभा का टिकट मिला तथा 1984 के मई तक राज्यसभा के सदस्य रहे, वैसे 1970 में पहली बार ये लोकल बॉडीज से एम.एल.सी. बने तथा 1977 में पुनः विधानसभा क्षेत्र से एम.एल.सी. बने।

इनका जीवन सादगी एवं कर्त्तव्यपरायणता का एक जीता-जागता उदाहरण रहा। इन्होंने जिस किसी भी संस्था के कार्य को अपने हाथ में लिया उसमें उन्हें बराबर यश मिलता रहा। इनका जीवन समाज एवं देश के लिए सदैव समर्पित रहा।

संघ तथा जनसंघ के कर्मठ कार्यकर्त्ता के रूप में इनके जीवन में हिंदुत्व का भाव कूट-कूटकर भरा था। इनके जीवन का आदर्श कर्मवाद के रूप में रहा। दीनदयाल जी के एकात्म्य मानववाद से ओतप्रोत इन्होंने राजनीति को सही दिशा देने की कोशिश की।

इनकी अंत्येष्टि में भाग लेने मैं अपने तीन-चार मित्रों के साथ गया था। वहाँ पर इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले बंधुओं की लगातार कतार यह परिलक्षित करता था कि इनके परिचय का दायरा काफी विस्तत रहा है।

उनके निधन के कारण मैंने अपना एक मार्गदर्शक तथा शुभचिंतक खो दिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके परिवार को धैर्य धारण करने की क्षमता प्रदान करें।

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त की इच्छा-आकांक्षाएँ

- हम व्यापारियों को नये सिरे से संगठित कर उनकी शक्ति इतनी अधिक बढ़ायेंगे कि उन्हें कोई दबा नहीं सकेगा, ताकि कोई उनके साथ मनमानी नहीं कर सके।
- एक स्वतंत्र भारतीय नागरिक की भाँति व्यवसायियों के जीवन में भी स्थिरता आये तथा वे द्वितीय श्रेणी के नागरिक नहीं समझे जायें।
- व्यापारियों को अपनी प्रगति एवं समद्धि के लिए अपनी मनोवति बदलनी होगी एवं हीन भावना को छोड़कर अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना होगा।
- हमें अपना एवं संघ की शक्ति बढ़ानी होगी, क्योंकि कमजोर की बात कोई नहीं सुनता।
- अगर आपका सक्रिय सहयोग व्यवसायी संघ को मिलता रहा तो भविष्य में आपकी और भी बेहतर सेवा हो सकती है।
- सभी मंडियों में व्यावसायिक पुस्तकालय का निर्माण करना चाहिए, जिसमें विभिन्न अधिनियमों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हो ताकि सदस्यों को व्यवसाय संबंधी सभी अधिनियमों की जानकारी मिल सके।
- जो समय के अनुसार नहीं चलेगा, वह व्यापार में टिक नहीं सकता। समाज के प्रति अपने कर्त्तव्य को हमेशा ध्यान में रखें।

श्री गुप्त के स्वर्गारोहण के बाद क्या आपका-हमारा यह कर्त्तव्य नहीं है कि उनकी इच्छा-आकांक्षाओं की सम्पूर्त्ति हेतु सम्यक् योगदान देकर संघ के हाथ मजबूत करें?

—शिवनन्दन प्रसाद, कार्यालय मंत्री, बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ, पटना

वकालत, राजनीति एवं समाजसेवा की त्रिवेणी

डॉ॰ अशोक कुमार गुप्त

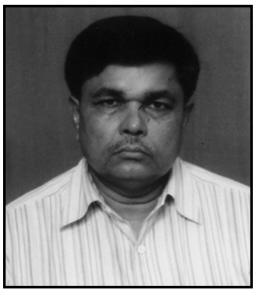

बात लगभग 1972 से 1985 के बीच की है। मेरा नामांकन 1972 में एमबीबीएस कोर्स में नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना में हुआ। कॉलेज में आदरणीय रामलखन गुप्त जी के यशस्वी पुत्र डॉ. चन्द्रमणि प्रसाद गुप्त जी मेरे सीनियर थे। उनका स्नेह एवं अपनापन मुझे उनके काफी करीब ले आया जिनके चलते रामलखन बाबू के यहाँ मेरा आना-जाना प्रारंभ हो गया। फिर उनके साथ-साथ विभिन्न वैचारिक गोष्ठियों, जातीय बैठकों, समारोहों, खाद्यान्न व्यवसायी संघ की बैठकों, भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में आने-जाने का क्रम धीरे-धीरे प्रारंभ हो गया जिससे मैं उनके काफी करीब होता चला गया और वे अभिभावक के रूप में सदा मुझे पढ़ने, आगे बढ़ने और बढ़कर समाजसेवा करने की सीख दिया करते थे। बाद के दिनों में एक पारिवारिक सदस्य के रूप में उनके परिवार में मैंने अपनी जगह बना ली थी। मैंने उन्हें देशभक्त, सफलतम अधिवक्ता, निष्ठावान राजनीतिज्ञ एवं एक समाजसेवी, जातीय संगठन का सर्वमान्य नेता, खाद्यान्न व्यवसायी संघ के अध्यक्ष, विधान पार्षद, सांसद एवं अनेकों रूप में देखा है। कतिपय संस्मरण बराबर उनकी यादें तरोताजा करती रहती है एवं उनके द्वारा बताये मार्ग दिखते रहते हैं।

देशभक्ति एवं जेल जीवन : देश को आजाद देखने एवं गांधी जी के आह्वान पर 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' के विरुद्ध 1942 के देशव्यापी अगस्त क्रांति में सक्रिय भाग लेने के कारण जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही उन्होंने जेल की यात्रा प्रारंभ की थी। उन्हें अपने जीवनकाल में 19 बार विभिन्न जेलों यथा पटना, मुंगेर, भागलपुर, फुलवारीशरीफ में रहना पड़ा।

सफलतम अधिवक्ता के रूप में : एमएबीएल की उच्च शिक्षा प्राप्त कर 1953 में वकालत का कार्य मुंगेर व्यवहार न्यायालय में प्रारंभ कर अल्प अवधि में एक सफलतम अधिवक्ता के रूप में उन्होंने अपार ख्याति अर्जित की। मुंगेर के एक लब्धप्रतिष्ठित आयकर एवं बिक्रीकर अधिवक्ता के रूप में इनकी राज्यस्तरीय पहचान थी। संयुक्त बिहार में वकीलों की सबसे बड़ी संस्था बिहार स्टेट बार काउन्सिल की सदस्यता हासिल की। मेरे मामाश्री ब्रजनन्दन प्रसाद साहु, अधिवक्ता उनके जूनियर हुआ करते थे एवं हमेशा उनके व्यक्तित्व एवं कतित्व की चर्चा किया करते थे जो मुझे उनके समीप जाने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता था।

निष्ठावान राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी : अपने विद्यार्थी जीवन से ही आरएसएस के एक सामान्य कार्यकर्त्ता का जीवन प्रारंभ कर मत्युपर्यन्त आरएसएस के कार्यों को वरीयता देकर भाग ही नहीं लेते थे अपितु उसके कार्यों को आगे बढ़ाते रहते थे। 1948 में इस संस्था पर प्रतिबंध लगने के कारण उन्हें काफी

दिनों तक मुंगेर जेल में बंद रहना पड़ा था। भारतीय जनसंघ को वे अपनी मात संस्था मानते थे। भारतीय जनसंघ के साधारण सदस्य से जीवन प्रारंभ कर प्रांतीय अध्यक्ष के पद को उन्होंने सुशोभित किया। उस समय देश में इमरजेंसी लागू होने पर जुलाई 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अवज्ञा आंदोलन में मीसा के तहत 1975 से फरवरी 1977 तक वे फुलवारीशरीफ कैम्प जेल में अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सरला गुप्ता के साथ रहे।

परतंत्र एवं स्वतंत्र भारत, कांग्रसी सरकार एवं संविद सरकार द्वारा विभिन्न स्थितियों में उन्हें कोपभाजन बनना पड़ा। इनकी घोर उपेक्षा कर इनसे कनीय लोगों को राज्य सरकार में महत्त्वपूर्ण मंत्री का दर्जा दिया गया। राजनैतिक मुकदमा, जेल यातनाओं, अपनी पार्टी एवं अपने लोगों की उपेक्षा का दंश उन्हें बराबर झेलना पड़ा। आपका मनोबल तोड़ने का हरसंभव प्रयास किया गया। वैसी स्थिति में उनके कतिपय मित्रों ने पार्टी बदलकर सरकार में उच्च पदों को सुशोभित किया। आपको भी बड़ा से बड़ा प्रलोभन मिला, परन्तु एक निष्ठावान कार्यकर्त्ता की तरह अपनी पार्टी की सेवा आजीवन करते रहे। उनका रहन-सहन, खानपान राजनीतिज्ञों के लिए प्रेरणा रहेगा। कभी भी पान, तम्बाकू, सिगरेट, मदिरा का सेवन उन्होंने नहीं किया। मनसा वाचा कर्मणा निष्ठावान कार्यकर्त्ता की भूमिका अदा की।

अद्‌भुत समाजसेवी, संगठनकर्त्ता एवं सर्वमान्य नेता : तैलिक वैश्यसभा के बिहार इकाई के अध्यक्ष के रूप में आपके कार्यकाल को स्वर्णिम काल माना जाता है जिसमें आपने संगठन को जहाँ एक जमीन दी वहीं आसमान की ऊँचाई भी दी। संस्था के राष्ट्रीय नेता दीनबंधु साहु जी की मत्यु के उपरांत आप अखिल भारतीय तैलिक वैश्यसभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर संपूर्ण भारत का दौरा कर उत्तर एवं दक्षिण के स्वजातियों को मिलाकर राष्ट्रीय संगठन का स्वरूप दिया। आप वास्तव में राष्ट्रीय नेता थे। संपूर्ण राष्ट्र उन्हें अपना रहनुमा मानता था।

गिरीडीह (झारखंड) में बिहार राज्य तैलिक वैश्य महासभा के अधिवेशन का उद्‌घाटन तात्कालिक मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को करना था। मुख्यमंत्री जी को मधुपुर स्टेशन से पचम्बा गिरिडीह सभास्थल कार से लाने की जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई थी। कर्पूरी जी के साथ कार में मेरी इतनी लम्बी यात्रा, उनके बातें करने, उनके व्यक्तित्व को नजदीक से देखना मैं अपने जीवन का सौभाग्य समझता हूँ।

अखिल भारतीय तैलिक महासभा आसनसोल (पश्चिम बंगाल) के युवा सम्मेलन का जब संयोजक मुझे बनाया गया एवं मंच संयोजन की जिम्मेवारी रामलखन बाबू ने मुझे दी, मैं हतप्रभ था राष्ट्रीय समारोह में दायित्वपूर्ण कार्य मेरे कंधों पर था। मैं उस समय कमजोर पड़ रहा था। आपने मेरे गिरते मनोबल को बढ़ाया जो एक यादगार लम्हा है। उस समय आप अखिल भारतीय तैलिक वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।

उन्हें कतिपय अवसरों पर लाने एवं विदा करने मैं एवं मेरे सरीखे कतिपय लोग जाते थे। उनके सदश राष्ट्रीय नेता, कद्दावर व्यक्तित्व के धनी महापुरुष अपना हाथ मुझ सरीखे लोगों के कंधे पर रखकर मीलों पैदल चलते थे। रास्ते में ढेर सारी बातें बताते जाते एवं जीवन के आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे

दीख पड़ी वह थी कि वे **अपने मानसिक ऊर्जा का भरपूर उपयोग करते थे एवं अपनी आलोचनाओं से कभी परेशान नहीं होते थे। अपितु दूसरों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहकर उनके निराकरण का यथासंभव प्रयास करते रहते थे।**

खाद्यान्न व्यवसायी संघ के अध्यक्ष : व्यवसायियों को दोयम दर्जा का नागरिक समझने की सामाजिक सोच उन्हें अनवरत पीड़ा देती रहती थी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को उनका आदर, सम्मान, गौरव, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं अधिकार दिलवाने के लिए कत संकल्पित रामलखन बाबू ने व्यवसायी वर्ग को संगठित कर संघर्ष करने के लिए बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ की स्थापना की जिसके आप संस्थापक अध्यक्ष बने। मत्युपर्यन्त लगातार 18 वर्षों तक इस पद पर रहकर जहाँ समाज की सेवा की, वहीं संस्था को संगठित कर व्यवसायियों की आवाज को बुलंद करने की दिशा में संस्था के मासिक मुखपत्र **'व्यवसायी संघ संदेश'** का प्रकाशन किया जिसके आप आजीवन संपादक रहे। संपूर्ण व्यवसायी वर्ग इन्हें कतज्ञतापूर्वक आदर देता रहेगा। 1982 में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अप्रत्याशित वद्धि के विरुद्ध आंदोलन के क्रम में मुंगेर जेल में रहे। वे व्यवसायियों की समस्याओं को सड़क से संसद तक बुलंद किया करते थे।

विधानपार्षद एवं सांसद की भूमिका में : वे दो बार बिहार विधान परिषद एवं एक बार राज्यसभा के माननीय सदस्य रहे। यह महज मेरा सौभाग्य था बिहार विधानसभा में उनके बिहार विधान परिषद की दूसरी सदस्यता हेतु एवं राज्यसभा के चुनाव (1978) में उनके प्रशंसकों के बीच चुनाव होते, उन्हें सफल होते देखने का सौभाग्य मिला। विधान पार्षद एवं राज्यसभा सदस्य के रूप में आपने अपनी सकारात्मक एवं दलित पीड़ित मानवता के उत्थान के लिए आपके द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना आपके शुभचिंतक ही नहीं अपितु विरोधी दलों के सदस्यों ने भी की। जनहित से जुड़े मुद्दों के लिए सदैव संघर्ष एवं आवाज बुलंद करते रहे। कोई निष्पक्ष रूप से उनके कार्यकाल (विधान परिषद एवं सांसद) में दिये वक्तव्यों को संकलित करे तो यह आने वाली पीढ़ी के लिए एक धरोहर हो जायेगी। भाषण के दौरान उनके द्वारा बताया गया डाटा हर समय राज्य एवं देश के हालातों का बयान करता था।

उनके चलते कतिपय राज्यस्तरीय एवं राष्ट्रीय नेताओं को देखने, उनके करीब रहने एवं उनसे बातचीत करने का सौभाग्य मिला।

28 जनवरी 1985 को 60 वर्ष की अल्पायु में उनकी मत्यु ने समाज का मार्गदर्शक, शुभचिंतक, युवाशक्ति के प्रेरणास्रोत हमसे छीन लिया। 2 सितम्बर, 2005 को उनकी 80वीं जयंती पटना में खाद्यान्न व्यवसायी संघ के द्वारा मनायी जा रही थी, उस अवसर पर रामलखन बाबू के समग्र व्यक्तित्व एवं कतित्व पर एक वहद पुस्तक का अनुरोध मैंने सभा में उपस्थित लोगों के बीच किया था। बाद के दिनों में अपने मित्र श्री रामचरित्र साह जी के पुत्र डॉ. अरविन्द के विवाह समारोह में मुंगेर जाने पर चाची जी (स्व. सरला गुप्ता जी) एवं उनके पुत्रों से मिलकर उस अनुरोध को दुहराया था। आज अति प्रसन्नता हो रही है कि उनके यशस्वी पुत्रों में विशेषकर राजेश कुमार, खाद्यान्न व्यवसायी संघ के महामंत्री उनके समधी बलराम प्रसाद एवं स्मति -ग्रंथ के संपादन एवं मुद्रण के सफल दायित्व का निर्वहन सुप्रसिद्ध

साहित्यकार एवं लेखक डॉ. रमेश नीलकमल को देता हूँ जिनके सद्प्रयास से इसे प्रकाशित रूप में देख रहा हूँ। सब धन्यवाद के पात्र हैं।

इस तरह के निष्ठावान समाजसेवी, राजनीतिज्ञ का भरपूर सम्मान राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय सरकार अवश्य करे। पटना में उनकी आदमकद प्रतिमा अवश्य लगे, साथ ही उन पर डाक टिकट जारी हो जो राष्ट्र को उनके धवल चरित्र की प्रेरणा नवागंतुक राजनीतिज्ञों एवं समाजसेवियों को अपनी आभा से आलोकित करते हुए उनका मार्गदर्शन करते रहे। कविवर वशीर अहमद मयूख के शब्दों में—

अमर आत्मा के अधिकारी पुनः प्रेम के गीत सुनाना
इसी धरा पर इसी धाम पर पुनर्जन्म लेकर तुम आना।
संस्कति के संवाहक साथी स्वीकारो तुम नमन हमारे
काम अधूरे पूरे होंगे साथी रामलखन गुप्त तुम्हारे।।

❖

मेरे दादाश्री

निकिता गुप्त

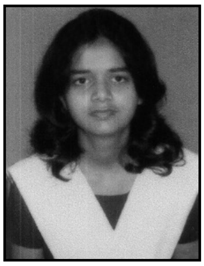

मैं निकिता हूँ। प्रातःस्मरणीय दादाश्री स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त की पौत्री। मैंने उन्हें देखा नहीं है, पर मैं उन्हें बहुत जानती हूँ। पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से, उनकी बैठक में सजी पुस्तकों को देखकर तथा उनके बारे में यहाँ आए अतिथियों से बातचीत कर, उनकी बातें सुनकर मैं उन्हें बहुत जानती हूँ। वे हमारे दादाश्री थे, प्रणम्य थे और आज भी प्रातःस्मरणीय हैं। उनके विचार सामाजिक थे और समाज के दबे-कुचले निरीह व्यक्तियों के लिए वे अपनी जान देने को तत्पर रहते थे। विधानपार्षद रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, जनता की बात संसद में उठायी, सरकार ने उनके वक्तव्यों पर ध्यान दिया, उनके द्वारा उठायी गयी आपत्तियों को सरकार ने परिमार्जित किया— यह जान-सुनकर मुझे कितनी प्रसन्नता होती है, कहने को मेरे पास शब्द नहीं हैं। वे महान थे और हम सबों के लिए गौरव प्रदान करने वाले थे। वे नमस्य थे, नमस्य हैं और नमस्य रहेंगे।

...हर मोड़ पे याद आते हैं वे

प्रो. डॉ. ज्ञानशंकर पोद्दार

स्व. रामलखन गुप्त सिर्फ मुंगेर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए समर्पित थे। उन्होंने कमजोर वर्ग और समाज के उत्थान के लिए जीवनपर्यन्त संघर्ष किया। उन्होंने पूरे देश के अंदर पहली बार वैश्यों को संगठित कर विकास की एक नई राह एवं नई दिशा दी। उन्होंने वैश्य समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। वे वैश्य समाज के लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे।

कुछ लोगों ने उन्हें देखा था और कुछ लोगों ने न भी देखा हो, परन्तु उनके नाम और उनके कार्य किसी मंदिर के घंटे की आवाज की तरह आमलोगों के कानों में गूंज रहे हैं। लोग उनसे काफी लाभान्वित हो सकते हैं।

स्व. रामलखन गुप्त की स्मति में केवल इतना कह सकता हूँ—

"जाने के बाद भी पदचिह्न छोड़ जाते हैं कुछ लोग
जीवन के हर मोड़ पे याद आते हैं कुछ लोग"

भूली-बिसरी यादें

शिवनन्दन प्रसाद साहु

बात 1973 की है। रामलखन बाबू पटना में मिले और बोले—"मेहमान जी! (मेरी शादी मुंगेर में उनके मित्र डॉ. सरयुग प्रसाद, दलहट्टा निवासी की पुत्री से होने एवं कराने के कारण वे हमेशा मुझे मेहमान जी ही कहा करते थे और अपने दामाद जैसा ही प्रेम-वात्सल्यपूर्ण व्यवहार मेरे साथ करते थे) मुझसे चन्दा-वन्दा नहीं होगा। यह सब आप ही से हो सकता है।" बात यह थी कि वे किसी काम से जहानाबाद जा रहे थे एवं पटना में साहु समाज भवन खरीदने का चन्दा अभियान जोरों से (1 जनवरी 1973 से जून 1973 तक) चल रहा था। जहानाबाद के कुछ सज्जनों ने चन्दा के लिए वचन दान दिया था, तो मैंने बाबू जी (रामलखन प्रसाद गुप्त) से अनुरोध किया था कि आप जहानाबाद जा ही रहे हैं, दानदाताओं से दान ले लीजिएगा। जहानाबाद में जिनका कि रामगढ़ में भी गद्दी था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ ने 500/— का चन्दा उन्हें दिया और किसी ने भी कुछ नहीं दिया।

मैंने इस घटना का उल्लेख इसलिए किया कि बाबूजी एक राजनीतिज्ञ होते हुए भी शीशे के जैसे साफ दिल एवं स्वच्छ विचार रखते थे। जो ईमानदारी उनमें थी वह हममें से बहुत कम लोगों के पास आज है एवं रामलखन बाबू जैसा व्यक्तित्व आजकल विरले ही मिलते हैं। उन्होंने कभी भी किसी को भ्रम में नहीं रखा। किसी को झूठा आश्वासन नहीं दिया जबकि वे वकील भी थे। मैंने उनका यह गुण आत्मसात करने का प्रयास किया है। भले ही इसके चलते बहुत लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं।

उनके अनेकानेक गुणों में से मैं एक गुण की चर्चा और करना चाहूँगा। वह यह है कि वे जनसंघ पार्टी के बिहार (उस समय झारखंड भी बिहार में था) के वे अध्यक्ष थे। एमएलसी एवं एमपी भी रहे थे। साथ-साथ वे बिहार तैलिक वैश्यसभा के अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय तैलिक वैश्यसभा के भी अध्यक्ष थे। किन्तु कभी भी अपने जातिगत प्लेटफॉर्म से या उनकी बैठकों में उन्होंने अपने राजनैतिक दल जनसंघ या भाजपा की चर्चा नहीं की। उसका प्रसार करने का माध्यम उन्होंने जातिगत संस्था को नहीं बनाया। राजनैतिक जीवन एवं सामाजिक जीवन में साफ-साफ अंतर विरले ही कर पाते हैं। स्वर्गीय दीनबंधु साहु जी का उदाहरण उन्होंने आत्मसात किया था। बाद के हमारी जाति के राजनीतिक नेता उसका अनुसरण नहीं कर पाये यह अफसोस की बात है।

श्री रामलखन जी से, जहाँ तक मुझे स्मरण है, मेरी पहली भेंट 1965 में बिहार राज्य तैलिक वैश्यसभा के वार्षिक अधिवेशन में गिरिडीह जिला के राजधनवार में हुई थी। मैंने पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स (इतिहास) की परीक्षा दी थी। जाति के विकास की कसक उनके दिल में हमने तभी से देखा और मैंने भी उनके पदचिह्नों

पर चलने की ठान ली। उनका गुण था कि कोई अप्रिय बात यदि वे स्वयं नहीं कह पाते थे तो वे किसी और के माध्यम से कहलवा देते थे। उन्होंने वहाँ पाया कि लोगों में शराब पीने की लत है एवं वे अपनी औरतों से ज्यादा काम करवाते हैं। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि आप अपने भाषण में इसका उल्लेख कीजिएगा। मैंने ऐसा ही किया। किन्तु आज भी उधर के लोग देशी/विदेशी शराब पीने की लत पाल रखे हैं। आदमी को किसी चीज का शिकार नहीं होना चाहिए, न ही किसी आदत को अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए। मध्यम मार्ग अपनाना सबसे श्रेयस्कर है। सब कुछ करें, खायें, पीयें किन्तु लिमिट में।

मैं उनकी तबसे काफी इज्जत करता आया हूँ। यहाँ तक कि मैं जब पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक (1969) था, तब उनके द्वारा बतायी गई लड़की से मैंने शादी के लिए हामी भर दी और मुझे मेरी आदर्श पत्नी से कोई भी शिकायत नहीं है। वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी बातों पर मतभेद होना कोई विशेष बात नहीं है। नोंकझोंक सुखी एवं सफल तथा दीर्घ विवाहित जीवन की एक आवश्यक खुराक है। मैं गुप्त जी के प्रति इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

गुप्त जी की एक और विशेष बात थी। यदि तर्क देकर उन्हें समझाया जाता तो वे तुरत अपनी बात को भूल जाते थे। बात 1972 के नवम्बर महीने की है। भारतीय राजस्व सेवा में (1969) आने के बाद मसूरी एवं नागपुर में ट्रेनिंग के उपरांत तथा कटक की एक वर्ष की पोस्टिंग के पश्चात मैंने पटना में आयकर अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। वे मुझे यह सूचित करने आये कि दीनबंधु साहु जी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय तैलिक वैश्यसभा पटना आ रहे हैं एवं लेडी स्टीफेंसन हॉल में उनका स्वागत किया जाएगा। बिहार के जाति के गण्यमान्य व्यक्ति आयेंगे। दीनबंधु जी इतने पढ़े-लिखे लोगों को देखकर खुश हो जायेंगे। मैं दीनबंधु जी से 1968 फरवरी में बिहारशरीफ में बिहार तैलिक वैश्य महासभा के अधिवेशन में मिल चुका था एवं कटक में पदस्थापित रहने के दौरान कुछ दिन उनके घर में रहकर उनके सान्निध्य का लाभ मुझे मिल चुका था। मैं उनके विशाल व्यक्तित्व से भी परिचित हो चुका था। वे उड़ीसा की एक महान हस्ती थे—एडवोकेट जेनरल, भूतपूर्व मंत्री तथा गांधी जी के एक प्रमुख अनुयायी एवं समाजसेवी। उड़ीसा के लोग उन्हें पितातुल्य मानते थे।

मैंने गुप्त जी से कहा कि दीनबंधु जी को खुश करना ही यदि आपलोगों का उद्देश्य है तब मैं इसमें सम्मिलित नहीं होऊँगा। यदि समाज एवं बिहार सभा के पास कोई ठोस रचनात्मक काम हो तो उसे कर हम दीनबंधु जी को खुश कर सकते हैं। उनके पूछने से कि आप क्या चाहते हैं, मैंने कहा कि हमारे बिहार की तैलिक वैश्यसभा करीब 1902-03 में स्थापित हुई थी। पटना राज्य की राजधानी है। सैकड़ों विद्यार्थी गाँव-गाँव से पढ़ने आते हैं, बीमारी का इलाज कराने आते हैं, किन्तु पटना में उनके ठहरने की किसी व्यवस्था की बात तो आप भूल जायें, कहीं बैठने की भी जगह नहीं है जहाँ दस-बीस लोग बैठकर जाति-समाज की उन्नति के बारे में अपने विचार रखें। अतः पटना में एक साहु समाज भवन होना चाहिए। इस पर बाबू जी ने कहा—"मेहमान जी! यह संभव है क्या?" मैंने कहा—"क्यों नहीं संभव है!" मैं इस प्रस्ताव को सम्मेलन कक्ष में रखूँगा। आपलोग सभी साथ दीजिएगा तो सब कुछ संभव हो जायेगा। वे तुरत मेरी बात से सहमत हो गए एवं साहु समाज भवन की खरीद में उन्होंने मेरा

पूरा साथ दिया।

बाबूजी मेरी राय हर महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर लेते थे चाहे वह अपने पुत्र-पुत्रियों की शादी के बारे में हो या सामाजिक एवं राजनैतिक मुद्दे हों। चन्द्रमणि जी उनके बड़े बेटे थे। उनकी शादी होनी थी तो मेरी राय को उन्होंने तरजीह दी। द्वितीय पुत्र के अंतर्जातीय विवाह से वे मर्माहत थे। किन्तु मेरी राय कि अपना जीवन अपनी तरह जीने का आप हक उन्हें दीजिए—उन्होंने मानी। अपने सर्वाधिक प्रिय पुत्र राजू एवं मेरी सर्वाधिक प्रिय साले के अच्छी तरह से सेटेल नहीं कर पाने की बात वे करते थे। किन्तु अपने तईं उन्हें भी सेटेल करने का पूरा प्रयास किया। चन्द्रमणि जी को बीसीसीएल में नौकरी के लिए मैंने असफल प्रयास किया, किन्तु रेलवे में उन्होंने उन्हें पदस्थापित करा दिया। उनकी बेटी मंजूजी भी विगत कुछ वर्षों से पिपरा में रहकर मुझसे दूर चली गई हैं।

जब दीनबंधु जी का स्वर्गवास हो गया तो मैंने बाबूजी से आग्रह किया कि आपको उनका कार्यभार लेना है। वे नहीं चाहते हुए भी हमारा आग्रह टाल नहीं सके और दिल्ली में स्नेही समाज के तत्वावधान में बैठक करवाकर उन्हें अखिल भारतीय तैलिक वैश्य महासभा के अध्यक्ष के गुरुत्वपूर्ण पद पर उनका मनोनयन एवं चुनाव हुआ। इस जिम्मेदारी को उन्होंने जीवनपर्यन्त ईमानदारी से बाखूबी निभाया।

जब हम बाबूजी का स्मरण करते हैं तो असीम शक्तिपूर्ण वात्सल्य की मूर्ति उनकी पत्नी स्व. सरला गुप्त जी की मातशक्ति की याद हमें बरबस आ जाती है। उनका प्रेम भरा व्यवहार मैं कभी भी नहीं भूल सकता। जब भी मैं उनसे मिलता, वे सदैव अपने दामाद सदश एवं बेटे से भी बढ़कर मेरा आतिथ्य एवं सत्कार के लिए आतुर रहतीं। जो व्यक्ति सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, उनके पूरे परिवार का भरण-पोषण का भार उनकी पत्नी पर रहता है। करीब आधे दर्जन बेटे-बेटियों को पाल-पोसकर बड़ा करना, घर आने वाले अनगिनत अतिथियों का आदर-सत्कार करना, दुर्गा एवं लक्ष्मी जैसी माँ ही कर पाती थीं। जीवनपर्यन्त उन्होंने बाबूजी का एवं सबों का साथ दिया। अतः जब हम बाबूजी का स्मरण कर रहे हैं तो माता जी के त्याग एवं तपस्या को हम नहीं भूल सकते।

रामलखन जी वात्सल्य, प्रेम, सौहार्द, मित्रता एवं अपनत्व के सागर थे और वे सागर की भाँति ही इसे भरपूर गागर भर उड़ेलते भी रहते थे। शायद ही कोई अभागा होगा जो उनके प्रेम सागर में गोते न लगा पाया हो।

अंतिम दिनों में जब मुंगेर से वे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, थोड़े चिंतित दिखे। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के चलते उन्हें राज्यसभा में सेकेंड टर्म नहीं मिला। मैं कलकत्ता में पदस्थापित था। बाबूजी को मैंने कलकत्ता बुलाया और जो भी आर्थिक मदद मैं दे सकता था दिया। मैंने उन्हें कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें। बेइंसाफी हमलोगों के साथ सदा होते आ रही है। चुनाव में हारने के बाद वे शायद टूट चुके थे और ज्यादा दिनों तक उनका प्रेम और वात्सल्य तथा सान्निध्य हमें नहीं मिल सका। किन्तु प्रायः वे आत्मविश्वास एवं साहस से भरे रहते थे, हार नहीं मानते थे। उन्होंने बहुत कुछ पाया एवं बहुत कुछ दिया। पूरी जाति को, समाज को एवं परिवार को उसी क्रम में गौरवान्वित किया। हम उनके कर्जदार हैं एवं उम्मीद है कि उनके इष्ट मित्र एवं पुत्र-पुत्रियाँ इस गौरव को बनाये रखेंगे।

❖

वो अक्सर याद आते हैं....

अशोक कुमार पोद्दार

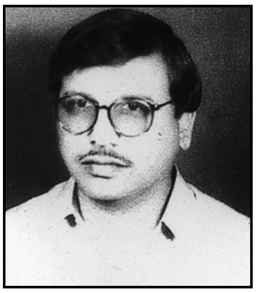

जीवन रूपी परीक्षा में सबों को शामिल होना पड़ता है। व्यक्ति अपने कार्यों को जीवन-अवधि सदश उत्तर -पुस्तिका पर अंकित करता जाता है। अक्सर जीवन की अंतिम संध्या पर अथवा जीवन-लौ बुझने के पश्चात ही उनकी भूमिका का मूल्यांकन होता है। यही सच है।

किन्तु कुछ इसके अपवाद भी होते हैं जिन्हें अपनी जीवन-भूमिका को देखने-समझने का अवसर मिल जाता है तथा कुछ इसे अपनी प्रभाव क्षमता से समयपूर्व जान लेना चाहते हैं।

आज पुनः मुझ जैसा नया तथा कम अनुभवी व्यक्ति को कलम से एक बड़ी उत्तर-पुस्तिका को समझने, देखने व उस पर अपनी अभ्युक्ति डालने का अवसर मिला है—मैं संतुष्ट हूँ, आत्म-विश्वास से भरा हूँ तथा इसी आधार पर मैं यह प्रयास कर रहा हूँ।

सतयुग के आदर्श पुरुष राम और लखन की संयुक्त प्रतिमूर्ति जिस संदेश को जनमानस पर उकेरती है वही छवि, स्व. रामलखन गुप्त में दिखी थी। सामान्य—सा व्यवहार तथा भविष्य में झाँककर देख सकने वाला क्षमतायुक्त व्यक्तित्व। आस—पड़ोस की पीड़ा से मर्माहत होने वाले तथा एक विशेष शैली में समाज के शोषित वर्ग को इकट्ठा कर लकड़ियों के गट्ठर की तरह बनाने की, उस समय के दुरूह (कठिन) कार्य को कर दिखाने वाले स्व. रामलखन गुप्त अविस्मरणीय हैं।

व्यवसाय से जुड़े निम्न व निम्नमध्यम वर्गीय दूकानदारों, व्यापारियों को भयंकर दोहन-उत्पीड़न, शासकीय भय, अफसरशाही और इंस्पेक्टर-राज से मुक्ति दिलाने हेतु व्यवसायी संघ संदेश नामक पत्रिका लाकर जिस मजबूती को उन्होंने इस वर्ग को दिया वह आज भी बना हुआ है। हिन्दी-उर्दू साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचन्द ने 1933 में अपने लेख में कहा था कि **"यह उम्मीद करना कि शोषण करने वाले शोषण करना छोड़ देंगे, कुत्ते से चमड़े की रखवाली कराने की उम्मीद करना है।"** स्व. गुप्त ने इस तथ्य को समझा और शोषण के विरुद्ध उठ खड़ा होने की नसीहत दी, नेतत्व भी अपने हाथों में लिया।

मुझे अपने व्यक्तिगत राजनीतिक-सामाजिक एवं व्यावसायिक अनुभवों से यह कहने में कतई संकोच नहीं हो रहा है कि व्यवसाय से जुड़े लोग एवं वैश्य वर्ग को अपने धनबल पर ज्यादा विश्वास है। सामाजिक गोलबन्दी से कोई सरोकार रखना समय व श्रम की बरबादी समझते रहे हैं वे तथा राजनीतिक ताकत दूसरों की विषय-वस्तु समझते-समझाते हैं। किन्तु जब कोई बड़ी विपत्ति, शासकीय-अफसरशाही का कुचक्र, के शिकार होते हैं तब कुछ घंटे/दिन तक यह याद रहता है कि हमें भी राजनीतिक चेतना रखनी चाहिए एवं

हिस्सेदारी मांगनी चाहिए। **लड़कर अपनी ताकत का एहसास कराना सोचते तक नहीं।** बस इससे ज्यादा नहीं सोचते।

स्थिति तब भी वही थी, आज भी वही है किन्तु पहले न तो व्यवसायी/दूकानदार गोलबन्द थे और न ही सरकार व प्रशासन पर दबाव बना सकते थे। स्व. गुप्त के प्रयासों से आज स्थिति बदली है। व्यवसायी वर्ग की कई संस्थाओं को मजबूती मिली है। अब इकाई से भी न्यायोचित व्यवहार करना प्रशासन की मजबूरी बन गयी है—इन सबके पीछे स्व. गुप्त खड़े हैं।

हमें यह भी याद रखनी चाहिए कि इस सुविधापूर्ण अवस्था को लाने में किन-किन व्यक्तियों ने भगीरथ प्रयास किए। जहाँ तक मुझे जानकारी है, स्व. गुप्त ने समाज के अन्दर कमजोर तथा पिछड़ों को संगठित किया। वैश्य समुदाय एवं व्यापारियों को पहली बार संगठन बनाकर जोड़ा। कविवर मैथिलीशरण गुप्त की पंक्तियाँ जीवित हो उठीं, **"दो 'एक' मिल ग्यारह हुए, किसने नहीं देखे-सुने, हैं शून्य के भी योग से, अंक होते दस गुणे।"**

'व्यवसायी संघ संदेश' पत्रिका के माध्यम से एक तरफ व्यवसायी/दूकानदारों को अपने अधिकार व व्यापारिक कानून को जानने-समझने का अवसर दिया तो दूसरी तरफ इस पत्रिका की मौजूदगी ने अफसरों के दुर्भावनापूर्ण एवं बेलगाम व्यवहारों को चकनाचूर करना शुरू कर दिया था। बाद के वर्षों में स्व. गुप्त की कमी काफी खलती रही। इसी बीच इस रिक्तता को स्व. बजबिहारी प्रसाद (पूर्व मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी, बिहार-सरकार) ने अपनी ओजपूर्ण उपस्थिति से इस वर्ग को पीड़ा देने वालों को हड़काया। उनकी हत्या कर दी गई। हमने उन्हें शहीद का दर्जा दिया। किन्तु, क्या यह सच नहीं है कि हम अपने वैश्य वर्ग के व्यापक हितों की लड़ाई लड़ रहे नेताओं, युवाओं की कद्र करना भी भूल जाते हैं, उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर यह समाज हमें बतलाये कि इतने बड़े बिहार में स्व. गुप्त या स्व. बजबिहारी सरीखे नेताओं की कितनी प्रतिमाएँ/स्मारकें आज किन-किन प्रखण्डों-जिलों में वैश्य-वर्ग के बीच प्राण फूँक रहे हैं? शायद, इस वर्ग को इसमें मुनाफे जैसी कोई बात नहीं दिखती!

वैश्य समाज के उत्थान में एवं राष्ट्रीय स्तर पर बराबरी के लिए प्रयासों की एक कड़ी के रूप में समर्पित उनका व्यक्तित्व स्पहणीय था। समाज -राष्ट्र के लिए हर पल, हर क्षण क्रियाशील बेचैन उनका व्यक्तित्व अक्सर याद आता है। स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त के प्रति स्मत्यार्चन के दो शब्द—

रामलखन प्रसाद गुप्त जी! कलम-युद्ध के वीर सिपाही!
फिक्र सर्वदा थी समाज की, सेवाएँ अपनी अमूल्य दे
अपने होने का प्रमाण दे, आजीवन शोषित समाज का
अथवा व्यवसाय कर रहे लोगों के हित में जीवन दान दिया
उसी वीर को अर्पित है यह श्रद्धा के फूल आज भी
वे मरकर भी अमर हो गए, चाहा नहीं तख्त और ताज
रचनाएँ अमूल्य थीं, अंकित मन पर है उनका व्यक्तित्व आज
कर्मभूमि में डटे रहे आजीवन ही लड़ते रहे
आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन है सब उनका काज

*जैसे जब मैं कहता हूँ—**'रामलखन'***
तो अंधकार छिप जाता है
विस्मित किरणें हो जाती हैं उजली
अ से ज्ञ तक चमक उठते हैं अक्षर
और सस्मित अधरों पर उग आते हैं
पुलक के पदचिह्न।

—संपादक

रामलखन बाबू के सान्निध्य में

ब्रजनन्दन प्रसाद साहु

स्व. श्री रामलखन प्रसाद गुप्त एक प्रखर ख्यातिप्राप्त लब्धप्रतिष्ठित अधिवक्ता ही नहीं, एक निर्भीक एवं ओजस्वी राजनेता भी थे। लम्बी-चौड़ी कद-काठी, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा तथा किसी से भी हर्ष के साथ मिलना, दीन-दुखिया एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए अहर्निश तत्पर रहना—यही उनके व्यक्तित्व की पहचान है। मैंने 1966 से, जब मैं पटना विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर एवं विधि का छात्र था तब से, उनके जीवनपर्यन्त तक उन्हें करीब से देखा एवं जाना। मैं उसी समय से उनके सान्निध्य में आया। उनके साथ जाति-सभाओं में भाग लिया, राजनीतिक सभाओं में शामिल हुआ तथा बिहार राज्य खाद्यान्य व्यवसायी संघ के आंदोलनों में अपनी भागीदारी निभायी। रामलखन बाबू संघ के फाउन्डर प्रेसिडेंट थे। सन् 1969 में उनकी ही प्रेरणा से मैंने, उनके मार्गदर्शन में, मुंगेर समाहरणालय में वकालत-पेशा शुरू किया। इसी साल पहली बार वे स्थानीय निकाय विधान पार्षद चुनाव क्षेत्र, जिसमें बेगूसराय नगर परिषद भी था, से बिहार विधान पार्षद चुने गये। यहाँ यह उल्लेख करना अति आवश्यक है कि वे अपने परिवार के पहले व्यक्ति थे जो मुंगेर जिला न्यायालय में एक अति व्यस्त एवं नामी वकील थे। उन्होंने एक बहुत विशाल विधि लाइब्रेरी की स्थापना की थी जिसका लाभ मुझे अपने वकालत-पेशा में मिला। यह उनकी ही प्रेरणा थी कि मैं भी अपने जिला बेगूसराय में वकालत-पेशा में अपने को स्थापित करने में समर्थ हुआ।

एक बार इन्होंने नव वर्ष के शुभकामना-पत्र में मुझे संदेश दिया था—'Destiny is not a matter of chance, it is a matter of choice.' जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना संयोग की बात नहीं है, वरन् इसे मनुष्य अपनी इच्छाशक्ति से प्राप्त कर सकता है। जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन में उन्हें मीसाबंदी के रूप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद में उन्हें हजारीबाग केंद्रीय जेल में स्थानान्तरित कर दिया गया। आंदोलन के बाद, चूंकि वे भारतीय जनता पार्टी में विधायक के टिकट के लिए प्रबल दावेदार होते और चूंकि ये वैश्य वर्ग से आते थे, इन्हें जेल से समय पर नहीं छुड़वाया गया। टिकट वितरण के बाद इन्हें जेल से रिहा किया गया। परिणाम हुआ कि वे चुनाव में खड़े नहीं हुए।

मान्यवर कर्पूरी ठाकुर के नेतत्व में जब सरकार बनी तो पुनः विधायक कोटे से उन्हें विधान पार्षद चुना गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्व. कर्पूरी ठाकुर तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री गुप्त जी की योग्यता एवं निष्ठा से इतने प्रभावित थे कि वे इन्हें मंत्री बनाना चाहते थे, पर चूंकि यह विभिन्न घटक दलों की सरकार थी, जिस वजह से बी.जे.पी. नेतत्व की सहमति नहीं मिलने से उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। अंत में, मेरे विनम्र

आग्रह पर उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता हेतु अपनी उम्मीदवारी दी तथा वे राज्यसभा के सदस्य चुने गये। यहाँ यह भी वर्णन करना समुचित होगा कि जब कभी भी मैं दिल्ली जाया करता था तो हर—हमेशा उन्हें विभिन्न एवं संसदीय विषयों पर लोकसभा के केंद्रीय पुस्तकालय में अध्ययनरत पाता था। उन्होंने अपने राज्यसभा के कार्यकाल में संसद में सक्रिय भागीदारी दर्ज करायी।

स्व. रामलखन गुप्त के साथ मुंगेर में मुझे ढाई वर्षों तक वकालत करने का सुअवसर मिला। मैंने हर हमेशा उन्हें सुबह 6 बजे से 10 बजे रात्रि तक वकालत कार्य के सिवा विभिन्न राजनीतिक संगठन से संबंधित कार्यों में व्यस्त रहते देखा और मैं हर-हमेशा सुबह से रात्रि तक उनके साथ साया की तरह बना रहता था। मैंने उन्हें कभी भी अन्यमनस्क बैठा हुआ नहीं पाया। यहाँ तक कि वो बीमार भी रहते थे तो विभिन्न विषयों पर डिक्टेशन दिया करते थे जिससे मुझे भी समय के मूल्य का ज्ञान हुआ और उसे भी मैंने अपने जीवन में समाहित किया, जिसका समुचित फल भी मुझे अपने व्यवसाय में प्राप्त हुआ। मुंगेर जिला के टाउन-हॉल मैदान में राजनैतिक या चुनावी भाषण हो या वैश्य समाज के सम्मेलन में भाषण हो, मैंने यह पाया कि समस्त श्रोतागण उनके भाषण को बहुत की शान्तचित्त व शान्तिपूर्ण ढंग से सुनते थे। वे अपने वक्तव्य में हर-हमेशा दीन-दुखियों एवं खासकर वैश्य समाज में सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना एवं शारीरिक बल जागत करते हुए पाया। वे हमेशा अपने भाषण में वैश्य समुदाय के लोगों से कहते थे कि—'प्रतिदिन अखबार में वैश्य समाज के विरुद्ध दबंगों के द्वारा अत्याचार एचं लूट-पाट की घटनाएँ छपती हैं। उनके विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा का ही परिणाम है यह कि आज समाज में वैश्य सार्थक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक रूप से सर ऊँचा करने में सफल हैं, पर चिन्ता का विषय है कि अभी भी वैश्यों के संख्या-बल के अनुरूप भागीदारी नहीं मिली है।

अंत में, मैं अपने इस लेख के माध्यम से समस्त वैश्य समुदाय के लोगों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने-अपने में संख्या-बल के आधार पर राजनीतिक भागीदारी प्राप्त करने हेतु तन, मन और धन से प्रयास करें। यही स्व. रामलखन गुप्त की अन्तरात्मा की शान्ति हेतु सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

❖

हमारा संगठन

यह संगठन अराजनैतिक है। सभी प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों तथा विषमताओं को दूर करना हमारा उद्देश्य है। छुआछूत भावना, सामूहिक निरक्षरता, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद आदि हमारी सामाजिकता के विरुद्ध हैं। दहेज प्रथा समाज में बुरी तरह प्रचलित हो गई है। वैवाहिक संबंध-विच्छेद की घटनाएँ भी बढ़ती जा रही हैं। इनकी जब तक भर्त्सना नहीं की जायगी, तब तक इनमें रुकावट नहीं आयेगी।

—रामलखन गुप्त

The Indian Spirit on Pilgrimage through the People

Alpana Gupta

Shri R.L.P. Gupta was born in a highly cultured Hindu family in 1926. He was a very prominent figure. He was of a religious temperament and was deeply loved by the people because of his good nature and nice character. He came from an efficient business community but instead of entering his family business, he looked up the profession of law and joined the Munger district Bar in 1953 and latter was President of the Bihar Rajya Khadyann Vyavasayi Sangh.

Though he was very much polite in manner, he was also very intelligent. He was a soft hearted man who can not see any one weeping. His main aim was simple living and high thinking.

The first time I met with my second father in the year 1975 in the month of June. At tha t time he came to my house for my sister's marriage proposal. As I was too small I felt very afraid to face him. I use to think that if I could be asked any question which I would be unable to answer then it will be very embarassing for me. But after half an hour, I made up my mind to face the situation. The moment I was there my whole body became red. I was getting so nervous that I can't express in which situation I was, but as he uttered a single sentence to me-(My daughter! why are you getting nervous, you are more than my own daughter.) The moment I got this sentence in my ear, my whole nervousness fled in the sky like a kite and from that moment I regarded him as my second father and I talked to him for several hours. On that day only he accepted my elder sister as his daughter-in-law. I was very happy on that day as I got a lovely father and now we were also related to him.

The second meeting with him was in Munger when we went for the engagement ceremony of my jija ji. He gave a very warm welcome to us. As in the ceremony big people came, he introduced me and my brother Sanjay as his own son and daughter. The time he introduced us our heart was filled with love for him.

The third meeting with him was in the M.L.A. flat when I heard about his arrival in Patna. I with my family members went to meet him. In the evening we came back in an hour. After an hour a very sad news came that he was in Phulwari Sharif Camp Jail in Patna. As I was very close to him, I always use to go with my father to meet him. There he always use to ask about my studies and many other things concerning it.

In 1978, I had a good journey with him to Delhi. As in my this small life, I went Delhi for 4-5 times but going with my second father was an another experience. He took me to the Parliament and showed and explained each and every thing in very detail. Really, this type of experience I never had in my life and I won't ever expect for it in the future also as now he is no more with us.

Whenever he used to come our home, we all family members were onverjoyed of his arrival. We, all brothers and sisters, use to sit with him for several houres and hence to give us his feelings. One day, he told us how a person can be happy in his life. I rememeber his few owrds i.e.-Thought and action must be co-ordinated in the life of a happy man. Thought without action and action without thought is meaningless. He also said that happiness is the inner state of mind. Happiness does not depend upon the health and wealth. His each word which came from his pure heart was very touching. He adored my father very much. He always use to tell us that in this big world, I have got many good friends, but your father is an exceptional one. He is a true friend, a good brother and a nice Samadhi. His this appreciation for my father filled my heart with love and respect for him.

My last meeting with him was on 17th January in 1985 which was very memorable for me. This time he was not well and was looking very weak also. As usual this time also I hads a nice conversaton with him. On 28th of January he left us alone with his past memories.

Late R.L.P. Gupta was an exceptional father and unique leader. He loved the whole of mankind and believed in truth. He travelled widely as an Ambassador of Indian culture carrying the message of love and brotherhood. I describe his visit as **'The Indian spirit on pilgrimage through the people.'** His work shows deep sympathy for the people and an intense sense of beauty. Though he is no more with us, he will be still loved and remembered by me and by million of people, he worked for.

SILENCE is a powerful enemy of social justice.
Shri Ramlakhan Gupta spoke whenever he faced social injustice.

– Balram Prasad

शिक्षा आज के समय की माँग है

रामलखन प्रसाद गुप्त

विज्ञान एवं तकनीकी के साथ-साथ विभिन्न कला-विषयों का भी बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। समय के इस परिवर्तन-चक्र के साथ-साथ जीवन की हर दिशा में अवधारणा एवं चिंतन की प्रणाली बदल रही है। ऐसी हालत में जब तक हम उचित शिक्षा नहीं पाते, अपने चतुर्दिक होने वाले इन परिवर्तनों को न तो समझ सकते हैं, न अनुभव कर सकते हैं और न अपनी कोई भूमिका ही निभा सकते हैं। किंडरगार्टेन स्तर से लेकर उच्च वर्गों में दी जाने वाली शिक्षा, यहाँ तक कि प्रौढ़ शिक्षा तक के लिए सरकार ने सुविधाओं का प्रावधान किया है। ऐसी कई छात्रवत्तियाँ भी हैं, जो मेधावी छात्रों, पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों अथवा विदेश पढ़ने जाने वाले योग्य उम्मीदवारों को दी जाती है। विदेशी सरकारों एवं टाटा, बिड़ला, साहू, जैन या अन्यों से संचालित ट्रस्टों द्वारा कई प्रकार की छात्रवत्तियाँ दी जाती हैं। इन संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का हमें लाभ उठाना चाहिए। सैनिक विद्यालयों, केन्द्रीय सरकारी विद्यालयों आदि में भर्ती होने के लिए हर साल कुछ प्रतियोगिता परीक्षाएँ आयोजित होती हैं। इनमें चुने जाने के लिए कोशिश की जाए और अपने बच्चों को इनकी जाँच-परीक्षाओं में बैठने के लिए तैयार कराया जाए तभी हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है। इसके लिए बहुत अधिक मेधा और प्रतिभा की उतनी जरूरत नहीं है जितनी सही दिशा-निर्देश की! हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी संख्या लगातार बढ़ रही है तथापि स्थिति संतोषजनक नहीं मानी जा सकती है। हमारी जाति में 'महत्त्वाकांक्षा' का भी बड़ा अभाव है। महत्त्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है। बिना महत्त्वाकांक्षा के हम ऊपर उठ नहीं सकते। पूरे देश में हमारे बीच के हजारों लोग शिक्षा-क्षेत्र में हैं एवं विदेशों में बसे हुए हैं और वे आगे जा रहे हैं। इसलिए हीन भावना छोड़ें, हर प्रकार का भय और कुंठा का त्याग करें और बहादुर बनें। आपको अपने कार्य-क्षेत्र में अवश्य सफलता मिलेगी। ईमानदारी, लगनशीलता और त्याग की आवश्यकता हर क्षेत्र में पड़ती है। राष्ट्र के कल्याण एवं उसको सबल बनाने के लिए हम सभी को अपेक्षित स्तर तक उठना ही होगा।

लेखन-चिंतन

जिनका मुखमंडल प्रसन्न रहता है,
जिनका हृदय दया से परिपूर्ण रहता है,
जिनकी वाणी से अमत-सी वर्षा होती रहती है,
जो निरंतर परोपकार करते रहते हैं,
उनकी सभी वंदना करते हैं।

वदनं प्रसन्न सदनं सदयं हृदयं सुधामुचोवाचः।
करणं परोपकरणं येषां न ते वन्द्याः।।

जयन्ति ते सुकतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः।
नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्।।

उन पुण्यशील रससिद्ध कवियों (अक्षरपुरुषों) की जय हो
जो अपने यशःशरीर से सदैव अजर-अमर रहते हैं।

हमारे संगठन की आधारशिला और उद्देश्य

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त, एडवोकेट
एम.ए., बी.एल., भूतपूर्व सांसद
वर्तमान अध्यक्ष : अखिल भारतीय तैलिक वैश्य महासभा

साहू जाति का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है और इसमें एक से एक विद्वान, सेनापति, समद्ध बैंकर, मंदिर-निर्माता, दानी आदि होते रहे हैं। इसकी जानकारी हमें डॉ. एस. अल्तेकर, भूतपूर्व प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, पटना युनिवर्सिटी द्वारा लिखित तेली का इतिहास' से पता चलता है। उन्होंने बिहारशरीफ क्षेत्र के संबंध में उल्लेख किया है। श्री ओमली ओर श्री जेम्स ने 'पटना गजेटियर' के द्वितीय संस्करण के पष्ठ 57 पर लिखा है—'नालंदा के बौद्धमठ के बड़े प्रवेश-द्वार का निर्माण 'तैलाधक वंश के दानी व्यक्तियों में प्रमुख बालादित्य' ने किया था। इन लेखकों ने 'तैलाधक वंश में प्रमुख बालादित्य ने' शब्दावली को उद्धरण-चिह्नों में लिखा है। इससे स्पष्ट है कि इन्होंने इसे किसी प्रामाणिक ग्रंथ से उद्धत किया है। श्री ओमली और श्री जेम्स ने जिस लोकोक्ति अथवा स्रोत को आधार बनाया है, यदि वह ऐतिहासिक है तो इसका परिणाम यह होगा कि महान् गुप्त वंश जो आम तौर से वैश्य समझा जाता है, तेली जाति से सम्बद्ध होगा क्योंकि ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा के मठों का निर्माण करानेवाला बालादित्य गुप्त वंश से तेली जाति का ही था, और इससे यह निष्कर्ष भी सामने आता है कि बालादित्य और उनका गुप्त वंश तेली जाति का ही था। स्थानीय लोकोक्ति के अनुसार नालंदा से भगवान बुद्ध की विराट् मूर्ति, जिसे 'तेलिया भंडार' कहते हैं, एक तेली ने स्थापित करायी थी ओर सन् 1235 ई. में जब तिब्बत के योगी धम्मस्वामी नालंदा में आये थे तब इस मूर्ति को तेल में स्नान कराया था। Rising People of India; P.144 का उल्लेख करते हुए डॉ. अल्टेकर ने कहा कि 'बिहार में इस (तेली) जाति का स्थान तेलगांना के तेलियों की भाँति ऊँचा माना जाता है।'

जाति-व्यवस्था संघर्ष का कारण नहीं!

इस भारत भू के विशाल हिंदू समाज में जाति-व्यवस्था विद्यमान है। वर्ण-व्यवस्था श्रेष्ठ एवं श्रम-विभाग के आधार पर वैज्ञानिक समाज-रचना है। इसमें कुछ विकतियाँ आ गयी हैं। ऊँच -नीच की भावना तथा छुआछूत आदि का दोष इस विकति के कारण हैं। यह वर्ण -व्यवस्था न तो भेद का और न पारस्परिक संघर्ष का ही कारण है। इतिहास में ऐसा भी एक उदाहरण नहीं मिलता जब एक जाति या वर्ण ने दूसरी जति या वर्ण पर आक्रमण किया हो या इस आधार पर राष्ट्रविरोधी भावना का परिचय दिया हो। इसके विपरीत दीखता तो यही है कि पथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मुहम्मद गोरी को आमंत्रण देने वाला जयचंद, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के मनसूबों को पूरा करने में सहायक मानसिंह, छत्रपति शिवाजी के मार्ग में बाधाएँ

उपस्थित करनेवाले तथा पेशवाओं के शनिवार बाड़े पर भगवा ध्वज को उतारकर उसकी जगह अंगजों का यूनियक जैक फहरानेवाले लोग उनकी ही जाति के व्यक्ति थे। झगड़ा जाति-जाति के बीच नहीं, व्यक्ति-व्यक्ति के बीच होता रहा है।

जातियों ने तो संपूर्ण राष्ट्र की कल्पना लेकर, आधार-धर्म के नियमों को भंग कर के भी राष्ट्रीय एकात्मकता का परिचय दिया है। किंतु, आज तो जाति के आधार भी पारस्परिक विरोध और राष्ट्र के हितों के विरुद्ध आचरण, चारों ओर दिखाई देता है। इसी प्रकार संप्रदाय, पंथ, भाषा आदि सबका आधार लेकर भेदमूलक संघर्ष की भावनाएँ आज चारों ओर खड़ी हो गई हैं।

'जाति' हिंदू समाज का एक अंग है। हमें हिंदू समाज के लिए आदर रखना है। संपूर्ण हिंदू समाज के महापुरुषों को स्मरण रखना है। परंतु, आज इसका अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया जा रहा है। इस मनोवति की मैं भर्त्सना करना चाहता हूँ। हम सभी जातियों के लोग एक धर्म-संस्कति वाले समाज के ही पुत्र हैं। एक-दूसरे से हम जुड़े हैं—इसे भूलना नहीं चाहिए। पथकता से तो सर्वनाश ही हो जाता है। जब समाज ही समाप्त हो जायेगा तो जाति कहाँ रहेगी?

समाज को सुखी रखने के लिए अपनी वर्ण-व्यवस्था सर्वोत्कष्ट प्रतीत होती है। परंतु आज इसे 'जातिवाद' की संज्ञा देकर इसका उपहास किया जाता है। इसका उल्लेख करने में लोगों को अपना स्वाभिमान नष्ट होता दिखाई देता है। इसे लोग 'व्यवस्था' न कहकर 'भेद' समझने लगते हैं। वे जाति मात्र का उच्चारण करने में लज्जा का अनुभव करते हैं।

इसमें जो ऊँच-नीच का भाव आ गया है, वह ठीक नहीं है। वास्तव में इस प्रकार की भिन्नता न तो समाज के लोगों में किसी भेद की सष्टि करती है और न किसी को छोटा या बड़ा—ऊँचा या नीचा बनाती है। 'गीता' में तो कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने नियोजित कर्म को करता है, वह उसी के द्वारा परमात्मा की भी उपासना करता है।

यदि ज्ञानदान के कारण ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो क्षत्रिय शत्रु-संहार करके उतना ही श्रेष्ठ है। इसी प्रकार वैश्य, जो कषि और व्यवसाय करते हुए समाज का पोषण करता है तथा शूद्र जो अपनी शिल्प-कुशलता एवं श्रम से समाज की सेवा करता है, श्रेष्ठत्व में किसी से कम नहीं है—यही हमारे यहाँ की वर्ण-व्यवस्था है।

हमारा उद्देश्य स्पष्ट रहना चाहिए। यह संगठन संपूर्ण हिंदू समाज को चिरजीवी बनाने के लिए होना चाहिए। समाज में एकता, और पारस्परिक प्रेम के उद्देश्य से हम खड़े हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं—

'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात्।।'

यह संकुचितता नहीं है! इस संगठन में इसके प्रति संकुचित विचार रखनेवालों के प्रति मन में कतई दुर्भावना नहीं है। संकुचितता उसको कहना चाहिए जब कोई संगठन दूसरी जाति के प्रति द्वेष-भाव रखता हुआ उसे कष्ट देने के लिए नहीं, अपने समाज के कष्ट को दूर करने के लिए ही यह 'सभा' प्रयत्नशील है। इसे समद्ध और वैभवशाली बनाने का कार्य बिना किसी द्वेष और विरोध-भाव के करना गलत नहीं, बल्कि स्वागत-योग्य है। इसमें किसी को भी कष्ट देने का सवाल नहीं है।

प्रतिक्रियात्मक नहीं!

प्रतिक्रिया के आधार पर इस सभा की स्थापना नहीं हुई है। जो संस्था प्रतिक्रिया की भावना लेकर उत्पन्न होती है, वह अधिक दिनों तक चल नहीं सकती। प्रतिक्रिया का कारण समाप्त होते ही वह संस्था समाप्त हो जाती है। तात्कालिक समस्याओं को सामने लेकर संगठन खड़ा नहीं हो सकता । तात्कालिक संगठन कभी बलवान नहीं होता।

आधार विरोध नहीं!

इस संगठन का आधार विरोध नहीं हो सकता। विरोध न तो कार्य में सात्विकता रहती है और न स्थायित्व, उलटे अपने विरोधी की बुराईयाँ ही अपने अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। संगठन विरोध के कारण नहीं, अपितु पारस्परिक प्रेम, एक दूसरे के प्रति सहयोग-भाव, बिना प्रतिदान की आशा के, अपने बंधुओं के कल्याण आदि के कारण ही बल प्राप्त होता है। इसकी इस स्पीरिट के प्रति जाति सेवक हर सदस्य के मन में सच्ची निष्ठा होनी चाहिए और हमेशा तदनुकूल रचनात्मक आचरण निष्ठा के साथ करना चाहिए। निस्संदेह ऊँच-नीच तथा छूआछूत की भावना हिंदू समाज में है। इसे हटाने के लिए प्रशासनिक, वैधानिक एवं शैक्षणिक उपाय करने होंगे। जाति के आधार पर भेद-भाव नहीं रखना चाहिए। राजनीति में अभिशप्त, सदियों से अभिशाप झेलते , शिक्षा तथा संस्कार की दष्टि से पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए विशेष सुविधा सरकार को देनी चाहिए। बिना उसके सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति करना संभव नही होगा। यह जाति भी हिंदू समाज में दूसरों के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, इसके लिये इसे हमेशा जागरुक रहना चाहिए। इसमें अभिरूचि नहीं लेने से हम प्रगति में पीछे पड़ते चले जायेंगे आजकल सामाजिक जीवन का हर पहलू राजनीति के प्रभाव में है। चाहे वह क्षेत्र शिक्षा का हो अथवा व्यवसाय एवं उद्योग का—यहाँ तक कि नौकरी भी इससे वंचित नहीं है।

मनोबल ऊँचा रहना आवश्यक!

हमारा इतिहास श्रेष्ठ रहा है। हमारा योगदान समाज में चलते हुए हर आंदोलन के साथ रहा है। हम काफी प्रगति भी कर रहे हैं। एक से एक विद्वान, कर्मनिष्ठ, सामाजिक कार्यकर्त्ता हमारे बीच हुए और हो रहे हैं। फिर हमारा मनोबल नीचा क्यों रहे? हम निराशावादी क्यों बने? हमें तो उच्च मनोबल से कार्य करना है। सामाजिक कुरीतियों को हमें लड़-भिड़कर यथाशीघ्र दूर करना है।

जाति के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, परंतु अंततः श्रद्धा का केंद्र तो हमारा हिंदू धर्म और अपनी मातभूमि है। राष्ट्रीयता की प्रखर भावना जागत रखते हुए कार्य करना हमारा कर्तव्य होगा। स्वयं में मातभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की मनोवत्ति को हमें उत्तरोत्तर बढ़ाना चाहिए। इससे हमें स्फूर्ति मिलेगी। मातभमि को —'विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यम्' कहा गया है। यहाँ के जड़ या चेतन, सभी को बराबर कहा गया है। पहाड़ों को देवताओं के निवास के रूप में देखा गया है और नदियों को माता समझा गया है। अतः हिमालय से सागर तक फैली हुई मातभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने का हम संकल्प लें! यही हमारा परम कर्तव्य है।

❖

महँगाई तथा खाद्यान्न-व्यवसाय का सरकारीकरण

रामलखन प्रसाद गुप्त
एम.ए., बी.एल., एम.एल.सी
अध्यक्ष : बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ

अहमदाबाद के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में दिनांक 9.10.72 को यह प्रस्ताव पारित कर लिया गया कि सरकार चावल और गेहूँ का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लेगी। तदनुसार सभी राज्य सरकारों से यह आग्रह किया गया है कि शीघ्रताशीघ्र वे उपर्युक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करें। बिहार के मुख्यमंत्री श्री केदार पांडेय जी ने यह घोषणा कर दी कि सरकार खाद्यान्न के थोक एवं खुदरा, सरसों तेल, किरासन तेल एवं कपड़े का व्यापार अपने हाथों में लेकर सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से बिक्री करेगी।

खाद्यान्नों का उत्पादन

1970-71 में खाद्यान्न 11 करोड़ बीस लाख टन पैदा हुआ। अधिक उत्पादन के कारण कषि -मूल्य आयोग ने गल्ले की कीमत कम होने के भय से 1971 के अंत में न्यूनतम कीमत निश्चित कर दी। यह उत्पादन पिछले वर्ष से 6-7 प्रतिशत अधिक था। परंतु दूसरे ही वर्ष गल्ले का उत्पादन 1 करोड़ 10 लाख टन हो गया। इस वर्ष में अर्थात 1972-73 में तो उत्पादन मात्र 9 करोड़ 50 लाख टन आंका गया है। विदेशों से खाद्यान्न का आयात पिछले वर्ष बंद कर दिया गया था। सस्ते गल्ले की दूकानों के द्वारा सस्ते भाव में गल्ला-वितरण का कारण इस वर्ष 130 करोड़ रुपये सबसीडी के रूप में लगे। गत वर्ष मौसम अनुकूल रहने के कारण कषि -उत्पादन में वद्धि हुई, परंतु लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई है। गल्ला का उत्पादन पिछले वर्ष के 6-7 प्रतिशत की तुलना में मात्र 3.2 प्रतिशत ही बढ़ा है। औद्योगिक उत्पादन में तो दो प्रतिशत की ही वद्धि हुई है। सच्चाई तो यह है कि उत्पादन की कोई भी प्रमुख ईकाई अपनी पूर्ण क्षमता भर कार्य नहीं कर सकी। गत खरीफ फसल की सफलता, जिसे 'हरित क्रांति' कहा जाता है, मात्र मौसम की अनुकूलता के कारण प्राप्त हुई है।

एक ओर तो सभी उत्पादकों में कमी रही है और दूसरी ओर बाजार में डेफीसिट फाइनांसिग, आंतरिक ऋण, सरकार द्वारा बैंकों से ऋण आदि के कारण रुपये की वद्धि अत्यधिक हो गयी है और चीजों की कीमतें बढ़ती चली गयी है। गत 16 वर्षों में मुद्रास्फीति आर्थिक जीवन का एक अंग बन गई है। सन् 1956 से 1966 के बीच कीमतों में 80 प्रतिशत की वद्धि हुई हैं 1966 से, जबकि ततीय पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, जुलाई 1972 तक मूल्यों में 55 प्रतिशत और वद्धि हो गयी। (इकोनोमिक टाइम इनडेक्स) गत वर्ष 1972 के अक्टूबर तक में उपभोक्ता वस्तुओं की ओर सरकार ने गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया। यह कभी नहीं सोचा कि

निश्चित आयवाले लाखों परिवारों को इससे कितनी कठिनाईयाँ हुई हैं। सत्य तो यह है कि मुद्रास्फीति के कारण जीवन-बीमा रखनेवाले, प्रोविडेंट फंड जमा करनेवाले, पेंशन पानेवाले तथा सरकारी सिक्युरिटी लेनेवाले, कम कीमतवाला रुपया पा रहे हैं जबकि उन्होंने ज्यादा कीमतवाला रुपया लगाया था। ज्ञातव्य है कि रुपये की कीमत घटकर आज मात्र 42 पैसे रह गई है। डेफिसिट फाइनांसिंग, जो 1969-72 में 58 करोड़ रुपये की थी, वह 1970-71 में 365 करोड़ की हो गयी अर्थात् योजना काल के प्रथम दो वर्षों में 432 करोड़ हो गयी जबकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य 850 करोड़ का है। इसके अतिरिक्त आंतरिक ऋण, रिजर्व बैंक से केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों से लगभग 1000 करोड़ से अधिक ही बाजार के अंदर आ गये हैं। एक ओर रुपये का बाहुल्य और दूसरी ओर उत्पादन की कमी के कारण वस्तुओं की कीमत में वद्धि होना स्वाभाविक हो गया है। बाजार में रुपये का बाहुल्य सिर्फ सरकार के कारण होता है इसलिए चीजों की कीमतों में वद्धि का मुख्य कारण सरकार की गलत आर्थिक नीति का साधन अथवा काला बाजार, वस्तुओं की कमी एवं रुपये के बाहुल्य का नतीजा है। 1956 में जब ततीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी उस समय दो हजार दो सौ 17 करोड़ रुपये की आपूर्ति की गई थी। अब वह 8 हजार 4 सौ करोड़ रुपये है। अर्थात् रुपये की आपूर्ति में 1956 से अब तक 400 प्रतिशत की वद्धि हुई जबकि राष्ट्रीय आय में मुश्किल से दुगुनी वद्धि हुई है।

केंद्रीय सरकार द्वारा चार हजार करोड़ की पूंजी से चलाये गये सरकारी उद्योगों में 30 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ है। कम से कम 10 प्रतिशत भी मुनाफा अगर रहता तो इसमें 400 करोड़ का मुनाफा होता और उस पर लगभग 400 करोड़ रुपये टैक्स आते और इस तरह सरकारी कारोबार में 890 करोड़ रुपये का घाटा होता है और उसके 30 करोड़ के घाटे के लिए जनता को टैक्स किया जाता है। उपर्युक्त बातों को ऊपर ध्यान नहीं देते हुए निजी क्षेत्र के कारोबार को सरकार अपने हाथ में ले लेना चाहती है, जो सर्वथा अनुचित है। सरकारीकरण वस्तुतः छोटे-छोटे नागरिकों के लिए सजा के समान है, जो अपने-अपने राष्ट्रीय आय के प्रत्येक रुपये में 30 पैसा सरकार को देकर देश की प्रगति में सहयोगी रहे हैं। अभी हाल में रूस के एक अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीयकरण की अनुपयोगिता के विषय में कहा है, जो निम्नलिखित है।

Owing to the economic weakness of the state, the private secter must be ealisted in the solution of these problems, Attempts to nationalise the private secter outright, including retail trade, public catering, transporation and other services, have been made in some countries but have led to a shortage of goods, high prices and grow of the 'black market' and contraband trade.'

(Mr. R. Ulenovski, a leading soviet economic com mentator).

सरकारी वस्तुओं के मूल्यों में वद्धि का कारण

सरकार कहती है कि सारी दुनिया में वस्तुओं की कीमत बढ़ी है, किंतु अगर देखें तो पता लगेगा

कि पिछले नौ वर्षों में विश्व की कीमत में 40 प्रतिशत की वद्धि हुई है जबकि उसी अवधि में हिंदुस्तान में वस्तुओं की कीमत 90 प्रतिशत बढ़ी है। इस तरह देश में दरिद्रता बढ़ती जाती है ओर यहाँ तक बढ़ी है कि आज यहाँ 40 प्रतिशत आबादी निपट गरीबी-रेखा अर्थात् 33 रुपये 37 पेसा प्रतिमाह की आमदनी से नीचे हैं।

वस्तुओं के मूल्य में वद्धि का दोष वितरण -प्रणाली में बताकर सरकार खाद्यान्नों का व्यापार अपने हाथों में लेना चाहती है, जो बिल्कुल ही अनुचित एवं अव्यावहारिक है।

अंत में, राज्य सरकार को मैं चेतावनी देता हूँ कि बिहार सरकार इसे लागू करने से पहले गंभीरतापूर्वक इससे उत्पन्न होनेवाले संभावित परिस्थितियों पर विचार कर ले। बिहार में खाद्यान्न हमेशा आवश्यकता से कम पैदा होता है। दूसरे राज्यों से खाद्यान्नों की आपूर्ति यहाँ की जाती है। खाद्यान्नों का सरकारीकरण राज्य का विषय है। बिहार सरकार के जितने भी उद्योग या व्यापार हैं, सभी में सिर्फ घाटा ही नहीं हुआ हे, कई की तो पूंजी ही समाप्त हो गयी है और कारोबार बंद कर देना पड़ा है। एक छोटी दुकान 'अपना बाजार' को अगर बंद कर देने की बात सोची जा सकती है तो गल्ला का व्यापार, जो मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा व्यापार है, सरकार उसे कैसे कर सकती है?

सरकार को रुपयों की कमी है। आज बेकारों की, जिनकी संख्या नियोजनालय के अनुसार 50 लाख से अधिक पंजीकत है , जबकि उनकी वास्तविक संख्या पंजीकत के अतिरिक्त और भी कई गुणा अधिक है, काम देने के लिए रुपयों की आवश्यकता है। चावल-गेहूँ की वार्षिक पैदावार 6 करोड़ 50 लाख टन है, जिसके एक तिहाई की बाजार में खरीद-बिक्री होती है। सिर्फ खरीदने के लिए 2200 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। यातायात, भंडार एवं बाजार करने में और भी रुपये खर्च होंगे।

थोक व्यापार करने की बातें सोची ही नहीं जा सकतीं जब तक कि एकाधिकार उगाही या बहुत अधिक मात्रा में 'लेवी' का खाद्यान्न भारत के 7 करोड़ किसानों से नहीं लिया जाय।

थोक व्यापार के प्रशासन में, जो कम से कम 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत गल्ला की कीमत का खर्च होगा—यह खर्च या तो किसानों को दिये जानेवाले कीमत से काटा जायेगा या उपभोक्ताओं पर लागू कीमत से जोड़ना होगा। इस कारण यह बहुत महंगा हो जायेगा। खाद्यान्नों का थोक व्यापार 3 प्रतिशत से भी कम मुनाफे पर चलता है।

राज्य सरकार को 1963-64 से 1967-69 के बीच 330 करोड़ का घाटा हुआ है। इस व्यापार में घाटा और भी बढ़ जायेगा।

खाद्यान्नों का व्यापार सरकार के हाथों में जाने का अर्थ होगा—खाद्यान्नों में पूर्ण राशनिंग और इस कारण प्रत्येक किसान एवं उपभोक्ता कानून तोड़नेवाले हो जायेंगे।

नौकरशाही में भ्रष्टाचार एवं मुद्रास्फीति और वद्धि होगी, जो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा।

खाद्यान्नों के व्यापार का सरकारीकरण महँगाई की समस्या पर निदान नहीं है जब तक कि डेफिसिट फाइनांसिंग, जो लगभग 100 करोड़ प्रतिमाह की दर से पड़ता है, रोका नहीं जा सकता ओर गल्ला-उत्पादन

तेजी से बढ़ने का प्रयत्न नहीं किया जाय। हरित क्रांति का प्रचार कर हम अपने को धोखे में नहीं रख सकते। पैदावार-वद्धि का श्रेय अगर सबसे अधिक किसी को है तो गल्ला की कीमतों में वद्धि को ही है। अतः सरकार गल्ला-उत्पादन में वद्धि के प्रोत्साहन के केंद्र को समाप्त नहीं करे, परंतु निश्चित आयेवाले व्यक्ति को निश्चित कीमत पर खाद्यान्न की आपूर्ति करने की व्यवस्था करे। आज देहात की 70 प्रतिशत आबादी को और शहर की 30 प्रतिशत आबादी को खाद्यान्नों की आपूर्ति करनी पड़ती है।

हम ऐसा कोई कदम नहीं उठायें कि शहर में रहने वाली 30 प्रतिशत आबादी का जीवन हिम्मतपस्त हो जाये।

❖

आज हम ऐसे समय में एकत्र हुए हैं जबकि देश की स्थिति हमें पूर्ण एवं निश्चित रूप से सचेत रहकर सभी समस्याओं पर सोचने, विचारने के लिए आगाह कर रही है। हम सभी इस बात से पूर्णरूपेण अवगत हैं कि पिछले वर्ष आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति अव्यवस्थित एवं अवनत हो गई। गरीबी रेखा के नीचे आने वालों की संख्या में काफी वद्धि हुई है। कषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, खासकर सीमेंट, लोहा, कागज, खाद आदि में 1979-80 की तुलना में काफी गिरावट आयी है। सुरसा की तरह बढ़ती हुई महंगाई ने देश की स्थिति को छिन्न-विछिन्न कर दिया है। भारतीय जनता त्राहिमाम कर रही है। यह समाज जो देश का एक पिछड़ा और गरीब तबका है, उनकी आर्थिक अवस्था और खराब हो गई है। देश की सामाजिक स्थिति सुधरने के बदले बिगड़ती जा रही है। संपूर्ण देश में क्षेत्रवाद, भाषावाद, भाई-भतीजावाद की लहर फैली हुई है। प्रशासन के मुख्य पद पर आसीन अधिकारी उपरोक्त 'वाद' के अनुसार नौकरी, प्रोन्नति, स्थानांतर करने में सराबोर है। जिस समाज के लोग मुख्य पद पर नहीं हैं, आज उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाती। यहाँ तक कि उसे न्याय भी नहीं मिल पाता है। घुटन में रहने और ठोकर खाने के सिवा उन्हें कोई और विकल्प नहीं। अगले वर्ग के व्यक्ति, पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। गुजरात का वर्तमान आरक्षण विरोधी आंदोलन इसका ज्वलंत उदाहरण है। समाज में सर्वत्र उनके छाये रहने के कारण पिछड़ों को आगे बढ़ पाना कठिन है। नतीजा यह है कि 'अगला' आगे ही बढ़ते जाते और पिछड़े पीछे ही पड़ते जाते हैं।

—रामलखन प्रसाद गुप्त

विदेश यात्रा की कहानी अपनी ही जुबानी

रामलखन प्रसाद गुप्त

भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ के नेतत्व में रूमानिया के लिए दिनांक 19.9.1982 को पालम हवाई अड्डा से प्रस्थान किया। यह सद्भावना यात्रा थी जिसमें विरोधी दल की ओर से मैं और श्री मनीराम बागड़ी तथा सत्तारूढ़ दल के तीन सांसद शामिल थे। दल के सचिव के रूप में राज्यसभा के सचिव श्री सुदर्शन अग्रवाल थे। पालम हवाई अड्डा पर विदेश मंत्रालय, लोकसभा सचिव, रूमानिया दूतावास के विशेष अधिकारी तथा अनेक नागरिकों ने माल्यार्पण कर प्रतिनिधिमंडल को सभा के विमान एस. फ्लाइट से खुशी-खुशी विदाई दी।

प्रतिनिधिमंडल ताशकंद, लेनिनग्राड होते हुए मास्को पहुँचा। मास्को में भारतीय दूतावास, एयर इंडिया, रूमानिया दूतावास के उच्चाधिकारियों ने आगवानी कर मास्को का विशाल होटल—'होटल इंटरनेशनल' में हमें ले गये। यह होटल मास्को नदी के किनारे अमेरिकन इंजीनियरों द्वारा बनाया गया है।

रहन-सहन में ताशकंद जहाँ पौराणिकता को परिलक्षित करता है, लेनिनग्राड मास्को से भी अधिक पाश्चात्य स्वरूप रखता है। मास्को नगर, भारतीय दूतावास की व्यवस्थानुसार हम सभी घूमते रहे। वहाँ का मेट्रेरियल, स्वयंवर, क्रेमलिन, यूनिवर्सिटी आदि देखने का है जहाँ हम स्वच्छंद रूप से गये। नगर से 30 किलोमीटर दूर 'विक्टरी पैलेस' देखा जहाँ से हिटलर हार कर लौटा था। बाहर का कोई विजेता रूस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है जिसका कारण अत्यंत सशंक एवं मास्को का देश के घेरा से बहुत अंदर स्थित रहना है। जाड़ा में तो मास्को नदी भी जम जाती है, जिस पर लोग चलते हैं। वहाँ चर्च आदि तो हैं परन्तु उसे ऐतिहासिक स्थान की तरह रखा जाता है उसमें प्रार्थना करने कोई नहीं जाता। क्रेमलिन के निकट एक चर्च का घंटा विश्व में सबसे अधिक वजन वाला 200 मीट्रिक टन का जुड़ा हुआ देखा। वहाँ विवाह कर रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दुल्हन, ईसाई दुल्हन के वेशभूषा-सफेद कपड़ा में दुल्हा के साथ सजी थी। गाड़ी पर ऐतिहासिक स्थान पर मित्रों के साथ खाते-पीते हैं। चर्च में शादी नहीं होती।

रूबल (राशि मुद्रा) की दुकान काफी महंगी है जबकि डालर मुद्रा की दुकान में लगभग उससे आधी कीमत पर वही चीजें प्राप्त होती हैं। वहाँ के लोग स्वस्थ सुंदर हैं। शत-प्रतिशत शिक्षित एवं नौकरी में हैं। कोई भिखमंगा नहीं है। परन्तु आज भी अन्न के लिए अमेरिका पर ही निर्भर करना पड़ता है और राशन दुकानों में लम्बी लाइन लगी रहती है। वहाँ अमेरिका का कोका-कोला पेय बहुत प्रचलित है। वहाँ व्यक्तिगत गाड़ियाँ कम हैं परन्तु पब्लिक गाड़ियाँ अधिक हैं।

रूमानिया भी कम्युनिष्ट देश है अत्यंत साफ-सुथरा। वहाँ के निवासी खासकर महिलाएँ अत्यंत सुंदर हैं। वहाँ भी शत-प्रतिशत शिक्षा, नौकरी, मकान और दवा की व्यवस्था है। वहाँ गाड़ियाँ बहुत हैं, पर शिविर

में जाने की परिपाटी बहुत अधिक है। वातावरण अत्यंत साफ-सुथरा है। चर्च में वहाँ लोग जाते हैं। उन्हें कोई रोक नहीं है। वहाँ सरकारी गेस्ट हाउस 'खण्ड' में हम सभी ठहराए गए। 23 सितम्बर को वहाँ का राष्ट्रीय दिवस होता है जिसमें भाग लेने को आमंत्रित किए गए। एक दिन पूर्व बड़ा 'एसेम्बलीग्रल' में हम ले जाये गए जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के उच्चाधिकारी के समक्ष बुखारेस्ट के मेयर के द्वारा स्वागत किया गया तथा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी द्वारा रिपोर्ट पढ़ा गया। नारवार हॉल के लगभग 50 हजार नागरिक घूम-घूमकर ताली बजा-बजाकर वहाँ पच्चीस वर्षों से चले आते हुए राष्ट्रपति 'निकोल्स कोसेसक्यू' की प्रशंसा करते थे और राष्ट्रपति भी हाथ हिला-हिलाकर नागरिकों का साथ देते थे। दूसरे दिन राष्ट्रपति के यहाँ रात्रिभोज में वहाँ के सभी उच्चाधिकारी, नेता, राजदूत आदि के साथ 'जलपान' पर हम इकट्ठे हुए जहाँ राष्ट्रपति एवं उनकी पत्नी श्रीमती एलेना कोसेसक्यू, जो वहाँ के द्वितीय प्रधानमंत्री भी हैं, को पेय का ग्लास सटाकर उनके दीर्घायु होने की कामना की जाती थी। छः दिनों तक रूमानिया हम घूमते रहे। अंत में राष्ट्रपति के साथ हमलोगों की बातचीत हुई। विदेशमंत्री के साथ भी बातें हुईं जिसे वहाँ दूर-दूर तक प्रचार किया गया। वहाँ के ग्रैसेड राष्ट्रीय एसेम्बली (पार्लियामेंट) के अध्यक्ष श्री नीकोल्स ग्लोसियन से शुरू में ही हम मिले। उनके ही आमंत्रण पर हम गये थे। वहाँ कई स्थानों पर हम गये। हर एक स्थान पर पार्टी के सचिव, नगर को गए। वहाँ के गवर्नर के साथ मिलते थे। कुछ न कुछ भेंट देते थे।

रूमानिया में मिलिसिया से लोग बहुत डरते हैं। घर बाहर के नागरिक विदेशी सेवाएँ करने में घबड़ाते हैं। वहाँ भी कोर्ट हैं और वकील भी हैं जो सरकारी ही होते हैं। वहाँ सबों को घर उपलब्ध है।

घर सभी सरकारी हैं एवं कई मंजिले हैं। राष्ट्रपति का कहना है कि अधिक जमीन खाद्यान्न उत्पादन में लगाना है मकान बनाने में नहीं। वहाँ खेती सहकारिता और सरकारी है। पहाड़ी भूमि निजी खेती के लिए है। कहीं बैल दिखते नहीं। उसे खा जाया जाता है। बैलगाड़ी घोड़े से खींची जाती है। कहीं-कहीं बैलगाड़ी दिखाई पड़ी। वहाँ की सड़कें बड़ी अच्छी हैं। एक-दो स्थान पर तो सड़क को ही चौड़ा कर हवाई जहाज को उतारने का टेलीपैड बनाया हुआ है जो दोनों काम में आता है।

रूस और रूमानिया दोनों ही देशों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। वहाँ वाक्या या विचार स्वतंत्रता नहीं है। रूमानिया के एक विरोधी लेखक ने रूमानिया से भागकर फ्रांस सरकार में राजनैतिक शरण ली थी। इस पर उसे जबर्दस्ती उठाकर पेरिस ले जाया गया था। परन्तु उसे फिर फ्रांस की खुफिया पुलिस द्वारा रूमानिया पुलिस से पुनः अपने यहाँ लाया गया।

कम्युनिस्ट देशों में निजी व्यापार नहीं

रूस और रुमानिया में निजी व्यापार नहीं है। जो है वह सभी सरकारी है परन्तु वहाँ टिप बहुत चलता है। एक हजार वाला चालीस रुपये में बनाता है तो 10 रुपये टिप देना पड़ता है क्योंकि वहाँ 40 प्रतिशत तो सरकारी हो गया।

रोम

रोम प्राचीन सभ्यता का केन्द्र स्थान है। उसके मकानात में पौराणिकता विद्यमान है। अधिकतर मकान

पत्थर के बने हैं जिन्हें वाम की पोताई और रंगाई बिना पूर्ण अनुभूति के कोई नहीं करा सकता है। आज भी संध्या में कहीं कला, चित्रकारी का प्रदर्शन और कला–कतियाँ आमतौर पर होती हैं। वहाँ पोप का 'मेटाकन सीटी' है जहाँ सैंट पीटर्स दुनिया का सबसे बड़ा चर्च और बहुत ही दिव्य बना हुआ है। वहाँ पोप का शासन है और किसी सरकार का शासन नहीं। वहाँ घोड़ावाली रिक्शा या फिटन गाड़ी पर काफी पैसे देकर लोग चढ़ कर प्राचीनता का आनन्द उठाते हैं।

लंदन

रोम के बाद लंदन पहुंचा। वहाँ सर्वत्र आजादी अनुभव होती है। 'वीसा' की जरूरत ही वहाँ नहीं थी। सिर्फ पूछा गया कि कितने दिन रहूँगा। भारतीय, पाकिस्तानी, अफ्रीकन आदि काफी संख्या में नागरिक थे। सभी देशों के नागरिक अगल-बगल अपना-अपना मकान खरीद कर रहते। ग्रैंड पार्क में कुर्सियाँ लगी रहती थीं। नगर-नगर भाषणबाजी चल रही थी। रेल ट्रेन सर्विस काफी अधिक और सुविधाजनक थी। हिंदू स्वयंसेवक संघ के एक अधिकारी द्वारा उनके मैदान में चल रही शाखा, चर्च खरीद कर उसमें स्थापित श्रीनाथ जी का मंदिर आदि देखने को मिला। वहाँ बहुत कुछ भारतीय वातावरण जैसा अनुभव हुआ। बस से संपूर्ण लंदन देखा।

लंदन के बाद पेरिस 'पेरिक' पहुँचा। एक बहुत ही सुंदर नगर, शीशा का अधिकाधिक उपयोग, बस स्टैंड भी शीशा, सड़क सुंदर और साफ, पेरिस टावर, वही म्यूजियम, नग्न बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ आदि रमणीय दश्य देखने को मिला। पेरिस की सड़कों के अंदर घरेलू कार पार्किंग मार्ग और बाजार मानो अंडरग्राउंड पेरिस था।

पेरिस से मिश्र में कैरो 'कुवैत' होता हुआ कुवैत पहुँचा। वहाँ एयरफोर्स के द्वारा होटल मेरीडियन में ठहराया गया। कुवैत एक छोटा-सा राज्य एक ही नगर, स्वच्छंद बाजार, जापान, कोरिया, इंगलैंड, जर्मनी आदि का सामान काफी सस्ता उपलब्ध था। सर्वत्र बालू ही बालू परन्तु उसके नीचे पेट्रोल। भारतीय वहाँ एक लाख पन्द्रह हजार के लगभग हैं।

कुवैत से दुबई होता हुआ दिल्ली पहुँच गया। दुबई में भी भारतीय काफी संख्या में हैं।

यूरोपीय देश

यूरोपीय देश विकसित देश है। रहन-सहन, अनुशासन, धन-धान्य से परिपूर्ण है। शत-प्रतिशत नागरिक शिक्षित देश है। कहीं भी कोई भिखमंगा देखने को नहीं मिलता। कम्युनिस्ट देश अर्थात् रूस और रोमानिया में कोई बेकार नहीं है। फ्रांस, इंगलैंड, इटली में कुछ बेरोजगार अवश्य हैं परन्तु नगण्य हैं। यूरोपीय देशों में लगभग सभी परिवार को कार है। इटली में तो प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को गाड़ी है। जहाँ गाड़ी की कीमत बीस हजार रुपये है। सफाई तो सभी यूरोपीय देशों में बेहद है। सड़क पर गंदगी क्या कागज का टुकड़ा भी नहीं। सभी स्थानों पर वेस्ट पेपर बास्केट बना है, वहीं सभी फेंकते हैं।

कीमत महंगी

आवश्यक सामग्री की कीमत भारत की कीमत से कई गुनी, लगभग अधिक है। परन्तु वहाँ वेतन भी उसी अनुपात में अधिक है। कोई घर का नौकर तीन

हजार रुपये प्रतिमाह से कम में नहीं उपलब्ध है। कम्युनिस्ट देशों में अर्थात् रूस, रूमानिया में खाद्यान्न आयात करना पड़ता है। लोकतांत्रिक यूरोपीय देशों में आपधापी बहुत है। प्रत्येक व्यक्ति कार्य व्यस्त, प्रातः से रात्रि तक काम में लगा रहता है। क्योंकि वे नौकर रख नहीं सकते; घर, दरवाजा, कार चलाने से मरम्मत तक सभी खुद करते हैं। परिवहन एवं संचार व्यवस्था अत्यंत चुस्त और व्यवस्थित है। इंगलैंड में चर्च, कोई भी धर्मावलम्बी द्वारा खरीदे जा सकते हैं। वहाँ साम्प्रदायिक तनाव नहीं के बराबर है। अपने-अपने धर्म का प्रचार स्वच्छंदतापूर्वक कर सकते हैं। हिन्दू स्वयंसेवक संघ की शाखाएँ इंगलैंड के सभी शहरों में हैं परन्तु कोई रोक नहीं। छुट्टी के दिन भी लोगों को फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि सप्ताह भर का काम करना पड़ता है।

फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंटरनेशनल

इनके सदस्य विश्व के अनेक देशों में हैं। मास्को में मैंने श्री अतुल सावंती, पत्रकार से बातें की। उन्होंने बम्बई में होने वाले इसके चौथे सम्मेलन में 24 से 26 दिसम्बर, 1982 में शामिल होने का आश्वासन दिया। कुवैत में भी श्री ओ.पी. दत्त से बातें हुई और उन्होंने भी ऐसा ही आश्वासन दिया। इस सोसाइटी की स्थापना लंदन में भारत के इमरजेंसी के समय हुई थी। वहाँ हुए सम्मेलन का अत्यधिक प्रभाव पड़ा जिस कारण इमरजेंसी हटानी पड़ी थी।

अरब देश

अरब देशों की स्थिति भिन्न है। वहाँ बाहर के नागरिक, काम करने वाले अधिक हैं। पेट्रोल-तेल के कारण उनकी कमाई अधिक है और वहाँ काम करने वालों को अधिक वेतन मिलता है। वहाँ न ही नदी, न पेड़, न मिट्टी, न पानी है। समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाता है।

यात्रा सुविधा

यद्यपि मैं पहली बार विदेश गया था परन्तु कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुआ। रोम तक तो प्रतिनिधि मंडल के साथ ही था। उसके बाद मैं अकेले भ्रमण किया परन्तु बुखारेस्ट रूमानिया में टी. एयर इंडिया में सभी स्थानों का टिकट दे दिया था। सभी देशों के दूतावास एवं एयर इंडिया के अधिकारियों को अगवानी, विदाई, आवास की व्यवस्था करने का टेलेक्स कर दिया गया था और सभी स्थानों, दोनों विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित मिले और आने-जाने, ठहरने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कुवैत में एयर फ्रांस ने ले ओभर दे होटल मेरेडियन में ठहराया गया था। सभी देशों के विमानों में सबसे अधिक आरामदेह और शिष्ट मैंने ब्रिटिश एयरवेज को पाया। दिल्ली में एयर इंडिया, विदेश विभाग एवं ब्रिटिश एयरवेज के ऑफिसरों ने अगवानी की। कस्टम ऑफिसर को विदेशों से लाये सामान की ड्यूटी देकर दिल्ली आवास प्रातः पाँच बजे वापस आ गया।

उच्च मध्यम वर्ग एवं धनी व्यक्तियों के लिए भारत छोड़ कहीं अधिक सुख एवं आराम मैंने अनुभव नहीं किया।

❖

यात्राएँ हमें ज्ञान परिदान करती हैं।

—रामलखन प्रसाद गुप्त

रामलखन प्रसाद गुप्त

अभिभाषण

बिखरती रही सुगंध चन्दन की

❑ आपका जीवन गीता का कर्मयोग था। ❑ आपने भगवान् बुद्ध के 'आत्मदीपो भव' भावना को समाविष्ट कर अपनी प्रकाश रश्मियों से वैश्य बन्धु समाज को आलोक प्रदान किया। ❑ शोषण, उत्पीड़न तथा प्रताड़ना के विरुद्ध स्वर आपका व्रत था। ❑ आपने उपेक्षितों के हृदय में जागति का शंखनाद किया एवं प्रेरणा-स्रोत बनकर मार्गदर्शन करते रहे। ❑ सागर की तरह विशाल हृदय रख आपने अपने-पराये का बिना भेदभाव किये सबकी हमेशा सेवा की। ❑ राष्ट्र एवं जनसेवा हेतु अपनी महती वकालत को दरकिनार कर सम्पूर्ण मानवता की सेवा कर आपने अपने अपूर्व औदार्य का परिचय दिया। ❑ सत्य को सत्य एवं असत्य को असत्य कहने में आपको किंचित झिझक नहीं होती थी। ❑ राजनीतिक मठाधीशों ने आपके वर्चस्व, ओजस्विता एवं प्रतिभा पर ग्रहण लगाने की एक न छोड़ी, सदा अवरोधक बनकर आपके सामने खड़े रहे, लेकिन आप स्वयं स्वपथ निर्माण कर सतत् प्रगतिशील बने रहे। ❑ आपका आत्म-विश्वास, कठोर साधना, व्यवहारकुशलता, माधुर्य, कौशल, सहृदयता अनुकरणीय है।

"हजारों साल नर्गिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा!"

—युगल किशोर गुप्त

विधान परिषद् (मार्च, 1973) सम्भाषण

गल्ला व्यापार के सरकारीकरण से जनता भूखों मरने लगेगी

"अभी तक जो सरकार चलती आ रही है वह सच माने में एक तानाशाही सरकार है क्योंकि जितनी भी शक्तियाँ संविधान की धारा 113 में दी गई हैं उनके विपरीत सरकार ने कार्य किया है। संविधान की धारा 113 के अनुसार जब हाउस सेशन में न हो और अत्यावश्यक कार्य के लिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़े तभी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। लेकिन पिछले दो वर्षों में सरकार ने 286 अध्यादेश जारी किये हैं। 1971 में 113 और जनवरी 72 तक 173। 23/8/72 को जिस रोज सत्र की समाप्ति हुई थी उसी रोज 26 अध्यादेश जारी किये गए थे और उसके दूसरे रोज अर्थात् 24.1.72 को यानी सत्र की समाप्ति के ठीक दूसरे रोज 12 अध्यादेश जारी किये गये। इस तरह दो वर्षों के अंदर 286 अध्यादेश सरकार द्वारा जारी किये गये। अभी भी इस सदन में 61 अध्यादेश सदन की मेज पर सरकार ने रखा है। उनमें से उदाहरणस्वरूप एक अध्यादेश की ओर आपका ध्यान आकष्ट करना चाहता हूँ। बिहार बालक ततीय अध्यादेश, 1972 को देखने से आपको पता चलेगा कि इसके लिए बिहार सरकार कोई तारीख तय करेगी उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जब सरकार चाहेगी तब लागू किया जायेगा। स्पष्ट है कि यह अत्यावश्यक होता तो सरकार इसे तुरंत लागू करती। ऐसी स्थिति में सरकार का कदम क्या संविधान के विपरीत नहीं है? संविधान की धारा 174(1) में प्रावधान है कि हाउस की बैठक 6 महीने के अंदर ही बुलाना होगा। 5-5 महीने बीत जाने के पश्चात् जब सरकार ने देखा कि अब आगे समय बढ़ाया नहीं जा सकता है तब हाउस की बैठक बुलाई गयी यानी छठे महीने में बैठक बुलायी गयी। इसका मतलब यह होता है कि जो संविधान में प्रवत्त शक्तियाँ हैं उसके स्पिरिट ठीक से उपयोग न कर सरकार मनमाने ढंग से कार्य कर रही है। तीन-तीन बार एक ही अध्यादेश को संशोधन कर अध्यादेश जारी किया गया है जो जनतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध है। इससे सदन का और सदन के मेम्बरों की प्रतिष्ठा का हनन् हुआ है।

दूसरी बात है शहरी सम्पत्ति की हदबंदी की। हमलोगों ने बिल पास कर दिया लेकिन वह आज तक कानून का रूप नहीं ले सका। आज तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो सका है और उसके मुतल्लिक सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसमें सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि शहरी संपत्ति की हदबंदी संबंधी कानून शीघ्र लागू हो। लेकिन सरकार इसे लागू करने में देरी कर रही है। इससे साफ मालूम होता है कि सरकार की नीयत कुछ और है और इस मामले में कुछ ढिलाई बरतना चाहती है। इस संबंध में जिस भावना में बात करनी चाहिए थी वह राज्यपाल के अभिभाषण में भी नहीं आ सकी।

कल हमारे यमुना बाबू कह रहे थे कि हरित क्रांति के लिए सारी योजनायें बन रही हैं। सरकार के यहाँ

योजना बन रही है। लेकिन आज जरा बाहर में जाकर देंखे तो आपको पता चल जायेगा कि सरकार की हरित क्रांति क्या है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि हरित क्रांति से हम गल्ले के मामले में आत्म निर्भर हो जायेंगे। हमारी पैदावार बढ़ रही है लेकिन मैंने कल उनको बताया था कि पिछले तीन वर्षों में अर्थात् 1970-71 में 112 मिलियन टन पैदा हुआ था। 1971-72 में घटकर 101 मिलियन टन पैदा हुआ तथा 1972-73 में सिर्फ 15 मिलियन टन पैदा हुआ। मैंने यमुना बाबू को बताया कि बात लें तो बिहार एक कमी वाला राज्य है और पिछले साल एक मिलियन टन गल्ला बाहर से मंगाना पड़ता है। इस समय 3 मिलियन टन मँगाने का सरकारी अनुमान है। सरकार 1 अप्रैल से गेहूँ के व्यापार का सरकारीकरण करने जा रही है। चावल के व्यापार का भी सरकारीकरण होगा। मेरा अनुमान है कि जिस दिन से सरकार सरकारीकरण करेगी वह दिन सरकार के लिए काला दिन होगा। सरकार से व्यापार नहीं चल सकता है। आपने देखा होगा कि पिछले दो महीने से सस्ते गल्ले की दुकानें खुलीं हैं लेकिन उनमें गल्ला नहीं है। बिहार में गल्ला बाहर से नहीं आये तो यहाँ के लोग भूखे मरेंगे। जब गेहूँ के व्यापार का सरलीकरण होगा तो यहाँ खाद्यान्न-दंगा हो जायेगा। खाने के लिए दंगे होंगे। यहाँ के भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा गल्ले का सरकारीकरण नहीं चल सकता है। मैं सदन को बतलाना चाहता हूँ कि अभी गल्ले का सरकारीकरण हुआ भी नहीं है लेकिन सरकार के आपूर्ति विभाग के भ्रष्ट कर्मचारी तीन-तीन हजार रुपये घूस में ले रहे हैं कि सरकारीकरण होने पर आपको दूकान देंगे। आप समझ सकते हैं कि जहाँ इस तरह के भ्रष्ट कर्मचारी हैं वहाँ गल्ले का सरकारीकरण क्या हो सकता है। यह व्यापार किस तरह चल सकता है। व्यापारी आपूर्ति विभाग के कर्मचारी के खिलाफ चैलेंज नहीं करते हैं कि यदि चैलेंज करेंगे तो उनका लाइसेंस छीन लिया जायेगा। लेकिन मैं सदन में एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मुंगेर के व्यापारियों ने आपूर्ति विभाग के इंसपेक्टर श्री कमलनयन के खिलाफ लिखकर दिया कि वे घूस माँगते हैं। रुपया देने के लिए मजबूर करते हैं। कलक्टर ने एस.डी.ओ. को जाँच करने का आदेश दिया। एस.डी.ओ. ने सेकेंड औफिसर को जाँच का आदेश दिया। जाँच हुई, व्यापारियों का बयान लिया गया। आरोप सिद्ध होने पर एस.डी.ओ. ने तुरंत उन्हें मुअत्तली का आर्डर दिया। कलक्टर ने भी तुरंत उन्हें मुअत्तली का आर्डर दिया।

सभापति—सरकार इस ओर ध्यान दे। बहुत ही सिरियस चार्ज है।

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त—लेकिन वहाँ के एक विधायक ने लिखकर भेज दिया कि उनका चरित्र उत्तम है। मिनिस्ट्री से एस.डी.ओ. को आदेश चला गया कि उनको सस्पेंड नहीं किया जाए। जहाँ इस तरह के भ्रष्ट कर्मचारी हैं वहाँ गल्ले का सरकारीकरण कैसे चल सकता है? सरकार यदि कपड़े का, लोहे का, डालडा आदि का व्यापार करती है तो उससे भूखों मरने की नौबत नहीं आती है। लेकिन गल्ले के व्यापार से तो जनता मरने लगेगी। खाने के लिए दंगे हो जायेंगे। और इसी कारण आज भुखमरी फैल रही है, बेकारी बढ़ रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं कहूँगा कि जिस दिन यहाँ व्यापार का सरकारीकरण हुआ, इस सरकार के लिए उस दिन से उसका अंत

प्रारंभ होगा। अतः मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकष्ट करना चाहता हूँ कि आज इस काम में अपना हाथ न लगायें। साथ ही साथ सरकार का ध्यान इस ओर आकष्ट करना चाहता हूँ कि व्यापार के अंदर लेवी को अपनाया गया है। वे किसानों पर बहुत लेवी लगा रहे हैं।

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त—मैं यह बताना चाहता हूँ कि स्टेट ट्रेडिंग में फैली 400 रुपये टन खरीदा और उसको 1400 रुपये टन बेचा। जब इस पर विचार किया गया तो बताया कि दूसरे चीजों में जो घाटा होता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ऐसा किया गया। इसी तरह फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने 52 रुपये ज्वार खरीदा और बेचा 88 रुपये क्विंटल। आप कांग्रेसी व्यापारी की बात छोड़ दें। सरकार की रिपोर्ट है कि 35 लाख टन गल्ला चूहा वर्ष में खा जाता है। सरकार यदि चूहा मारने का काम ही 35 वर्षों तक करती रहती तो 35 लाख टन गल्ला बचा सकती थी। चूहा की बात नहीं है। चूहा को मारने के लिए बिल्ली रखी गई जिस पर लाखों रुपया का खर्च है। यह जब पूछा गया कि बिल्ली क्यों रखी गई तो सरकार ने बतलाया कि चूहे दवा खाते-खाते एंटीबायोटिक हो गये हैं, अतः अब चूहा दवा से नहीं मरते हैं, इसी कारण बिल्ली रखी है, तो एफ. सी. आई. तथा ट्रेडिंग कारपोरेशन की यह हालत आप साफ देख ही रहे हैं। मैं यह कोई भाषण देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं यह सच्ची बात कह रहा हूँ। सरकार की जो हालत है वह तो आप जानते ही हैं। आप किसानों पर लेवी लगाते हैं 40 प्रतिशत। आपको सोचना चाहिए कि किसानों को हर चीज कम कीमत पर नहीं मिल सकती है। उसको बाहर से भी सामान, कपड़ा, स्कूल फीस आदि पर खर्च करना पड़ता है। क्या आप इन सब चीजों को उनको कम कीमत पर देते रहते हैं? आप किसानों से 73 रुपये क्विंटल चावल लेते हैं और बेचते हैं 130 रुपये क्विंटल। इस तरह से किसानों पर यह बहुत नाजायज भार होगा। कम से कम आप उससे बाजार भाव पर लें। कम से कम उनको वाजिव दाम मिलना चाहिए। जिस दिन से सरकार व्यापार अपने हाथ में ले लेगी उस दिन से किसानों को तबाह किया जायेगा। व्यापार के सरकारीकरण करने से व्यापारी को कोई नुकसान नहीं है। इससे किसानों और उपभोक्ता को काफी नुकसान होगा। मैं साफ शब्दों में एलान करता हूँ कि कोई किसान कभी भी अपना गल्ला सरकार को आधी कीमत में न दे। किसानों को जो स्वतंत्रता है अपना गल्ला बाजार में बेचने की, उसकी हम जनसंघ वाले रक्षा करेंगे। आप किसानों से 40 प्रतिशत की बात करते तो इस तरह से 120 हो जाता है। आपको लेवी कानून बनाते समय इस पर विचार करना चाहिए था। इस संबंध में सरकार ने एक सरकुलर जारी किया है।

इस सरकुलर का नं. है एम.पी.सी. 1-10-72 सप्लाई—751, दिनांक 25-1-73। अभी तक जो कानून था कि एक ही लेवी होगा और एक लेवी लग जाने पर यह डिकलरेशन हो जायेगा कि इस पर लेवी लग चुका है तो दूसरी जगह लेवी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इस सरकुलर के मुताबिक इन्होंने लेवी को मंल्टीप्वाइंट कर दिया है। एक ही चावल जहाँ-जहाँ जाता जायेगा सब जगह लेवी लगेगी और लेवी देने में व्यापारी को 50 प्रतिशत का घाटा होता है। तो इस हालत में क्या कोई व्यापारी बच सकता है?

इनकी सारी योजना फेल हो रही है। जो खुदरा विक्रेता भी है जिसके ऊपर लेवी नहीं लगनी चाहिए उससे भी जबर्दस्ती वसूल किया जाता है और कहा जाता है कि दो क्विंटल ही दो, चंदा समझ कर ही दो, लेकिन दो अवश्य। इस तरह का लेवी दरभंगा से लिया गया और वहाँ के कर्मचारियों ने हड़ताल की। कपड़ा के दुकानदारों से भी यह कहा गया है कि आप लेवी दीजिए—चाहे-चंदा ही समझकर दीजिए। लोगों से कहा जाता है कि नहीं दीजियेगा तो लाइंसेंस केंसिल कर देंगे और इस तरह उन्हें दवा करके सारे राज्य में लेवी लिया जा रहा है। मैं सरकार से कहूँगा कि वह सचमुच में सोचे और इस तरह से वसूल नहीं करे। नहीं तो आप विधि व्यवस्था की बात करते हैं लेकिन विधि.....

श्री मुंगेरी लाल—जो गरीब लोग हैं उन्हें खिलाने की क्या व्यवस्था की जाय, इस संबंध में भी कुछ कहिये?

श्री रामलखन गुप्त—माननीय सदस्य मुंगेरी बाबू ने अच्छा प्रश्न किया जिसका जवाब मुझे देना चाहिए। आज जो गल्ले की कीमत बढ़ रही है चूंकि गल्ले का उत्पादन कम हुआ है। वितरण का कोई दोष नहीं था। उत्पादन में जो रुपया पैसा लगाना चाहिए था वह नहीं हुआ। परंतु सबसे बड़ा दोष कांग्रेसी सरकार का है और वह यह है कि आपने सरलीकरण की बातें कीं और एलान हुआ कि बाहर से माल नहीं आयेगा तो बाहर के जो राज्य हैं उन्होंने अपना एक्सपोर्ट बंद कर दिया। बिहार पहले से ही डेफिसीट राज्य था और इस साल 30 लाख टन गल्ले का डेफिसीट सभी राज्य, राजस्थान, हरियाणा, यू.पी., उड़ीसा जो गेहूँ देते थे सबों ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो तुरंत ही गल्ले की कीमत बढ़ गयी और सब जगह दिक्कत हो गयी। अब जो फकरूद्दीन अली अहमद, सिंदे साहब या प्रधानमंत्री कहती हैं कि हर राष्ट्र ने जो एक्सपोर्ट बंद कर दिया वह चालू होना चाहिए। कल हमारे सप्लाई मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इंटर डिस्ट्रीक्ट रेस्ट्रीक्शन कर रहे हैं। मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ कि बंगाल में भयानक अकाल हुआ था बिट्रिश के जमाने में क्योंकि उसने भी इसी तरह का रेस्ट्रीक्शन कर दिया था गल्ले के मूवमेंट में, और आप भी रेस्ट्रीक्शन करते हैं तो राज्य का यह भाग जहाँ गल्ला का होता है वहाँ के लोग भूखों मर जायेंगे, क्योंकि छोटानागपुर में कल कारखाना है लेकिन गल्ला कम पैदा होता है। वहाँ गल्ला कहाँ से आयेगा और इसका नतीजा होगा कि भ्रष्टाचार होगा इसके कारण। इसका एक और कारण है, सारे बिहार के अंदर एक भी मुकदमा ब्लैक मार्केटिंग का किसी व्यापारी के ऊपर नहीं है और न एक केस जमाखोरी का। क्योंकि जो आप लाईसेंस देते हैं उसी के अंदर काम करते हैं और गल्ला रखते हैं। इसलिए दोष है तो 12सौ करोड़ जो मनी सप्लाई किया है उसी के कारण चीजों की कीमत बढ़ी है और कम उत्पादन के कारण बढ़ी है न कि वितरण में दोष के कारण।

श्री रामविलास शर्मा—इसीलिए तो एफ.सी.आई. को ला रहे हैं कि होर्डिंग भी हो और ब्लैक मार्केटिंग भी हो।

श्री रामलखन गुप्त—इसलिए मेरी साफ राय है ऐसे लेवी पर सरकार सोंचे। गैरकानूनी ढंग से वसूल नहीं किया जाय। जहाँ पर कानूनी ढंग से वसूल किया जा रहा है उसके ऊपर भी सोचें। चावल का बाजार दर है 170 रुपये क्विंटल और लेवी की दर

है 15-25 पैसे प्रति क्विंटल। इसी प्रकार गेहूँ का बाजार दर है 130 रुपये प्रति क्विंटल तथा लेवी की दर 71 रुपये प्रति क्विंटल है। थोक व्यापारी अधिक दाम पर लेकर कम दाम पर कैसे बेच सकते हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि लेवी के कारण हरित क्रांति खतम हो रही है। जिन कारणों से चीजों का दाम बढ़ रहा है। इन कारणों पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

इसके साथ मैं लघु उद्योग की बात कहना चाहता हूँ। बिहार के अंदर हम देखते हैं काफी संख्या में लघु उद्योग बंद हो रहे हैं। कितने स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज के औफिसर हट रहे हैं, रिजाइन कर चले गये हैं। सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है। इसके संबंधों में कुछ आँकड़े आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार में कंपनी का शेयर कैपिटल 1967-68 में 6.38 करोड़ था वहाँ पर 1968-69 में घटकर 86 लाख हो गया है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का बढ़ा है। सेंट्रल गर्वनमेंट का न्यू कंपनी का शेयर कैपिटल 68-69 में 18.51 करोड़ था वहाँ पर 1969-70 में 216.26 करोड़ हो गया है। यह कितनी अच्छी योजना है। इस प्रकार लाइसेंस को देखा जाय। बिहार में 1956 से 1966 यानी 10 वर्षों के अंदर सिर्फ 517 लाइसेंस मिली थी। जबकि पंजाब में 632 लाइसेंस मिली थी, महाराष्ट्र में लघु उद्योग 20 प्रतिशत बढ़ा है और बिहार में 6 प्रतिशत बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में विद्युत का दर बहुत अधिक हैं। इसके संबंध में दो-तीन दरें आपके सामने रख रहा हूँ। 1000 किलो वाट खर्च करने वाले कंपनी की दर बिहार में 14-16 पैसा है जबकि हरियाणा में 9-23 पैसा युनिट है। भारी उद्योग के लिए बिहार में बिजली का दर 14-21 पैसा है। जबकि हरियाणा में 7-84 पैसा है। 250 किलोवाट खर्च करने वाले का दर बिहार में 16-15 पैसा है जबकि हरियाणा में 10-66 पैसा है। मध्यम उद्योग के लिए बिहार में 21 पैसा है जबकि हरियाणा में 12-80 पैसा है। इस तरह से बिजली के दर में वद्धि और बिजली की कमी के कारण बिहार में उद्योग कैसे पनप सकता है।

यहाँ पर चीनी का इतना उत्पादन होता था कि इस देश की आवश्यकता की तीस प्रतिशत पूर्ति हो जाती थी लेकिन अब वह घटकर 8 प्रतिशत हो गया है। केंद्रीय सरकार से बिहार राज्य को इतनी मोहब्बत है कि केंद्रीय सरकार के इशारे पर राज्य सरकार बोलने लगती है। लेकिन उसके बावजूद जहाँ दूसरे-दूसरे राज्यों को 81 करोड़ रुपया मिला है वहाँ बिहार को केवल 90 लाख रुपया मिल पाया है। ऐसी परिस्थिति में बिहार का उद्योग फेल हो रहा है और हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम पीछे हो रहे हैं।

अब मैं विधि व्यवस्था के संबंध में कुछ चर्चा कर देना चाहता हूँ। हमलोग प्रतिदिन इसके संबंध में खबरें सुन रहे हैं। हाल में सुना है कि किस तरह बस से निकाल कर हत्या की गयी है। हत्या दो बजे दिन में की गई है।

अब मैं इसी संबंध में राज्य सरकार के समक्ष एक उदाहरण रखना चाहता हूँ। लखीसराय के अंदर एक दिन में 135 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके सबंध में कुछ कह देना आवश्यक समझता हूँ। सिर्फ एक नये बाजार मुहल्ले में 135 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऐसी घटना 1942 में भी नहीं हुई थी। अंग्रेजों ने भी अत्याचार किया उससे भी ज्यादा कांग्रेसी सरकार ने किया है। कांग्रेसी सरकार

का यही पुलिस विभाग है कि 135 लोगों को एक दिन में गिरफ्तार किया गया। इसके संबंध में मैं इसकी पष्ठभूमि को कह देना चाहता हूँ।

लखीसराय के अंदर यह हुआ कि एक जगह पर जब दो व्यक्तियों के बीच मारपीट हुई तो उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहाँ की जनता जागी और कहा कि इस तरह अन्याय क्यों हो रहा है? उन लोगों ने एस.पी. को फोन किया। उसके बाद पुलिस गयी और रोकथाम किया गया। उसके बाद पुलिस ने निर्दोष और ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जो उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे। इस गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ के नागरिकों ने तय किया कि बाजार बंद किया जाये। जब ऐसी बात हुई तो वहाँ के एस.डी.ओ. और दरोगा पुलिस के साथ दुकान पर गये। उस समय हजारों आदमी दुकान के बाहर खड़े थे। उन लोगों ने दुकान को खोलने नहीं दिया। जिस दिन एस.डी.ओ. साहब गए थे उसी दिन 135 आदमी को गिरफ्तार किया गया।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि वहाँ की पुलिस टमटम वालों और रिक्शा वालों को पीटती है। सभी पार्टी के लोगों ने मिलकर इसके विरोध में आवाज उठायी।

एक और घटना है कि सरकार को एक चिट्ठी मिली है कि किसी व्यक्ति की दुकान में 10 हजार क्विंटल चावल है। इसे सरकार ने जाँच करा दी। जांच कराने के बाद 10 चावल भी उस दुकान में नहीं मिला। चावल नहीं मिलने पर भी मुझे कल सूचना मिली है कि उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। क्या यह उचित है कि दस चावल नहीं मिलने के बाद भी लाइसेंस को रद्द कर दिया जाय।

क्या यही कारण है और कानून की मर्यादा इसी तरह से रहेगी। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि गंगा पर पुल आवश्यक है। पाकिस्तान के साथ युद्ध में हमने देखा कि वहाँ लाखों लाख नावों के रहने के बावजूद सरकार जो व्यवस्था चाहती थी वह नहीं हो सकी थी। पूर्वी क्षेत्र में गंगा पर पुल बनाना आवश्यक था। इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। मुंगेर का स्थान इसके लिए उपयुक्त स्थान है जहाँ गंगा बहुत कम चौड़ी है और एक तरफ नेशनल हाइवे है। दोनों जगहों पर पुल की आवश्यकता है जिसका जिक्र होना चाहिए था। इसके साथ-साथ शिक्षा मंत्री को जो कि यहाँ मौजूद हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इसी हाउस में उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपया आकर पड़ा हुआ है। एक तरफ तो कहा जाता है कि बिहार गरीब है और तीन करोड़ 70 लाख जनता गरीबी रेखा के नीचे है। परंतु दूसरी तरफ शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपया आया परंतु उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि अगले माह मध्याह्न भोजन प्रत्येक स्कूल में शुरू नहीं किया गया ओर करोड़ों रुपया केंद्र सरकार को चला गया इसलिए कि राज्य सरकार का कहना है कि हम रसोईया कहाँ से लायें तथा रसोइया का वेतन कौन देगा। इसी के कारण केंद्रीय योजना सदन में आश्वासन देने के बावजूद चालू नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप यहाँ के लोगों की जो भलाई होनी चाहिए थी, वह नहीं हो सकी।❖

राज्यसभा (मई, 1979) सम्भाषण

वित्त विधेयक

उपसभापति महोदय,

फायनेंस बिल पर बोलने के समय मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि जनता पार्टी की सरकार जबसे आई है तब से आर्थिक स्थिति में बहुत ही ज्यादा सुधार हुआ है और हर पैमाने पर, हर जगह सुधार हुआ है। लोग शांति की सांस लेने लगे हैं।

व्यवधान!

राष्ट्रीय उत्पादन की वद्धि -दर 3.6 प्रतिशत रही, औद्योगिक उत्पादन की दर 8 प्रतिशत विद्युत उत्पादन की दर 12.9 प्रतिशत तथा लोहे एवं सीमेंट के उत्पादन में भी काफी वद्धि हुई है। इस प्रकार की परिस्थिति है और इसी कारण से मैं फायनेंस बिल का समर्थन करता हूँ। इन चीजों के अलावा इसमें बहुत सारे दोष भी रह गये हैं जिनकी तरफ मंत्री महोदय का ध्यान नहीं गया है। इस जनता पार्टी के इलेक्सन मैनिफैस्टो में टैक्सेशन पर जो पालिसी थी, मैं उसे पढ़ता हूँ।

"Election Manifesto"

Taxation : The burden of taxation today falls heavily on the common man because of the levy of a number of Excise Duties and Sales Tax on articles of mass consumption. The incidence of indirect taxation on the poorer section has increased many times since independence. The operation of sales tax has also led to malpractices and harrassment. The Janta party considers it desirable to replace Sales Tax with appropriate excise duties coupled with a formula which would ensure that the states derive steadily increasing share from the total collection thus maintaining the element of elasticity that is today being provided by sales tax. The party works towards a restrictive tax policy and strongly encourages savings.As far as direct taxation is concerned it will raise the minimum exemption limit for Income Tax to Rs. 10,000.

यह एक्जम्पशन लिमिट 10 हजार तक आती है। इनके चुनाव मैनीफेस्टो में यह साफ तौर पर है, कि सेल्स टैक्स को हटा देंगे परंतु इसके ऊपर बजट चुप है, सरकार चुप है। सेल्स टैक्स में आज तक बहुत ज्यादा दिक्कत है। कोई भी व्यापारी सेल्स टैक्स देने से नहीं घबड़ाता है। आप जितना टैक्स लगायेंगे वह पूरा कन्ज्यूमर के ऊपर, उपभोक्ता के ऊपर पड़ेगा। व्यापारी के ऊपर नहीं पड़ेगा परंतु इस सेल्स टैक्स के कारण जितना ज्यादा भ्रष्टाचार है, परेशानी है, व्यापारी जितना परेशान हो रहे हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर यह प्राविजन किया गया था। परंतु आज उसे हटाया नहीं जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि

2600 करोड़ का घाटा होगा। 2600 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी होगी, जो बिल्कुल गलत है। यह धोखाधड़ी की बात है। 2600 करोड़ रुपया सारी स्टेट्स से आपका सेल्स टैक्स मिलता जरूर है, यह बात सही है, परंतु इसमें भी सेल्स टैक्स माफ करने की बात नहीं है। सेल्स टैक्स समाप्त हो जाय, यह कोई नहीं चाहता। घोषणा-पत्र में भी यह नहीं है। घोषणा पत्र में यह है कि उसे एक्साइज-ड्यूटी में बदल दिया जाय, उसका स्वरूप बदल लिया जाय, वह सोर्स के ऊपर एक जगह लगा दिया जाय जिस तरह से आज कपड़े के ऊपर लगा हुआ है। आज कपड़ा के ऊपर सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी के रूप में है। आज कपड़े का व्यापारी नहीं डर रहा है। उसे परेशानी नहीं हो रही है। आज वह ठीक से कारोबार कर रहा है। परंतु बाकी चीजों के कारोबार करने वाले जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं, वे परेशान हो रहे हैं।

इसलिए सेल्स टैक्स को जो चुनाव घोषणा पत्र में है, जो हमारी प्रतिज्ञा है, उसको मानना चाहिए और करना चाहिए, सरकार को कदम उठाने चाहिए। दुर्भाग्य है कि आज तीन वर्ष होने जा रहे हैं, परंतु इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया है और इस बजट में कुछ नहीं रखा गया है।

जहाँ तक इनकम टैक्स का सवाल है, मैंने पहले जैसे कहा कि दस हजार रुपये का एक्जेम्पशन लिमिट कम कर दी गई है। परंतु उसके बावजूद टैक्सेशन के संबंध में जो आर्थिक समीक्षा हुई है, उससे इस बात को कहा गया है कि जिस तरह से सरकार सोचती है कर नहीं पा रही है। यह आर्थिक समीक्षा 1978-79 की पष्ठ संख्या 68 पर है। पैरा 8251 पिछले वर्षों में बजटों के माध्यम से लगातार आए वर्ष नये-नये कर लगाये जाते रहे हैं। यह दलील दी गई है कि यह प्रक्रिया एकदम बंद कर दी जाय और अच्छी कर नीति वही है जिसके अंतर्गत कर की दरें स्थायी रहें और कर पद्धति की वद्धिशीलता से ही राजस्व में अपने आप वद्धि होती रहे। दुर्भाग्य से इस सिद्धांत का पालन नहीं किया जा सका है क्योंकि अर्थ-व्यवस्था का पर्याप्त तेजी के साथ विकास नहीं हुआ है यही कारण तो दे दिया है, परंतु यह बात गलत मानी हुई है कि कर में हर साल वद्धि होती रहे और हर साल क्या कर आयेगा किसी को पता नहीं है। इसलिए इस तरह से बहुत कठिनाई होती है और इस कठिनाई के कारण यदि इन्कम टैक्स आती भी है उसके कितने असेसीज हैं। तीन हजार असेसीज हैं सिर्फ, वह जो एक लाख से अधिक आय वाले हैं जो इन्कम टैक्स देने वाले हैं और 80 प्रतिशत टैक्स उन्हीं से आता है।

इसलिए जो इन्कम टैक्स है, उसको भी एक रेशनल ब्यू के ऊपर लाना होगा और जो समीक्षा है, उसके अनुसार ही आगे कदम बढ़ाना होगा। इसके बाद बजट में टैक्सेशन और डेफीसिट फाइनेंसिग दोनों से मिला कर के 1355 करोड़ रुपये का प्रावधान है और इसमें नये टैक्स 655 करोड़ रुपये का है। और जहाँ तक एडिशनल टैक्स का संबंध है इसका भी टार्गेट आगे पाँच वर्षों में 7,750 करोड़ रुपये का है। इन सारी चीजों को देखते हुए यह भी देखना होगा कि आखिर कोई सचुरेशन प्वांइट तक पहुँचा हुआ है। इसके आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इन बातों को ध्यान देकर कल एक माननीय सदस्य ने बहुत ही ठीक बातें कही कि चौकसी कमेटी की रिपोर्ट जब

सामने आयी हुई थी, उसमें भी कर के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। किस तरह अग्रीकल्चर और नन-अग्रीकल्चर को मिलाकर हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। परंतु उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह कहा जाता है कि इस बात का बहुत शोरगुल हुआ। कल हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि किसानों को बहुत राहत मिलने की बातें गलत हैं कि किसानों को सचमुच राहत नहीं है, यह कहने के लिए है। ट्रैक्टर में सुविधा है, फर्टिलाइजर में सुविधा है, उसके लिए डीजल में सुविधा है, तो इसे प्रयोग करने वाले कितने प्रतिशत किसान हैं? बहुत ही कम हैं। और कम होने के कारण आज उसका उपयोग उन्हें नहीं मिल पा रहा है और यह परिलक्षित होता है कि बैंकों के द्वारा ऋण दिया जाता है, ये फिगर्स है। 1500 करोड़ रुपये जहाँ टोटल बैंकों ने दिया है रूरल एरिया में 1500 करोड़ में 1200 करोड़ रुपये उनको हैं जो रिच क्लास है, जो धनी हैं कषक हैं उनको दिया है और 240 करोड़ मार्जिनल फार्मर्स को और मात्र 60 करोड़ रुपये लैंडलेस लेबरर्स और आर्टिजन क्लास वालों को दिया गया है। इसी इकानिमिक सर्वे 1878-79 के पष्ठ 10 के ऊपर लिखा है :–

इन सब बातों के बावजूद अभी संस्थागत ऋण के जरिये कषि ऋणों की आधी से अधिक आवश्यकता ही पूरी हो पाती है। इसके अतिरिक्त इस तरह के ऋण का अधिकतर भाग उन किसानों के पास चला जाता है जो अपेक्षाकत अधिक सम्पन्न हैं अतः छोटे और समुन्नत किसानों को अनुसूचित बैंकों से मिलने वाले ऋणों का अंश जो इस समय 37 प्रतिशत है, बढ़ाकर कम से कम 50 प्रतिशत किया जाना चाहिए। यह इकानामिक सर्वे में है, इसके ऊपर सरकार का ध्यान मैं खींचना चाहता हूँ।

अभी उपसभापति महोदय, इस बजट के बाद भी और कई प्रांतों से इस तरह कि आवाज आई कि हमें अधिक रुपया मिलना चाहिए, अंश में जितना अधिक मिलना चाहिए जो कर होते हैं कर का अंश अधिक मिलना चाहिए। परंतु जब मैंने फिगर देखी तो 1978-79 में जहाँ पर टोटल डिवेल्युशन का 40 प्रतिशत दिया जाता था, राज्यों को, 1979-80 में उसे घटा कर 37 प्रतिशत कर दिया गया है। तो अब स्टेट्स की तरफ से जोर है, आवाज है, कि हमें मिलना चाहिए तब उसमें मतभेद क्या है? जहाँ से मैं आता हूँ बिहार से, बिहार अन्य राज्यों के मुकाबले पिछड़ा हुआ है, वहाँ उसका अंश भी कम पड़ता है और कम ही नहीं पड़ता है उसको सब तरह की नुकसानी होती है। बार बार बिहार की तरफ से आंदोलन हुआ है। आवाजें उठायीं गई, वहाँ खनन मंत्री ने कहा कि जितनी कंपनियाँ हैं, उनके आफिसेस हैं उनके हेड आफिस बिहार के बाहर होने के कारण लगभग 250 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। आज बिहार में सारी खानें हैं, हर चीज है, सोना, चाँदी, तांबा, हीरा, मोती हर चीज बिहार में पैदा होती है, लेकिन हमारी कंपनियों के हेड ऑफिस बाहर हैं। उसके इम्पलायी दूसरी जगह रहेंगे। इसलिए मैं भी सरकार का ध्यान आकष्ट करना चाहूंगा कि कंपनी ला के अंदर अमेडमेंट करके कोई लॉ ऐसा बनाइए कि जहाँ कारखाना हो, जहाँ काम होता है, वहाँ यह आवश्यक है कि इसका हेड ऑफिस भी वहीं होना चाहिए। इस प्रकार बिहार में जितनी खान और दूसरी चीजों की कंपनीज हैं, जिनके हेड ऑफिस

बाहर हैं, उन सब के आफिसेस वहाँ से हटकर बिहार में आने चाहिए।

उपसभापति महोदय, कल यहाँ पर प्राइसेस के विषय में खासकर बहस हुई है। बहुत सारी वस्तुओं की प्राइसेस यहाँ पर रखी गई है कि किस प्रकार कीमतें बेशुमार बढ़ती चली जा रही हैं। यह जितना भी अन्न है, चावल, दाल, मकई वगैरह इन सारी चीजों की कीमत स्थिर है परंतु कोयले, लोहा, सीमेंट इन सारी चीजों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। स्टील बार की कीमत जहाँ 1973 में 1570 रुपये प्रति मीटर टन थी, 1978 में 2230 रुपये हो गयी, 1879 में वह 3400 रुपये प्रमि मीट्रीक टन हो गई है। आखिर इस कीमत को अगर हम नहीं बढ़ने से रोकते तो 5-6 वर्षों में दुन्ने से अधिक कीमतें बढ़ जायेगी। यह कोई अच्छा लक्षण नहीं है और इस तरह से अगर कीमतें बढ़ती रहेंगी तो हम जनता पार्टी की सरकार नहीं चला सकते हैं। इसी तरह से कोयले का जिस समय राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय 37.50 रुपये प्रति मीट्रिक टन का भाव था अभी वह रेट है 64.50 रुपये प्रति मीट्रिक टन। परंतु अहमदाबाद में जो मैटलर्जी कोल है वहाँ 1100 रुपये प्रति टन मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोल इंडिया ने 160 से 190 करोड़ प्रति वर्ष लॉस देना पड़ता है। राष्ट्रीयकरण की समय-समय पर आवाज उठती है। लोग समझते हैं कि यही प्रगतिशील विचार है। लेकिन ये सब उदाहरण हैं कि जिस कोयले का राष्ट्रीयकरण कर दिया उसके आज मनमाने भाव बढ़ाने के बाद भी 160 करोड़ से 190 प्रति वर्ष गवर्नमेंट आफ इंडिया को घाटा देना पड़ता है।

इसी तरह मोनीटरी पोलिसी में बहुत ज्यादा बेस्टैज है। बेकार बहुत जाता है। उदाहरण के लिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की जो 400 करोड़ रुपया प्रति वर्ष लॉस के देने पड़ते है किसी-किसी राज्य में तो 40 प्रतिशत बिजली की चोरी में चली जाती है। स्टेट ट्रांसपोर्ट के एक-एक बस के ऊपर 26 कर्मचारियों की बहाली हुई है। इतनी ओवर स्टाफिंग है। यह कहा जाता है कि जो स्टेट बस है वह पैसेंजर नहीं ढोती है, सिर्फ अपने इम्पलाइज को ढोती है, उसके फलस्वरूप लॉस किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही किसी न किसी तरह का नुकसान उठाना पड़ता है। इस तरह सरकार का खर्च बढ़ता है। इसके बारे में भी इक्नोमिक सर्वे में पेज 68, पैराग्राफ 824 पर कहा गया है।

"सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से गत वर्ष के कार्य निष्पादन को देखते हुए उन से की गई सभी उपेक्षाओं को पूरा करने की उनकी क्षमता के बारे में संदेह होने लगा है। इसी प्रकार ब्याज, आर्थिक सहायता तथा रक्षा व्यय आदि लेखों के बराबर बढ़ते जा रहे हैं। विकास भिन्न व्ययों के कारण बचत लक्ष्य को पूरा करना कठिन प्रतीत होता है। हालांकि व्यय में किफायत करना हर एक का उद्देश्य है तो भी इस बात के लिए काफी अच्छे कारण सदा ही दिये जा सकते हैं क्योंकि इस उद्देश्य का परित्याग कर देना पड़ा है। इसलिए साधन जुटाने का दायित्व अतिरिक्त कराधान पर ही पड़ता है।

उपसभाध्यक्ष श्री श्याम लाल यादव, पीठासीन हुए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसकी समीक्षा इसमें दी गई है। इसलिए खर्च कम करने की तरफ ध्यान न दें तो

हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, कहा गया है कि हमारे यहाँ उत्पादन बहुत अधिक हुआ है। 125 मिलियन टन गल्ला पैदा हुआ। 77-78 में और 78-79 में भी इतनी खराब हालत रहने के बावजूद, बाढ़ और ओले के बावजूद उम्मीद की जाती है कि उत्पादन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अब यहाँ तक बात सोची जाती है कि हम रशा को कर्ज में तो दें, बाकी अफगानिस्तान, वियतनाम आदि देशों को भी खाद्यान्न का हम निर्यात करें। परंतु उपाध्यक्ष महोदय, क्या इतना खाद्यान्न हमारे देश के लिए पर्याप्त है? क्या 620 मिलियन आदमियों के लिए 125 मिलियन टन गल्ला पर्याप्त है? यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए प्रश्न निर्यात का नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रश्न इसके एक्जम्पशन का होना चाहिए कि हम किस तरह से इतने गल्ले को अपनी आबादी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जैसी कि कहावत है। उसी तरह से कहा जा सकता है।

आज वाटर के लिए तो यह बात सच हो सकती है क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा सेलाइन वाटर है, सभी पीने लायक नहीं है। लेकिन खाद्यान्न जो पैदा होता है वह लगभग सभी खाने लायक है। आज बहुत सारे लोग देश के अंदर ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है वे उस गल्ले को खरीद नहीं सकते। अगर हम यह कह कर संतुष्ट हो जायें कि 125 मिलियन टन गल्ला पैदा हुआ है तो हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। आज बहुत बड़ी आबादी है जिसे खाने के लिए नहीं मिलता है। हमें उनका ध्यान रखना होगा। एक करोड़ लोग बेकार हैं। इन एक करोड़ में भी उन्नीस लाख मैट्रीकुलेट हैं, जो बेकार हैं। और 13 लाख इंटरमीडिएट हैं और दस लाख ऐसे एजुकेटेड हैं जो अनईम्प्लाइड हैं। तो इसलिए जब तक हम इम्प्लायमेंट का प्रॉवलम हल नहीं करते तब तक कुछ नहीं हो सकता और गल्ले को भंडार में रखकर और उसे निर्यात करके हम संतुष्ट नहीं हो सकते। इस पर भी इकोनोमिक सर्वे में पेज 66 पर पैरा 817 में कहा गया है। "यद्यपि कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था की प्रगति को संतोषजनक कहा जा सकता है। फिर भी बेरोजगारी का आधारभूत समस्या पर इस प्रगति का कोई प्रभाव दष्टिगोचर नहीं होता। जैसा कि पहले बताया गया है कि संगठित क्षेत्रों में रोजगार से ज्यादा वद्धि नहीं हुई है और रोजगार कार्यालयों के आंकड़े अपनी सभी सीमाओं के साथ निश्चित रूप में यही प्रकट करते हैं जिस तेजी से काम चाहने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है रोजगार के अवसरों में उतनी तेजी से वद्धि नहीं हो रही है।

तो फिर अध्यक्ष महोदय, इसके बाद आगे क्या होगा? इन सारी बातों को देखकर मैं यही कहूँगा और मैं यही आशा करूँगा; अपनी सरकार और अपने माननीय मंत्री महोदय से कि इन सारी बातों पर ध्यान देकर इनकी पूर्ति की कोशिश करें—और इन बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।❖

रामलखन गुप्त जी स्वस्थ थे, पर मोटे नहीं; बलवान थे, पर दुष्ट नहीं; सरल थे, पर मूर्ख नहीं; सावधान थे, पर शक्की नहीं; समालोचक थे, पर निंदक नहीं; स्पष्ट थे, पर उद्दंड नहीं; मितव्ययी थे, पर कंजूस नहीं और चतुर थे, पर कुटिल नहीं। **वे हमारे आदर्श थे।**

—प्रस्तुति : अभिनव

राज्यसभा (मार्च, 1980) सम्भाषण

निर्दोष व्यापारी को जेल भेजना उचित नहीं

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, 1980-81 के बजट के ऊपर मैं भी अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें 1970-71 के 2700 करोड़ रुपये के घाटे को दिखाया गया है और 1980-81 के लिए कुल आय 18980 करोड़ और खर्च 10215 करोड़ रुपये है यानी 1235 करोड़ रुपये का घाटा है। यह बताता है कि आगे जो आने वाला बजट है उसमें कितना ज्यादा कर लगेगा और वह इस जनता से किस तरह वसूल किया जाएगा। इस बजट के विषय में मैं आगे कुछ कहूँ, इसके पहले वित्त मंत्री महोदय के भाषण के पैराग्राफ की दो चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ।

भारत की जनता से हमारी पार्टी को जो विशाल जनादेश मिला है, वह स्पष्टतः सामाजिक ओर अर्थिक विकास के उन बहुत-से कार्यक्रमों को फिर से नये उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का जनादेश है जिन्हें हमने 1977 से पहले प्रारंभ किया था। किंतु जो जनता लोकदल के शासन के 33 महीनों के दौरान छिन्न-भिन्न हो गये थे? 1977 में हमने जो सुदढ़ और सक्षम अर्थव्यवस्था छोड़ी थी, उसे और आगे बढ़ाने के बजाय उन्होंने अपनी निष्क्रियता और कुप्रबंध के द्वारा गति अवरुद्ध कर दिया। मैं! श्रीमान, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री जी और कुछ भी बोले हों जिनके विषय में हमारे और सदस्यों ने कहा है परंतु एक सक्षम अर्थव्यवस्था छोड़ी थी यह बात उनको कम से कम नहीं कहनी चाहिए थी। जो पीछे की अर्थव्यवस्था है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी; भारत को रसातल में पहुँचा दिया, हमें हर तरह से छिन्न भिन्न कर दिया; उसको ये कहते हैं कि हमें उसी के कारण जनादेश मिला है, उसी के कारण मेरी सरकार बनी, यह बहुत ही गलत बात है।' मैं इसके लिए कुछ आँकड़े देना चाहता हूँ कि जब से इंदिरा गाँधी जी सरकार में आयी थीं, उन 10 वर्षों में जब आयी थीं तो 240 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे थे और जब उनकी सत्ता समाप्त हुई थी तो उस समय 420 मिलियन लोग गरीबी के नीचे रह गये। उसी तरह से कपड़े के विषय में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उत्पादन उनको आने के समय 15.5 मीटर था जो घटकर उनके जाते समय 11 मीटर हो गया। चीनी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उत्पादन 7 किलो था वह घटकर जाते समय 6 किलो हो गया, जबकि जनता के समय में वह 10 किलो हो गया, उसी तरह के चमड़े और रबड़ के जूते 6.9 करोड़ जोड़े जूते उस समय बनते थे जब वे आयी थीं और जब उनकी सरकार समाप्त हुई थी तो वे 5.40 करोड़ पेयर हो गये। उस समय 41 करोड़ व्यक्तियों के पहनने के लिए जूता नहीं मिलता था जब वे सरकार में आयीं और जब वे जाने लगीं तो उस समय 54 करोड़ लोगों को जूता मिलने लगा। उसी तरह इस्पात का उत्पादन जो शुरू में प्रति व्यक्ति 9.3 किलोग्राम था वह घटकर 7.8 किलोग्राम हो गया, रुपये की कीमत उनके आने के समय 54 पैसे थी जो जाते समय घटकर 25 पैसे हो गयी। यही उनकी

अर्थव्यवस्था है और ये कहते हैं कि मेरी पुरानी अर्थव्यवस्था के कारण उसी को देखकर जनता ने उन्हें गद्दी पर बैठाया है। यह बिल्कुल गलत बात है।' यह बिल्कुल गलत है और इसके साथ मैंने जो अभी ऊपर का पैराग्राफ पढ़ा था उसमें उन्होंने क्या किया है। हर जगह लोकदल और जनता पार्टी को साथ में मिला दिया है। हर जगह लोकदल और जनता को ब्रेकेट कर दिया है, यह गलत बात है। उनको जो कुछ छींटाकशी करनी थी वह जनता पार्टी के विषय में और लोकदल के विषय में अलग की होती। यह दोनों को मिलकर एक करके साथ लाने की बात है और यह उनकी जो शिकायत है कि लोकदल और जनता पार्टी करती रही है, यह गलत बात है। कांग्रेस का जो 30 वर्षो का शासन रहा है आज उसी का कारण है कि हर जगह दोनों साईड के जो सदस्य हैं वे गिरती अर्थव्यवस्था के विषय में बोल रहे हैं। उसका यह नतीजा निकला है। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह अलग बात है कि जिस समय जनता पार्टी बनी, 30 वर्षों के बाद सरकार बदली थी, जनता की बहुत अपेक्षाएँ ओर आशाएँ जनता पार्टी से थीं और इन आशाओं और अपेक्षाओं में व्यवधान पड़ने से तथा जनता पार्टी में फूट पड़ने से जो व्यवधान हुआ तथा उनकी जो आकांक्षाएँ पूरी नहीं हुईं जनता के मन को इससे दुःख हुआ, धोखा हुआ। उसके बाद इन्हें जो वोट मिला वह नकारात्मक था। क्योंकि सफेद चादर के ऊपर अगर एक दो बूंद दाग पड़ जाय तो वह सब को मालूम होता है लेकिन एक गंदी चादर के ऊपर चाहे कितने ही दाग पड़ते जायँ उसका पता नहीं चलता है आज वही हालत है। जनता पार्टी के साथ जो थोड़ा बहुत बुरा हुआ उसके कारण जनता में आक्रोश आया और जिसके कारण वे सरकार में आये। लेकिन आर्थिक प्रगति के कारण आये यह कम से कम उनको नहीं कहना चाहिए।

उसके बाद जनता पार्टी ने अपने दो वर्षों के ही काल में तुलनात्मक दष्टि से अगर हम देखते हैं तो उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में काफी काम किए, जैसे 1977-78 में जो ग्रोथ रेट था उसमें 5.2 प्रतिशत की वद्धि हुई थी ओर 1978-79 में ग्रोथ रेट में 3.9 प्रतिशत की वद्धि हुई थी जबकि औद्योगिक ग्रोथ रेट में 8 प्रतिशत और कषि में 3 प्रतिशत की हुई थी और उसी तरह इंदिराजी के शासन काल में ग्रोथ रेट 1971-72 में—9 प्रतिशत, 1972-73 में 3.6 प्रतिशत, 1973-74 में 2.9 प्रतिशत और 1974-75 में 1 प्रतिशत और 1976-77 जो इमरजेंसी काल है उसमे तो और भी 0,6 प्रतिशत गिरावट आई है, यह उनकी है। जनता पार्टी के दो वर्ष काल में .....

.....व्यवधान

श्रीमती सरोज खापड़े देश का हो गया पूरा।

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त :— हाँ, पूरा हो रहा है। अभी दो वर्ष ही समय मिला था। अगर समय मिलता तब न.... जनता पार्टी का फिर मौका आएगा। जनता पार्टी के दो वर्ष के शासन काल में 5.1 मिलियन हैक्टर जमीन के अंदर सिंचाई लाई गई जिसके कारण 1978 में गल्ले का उत्पादन 126.5 मिलियन टन हुआ और 1971 में 130.5 मिलियन टन हुआ। तो इस तरह से जनता पार्टी के समय में पंच वर्षीय योजनाएँ जो बनी थीं, उस योजना में भी 43. 5 प्रतिशत सिर्फ जो देहात में रहने वाले लोग हैं ऐसे लोगों के लिए 33 हजार करोड़ रुपये की योजना थी जो कांग्रेस के समूचे शासन काल में भी इसकी राशि

की योजना नहीं थी।

उसके बाद भी आर्थिक विकास के कारण कांग्रेस पार्टी अगर कहती है तो गलत बात कहती है।

श्रीमान्! इसके साथ ही आज देश की हालत में हर जगह गिरावट आई है। जिस समय लोगों ने वोट दिया था जनता समझती थी कि आज हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, शायद कुशल सरकार आयेगी, हमारी उन्नति होगी, कीमतों में कमी होगी। मुझे याद है कि ज्यों ही सत्ता में प्रधानमंत्री इंदिरा जी आईं उस समय इंटरनेशनल मार्केट के कारण सोने का भाव जब गिरा तो चारों ओर यही हल्ला होने लग गया कि श्रीमती इंदिरा के आने से सोने का भाव गिर गया और सब चीजों का भाव गिरेगा। परंतु यह तो इंटरनेश्नल मार्केट के कारण हुआ था और उसका श्रेय ये लोग अपने ऊपर ले रहे हैं। हमारे यहाँ बिहार में मुंगेर जिले में तो लाऊड स्पीकर से प्रचार किया गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी के आते ही सोने का भाव गिरा है और सब चीजों का गिरेगा। लेकिन हालत यह हुई कि इन दो महीनों में जो कीमतें बढ़ीं हैं उतनी कभी नहीं बढ़ी, यानी 6 जनवरी से अब तक होलसेल प्राइस इन्डैक्स जो 223 था अब 231 हो गया है, पिछले मार्च में यह 164 था। उसी तरह से एक महीने में चीनी की कीमत इंडैक्स 207 से 262 हो गया है, पिछली मार्च में यह 15 था। चीनी में 60 प्रतिशत की वद्धि हुई है और गुड़ में एक महीने में 325 से 360 हो गया, और गेहूँ जिसका काफी स्टॉक है उसका भी 155.7 से 160 हो गया है और इस तरह से और चीजों की कीमतें, इन दो महीनों में जो कांग्रेस की सरकार है उसमें इतनी कीमतें बढ़ी हैं। यहाँ कीमत को देखते हुए प्रिवेन्सन डिटेन्सन एक्ट को लागू रखा गया और फिर असेन्सियल कमाडिटीज एक्ट के अनुसार भी काफी कोशिशें की जा रही हैं और सब जगह यह कहा जा रहा है कि व्यापारियों को पकड़ो, चोरबाजारियों को पकड़ो, जमाखोरों को पकड़ो.......

परंतु इसमें कहीं कोई बड़े लोगों को नहीं पकडते हैं। उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। मुझे खुशी है कि कल गह मंत्री जैल सिंह ने कहा कि इसके कारण बहुत सारे छोटे व्यापारियों को भी, और निर्दोष व्यापारी हैं, तंग नहीं किया जाए। मेरे पास सारे बिहार के समाचार आए हैं कि निर्दोष व्यापारियों को इस नाम पर पकड़ा जा रहा है। यहाँ श्रीमान्, कोटा बांध दिया जाता है कि बिहार में हमको 2000 लोगों को पकड़ना है और फिर वही कोटा बाँध देते हैं एरिया के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिस की और सप्लाई के इंसपेक्टर को। वे छोटे-छोटे व्यापारियों को पकड़ कर संख्या पूरी कर देते हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट समझ लेती है कि इतने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन यह नहीं समझती कि निर्दोष व्यापारी गिरफ्तार होता है, तो उसका उल्टा असर पड़ेगा। आज इस नाम पर बहुत सारे व्यापारी पकड़े जा रहे हैं। बहुत सारे व्यापारी चोर नहीं हैं और अगर हैं तो उनमें से बड़े को आप पकड़ नहीं सकते हैं। साहू जैन सीमेंट कंपनी है, 2 रुपये से 3 रुपये बोरा अधिक लेते हैं, उनको नहीं पकड़ सकते हैं। चीनी की मिलें, चीनी की कीमत ज्यादा लेते हैं और मेमो कम का देते हैं। होलसेलर के यहाँ माल आता है वह रिटेलर कन्ज्यूमर को कहता है होलसेलर ने ज्यादा लिया। उन्हें नहीं पकड़ा जाता है।

अभी खबर मिली है कि पटने के अंदर एक

फार्म है बंशी लाल अर्जुन प्रसाद। दूसरी फर्म है लक्ष्मी ट्रेडिंग ये दोनों पार्टनरशिप में फार्म हैं, दोनों के लाइसेंस हैं, दो जगहों की फर्म्स चल रही हैं और दोनों के यहाँ जब इंक्वाइरी हई, उस समय डिफरेंस नहीं मिला, परंतु उनको गिरफ्तार कर लिया गया, केस चला दिया गया क्योंकि उनका एक पार्टनर वंशीलाल दोनों जगह पार्टनर है। पार्टनरशिप ऐक्ट के अंदर कोई भी एक या दो या तीन फार्म में पार्टनरशिप हो सकते हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं। इसी तरह से जुल्म हो रहा है। मेरा कहना है कि चोर बाजारी करनेवाले को जरूर पकड़ें, जमाखोरों को पकड़ें, कालाबाजारी करनेवालों को पकड़ें परंतु निर्दोष व्यापारी को जेल भेजना उचित नहीं है। इस तरफ भी सरकार ध्यान दे।❖

हमारा अतीत बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। हमें भारतीय समाज में मुख्य एवं महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर हमारे समाज ने देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे समुदाय का इतिहास यह बताता है कि व्यवसाय में हमारा योगदान सर्वाधिक तो रहा ही है, इसके अतिरिक्त हमारे समाज में प्रसिद्ध योद्धा एवं विख्यात प्रशासक भी हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध मगध साम्राज्य के गुप्त राजवंश संभवतः बंगाल के पाल राजवंश एवं दक्षिण भारत के चालुक्य राजवंश इसके प्रमाण हैं। किन्तु आधुनिक शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान के अभाव में हमने समाज में अपना यह सम्मानित स्थान खो दिया। परम्परागत सामाजिक भेद-भावों ने अन्य समुदायों के साथ हमें भी विकास की मुख्यधारा से अलग कर दिया और हम पीछे रह गए। वर्तमान भारतीय समाज भी आज समाज के कमजोर वर्गों या समुदायों की अवनित को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं सोच सका। इसके परिणामस्वरूप ही काका कालेलकर, ब्राह्मण के नेतत्व में गठित पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की 1956 की रिपोर्ट में हमें भारतीय समाज में सर्वाधिक पिछड़ी जाति के रूप में अंकित किया गया है।

हम सामाजिक दष्टि से अल्प शिक्षित हैं एवं असंगठित हैं तथा आर्थिक दष्टि से अवनत स्थिति में हैं। ऐसी स्थिति में उक्त चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने एवं उत्तम बनने का एक ही मार्ग है कि हम स्वजातीय बंधुओं की सेवा करने के एकमात्र आदर्श उद्देश्य के साथ अखिल भारतीय स्तर पर संगठित हो जाएँ।

—रामलखन प्रसाद गुप्त

राज्यसभा (अप्रैल, 1981) सम्भाषण

आवश्यक वस्तु (विशेष व्यवस्था) बिल 1981 के विरोध में

उपसभाध्यक्ष महोदय,

इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट स्पेशल प्राविजन बिल।

इसके 6 (ए) में यह प्रावधान किया गया है कि रीटेल प्राइस, जब कोई माल जब्त हो जायेगा तो, कलक्टर फिक्स करेगा और वह माल फेयर प्राईस शाप्स से बिक जायेगा यह कितना बड़ा अन्याय है। अगर हम कोई चीज मार्केट में लेने जायें और उसका फिक्स प्राईस नहीं तो फिर ब्लैक मारकेटिंग और मुनाफाखोरी यह तो गाली देने के लिए है। आज कषि मंत्री जी में यह हिम्मत नहीं है कि यह बात किसानों के खिलाफ बोल सकें।

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त (क्रमागत)—लेकिन वह व्यापारी सबसे कमजोर वर्ग है। बत्तीस तैंतीस वर्षों से व्यापारियों को गाली दे-देकर, उनको चोरबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी कह-कह करके यह व्यापारियों को दबाना चाहते हैं।

मैं मंत्री जी को कह देना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान का दस करोड़ व्यापारी अब इस बात को सहन नहीं करेगा, और उसके लिए आज वह संघर्ष करने के लिए तुलेगा और पाँच मई को उसने बंद तय किया है, और पाँच मई को समूचा भारत बंद इसी लॉ के ऊपर होता है। इसी को हम ब्लैक लॉ, काला कानून कहते हैं और नहीं तो बतायें कि उनकी गलती क्या है? जिस चीज की कीमत फिक्स नहीं है, उसका कलक्टर कैसे फिक्स कर देगा? उसका अभी तक तो यही था कि उसका ओपन बिड होता था और जिस भाव से लोग खरीदते थे, उस भाव में उसको दे दिया जाता था जब्त माल। यह नहीं कि एकदम कलक्टर फिक्स कर देगा उसका रेट और फेयर प्राइस शाप्स से बिकवा देगा।

यह गलत प्रावधान 6(ए) में किया गया है। 6(सी) में ज्यूडीसियरी के जगह पर अब स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने कहा है। ज्यूडिसियल अथॉरिटी में डिस्ट्रिक्ट जज रहा करते थे और उसका काफी ज्यूडिशियल भ्यु कुछ लेते थे और कहते हैं कि नहीं अब स्टेट गवर्नमेंट फैसला करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ से कहेंगे कि एक हजार व्यापारी गिरफ्तार होने चाहिए, तो एक हजार व्यापारियों को गिरफ्तार कर दिया। उसको मत छोड़ो। यह तो डिक्टेट चलेगा यहाँ से। उसका लॉ और कानून से कोई मतलब नहीं रहेगा।

उसके बाद 10(ए) में है कि काग्निजेवल तो था ही अब इसको नान-वेलेबल बना दिया गया है। इमरजेंसी में इसको नान-बेलेबल नहीं किया गया था, अब आप इसको नान-बेलेबल कहते हैं। अभी क्या बिगड़ गया है?

आपका जो 132 मिलियन टन पैदा हुआ, वह कहाँ चला गया? आज इतना गल्ला पैदा हो गया और

उसके बाद आप उसको कहते है कि यह स्पेशल ऑफेंस हो जायेगा नन-बेलेबल।

अब मैं कषि मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ—मैं और स्टेट का नहीं जानता, लेकिन बिहार के अंदर आपने लिमिट किया है 15 क्विंटल—अब 15 क्विंटल में क्या सभी गल्ले का काम करने वाला कोई रख सकता है। एक वैगन भी लायेगा तो पाँच सौ मन लायेगा। अब वह कैसे 15 क्विंटल में सब स्टाक रखेगा। लेकिन आज वह रखेगा, यह बिल्कुल अनरीजनेवल एप्रोच है। लेकिन आप इस तरह से अनरीजनेवल अप्रोच करके उसे तबाह कर रहे हैं। (समय की घंटी) मैं पाँच-सात मिनट में खत्म करूँगा।

उसके बाद यह बेल के लिए स्पेशल कोर्ट को कहा गया है कि जब कोई गिरफ्तार होगा, तो स्पेशल कोर्ट ही बेल देगी। अब स्पेशल कोर्ट को कब भेजेगा, यह उसके ऊपर है कि स्पेशल कोर्ट भी डी.आई.आर. की तरह प्रासिक्यूशन को वह अपरच्यूनिटी देकर और तब फिर उसको सुनकर तब बेल देगा और बेल भी उस समय देगा जब वह समझ जायेगा कि वह दोषी नहीं है। यह प्रावधान न डकैती के केस में है, न बलात्कार के केस में है और न खून के केस में है, लेकिन यह सारा प्रावधान व्यापारी के केस में है और वह व्यापारी कि जिनको नोचने के लिए सभी अफसर—आपका सप्लाई डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल प्रोडयूस, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, इंकमटैक्स डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर को जब तक पाँच हजार रुपया नहीं होता है तो वह मुंह नहीं धोता है। वह कहता है कि पाँच हजार रुपया आ जायेगा तो मैं मुँह धोऊंगा और नाश्ता करुँगा। आज वैसे सिंह के मुंह में व्यापारियों को डाले हुए............

श्री सदाशिव बागाईतकर : कुछ चीफ मिनिस्टर भी ऐसा कर रहे हैं आजकल।

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त : मैं मिनिस्टर की बात क्या कहूँ। यह तो मैं कहानी सुनाने लगूं तो बहुत सारी बात है। अब हमारे यहाँ लेवी लग गई। मुझे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने इसी हाऊस में जबाब दिया था कि अब तो समूचे देश के अंदर छूट है। अब तो पैदावार ज्यादा होती है, अब लेवी लगाने की क्या जरूरत है?

जनता पार्टी की सरकार ने बिहार में दो वर्ष से लेवी नहीं रखी और वहाँ का काम ठीक चला और लेवी लगा करके और अब लाखों-करोड़ों रुपया व्यापारियों से वसूल करके घर में रखा गया है। ❖

NEW DEAL FOR WEAKER SECTIONS

"The Janata Party believes that the disparities that separate these members of our society from the more educationally and economically advanced sections cannot be redically reduced without a policy of special treatment in their favour. It will accordingly provide preferential opportunities for education and self-employment to these sections. In this connection it will reserve between 25 and 33 percent of all appointments to government service for the backward classes, as recommended by the Kalekar Commission. Harijans will be provided housesites."

— Election Manifesto, 1977 (Page 22), Janta Party

राज्यसभा सम्भाषण (मई, 1982)

एप्रोप्रियेशन बिल

कषि उत्पादन बाजार समिति/आयकर सेल टैक्स की समाप्ति/जन वितरण प्रणाली केंद्रीय सरकार द्वारा बिहार की अपेक्षा आदि अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश

एप्रोप्रियेसन बिल (भाग–2) 1962 पर राज्यसभा संसद में श्री रामलखन प्रसाद गुप्त एम.पी. का भाषण दिनांक 3 मई 1982 पर बजट एवं खर्च में काफी अंतर

श्री गुप्त–**1982-83 का एप्रोप्रियेशन बिल** जिसमें 1934 करोड़ 90 लाख, 47 हजार रुपये की मांग की गयी है मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि जो बजट बनता है जो एक्चुअल खर्च होता है उसमें बहुत अंतर रहता है। यहाँ पर देखते हैं कि 1980-81 में डेफिसिट बजट 1445 करोड़ की थी और जब रिवाइज्ड बजट हुआ, 1745 करोड़ थी और एक्चुअल खर्च हुआ 2577 करोड़ का। उसी तरह से 1981-82 के बजट में 1539 करोड़ का डेफिसिट बजट था और रिवाइज्ड बजट 1700 करोड़ और एक्चुअल डेफिसिट 2000 करोड़ रुपये के लगभग आया। 1445 करोड़ से 2577 करोड़ रुपये का डिफिसट और 1539 करोड़ से दो हजार का जो है इसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है और मुद्रास्फीति बढ़ने से इस पर दबाव आता है।

2. बजट पेश होने से पूर्व कीमत में बढ़ोत्तरी : दूसरी तरफ यह देखते है कि जो बजट बना है इस बजट के पहले की कागज, स्टील, पेट्रोलियम प्रोडॅक्ट फर्टिलाइजर वगैरह की कीमत इतनी बढ़ गयी है कि हजारों करोड़ रुपये की आमदनी तो बजट के पहले उनकी कीमतें बढ़ा देने से आपको हुई। सिर्फ रेलवे महसूल में और लेवी में 320 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी कर दी गई। पोस्टल चार्जेज में भी 100 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई यानी कुल 420 करोड़ की हो गयी। इसलिए बजट के पहले जो रेलवे और पोस्टल में बढ़ोतरी करके इस तरह जनता को ठगा जाता है और हजारों करोड़ों को आगे पीछे करके दिखलाया जाता है कि हम कितने का डिफिसिट बजट ला रहे हैं, इससे भी डिफिसट काफी बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को समाप्त करना चाहिए। यह प्रक्रिया सरकार बराबर चलाती आ रही है। यद्यपि हर बजट में मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ खींचा जाता है। रुपये की कमी की बात आती है तो इधर इन्कम टैक्स में देखिए।

3. इन्कम टैक्स : इन्कमटैक्स में कितने एरीयर बाकी है? 31.1.80 में 579.6 करोड़ रुपये के और 31.1.81 में 641.82 करोड़ रुपये सिर्फ एरियर बाकी हैं। यानी जितनी आमदनी आती है उससे काफी एक अच्छी रकम बाकी रह जाती है। ऐसे तो कुछ न कुछ बाकी रहेगा ही लेकिन इसके अंदर ढिलाई काफी बरती जाती है जिस कारण कि बकाये की राशि सख्ती के साथ वसूल नहीं हो पाती है। इन्कम टैक्स के अंदर कहने

को पिछली मर्तबा हाउस के अंदर बतलाया गया कि कई-कई जगहों पर बड़े घरानों पर तीन सौ रेड किये गये। परंतु उस तीन सौ रेड्स के बाद फालोअप एक्शन उनमें से मात्र 13 केसेज में हुआ। तीन सौ केसेज में रेड करने के बाद 13 केसेज में फालोअप एक्शन होना और उनमें से भी प्रोसीक्यूट हुए चार पाँच? उपसभाध्यक्ष महोदय! तीन सौ बड़े घराने में रेड हुए और चार-पाँच केस प्रोसीक्यूट किये गये तो जनता के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ता है। दिखलाने के लिए जब सरकुलर जाता है मंत्री तक, तो उस समय लगातार इन्कम टैक्स के ऑफिसर सब जगह, तीन सौ जगहों पर धावा बोल देते हैं परंतु किस तरह से बातें समाप्त हो जाती हैं। यह हम और आप सब जानते हैं कि इन्कमटैक्स के अंदर उनके आफिसरों के अंदर क्या होता है।

4. सेल्सटैक्स समाप्त करने की मांगः अगर सेल्सटैक्स की बात की जाय, जैसे बिहार का उदाहरण लिया जाय तो सौ में 19 अफसर अगर सिर्फ 10 वर्ष 15 वर्ष के अंदर जितने अफसर हैं उनकी प्रापर्टी की ठीक-ठीक जांच हो तो एक-एक व्यक्ति को हजारों और लाखों गुना जायदाद ज्यादा बढ़ी हुई होगी। परंतु उन पर इन्कम टैक्स वाले कुछ नहीं करते। दोनों की मिलीभगत हो जाती है। दोनों हो जाते टैक्सेसन के चचेरे भाई, ये उसको बचाता है, वे इसको बचाते हैं। कांग्रेस सरकार तो कमिट किये हुए है कि सेल्सटैक्स का एवालीशन किया जायेगा और उसके बावजूद सेल्सटैक्स एवालिश नहीं हो पा रहा है। इंदिरा जी के भाषणों से और जब वे इस तरह से मीटिंगें बुलाती हैं तो उसे पता लगता है कि वे चाहती हैं कि एवालीशन किया जाय, परंतु हर सरकार के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वे यह अधिकार नहीं जाने देना चाहते हैं। उनको आमदनी से मतलब नहीं हैं, वह तो केंद्रीय सरकार देने को तैयार हैं। हर राज्य की जितनी आमदनी सेल्सटैक्स से है केंद्रीय सरकार उतनी आमदनी देने को तैयार है लेकिन आमदनी तो केंद्रीय सरकार दे देगी स्रोत से उतना पैसा लेकर के लेकिन उनके हजारों लाखों सेल्स टैक्स के ऑफिसर हैं और उनके कारण जो लाखों व्यापारियों को चूसा जाता है और उसके कारण एक व्यापारी को चपरासी क्या एक नौकर से भी बदतर समझा जाता है तो अपना बिल बनवा देता है, अगर कोई पैसा मांगता है तो कहता है तुमको समझ लूँगा, इस चीज का क्या होगा। किसी को भी वह गल्ला या किराना जो भी सामान उनके यहाँ आता है, वह पेमेंट नहीं करता। इस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है सेल्सटैक्स के कारण। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूँ कि सेल्सटैक्स का अवालीशन अब जरूर किया जाय। सेल्सटैक्स से जितना आता है उसका दुगुना, तिगुना ले लें, आमदनी के लिए किसी को कुछ नहीं है वह तो आपकी जो नीति होगी, आपको कितना लेना है, अंततगोत्वा वह सब उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और उसकी जो भी प्रतिक्रिया होगी वह सरकार के ऊपर होगी परंतु इसके जो तरीके हैं जिसके कारण लाखों जनता को भ्रष्टाचार के अंदर डाल रहे हैं, उस भ्रष्टाचार से तो आप उनको बचाइये। और इस तरह से सेल्सटैक्स अबालिशन, जो इंदिरा जी की नीयत है, उन नीयत को भी आप एक व्यावहारिक रूप में उतरने दीजिए। आप सेल्सटैक्स अवालिश कीजिए। यह हमारी मांग है।

आप हर राज्य की सरकार की बात पर जायेंगे, तो आप नहीं कर सकेंगे। हम यहाँ पर यह कहने को तैयार हैं कि जनता सरकार भी यह चाहती थी, उसके घोषणा पत्र में यह था, परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं होने दिया। आपकी शक्ति ज्यादा है, आप ज्यादा स्टेबल हैं ज्यादा स्थिर आपकी सरकार है और आपकी सरकार अधिकांश राज्यों में है, कम से कम बिहार में तो है ही। जितना भ्रष्टाचार बिहार में है उसका एक चौथाई सिर्फ सेल्सटैक्स के कारण है। आप इसको हटावें।

5. उपाध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न को सेल्सटैक्स से मुक्त करने की अपील—गल्ले के ऊपर जहाँ दिल्ली में, बंगाल में, असम में सेल्सटैक्स नहीं लगता है, वहाँ बिहार में कहा गया हटाने के लिए। इससे सिर्फ आठ करोड़ रुपये आता है, उस पर मेरा कहना है कि आप मिल्स से ले लीजिए, फ्लोर मिल्स हैं, उससे ले लीजिए, स्रोत से ले लीजिए। आठ करोड़ की बात है। इन्होंने करोड़ों रुपये शराब के अंदर, फिर से चला करके, शराबबंदी को समाप्त करके आमदनी कर लिया, लेकिन आठ करोड़ रुपया छोड़ने को तैयार नहीं है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।

मेरा मंत्री महोदय से अपील है कि इस बात के ऊपर जरूर ध्यान दें और इस बात को समाप्त करके बिहार को कम से कम राहत दिलायें।

6. कषि उत्पादन बाजार समिति : इसके साथ ही साथ आजकल एक कषि उत्पादन बाजार समिति भी केंद्रीय कानून है और इसके अंदर राज्य सरकार हर जगह एग्रीकल्चरल प्राड्यूस मार्केट यार्ड बना करके शुल्क तशील कर रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी को कि बिहार के अंदर एक-एक मार्केट यार्ड में एक-एक सेक्रेटरी की वार्षिक आमदनी दो लाख रुपये से कम नहीं है, ज्यादा हो सकती, एकदम खुलेआम मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि हरेक सेक्रेटरी की आमदनी साल में लाख रुपया से कम नहीं है। और मार्केट यार्ड ऐसी जगह पर बनाया गया है कि जो कभी ट्रेडर क्लास से या एग्रीकल्चर वालों से पूछा नहीं गया है। अपने मन से मीलों मील दूर जाकर के बना दिया है और उसके बाद उसको वहाँ पर जाने के लिए बाध्य किया जाता है। उसको नुकसान होता है, उसकी हत्या होती है, लूटे जाते हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं है और पुलिस की व्यवस्था नहीं है और सरकार कहती है कि मार्केट यार्ड बल्ड बैंक से रुपया लेकर बनाया गया है, आपको जाना ही पड़ेगा। आपके जाने से पहले क्यों नहीं पूछा कि यह ठीक होगा कि नहीं होगा। सब मार्केट यार्ड घोषित कर सकते हैं परंतु उसको घोषित नहीं होने देते क्योंकि सेक्रेटरी साहब की आमदनी समाप्त हो जायेगी। इसलिए इसके ऊपर ध्यान दें। बिहार में एग्रीकल्चर के मंत्री जिनके अंदर में यह विभाग है कुछ भी इस पर सुनने को तैयार नहीं है और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के कमीश्नर हैं, वे कहते हैं कि नीचे के सेक्रेटरी ने जो आर्डर किया है, वही सब ठीक है। तो वही जब ठीक है तो सेक्रेटरी जो चाहेगा, वह क्यों नहीं करेगा। आखिर इस चीज को सरकार की तरफ से क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ और आप इस चीज को देखें।

7. खर्च से बजट बहुत अधिक : उसके बाद जहाँ तक खर्च का सवाल है सरकार का मैं प्लान एक्सपेंडीचर देख रहा था। तो प्लान एक्सपेंडीचर जो

है, वह भी कभी-कभी इतना ज्यादा है; बजट तो बना लिया जाता है बहुत ज्यादा ओवरएस्टिमेट करके और खर्च बहुत कम होता है। उसमें यह टेली-कम्यूनिकेशन का 1980-81 का देंखे, वह फाइनेंस प्रोग्राम जो अपूर्व हुआ वह 403.31 करोड़ रुपये का और एक्चुअल खर्च हुआ, 258.22 करोड़ यानी 135.01 करोड़ रुपये ज्यादा ओवर एस्टिमेंट किये गये थे और ओवर एस्टिमेट अगर कुछ हो तो कुछ होना चाहिए, इतना ही नहीं चार सौ करोड़ में से 135 करोड़ रुपये ज्यादा हो गये। यह इस बात का द्योतक है कि इसके कारण आखिर जो एडिशनल रिसोर्सेज लाने की कोशिश की गई और उसके बाद वह रुपये खर्च नहीं होते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि बजट बनाने में जो कहीं पर बहुत खर्च कहीं पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए और एक से एक बड़े एक्सपर्ट आपके पास हैं, फिर इतने तो डिफरेंस क्यों होता है इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए।

8. सहाय्य योजना : श्री रामलखन प्रसाद गुप्त (क्रमागत)—उपाध्यक्ष महोदय! एग्रीकल्चर के विषय में अभी हमारे साथी बहुत ठीक कह रहे हैं कि जनता पार्टी की सरकार के समय में जो-जो वेलफेयर के स्कीम लाए गए, इस सरकार ने सबको बंद कर दिया। एक इतनी बड़ी योजना थी फूट और वर्क बेकारी की समस्या को हल करने के लिए योजना थी परंतु उनको भी बंद कर दिया गया। उसके बाद, अभी जो एनुबल रिपोर्ट आई है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की, उसमें दिया गया है कि इन्टीग्रल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में स्टेट्स को जितने रुपये दिये वे आधे से भी कम हैं। जितना एलोकेशन उसके लिए था उसका सिर्फ आधा हिस्सा स्टेट को दिया गया है, वह भी फाइनेंशियल ईयर के अंत में। आप जानते हैं, फाइनेंसशियल इयर के अंत में जो रुपया दिया गया है वह खर्च किस तरह से होता है। वह तो रुपया पानी की तरह चला जाता है, जल्दी-जल्दी कुछ खर्च दिखलाए जैसे भी हो बिल बना लो पास करो। तो इतनी बड़ी योजना है, एक तरफ अन्इम्प्लायमेंट का प्रश्न है गाँवों के अंदर। आपके 20 सूत्री कार्यक्रम में भी अनइम्प्लायमेंट को दूर करने पर जोर दिया गया है। खासकर गाँवों के अंदर तो ये जो रुपया देते हैं 50 परसेंट भी स्टेट को नहीं दे सकते हैं। अगर स्टेट को नहीं दे पाते है तो क्या हालत देश की होती होगी गाँव के अंदर, यह हम लोग यहाँ पर बैठकर कैसे सोच सकते हैं। इसलिए इन स्कीम को या जो भी स्कीम हो कम से कम उसका रुपया सब खर्च हो, सही खर्च हो, और जितना रुपया रखा जाए उसको कम खर्च करने की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए।

9. जन वितरण प्रणाली नाकामयाब : उसके बाद गाँव में जितनी भी आवश्यक सामग्री है वह हम देखते हैं वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है। अभी यहाँ जन वितरण प्रणाली की बात आई है और सिविल सप्लाईज की तरफ से काफी वक्तव्य आते रहे हैं, हमने इतने लाख दुकान कर दिये। दुकान कर तो दिये मगर जरा देहात की दुकानों को देखें। वहाँ क्या-क्या चीजें मिलती हैं? क्या जितनी योजना है उसका दसवाँ हिस्सा भी देते हैं। जितनी योजना है उसका दसवाँ हिस्सा भी आप दुकानों में नहीं देते हैं। और उसमें हम यह देखते हैं कि बिहार के गाँव के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीनी के ऊपर जोर मारते हैं। चीनी मुश्किल से ब्लैक में गई नहीं कि मुखिया तक

जाते-जाते समाप्त हो जाती है। मैं मुंगेर से आता हूँ और मुंगेर में 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक में यह बात लाई गई थी। वहाँ पर एफ.सी.आई. को अपने गोदाम से चीनी की सप्लाई करना जरूरी है लेकिन वह मुंगेर से नहीं देता है, मुंगेर से 70 किलोमीटर दूर एक जगह है जमुई वहाँ से प्रति बोरा 2 रुपये कमीशन पर दुकानदारों को दी जाती है। परंतु जमुई से मुंगेर तक ले जाने में 15 रुपये खर्चा करके कहाँ से देगा। तो एफ.सी.आई. वहाँ का जो है वह अपने गोदाम से क्यों नहीं देता है? वह 70 किलोमीटर दूरी से क्यों चीनी की सप्लाई करता है। उसके बाद भी एफ.सी.आई. वाले किसी की बात नहीं सुनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात नहीं सुनते। सारा यहाँ का माल वहाँ, वहाँ का माल उधर करते हैं। हालांकि हर जगह उनके स्थानीय गोडाउन हैं लेकिन फिर भी यहाँ से वहाँ करते रहते हैं। गाँवों की हालत काफी रद्दी है और जन वितरण प्रणाली की दुकानों की संख्या चाहे जितनी बढ़े उनके अंदर पूरा माल न दिया जाय, उसका न किया जाए, तो केवल संख्या देकर पेट भरने की जरूरत नहीं।

10. जयंती ग्राम बिंदटोली : गह निर्माण योजना भी 20 सूत्री कार्यक्रम के अंदर है जिसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र में काफी मदद की जाए। मैं अभी बिहार के बेगूसराय जिला में एक गाँव जयंती ग्राम बिंदटोली भी गया। हमारे बिहार के जयंती ग्राम को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी जाती है, राष्ट्रीय आंदोलन में वहाँ के सबसे ज्यादा लोग शरीक हुए थे। 1921 नागपुर कांग्रेस में जयंती ग्राम के लोग थे, 1921 के आंदोलन में वहीं के लोग सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी रहे। सबसे अधिक स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन उसी गाँव के लोगों को मिलती है। गाँधी जी की वहाँ नर मंदिर में हर शाम घड़ी घंट बजाकर पूजा होती थी। वह गाँव ही जल गया, 182 घर उसके जल गये और जले हुए दो महीने हो गये। यानी 3 मार्च को जला है परंतु घरों को नहीं बनाया गया है। 182 घरों में से किसी को नहीं बनाया गया है और उसके लिए 15 तारपुलीन कर दिये गये हैं। 15 तारपुलीन में इस गर्मी के अंदर कैसे काम चलेगा? 6 महीने का इतना खाना, गल्ला, अन्न सब जल गया। मेरी अपील है कि सरकार को कम से कम ऐसी गाँव को इस तरह के गाँव को गह निर्माण के लिए जिसका सब कुछ जल गया है, इसको देखकर उसका गह निर्माण कराना चाहिए। 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक में लोग बैठकर दोहराते हैं कि गह निर्माण की योजना है पर अब बना दिया जायेगा तो समझा जायेगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम सफल हुआ।

11. मुंगेर में पानी उपलब्ध कराने में सरकार असफल : इसी तरह से पानी की व्यवस्था के संबंध में है। वहाँ पर 10 चापाकल लगे हुए हैं लेकिन उनमें से केवल 2 चापाकल चल रहे हैं, 8 बिल्कुल बंद हैं। उसी बिंदटोली गाँव के अंदर दो चांपाकलों से कैसे काम चलेगा? यहाँ पर जो बस्ती है उसके तीनों ओर गाँव हैं, लेकिन जहाँ पर चांपाकल लगे हुए हैं उन 10 में से 8 बंद हैं। यह जो रेशियो है यही सभी जगह है। जितने भी चांपाकल गाड़े जाते हैं 10 में से 8 खराब होते हैं, 2 किस तरह से चलते हैं। अब हम उसी तरह की कुछ नीति बनायें जिससे कि योजनाएँ तो बने लेकिन पानी न मिले तो यही उसका उदाहरण है। मुंगेर जिला केंद्र है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वाटर है लेकिन 4-4, 5-5 रोज तक वहाँ पानी नहीं मिलता।

हम लोग अपने यहाँ कोई गेस्ट नहीं रख सकते हैं। 4-5 दिन में पानी सप्लाई होती है। कैसे कोई पानी रखेगा, कैसे वहाँ रहेगा? लेकिन सरकार निस्तब्ध होकर बैठी है। इसका कारण यह है कि वहाँ के विधायक और एम.पी. विरोधी पार्टी के हैं। इसलिए उनको भूखा मारा जाता है। उसे टेंटालुस की तरह से सजा दी जा रही है। जिस शहर के तीन तरफ से गंगा नदी है उसको पानी नहीं मिल रहा है जैसे टेंटालुस रोमन देवता को पानी में खड़ा करके सजा दी जाती थी। उसे पानी पीने को नहीं मिलता, उसी तरह से मुंगेर के नागरिकों को प्यासा रखा जा रहा है। उसके तीन तरफ से गंगा है, लेकिन शहर को पानी नहीं पहुँचाया जा रहा है। तो यह इकानामिक पालिसी जो भी हमारी सरकार चला रही है, उससे कोई लाभ नहीं होता। किसी तरह की राहत उसको नहीं मिल रही है। महँगाई बढ़ती जा रही है और लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है।

12. आकाशवाणी में मुंगेर का कोई प्रतिनिधि नहीं, अध्यक्ष महोदय : मुंगेर की बात मैं कह रहा था कि वहाँ पर रेडियो का ए.आई.आर. का कोई भी रिप्रजन्टेटिव नहीं है। पिछले दो वर्षों से उसका नाम काट दिया गया है। वहाँ कारसपोडेंट है जो इमरजेंसी में अप्वाइंट किया गया था और आपने किया था। जब सरकार 1960 में आई तो उसका नाम काट दिया गया। दो वर्ष से बराबर मैं अपील कर रहा हूँ। साठे साहब से मिलकर उनसे भी कहा तो उन्होंने कहा कि साहब मुख्यमंत्री से लिखवा कर लाओ। मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने लिखकर दे दिया वह कॉरेसपोंडेंट ठीक है, उसको भी नहीं बहाल कर रहे हैं। किसी को भी बहाल नहीं कर रहे हैं। आज की डेमोक्रेसी में, दो वर्षों तक रेडियो का कॉरसपोंडेंट नहीं रहे डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में तो उनसे क्या अपेक्षा करें, वहाँ न्यूज का क्या हो रहा होगा। यह आप खुद समझ सकते हैं। मेरे सब प्रयत्नों के बावजूद मामला सब ठप्प पड़ा हुआ है। कभी कुछ, कभी कुछ बहाना लगाकर मुझे टाल दिया जाता है।

13. सीमेंट एवं अन्य आवश्यक साम्रगी की कीमत में वद्धि : श्रीमान्! अभी कीमतों के बारे में यहाँ पर कहा गया कि सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं है। कीमतों के अनुसार सरकार चलती है, सरकार के अनुसार कीमतें नहीं चलतीं। सीमेंट, पेपर, स्टील, इन सबके दाम साल में तीन-तीन, चार-चार बार बढ़ जाते हैं और सरकार चुप है। अभी सीमेंट का आपने देखा, इतनी हालत हुई कि जो ब्लैक का रेट था उसको व्हाईट कर दिया गया। जो 44 रुपये, 45 रुपये में सीमेंट मिलता था उसको फ्री सेल करके 65 से 71 रुपये बोरी में बेचा जा रहा है। लेकिन लेवी वाला सीमेंट कहा जाता है कि अभी तक सरकार से आर्डर नहीं आया है। तो फैक्ट्रीज में लेवी का सीमेंट नहीं निकलता लेकिन सीमेंट 65-71 का निकल रहा है। मैं समझता हूँ कि साल के आते-जाते सीमेंट की बोरी 100 रुपये की हो जायेगी। आखिर दो-तीन महीने के अंदर क्या बात हुई कि 29-30 रुपये से 41-42 कर दिया गया और सुरसा की तरह यह बढ़ता जा रहा है। यह समझ में बात आती नहीं। लोगों में बेहद असंतोष है सीमेंट को लेकर।

14. लखीसराय स्टेट बैंक से 60 हजार रुपये गायब : इस समय चारों तरफ से प्रचार हो रहा है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया की 6 हजार ब्रांचेज खुल गईं। बड़ी खुशी की बात है। 6 हजार ब्रांचेज खुल

गईं और 1500 करोड़ रुपया जमा हो गया, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ताज्जुब यह है कि डकैती बाहर से होती है और एक डकैती भीतर से होती है। मुंगेर जिले की लखीसराय ब्रांच में एक आदमी गया और एक विजय कुमार के एकाउंट से सेंविग बैंक की विथड्राउल स्लिप लेकर 10 हजार रुपये के लिए दस्तखत किया, दस्तखत उसने अंग्रेजी में किया। उसका स्पेसीमेन सिंगनेचर हिंदी में था, इसलिए ब्रांच के जो एकाउंट खोलने वाले क्लर्क होते हैं उन्होंने कहा कि स्पेसीमेन सिगनेचर तो हिंदी में हैं, तो उसने हिंदी में भी दस्तखत कर दिये इसके बाद उसको 10 हजार रुपये दे दिये गये। उसे कहा कि तुमको कोई जानता है तो उसने कहा कि फलाँ क्लर्क है, बड़े भाई के नाम के क्लर्क हैं। 10 हजार रुपये उसको शनिवार को दिये और सोमवार को उसने फिर 50 हजार की विथड्राउल स्लिप दी। उसको भेज दिया गया मैनेजर के यहाँ। मैनेजर ने पूछताछ कर ली कि इतने रुपये की क्या जरूरत है। उसने कहा कि मुझे एक जमीन खरीदनी है 65 हजार में, 10 हजार रुपये कल ले गया, आज 50 हजार चाहिए। 65 में जमीन लेंगे। उसको 50 हजार दे दिया गया। 15 मिनट, आधा घंटा बाद एक्चुअल विजय कुमार आया तो उससे कहा गया कि आपके नाम से 10 हजार, 50 हजार रुपये ले जाये गये हैं। उसने कहा कि हमको तो नहीं दिये जब उसने कहा कि ऐसे क्यों किया, बैंक के ऊपर केस किया विजय कुमार ने पुलिस के अंदर और रुपया लौटाने की बात कही तो मैनेजर का जवाब है, रीजनल मैनेजर का जवाब है, कि अब तो केस किया है, जो केस में होगा वह होगा। अगर विजय कुमार ने नहीं लिया तो उसको रुपया दिया जाना चाहिए। क्रिमिनल केस में 15-20 वर्ष लग जायेंगे। बिजनैस मेन 50-60 हजार रुपया रोक कर रखेगा? क्लर्क माधुरी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि विजय कुमार ने नहीं लिया। लेकिन उसके बावजूद रुपया नहीं दिया जा रहा है। मंत्री महोदय इस केस को देखें। प्रणव बाबू को मैंने चिट्ठी दी और दूसरे अफसरों को भी दी है। उसका रुपया लौटाया जाना चाहिए उसको सजा यह मिली है कि जितने एकाउंट थे सबका कारोबार बंद कर दिया। सिस्टर कन्सर्न का भी केस क्रेडिट था वह बंद कर दिया। यह उसको सजा मिली है।

15. केंद्रीय सरकार द्वारा बिहार की उपेक्षा : अंत में दो तीन बातों की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा। बिहार पिछड़ा है। रोज निकल रहा है कि करप्शन में सबसे आज भी इंडिया टुडे में देखा है कि एक तरफ अंतुले और एक तरफ डॉ. जगन्नाथ मिश्र। यह सब बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन केंद्रीय सरकार का जो फर्ज है बिहार को बढ़ाने में, उसके पिछड़ेपन को दूर करने में वह तो उसे निभाना चाहिए। आज केंद्रीय सरकार भी अपना फर्ज पूरा नहीं कर रही है। हमलोगों के पास चिट्ठी आई है कि केंद्रीय सरकार के पास बिहार गवर्नमेंट का कैल्सियम कारवाइड। पी.पी.सी. प्रोजेक्ट 1.7.80 को दिया गया था, वह फुल लाईसेंसिंग कमेटी के सामने 6.2.82 को रखा गया, आजतक उसकी स्वीकति नहीं दी गई है। एक पोलिएस्टिन का प्रोजेक्ट है, वह 13.12.80 को दिया गया, फुल लाईसेंसिग कमेटी के सामने वह 6.2.82 को रखा गया। इसकी भी स्वीकति अभी तक नहीं मिली है जो काम गवर्नमेंट करना चाहती है उसकी स्वीकति भी। दो -दो वर्ष तक पेंडिंग रहे यह तो ठीक नहीं है।

16. मुंगेर में पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स की मांग : बिहार में लोगों की मांग है कि वहाँ पेट्रोकेमिकल कांप्लेक्स हो। बिहार सरकार की भी मांग है कि यह होना चाहिए। पहले चौथी पंचवर्षीय योजना में इंक्लुड किया गया था और चौथी योजना में भी इसको इंक्लुड किया गया था और चौथी योजना में इंक्लूड करने के बाद अब यह कह दिया गया कि मार्केटिंग के ख्याल से और टेकनिकल प्वाइंट्स के कारण यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है। वहाँ पर इतना तो मेटीरियल है। इतना सरप्लस नेप्था है और जो कुछ सरप्लस है उसीसे यह पेट्रोकेमिकल कांप्लेक्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में लोगों का कहना है कि उनको नेगलेक्ट किया जाता है। आज बिहार के लोगों में भी यह भावना बढ़ती जा रही है कि उन लोगों को नेगलेक्ट किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि सरकार इस तरह की इंडस्ट्री वहाँ खोले और मुंगेर में पेट्रोकेमिकल कांप्लेक्स स्थापित किया जाय। वह राजनीतिक दष्टि से भी जागरुक जगह है और इससे हजारों लोगों को वहाँ काम मिलेगा।

17. बिहार, गुआ, मनोहरपुर में तीसरा इस्पात कारखाना खुले : अंत में मेरी यह मांग है कि बिहार सरकार ने भी यह मांग की है कि गुआ, मनोहरपुर आदिवासी इलाका है। छोटानागपुर में यहाँ पर दो हजार मिलियन टन लोहे का मेटीरियल है। वहाँ पर उसका भंडार है। आज वहाँ तीसरा लोहा इस्पात का कारखाना खोले जाने की जरूरत है। वहाँ टाटा है, बोकारो है और तीसरा यह मनोहरपुर में जो सिंहभूम जिले में है, वहाँ लोहे का कारखाना होना चाहिए और इससे काफी लाभ होगा। खासकर आदिवासियों का बिहार सरकार ने मेकान को इसका प्रोजेक्ट बनाने को दिया था और वहाँ के मुख्यमंत्री ने 30.9.79 को लिखा भी है कि इसकी स्वीकति दी जाय ताकि इस्पात के तीसरे कारखाने की शुरुआत हो। कोई भी इस्पात का कारखाना बनाने में दस वर्ष से कम नहीं लगता है। अभी यह शुरू होगा तो दस वर्ष लग जायेंगे। तो यह जो बिहार के दो, चार, पाँच प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ ताकि उनके लिए सरकार की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र हो और केंद्रीय सरकार के स्तर से भी बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने की कोशिश की जाय, इसी आग्रह के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।❖

अस्य गुप्त महावैश्यो नगरस्य महात्मनः।
असित पद्माकरो नाम राजा राज इवापरः।।
अनुगंगा प्रयागं च साकेत मगधास्तथा।
एतान् जनपदान् सर्वान् मोक्ष्यन्ति गुप्त वंशजः।।

—वायु पुराण

राज्यसभा (21 दिसम्बर, 1983) सम्भाषण

आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपाध्यक्ष महोदय, एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट 1955 इस उद्देश्य से बना था जो प्रिएम्बल में है, मैं उसे पढ़ता हूँ।

"An Act to provide in the interests of general public, for the control of the production, supply and distribution of, and trade and commerce in certain essential commodities."

इसको ध्यान में रखते हुए कीमत ठीक, उचित भाव पर रहें, उसका वितरण ठीक हो उसके लिए कुछ भी सरकार करे, मैं उसका समर्थन करता हूँ। परंतु यह जो संशोधन लाया गया है यह किस मकसद से लाया गया है, यह क्यों लाया गया है? मैं बताना चाहता हूँ कि यह जानबूझ कर व्यापारियों को तंग करने के लिए लाया गया है। इससे कोई लाभ सरकार को होगा या नहीं इस पर विचार रखता हूँ। सबसे पहले इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी रुपया, जुर्माना या डिपोजट कोर्ट के आदेश के अनुसार हो उसे वसूल करने के लिए जब यह जानना चाहते हैं लैंड रेभेन्यू के बारे में तो यह भी उससे प्रोवाइड किया गया है कि जो कोर्ट में निर्णय हो जायेगा तो हम उसे लौटा देंगे और जितना रुपया लिया जायेगा वह ब्याज के साथ लिया जायेगा और जितना दिया जायेगा वह भी ब्याज के साथ दिया जायेगा। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह जो इस तरह का प्रावधान किया गया है, अभी तक 1955 से 83 तक चल रहा था कि कानून के अंदर जुर्माना है और किसी व्यक्ति को सजा भी हो सकती है और जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि किस तरह से वसूल होता रहा? उस जुर्माना को वसूल करने में क्या कठिनाई आती रही जिसके कारण यह कानून लाना पड़ा। सिर्फ यही कानून नहीं, एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट की तरह सैकड़ों कानून इस देश में है। इन सब कानूनों को छोड़कर यह एक नया तरह का प्रावधान आप लाने जा रहे हैं। वह व्यक्ति जिसके ऊपर मुकदमा चलता है वह मुकदमे में, मुझे अनुभव है एशेन्शियल कोमोडिटीज एक्ट के अंदर 100 से 80 प्रतिशत केस के व्यापारी जब वह रिहा हो जाये तो उसका व्यापार खत्म हो जाता है। वह व्यापारी नहीं रह जाता है केस समाप्त होने तक। कोई भी केस मेरे ख्याल से 10-12 वर्ष के अंदर समाप्त नहीं होता है। जिस आदमी के खिलाफ केस चलता है वह 10-12 साल तक बिल्कुल व्यापार से अलग रहता है और इस कारण उसका व्यापार खत्म हो जाता हे। यह भी मेरा अनुभव है कि जितने मुकदमे होते हैं वे 100 से 15 गलत होते हैं। एक आफिसर अपने उद्देश्य की पूर्ति के ख्याल से, रुपया ऐंठने के ख्याल से या उसे घूस नहीं मिलती इस ख्याल से या राजनीतिक दष्टि से, अपना उद्देश्य पूरा करने के ख्याल से वह उसको फंसा देता है।

वैसी स्थिति में अब यह कहते हैं कि यह प्रावधान है। इसका मतलब यह होता है कि जिस समय सजा

होगी उस समय यह रुपया वसूल कर लेंगे। माल जब्ती का और रुपया, जो भी होगा, जब आदेश होगा तब लौटाएंगे। जब कोर्ट का अंतिम निर्णय होगा तब रुपया लौटाया जायेगा। यह कितना बड़ा अन्याय है? इस तरह असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण कानून नहीं होना चाहिए और कहीं भी ऐसा कानून नहीं होता है कि जिस समय मुकदमा हो उस समय कोर्ट के अंतिम निर्णय तक माल जब्त कर लिया जाय या बीच में जब्त कर लिया जाय। अंतिम निर्णय होने पर ही उसको लौटाया जाय। इस तरह का प्रावधान आप करने जा रहे हैं। इसमें जो चौथा प्रावधान है उसके अंदर आप यह करने जा रहे हैं—

"If any order, in pursuance of which any amount has been recovered by Government as an arrear of land revenue under sub-section (1) is declared by a competent court, after giving to the Government a reasonable opportunity of being heard, to be invalid, the Government shall refund the amount so recovered by it to the person from whom it was recovered, together with simple interest due thereon........"

इसका मतलब तो यही होता है कि जब अंतिम निर्णय होगा तब यह रुपया लौटाया जायेगा। सरकार के यहाँ से रुपया लेना इतना आसान नहीं है जितना ये समझते हैं। इस तरह का प्रावधान कर देना तो आसान है, लेकिन रुपया लौटाना आसान नहीं है। सबसे पहले तो यह कहना कि 10 वर्ष पहले की या 12 वर्ष पहले की रसीद दिखाओ, यही गलत है। कोई भी छोटा व्यापारी इतनी पुरानी रसीद रखता नहीं है। उसके पास रसीद नहीं होगी तो उसको रुपया मिलेगा नहीं। उसके बाद आधा रुपया खर्च करके अंतिम निर्णय होने पर उसको रुपया मिल भी गया तो हम उसको शाबासी समझेंगे। हमको ऐसा नहीं दिखाई देता है कि रुपया निकालना इतना आसान है.........अभी आप घंटी न बजाइये, अभी पाँच मिनट हमको और बोलना है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह प्रावधान बहुत ही अन्यायपूर्ण और अनुचित है। इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आर्डर में भी जुडिसियरी और एक्जीक्यूटिव, दोनों अलग-अलग हैं। जब केस होगा, जब जुडिसियल ट्रायल होगा तो जुडिसियल कोर्ट के नियमों के अनुसार आर्डर पास होगा। उसके अंदर डिस्पोजल आफ प्रोपर्टी का प्रावधान है। सी.आर.पी.सी. में किस तरह से प्रोपर्टी का डिसपोजल होगा, इसका प्रावधान है। अब आप एक्जीक्यूटिव आर्डर लेना चाहते हैं। उस माल और रुपये को आप किस तरह से लेंगे, उस पर दोनों में कन्ट्राडिक्शन होगा। तीसरे प्रावधान में इन्होंने कहा है कि जो आर्डर होगा, जो माल जब्त होगा, उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता, इंजेक्शन नहीं ले सकता है और न ही ट्रिब्यूनल में जा सकता है। यह कहाँ का कानून है? यह कहाँ का रूल ऑफ लॉ है या लॉ आफ रूल है? किसी चीज के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं? अगर किसी की चीज जब्त की जाती है, उसका रुपया लिया जाता है और अगर उस चीज को वसूल करना चाहता है तो आप उस व्यक्ति को कोर्ट में नहीं जाने देना चाहते हैं। इस प्रावधान में उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। इसमें कौन-सी बड़ी बात है जिसके लिए आप उस व्यक्ति को कोर्ट में नहीं जाने

देना चाहते हैं। इस प्रावधान में उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। इसमें कौन-सी बड़ी बात है जिसके लिए आप उसको रोकने की जरूरत समझते हैं? मेरी समझ में नहीं आता है कि आप इसको किसके लिए लाये हैं? अगर यह सब पर लागू होगा तो शायद हजार में से 999 के साथ इससे अन्याय होगा। एकाध के लिए यह अच्छा हो जो आपके हाथ में हो, लेकिन हजार में से 999 लोगों के लिए यह कानून अन्यायपूर्ण है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। परंतु उसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि क्या यह कानून को-ऑपरेटिव्स पर नहीं लागू होगा? क्या यह कानून स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन पर नहीं लागू होगा? क्या यह कानून एफ. सी.आई. पर लागू नहीं होगा? क्या इन जगहों पर मिलावट नहीं होती है? जब आपने एसेंसियल कमॉडिटीज एक्ट में व्यापारियों को बांध कर रखा है, उसको फंसाया जा सकता है तो इन संस्थाओं पर यह क्यों लागू नहीं होता है, उनके ऊपर इसके अधीन केस क्यों नहीं चलाया जा सकता है।

चर्बी मिलाने का इतना बड़ा कांड हो गया। इस संबंध में कितनों के ऊपर केस किया गया? दिखाने के लिए जांच की गई लेकिन क्या परिणाम निकला? बंबई कें अंदर सर्वे हुआ। उस सर्वे में जो मूँगफली का तेल आयात किया गया था 6 का सेम्पल लिया गया। उनके से पाँच एडल्टरेटेड थे और एक एडल्टरेडेट नहीं था। उनके ऊपर आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का कानून लाकर आप बहुत ही अनुचित और अन्यायपूर्ण काम कर रहे हैं। मैं यह कहूँगा कि इस तरह का कानून लाकर आप बहुत ही अनुचित और अन्यायपूर्ण काम कर रहे हैं। मैं यह कहूँगा कि इस तरह का कानून नहीं लाना चाहिए। इस पार्लियामेंट के अंदर उपसभाध्यक्ष महोदय, टी बोर्ड है। एक महीने पहले, डेढ़ महीने पहले लूज टी 500 ग्राम पौर्न आठ रुपये, 7.77 पैसे में मिलती है। उसको 13.25 पैसे कर दिया। 7.75 पैसे के दाम 13.25 पैसे कर दिये, इसी पार्लियामेंट में। टी बोर्ड को क्या हक है जो उसने लगभग दुगुनी कीमत बढ़ा दी है। इसके लिए आपने टी बोर्ड के डायरेक्टर और जो अधिकारी हैं उनके ऊपर क्या ऐक्शन किया। सीमेंट के बारे में कहा गया था कि कंट्रोल में 41 रुपये में मिलेगा लेकिन वह 51 रुपये पर मिल रहा है। सीमेंट, ईंटों को चूर कर और उसमें मिलाकर दिया जा रहा है जो कि लाल है, वह आ रहा है? वह जो हो रहा है और इसकी जो अधिक कीमत है इसके ऊपर आपने क्या एक्शन किया है। मैं मंत्री महोदय से कहूँगा कि वे इस बिल को वापस लें और इस कानून को इस तरह से न रखें, इससे लाभ नहीं होगा और यह देश के हित में नहीं है, न उपभोक्ताओं के हित में है।

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली) : आपका वक्त हो गया है।

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त : मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ।

एडिवुल, खाद्य तेल चार लाख टन दिया गया वितरण प्रणाली में, देश के अंदर बांटने के लिए। जिसमें से बहुत कम वहाँ जाता है और बाकी सारी ब्लैक मार्केट में पहुँचकर बिकता है। इन सारी चीजों पर आप गौर न करके इन छोटे-छोटे व्यापारियों को मारने के लिए आप इस तरह का कानून ला रहे हैं। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।

❖

राज्यसभा (जनवरी, 1984) सम्भाषण

बैंकिंग कानून के प्रावधानों में महत्त्वपूर्ण खामियाँ

उपाध्यक्ष महोदय, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19.7.69 को हुआ था और वह एक ऐतिहासिक दिन माना जाता था और यह घोषणा की गयी थी कि इस राष्ट्रीयकरण से यहाँ के लोग ऋणमुक्त हो जायेंगे और गरीबी की रेखा से ऊपर उठेंगे। परंतु हुआ क्या? उसके बाद जून 83 में जैसा मेरे पूर्ववक्ता ने कहा, यह सही है कि बैंकों की पूंजी 50 हजार करोड़ की हो गयी, उनकी 45 हजार शाखाएँ खुल गयीं और 17 हजार की आबादी पर एक बैंक का अनुपात आ जाता है। परंतु इसके बावजूद गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों की संख्या 69 से लेकर आज तक काफी बढ़ गयी है। वे ऋणमुक्त नहीं हुए है। इतनी बैंकों के बावजूद दस प्रतिशत लोगों को भी ऋण नहीं दिया जाता है। आज भी 90 प्रतिशत लोगों को एक-दूसरे से ही ज्यादा ब्याज पर ऋण लेने की जरूरत पड़ती है यहाँ तक कि मैं बिहार की बात कहूँ वहाँ पर जो जायदाद को रखकर ऋण लिया जाता है उसमें एक नया कानून बनाया गया कि अगर सात वर्षों तक जमीन पर किसी का कब्जा है तो वह ऋणमुक्त हो जायेगी और न उसे ब्याज देने की जरूरत है, न रुपये लौटाने की जरूरत है, जमीन उसकी लौट जायेगी। यह सोचा गया कि लोन देने वाले हमेशा अमीर ही होते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आयी है उनके अनुसार इस तरह के लोन देने वाले अमीर नहीं, ज्यादा संख्या गरीबों की बल्कि 15 प्रतिशत संख्या गरीबों की है, जो जितना रुपया देता है उससे कुछ-कुछ जमीन लेकर उसके ऊपर एडवांस करते जाते हैं। देहात के लोग इस तरह से और भी ऋण से वंचित हो जाते हैं। आज इन्हें कोई व्यक्ति इस तरह का ऋण नहीं दे रहा है। नतीजा यह है कि उसे जमीन बेचनी पड़ती है जब उसे शादी या श्राद्ध के लिए रुपये की जरूरत पड़ती है। इसलिए बैंकों के इतना बढ़ जाने के बावजूद आज गरीबी की रेखा से लोग ऊपर उठ गये हैं, यह कहना गलत है। उसके बाद ए.आर.डी.पी. और एन.आर.डी.पी. की रोजगार की योजनाएँ बीस-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत लागू की गयी लेकिन उनके अंदर भ्रष्टाचार रहा और उससे भी लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। हमारे पूर्ववक्ता ने भी कहा है कि पांच हजार रुपया लेने के लिए जमानत देने की जरूरत पड़ती है और जमानत अचल संपति की होनी चाहिए जो गरीबों के लिए हो पाना मुश्किल है। उसके साथ कुछ ऐसे भी हैं जो इस रेखा के नीचे ए.आर.डी.पी. के कारण नहीं आते, ऐसे बहुत से किसान या गरीब व्यक्ति हैं जिन्हें लोन की जरूरत है नहीं मिल पाता। इससे दिनों-दिन गरीबी बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं उनको बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दो हजार करोड़ रुपया दिया और वह सभी बट्टेखाते में डाल दिया गया।

वह रुपये अब वसूल नहीं किये जायेंगे और इस तरह से वह बट्टेखाते में पड़े हुए हैं।

इसके साथ मैं ध्यान आकष्ट करना चाहता हूँ कि इस बिल में जो 37 वां संशोधन है, जो दफा 45 में

किया गया है नॉमिनेशन के बारे में, वह बहुत ही सही है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। यह होना चाहिए था और इसके पार्ट-3 (बी) के अंदर लाकर के और दूसरे जो प्राविजन बताये गये हैं मैं उसका समर्थन करता हूँ। इसके कारण बहुत से लोगों को बहुत कठिनाइयाँ हुई हैं और होती रही हैं और इसके कारण अब बहुत सुविधा हो जायेगी। पहले लोगों को सबसेशन में, उत्तराधिकारी का सर्टिफिकेट लेने में काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब सेक्शन 9 और 10 में जो संशोधन किया गया है। यह सचमुच में बहुत गलत होगा भविष्य की दष्टि से। इसके कारण जो उद्योगपति हैं और जो व्यापारी हैं और कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं वह इसका लाभ उठाती हैं। कलकत्ता की एक संस्था है जिसने 70 करोड़ रुपया लोगों का लेकर अपने को डिफेक्ट डिक्लेयर कर दिया और शाहदरा (दिल्ली) की एक संस्था लोगों का इसी प्रकार से 50 करोड़ रुपया खा गयी है और जैसा कि मंत्री महोदय ने सुप्रीम कोर्ट के आब्जरवेशन का जिक्र किया है, यह सब बातें सही हैं और इसी तरह से बहुत-सी संस्थायें लोगों का रुपया लेकर उनको ठग रही हैं और उनका पैसा खा रही हैं। लेकिन जितनी ठगी हो रही है, वह मैं समझता हूँ कि दो एक परसेंट से ज्यादा नहीं है और इसके कारण जो 90, 95 प्रतिशत कारबार चलता है, निजी व्यक्ति को जो रुपया जमा करते थे और उसे लेकर जो वे अपना कारोबार चलाते थे उस पर काफी धक्का पहुँचेगा और उनके कारोबार बंद हो जायेंगे और इसके कारण बहुत से लोगों की कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। मैं समझता हूँ कि सरकार काफी सक्षम है और उसके पास काफी कानून है और उनके आधार पर इन ठगी करने वाली संस्थाओं को या व्यक्तियों को रोका जा सकता है। मैं इसका समर्थक हूँ। लेकिन इस संबंध में हमें कानून बनाना चाहिए कि जिससे हम उद्योग को और जो छोटा व्यापार करने वाले हैं उनको बर्बाद न कर दें। ऐसा करना बहुत गलत होगा। इसको बिल्कुल रोक दने से उनके पास पूंजी कहाँ से आयेगी। अगर पूंजी की जगह मोबलाइज की जाती है और उससे सरकार को कुछ फायदा होता है, उससे टैक्स सरकार को मिलता है ओर जो व्यक्ति उसको जमा करता है, उसको कुछ लाभ होता है व्यापार बढ़ता है तो उसमें हर्ज ही क्या है। आप देहात में तो जा नहीं सकते और न सारे ही लोग अपना रुपया बैंकों में जमा करवा सकते हैं और इसलिए जो बीच में काम करने वाले इंटरमिडियेट लोग हैं उनको रहने देना आवश्यक है। इतने संशोधनों के बाद भी सरकार सभी करोबार अपने द्वारा ही करवा सकती। इतनी ज्यादा पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम की दूकानें रहने पर भी सभी व्यक्तियों को उनकी जरूरत की चीजें सरकार नहीं पहुँचा सकती उन तक। इनका परसेंट 10, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता और इसलिए उनपर जो बंधन डाला गया है यह बहुत गलत है और मैं इसका विरोध करता हूँ। परंतु मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कल उन्होंने संशोधन मंजूर करके इसके अंदर जो 25 का प्रावधान दिया है यह आखिर 25 या 10 जो है इसके पीछे क्या रेशनेल है। 25 का फीगर आप कैसे लाये? इसको अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो 25 की जगह 100 क्यों नहीं रख सकते? जिसको छोटा व्यापार करने का अनुभव है वही इसको बतला सकता है।

इस समय उपसभाध्यक्ष, श्री सैयद रहमत अली, पीठासीन हुए।

मुझे छोटा व्यापार करने का अनुभव है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 25 की संख्या कम है। 100 या 200 की संख्या रखी जाय तो वह व्यापार चला सकते हैं। यह तो 25 की संख्या आपने रखी है, यह बहुत कम है। इससे कोई भी व्यापारी अपना कारोबार नहीं कर सकता।

इसी तरह फर्मों के लिए और इनकॉरपोरेटेड बॉडीज के लिए भी यह संख्या बहुत कम है, यह ज्यादा होनी चाहिए। अमेंडमेंट में आपने दो वर्ष रखा है कि जिस दिन में यह कानून लागू होगा उस दिन से दो वर्ष के अंदर लौटा दिया जाएगा। क्या यह संभव है। लाखों रुपया जिसका जमा है वह दो वर्ष के अंदर लौटा दिया जाए? अगर दो वर्ष के अंदर लौटा नहीं सकता तो उसका कारण यह है कि वह किसी तरफ से रुपया उधार लेता है, ऋण लेता है तो दूसरी तरफ वह उधार लगाता भी है, इस तरह से कारोबार का काम चलता है। दो वर्ष के अंदर आप लौटाने की बात कहो तो उसके लिए उसे वापस करना संभव नहीं है। इसलिए यह दो वर्ष का जो समय है यह बहुत कम है, अगर आपको रखना है तो पांच वर्ष रखिए जिससे कि वह धीरे-धीरे रुपया लौटा सके और उसका कारोबार भी चलता रहे। उसका कारोबार बंद हो जाए, यह नीति नहीं होनी चाहिए, किंतु इस नीति का असर यही होगा। ❖

The superiority of the ruling and priestly classes in India, the Hellenic conception of the philosopher guardians as the Rulers of the Republic, the class-efficiency of the Roman Civil Service; the Confusion literatti who administered the Cinic Universal State, the Feudal Diamyos and Samurais of Japan and the recent British elements in Indian Civil Services, have all been disintegrated by the progressive forces of the new dynamic society throughout the world. The traditional plutocratic methods of administration broke down because of the erroneous assumption that the common man is stupid, backward and irrational, and therefore incapable of self government. Where political, economic or social slavery was tolerated in some form or other the gulf between the ruling class and the ruled masses led to eventual liquidation of the former. It has, therefore, been recognised more as a measures of State craft than as a philosophic doctrine, that internal stability of a country cannot be maintained unless all the various starta of the population are given a fair share in the administration of the country.

—Tynbee, as quoted by ***Ramlakhan Prasad Gutpa*** in his address to Mahasabha.

साहु जैन हॉल, पटना में अध्यक्षीय भाषण

पटना में आयोजित सम्मेलन में

माननीय उप-प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, विशिष्ट आमंत्रित मंत्रीगण, व्यवसायी संघ के सदस्यगण एवं अन्य बंधुओ!

यह परम सौभाग्य की बात है कि लंबी अवधि के बाद हम पुनः व्यवसायी संघ के मंच से एक जगह एकत्र हुए हैं। हम वही हैं......परिवेश वही है......परंतु कालचक्र की गति ने इस आह्लादक घड़ी में हमारे कुछ बंधुओं को हमसे विलग कर दिया है...... छीन लिया है। संयोग का इससे अनूठा प्राबल्य और क्या हो सकता है कि ततीय अधिवेशन के बाद आज पुनः बाबूजी हमारे मध्य हैं। तीसरे अधिवेशन में उन्होंने हमारे दर्दे -गम को सुना था और आज पुनः अपनापा से भरकर उन जख्मों पर स्नेहसुधा बरसाने आ गये हैं। विगत का स्मरण निःश्वास छोड़ने पर विवश कर देती है। दश्य -पटल पर चलचित्र की भांति घूमता हुआ अतीत आपातकाल की घनीभूत पीड़ा की उपत्यका से गुजरकर जन-मानस को आज पुनः उन्मुक्त वायुमंडल में जाने का आमंत्रण दे रहा है। नव वर्ष लोकतंत्र की मधुर परिकल्पना को साकार करने के लिए जैसे उद्यत है। हमारी जिन आशाओं पर तुषारापात हुआ था उनके नवपल्लवन से जनशक्ति की एक नई धारा प्रवहमान हो उठी है, जो हमारे गंतव्यपथ का चिरप्रदीप्त आलोक होगा।

जन-जन के लिए बनी जनता सरकार जनाकांक्षाओं का प्रतीक बने—इस अभिलाषा के साथ हम व्यवसायी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी समस्याओं का हल चाहते हैं और यह चाहते हैं कि एक स्वतंत्र भारतीय नागरिक की भांति उनके जीवन में भी स्थिरता आये तथा वे द्वितीय श्रेणी के नागरिक नहीं समझे जायें।

माननीय उप-प्रधानमंत्री महोदय ने निष्ठापूर्ण एवं प्रगतिशील नेतत्व प्रदान करते हुए देश की सेवा में ही अपना जीवन समर्पित किया है। हम आशा करते हैं कि आप निरंतर आगे ही बढ़ते जायेंगे। अपने मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जी एवं अन्य उपस्थित मंत्रीगण के निष्ठापूर्ण एवं प्रगतिशील नेतत्व के प्रति भी व्यवसायी संघ विश्वास प्रकट करता है।

व्यवसायी संघ के इस महाधिवेशन के शुभ अवसर पर हम खाद्यान्न के उत्पादन, व्यापार और वितरण संबधी मामलों में जनहित तथा व्यवसायी वर्ग की कठिनाइयों पर विचार-विमर्श कर उपयोगी और उचित व्यवस्था की मांग संगठन की ओर से कर रहे हैं। खाद्यान्न-व्यवसाय संबंधी समस्याएँ कुछ तो अपर्याप्त उत्पादन से उत्पन्न होती हैं, परंतु अधिकांशतः सरकारी नियमों, अधिनियमों की अव्यावहारिकता के कारण पैदा होती हैं। व्यवसायी वर्ग की वर्तमान समस्याओं को आज सम्मान्य उपप्रधानमंत्री एवं मंत्रीगण के समक्ष रखकर संशोधनों एवं सुधार के जरिये निबटाने का आग्रह भी करना चाहते हैं। इससे पूर्व व्यवसायी संघ की

आवश्यकता और स्थापना पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालना अपेक्षित समझता हूँ।

व्यवसायी संघ रूपी संगठन की आवश्यकता इसलिए हुई कि जहाँ व्यवसायी वर्ग जनता को अपनाकर चलता है वहाँ उपेक्षा ओर कुठाराघात ही इसे प्रतिकार में मिलता आया है। इस दर्द से आहत व्यापारी 'व्यवसायी संघ' के माध्यम से अव्यावहारिकताओं एवं अन्यान्य के विरुद्ध संघर्ष करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे।

जन-वितरण प्रणाली : योजना आयोग में 1973 में प्रस्तावित जन-वितरण प्रणाली को 1 जुलाई, 1979 ई. से लागू करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री की बैठक में दिनांक 5 जनवरी, 1979 को आपूर्ति, व्यापार एवं सहकारिता मंत्री श्री मोहन धारिया द्वारा लिया गया। इस प्रणाली द्वारा 2000 आबादी वाले गाँवों एवं पहाड़ी इलाकों में एक हजार आबादी वाले गाँवों में एक-एक उचित मूल्य की दुकानें खोलने का प्रस्ताव है। अतः ऐसी दुकानों की संख्या 240 हजार से बढ़कर 350 हजार हो जानेवाली है। सर्वप्रथम इसे खाद्यान्न यथा चावल, गेहूँ, मोटा अनाज, खाद्य तेल, किरासन तेल, साधारण कपड़े, सौफ्ट कोयले दुकानों से वितरित किये जायेंगे। इस व्यवस्था में पुष्ट बीज, खाद्य, विद्युत, सिचाई इत्यादि तक की व्यवस्था किसानों के लिए तथा विदेशों में निर्यात तक की व्यवस्था इनके माध्यम से की जानी है। इस व्यवस्था से निम्न मध्यर्गीय संगठित क्षेत्र, पब्लिक अंडरटेकिंग के कर्मचारियों को स्थिर भाव पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि होगी। परंतु गरीबी रेखा से नीचे वाली आबादी जिसकी संख्या 40 प्रतिशत से अधिक है तथा जिसे दोनों शाम खाना नहीं मिल पाता है, इसे उससे लाभ नहीं है। यह तभी सफल होगा जब आपूर्ति-स्रोत निश्चित रहे। खाद्यान्न का उत्पादन गत वर्ष 126 मिलियन मैट्रिक टन रहा जबकि उसके दो वर्ष पूर्व 121 मिलियन मैट्रिक टन हुआ था। फिर भी अभी पैदावार मुख्यतः मौसम पर ही निर्भर करती है। बाढ़, सूखा, अतिवष्टि इत्यादि भारत जैसे देश के लिए स्वाभाविक हैं। अधिक पैदावार वाले बीज 30 प्रतिशत-35 प्रतिशत उपजाऊ भूमि में ही व्यवहृत किये जाते हैं।

मुद्रास्फीति वर्तमान समय में प्रतिवर्ष 18.9 प्रतिशत है जो सन् 1972-73 वर्ष के 17.3 प्रतिशत एवं गत वर्ष के 16.6 प्रतिशत से अधिक है। श्री धारियाजी की इस योजना से मुद्रा-स्फीति नहीं रुकेगी। विदेशी मुद्रा कोष अभी छह मिलियन डालर है, परंतु जिस तरह अधिक समझ कर इसे खर्च किया जा रहा है यह कब तक रिजर्व रह पायेगा, कहना कठिन है।

फिर रेलवे की कठिनाई अलग है, जो हमने कोयला के संबध में अनुभव किया है। कोयले के उत्पादन में कोई कमी नहीं है। उत्पादन एवं वितरण भी सरकार के हाथ में है, फिर भी कोयले की कमी सर्वत्र महसूस की जा रही है। अतएव रेलवे का सहयोग अत्यावश्यक होगा। किंतु माननीय उप-प्रधानमंत्री श्री जगजीवन बाबूजी के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि जन-वितरण प्रणाली रहेगी। हम भी इस प्रणाली में पूर्ण सहायता देने को तैयार हैं। यदि जनता को लाभ पहुँचता है तो हम अवश्य सहयोग देंगे। हमने देश को चीन-युद्ध, पाक-युद्ध, बाँगला देश, 1857 का गदर, 1942 का संघर्ष और फिर 1974-77 के संघर्ष में भी साथ दिया है और मैं सहयोग का पूर्ण आश्वासन देता हूँ।

परंतु जनता पार्टी सरकार के विद्वान और

शक्तिमान उप-प्रधानमंत्री से मेरी अपील है कि क्या आप यह नहीं समझते कि इस प्रणाली से हम मध्यम एवं खुदरा विक्रेता ही प्रभावित होते हैं, उनके परिवार के भरण-पोषण का क्या होगा? उनके बच्चे तो दुकानदारी पेशा में ही लगे रहते हैं, वे क्या करेंगे। आज जिस काम या व्यापार का राष्ट्रीयकरण होता है तो उसमें लगे व्यक्ति तथा उनके बच्चों को वहाँ रख लिया जाता है। फिर व्यापारियों का व्यापार छीनकर उन्हें कुछ मिलने की बात नहीं सोची जाती। ऐसा क्यों?

अतः मेरी मांग है कि सभी दुकानों में प्राथमिकता व्यापार में लगे परिवार के सदस्यों को ही दी जाय जिससे उन्हें भी जीविका प्राप्त हो सके।

दाल की समस्या

आज एक अति आवश्यक प्रोटीन से भरपूर खाद्यान्न के रूप में दाल का महत्त्व है। फिर भी खपत की दष्टि से दाल एवं दलहन का पर्याप्त उत्पादन देश में नहीं हो पा रहा है। जबकि उच्च कोटि का प्रोटीन खाद्य होने के साथ-साथ यह अन्य प्रोटीनयुक्त पदार्थों की अपेक्षा सस्ता है। इस देश में उत्तम क्वालिटी के दाल में प्रोटीन 11.8 प्रतिशत तथा 8.5 प्रतिशत होता है तथा 24 या 25 प्रतिशत उरद और मसूर में। दाल का उत्पादन दिनानुदिन कम होता जा रहा है जबकि देश की आबादी बढ़ती जा रही है। इस तरह 1950 में जहाँ प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 61 ग्राम दाल उपलब्ध था, 1977 में यह प्रति व्यक्ति प्रतिदिन घटकर 43 ग्राम ही उपलब्ध रहा। दाल के उत्पादन में कमी का एक प्रमुख कारण उत्पादन में असमानता भी है। देश का आधा से अधिक क्षेत्र दाल-प्राप्ति के मामले में मुख्यतः तीन ही राज्यों राजस्थान, मध्यप्रदेश ओर उत्तरप्रदेश पर निर्भर करता है। फिर भी दाल-उत्पादक क्षेत्रों में पिछले पाँच सालों में उत्पादन दर 10 प्रतिशत घट ही गया है जिसका सीधा प्रभाव उत्तरी क्षेत्रों पर पड़ता है। जहाँ घोषित आँकड़ों के अनुसार राजस्थान में 11 प्रतिशत दलहन का उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश में 34 प्रतिशत तथा महाराष्ट्र में 28 प्रतिशत होता है। इसकी तुलना में सबसे बुरी स्थिति बिहार की है जहाँ मात्र 14 प्रतिशत ही दाल का उत्पादन होता है। शोध एवं अनुसंधान के अभाव में उत्पादन का ह्रास हो रहा है। प्रति हेक्टेयर 8-10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदा हो पाता है। जबकि गेहूँ 40-50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदा हो सकता है। दाल के उत्पादन की कमी का दोष फिर भी व्यापारियों को ही अधिक और किसानों को कम दिया जाता है।

बिक्री-कर उन्मूलन

जनता पार्टी के नेतत्व ने बिक्री कर से उत्पन्न कठिनाइयों, अव्यावहारिकता, मूल्य-वद्धि, इससे उत्पन्न भ्रष्टाचार, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं में बिक्री -कर के प्रति क्षोभ के कारण बिक्री-कर-उन्मूलन की घोषणा अपने चुनाव-घोषणा-पत्र में किया था। यह बात सही है कि बिक्री कर से इस समय संपूर्ण देश में 2600 करोड़ रुपये का राजस्व आता है, परंतु वद्धि उत्तरोत्तर होते जाने के कारण ही यह संख्या पहुँची है। उत्पाद-कर में 1947-48 में जहाँ 55 करोड़ रुपये की आमदनी हो गई थी, वहाँ 1978-79 में अतिरिक्त उत्पाद कर (बिक्री कर के बदले) बढ़कर 4836 करोड़ की आमदनी हो गई है। 1973-74 से 5 वर्षों

के अंदर उत्पाद-कर की वद्धि 84 प्रतिशत प्रतिवर्ष हुई है और उसी अवधि में बिक्री कर में वद्धि लगभग दुगुनी हुई। 1975-76 के आँकड़े के अनुसार बिक्री-कर राज्यों के संपूर्ण राजस्व का 54 प्रतिशत हो जाता है। उपर्युक्त कारणों से बिक्री कर हटाने में सरकार की कठिनाइयों का अनुभव हम करते हैं।

परंतु, इन सारी कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए ही जनता पार्टी ने इनके उन्मूलन की घोषणा की थी। जनता पार्टी अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर, श्री अटल बिहारी बाजपेयी आदि अनेकों वरिष्ठ नेताओं की इसे हटाने की स्पष्ट घोषणा है। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री सतीशचंद्र अग्रवाल ने भी मद्रास में 7.1.78 को घोषणा की थी कि बिक्री कर का उन्मूलन विचाराधीन है। मध्यप्रदेश में जनता पार्टी ने 6.2.78 को प्रस्ताव पारित किया कि गल्ला, दाल, गुड़ एवं खाद्य तेल पर से बिक्री कर हटा लिया जाय।

बिहार सरकार से मेरी मांग है कि वह बिक्री कर को उत्पाद कर में परिवर्तित करे तथा उपभोक्ता एवं व्यापारियों के हित में बिक्री कर समाप्त करे। बिक्री-कर उन्मूलन के प्रथम चरण में खाद्यान्न, दाल एवं खाद्य तेल तथा गुड़ जो सामान्य जनता के खाद्य पदार्थ हैं, उन पर से बिक्री कर समाप्त करे। ज्ञातव्य है कि खाद्यान्नों पर बिक्री कर पड़ोसी राज्यों, न तो बंगाल में है न आसाम में है और न दिल्ली में। अतः जनता पार्टी की सरकार से आग्रह है कि वह बिक्री कर हटाये-वचन निभाये।

खाद्यान्न लाइसेंस की समाप्ति

खाद्यान्न का उत्पादन प्रचुर मात्रा में हुआ है और खाद्यान्नों की न तो कमी है, न ही उसकी कीमतों में वद्धि हुई है, बल्कि खाद्यान्नों के भाव में कमी के कारण किसानों की ओर से इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि खाद्यान्नों की कीमतों में वद्धि की जाय। ऐसी अवस्था में आवश्यक वस्तु अधिनियम के दफा '3' में विहित उद्देश्य के लिए बिहार खाद्यान्न लाईसेंसिग आदेश की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जहाँ तक भंडार की उपलब्धि का प्रश्न है, वह कषि उत्पादन बाजार समिति या सांख्यिकी विभाग के द्वारा उपलब्ध किया जा सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में मात्र कुछ भंडार की कमी या बेसी हो जाने के कारण संपूर्ण भंडार को सीज करना व्यापारी के जीवन-यापन को समाप्त कर देना है।

खुदरा विक्रेताओं को भंडार पूंजी एवं भंडार तथा मूल्य प्रदर्शन करने की आवश्यकता को समाप्त कर देना चाहिए।

व्यापारियों के ऊपर संपूर्ण बिहार में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत तकनीकी त्रुटियों के कारण 10,000 मुकदमें, जिनमे से कुछ 1961 से अभी तक लंबित हैं। कुछ मुकदमें तो आपातकाल में बदले की भावना से तकनीकी गलतियों के आधार पर किये गये हैं। इतने लंबे अरसे में हजारों प्रतिष्ठान समाप्त हो गये और सैकड़ों व्यक्तियों की मत्यु हो गयी। अतः बिहार सरकार से मेरी मांग है कि एक बार उपर्युक्त सभी मुकदमों को उठाकर व्यापारियों की सद्भावना अपने पक्ष में मजबूत करें।

लेवी आदेश अनावश्यक

सारे देश में गत वर्ष 126 मिलियन मैट्रिक टन गल्ला पैदा हुआ। इस वर्ष पैदावार और बढ़ने वाली ही है। संपूर्ण क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रतिबंध चावल-गेहूँ पर

से समाप्त हो चुका है। केंद्र सरकार के पास चावल-गेहूँ के भंडार की कमी नहीं है, जिसका उदाहरण है 'काम के लिए भोजन'। इन राज्यों में राज्य सरकार समर्थन मूल्य में भी गल्ला खरीद नहीं पाती। फिर बिहार के अंदर चावल-लेवी आदेश लागू करके यहाँ के व्यापारियों पर जुल्म ढाने एवं नौकरशाही की दया पर छोड़ देने का कोई कारण नहीं है। गत वर्ष जो लेवी रखा गया था उससे सात गुना अधिक लेवी इस वर्ष रखने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगर सरकार को भंडार की कमी हो, तो वह या तो केंद्रीय सरकार से भंडार मंगवाये या कम भाव वाले राज्यों से चावल-धान की खरीद करे। अतः मेरी मांग है कि चावल-धान लेवी आदेश समाप्त किया जाय।

कषि उत्पादन बाजार समिति

कषि उत्पादन बाजार समिति मनमाने ढंग से बिना व्यापारी या उपभोक्ता की राय लिये कहीं भी बना दी गयी है और व्यापारियों को उसके बाजार प्रागंण में जाने को बाध्य ही नहीं किया जाता, अपितु जुल्म भी ढाया जाता है। कषकों या उपभोक्ताओं की सुविधा के बदले उन्हें गुलाम समझ कर उनकी कठिनाइयों का वगैर ख्याल किये हुए उन्हें तरह-तरह से परेशान किया जाता है। जिसके निम्न उदाहरण है।

(क) औद्योगिक एवं खान क्षेत्रों में, जहाँ कषि उत्पादन नहीं भी होता है वहाँ भी बाजार प्रागण में जाने के लिए बाध्य करना एवं शुल्क की मांग करना।

(ख) बाजार प्रांगण के क्षेत्र में जिस वस्तु का उत्पादन होता है सिर्फ उसी पर शुल्क न लगाकर बाहर से भी आनेवाली वस्तुओं पर लगाना।

(ग) शुल्क का बहुमुखी होना।

(घ) एक ही प्रांगण में उसके स्वरूप बदलने पर अलग-अलग शुल्क लगाना। जैसे चना पर, उससे बने दाल पर, दाल से बने बेसन पर अलग-अलग शुल्क लिये जाते हैं। अतएव मेरी मांग है कि उपर्युक्त कठिनाईयों को सरकार दूर करे।

माप-तौल

माप तौल अधिनियम की अव्यावहारिकता अभी तक समाप्त नहीं हो पाई है। उसके नवीनीकरण का अलग अलग समय रखना ठीक नहीं है। नवीनीकरण का अधिनियम बिल्कुल ही अव्यावहारिक है जिसके लिए समय-समय पर हम सरकार को स्मारपत्र देते रहे हैं। जुर्माना इतना अधिक रखा गया है जो 25 गुना तक भी चला जाता है। एतदर्थ मेरी मांग है कि जुर्माना शुल्क से दूना किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए।

परामर्शदात्री समिति

व्यापारी वर्ग इस समय लगभग प्रत्येक कानून और हरेक अवसर पर नौकरशाही का शिकार है और उसे उसकी दया पर जीना पड़ रहा है। मेरी मांग है कि उनमें कमी लाने के लिए राज्य से प्रखंड स्तर तक व्यापारियों एवं स्थानीय संबधित विभागों के अधिकारियों के साथ परामर्शदाता समिति बने तथा उसके निर्णय का पालन किया जाय।

खुदरा विक्रेताओं की कठिनाइयाँ

अनेक सरकारी अधिनियमों के कारण खुदरा विक्रेताओं की कठिनाइयाँ तो और बढ़ गई है। अनेक

सामग्रियों का व्यापार कर्मचारियों, पूंजी एवं शैक्षणिक योग्यता की कमी उन्हें नौकरशाही की दया पर छोड़ देती है। जन-वितरण-प्रणाली से मुख्यतः वे ही प्रभावित होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि सभी लाईसेसिंग अधिनियमों के बदले एक ही लाईसेंस का अधिनियम बनाया जाय तथा उन्हें स्टॉक रजिस्टार, रिटर्न, कैशमेमो आदि से मुक्त किया जाय।

मिलावट कानून का परिणाम खुदरा विक्रेताओं को ही अधिकतर भुगतना पड़ता है यद्यपि वे निर्दोष रहते हैं। इस कानून का संशोधन कर उसके स्रोत की जाँच होनी चाहिए न कि खुदरा विक्रेताओं की।

जनता पार्टी की सरकार बनाने में व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान है। जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के आवाहन पर इसने सदा करोड़ों के मुनाफे का ख्याल न करके अनेकों बार बाजार बंद किया। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसके कार्यों में हाथ बँटाया। आपातकाल में तानाशाही का शिकार बने जेल गये और अंत में लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में मदद की। परंतु बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वर्तमान सरकार भी इन्हें द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझती है। इनकी मांग और इनकी शिकायतों की उपेक्षा की जाती है तथा नौकरशाही का पक्ष लेना ही अपना कर्तव्य समझती है।

मैं अपना यह सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे खुले हृदय से अपनी पार्टी के मंत्रीगण के समक्ष प्रदेश के बहुत बड़े व्यवसायी समूह के दर्द को रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने सरकार के समक्ष आलोचना की दष्टि से कुछ तथ्यों को रखा है। अतः मुझे पूर्ण आशा एवं विश्वास है कि सरकार समस्याओं के समाधान में सचेष्ट होगी। इतनी देर तक धैर्यपूर्वक मेरे विचारों को सुनने का आपने जो कष्ट किया है उसके लिये भी मैं आभारी हूँ।

❖

Backwards, Harijans and other down-trodden people must be protected and safeguarded against economic tyranny and social humiliation and they must must be assisted to assert their legal and human right.

– R. L. P. Gupta

"सदियों से अभिशप्त, शिक्षा तथा संस्कार की दष्टि से पिछड़े और आर्थिक क्षेत्र में अभावग्रस्त वर्गों को आगे लाने के लिए विशेष सुविधा देनी होगी। बिना उसके उनके लिए सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति करना संभव नहीं होगा।"

—पं. दीनदयाल उपाध्याय

लोकसभा अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ की अध्यक्षता में

अखिल भारतीय विधान मंडल के पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन में

लोकतंत्र पद्धति

अध्यक्ष जी, आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं देश के भिन्न-भिन्न कोने से आये हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के बीच इस विषय के ऊपर अपना कुछ विचार प्रकट करूँ। आपका भी विचार बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था और सचमुच में वह बहुत ही हृदयस्पर्शी था और साथ ही साथ स्फूर्तिदायक भी। उद्घाटनकर्ता माननीय मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने भी अपने विचार अच्छे ढंग से रखे हैं। इस संदर्भ में कुछ बातों की ओर मैं सदन का और आपका ध्यान खीचूँगा। यह बात सही है कि लोकतंत्र के ऊपर अस्थिरता हिंदुस्तान में बहुत उचित है, खासकर उस समय जब चारों तरफ एक दूसरे की सरकार से हम घिरे हों, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, अफगानिस्तान हो, चाहे वर्मा हो या सिलोन हो। इसके बीच में यहाँ लोकतंत्र ठीक से चले यह बहुत ही कठिन बात है और यह हमारे लिए धैर्य की बात है।

सदन की शक्ति

हम जिस तरह से चल रहे हैं हमें विश्वास है लोकतंत्र में, परंतु इस समय जनता बातें कर रही है कि क्या सचमुच में संसद या विधानसभा हमारा कुछ लाभ पहुँचा सकेगा। आज लोग सोचते हैं कि इससे हमारा व्यक्तिगत आर्थिक संकट और जो अन्याय हमारे साथ होता है उसका कुछ हो नहीं पाता। मुझे विश्वास है कि सदन में इतने नियम बने हुए हैं, इतने प्रावधान बने हुए हैं कि अगर इन सबका ठीक से उपयोग किया जाय तो समूचे प्रशासन को सदन के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से नियंत्रित हम कर सकते हैं, चला सकते हैं। परंतु उसका सदुपयोग हो, उसका दुरुपयोग नहीं हो। इसमें सत्तारूढ़ पार्टी और विरोधी पार्टी दोनों का सहयोग हो। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल दोनों का समान और महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। दोनों के परस्पर सहयोग से ही स्वस्थ लोकतंत्र कायम रह सकता है। यदि एक दूसरे का विरोध करते रहेंगे तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। इसके सबंध में उद्घाटनकर्ता महोदय ने जो विचार प्रकट किया है वह सही है। कभी विरोधी पार्टी के लोग सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों पर लांछन लगाते हैं और अपने को निर्दोष समझते हैं। और कभी सत्तारूढ़ पार्टी के लोग विरोधी पार्टी के लोगों पर छलांग लगाते हैं और अपने को निर्दोष समझते हैं। यही भीसस सर्किल है और इसे काटना होगा और इसको काटने के लिए एक ही रास्ता है कि हम अपने आप से शुरू करें। हम सोचें कि हम कहाँ तक लोकतंत्र को आगे चलने में सहायक हो सकते हैं। अभी-अभी नागपुर में भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें सांसदों एवं विधायकों के लिए कोड ऑफ कन्डक्ट तैयार किया गया है। पिछले साल जो इस संबंध में तय हुआ था इसकी भी जांच

की गयी कि कहाँ के लोगों ने इसका पालन किस हद तक किया और कहाँ के लोगों ने इसका पालन नहीं किया। जिन लोगों ने इसका पालन नहीं किया था उनकी भर्त्सना भी की गई। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यदि कोई कोड ऑफ कन्डक्ट का पालन केवल हम कर लेंगे तो वही तो काफी नहीं है, इसका पालन तो सबको करना चाहिए, चाहे ट्रेजेरी बेंच के लोग हों, चाहे दूसरे पक्ष के लोग हों, चाहे मंत्री हो या दूसरे हों, सबको इसका पालन करना चाहिए। तभी हमारी डेमोक्रेसी ठीक रूप से चलेगी।

बातें संक्षेप समय कम

हमारे अध्यक्ष महोदय ने बहुत ही सही कहा है कि इतना कम समय हमारे पास है और काफी समय भूमिका में ही निकल जाता है। मैं भी इसके विरोध पक्ष में वहाँ बैठता हूँ लेकिन मुझे दुख होता है कि कभी-कभी अनर्गल और फिजूल बातों पर बहुत बातें हो जाती हैं, और समय ज्यादा हो जाता है कि मेरे सदन के उपाध्यक्ष श्री श्यामलाल यादव किंकर्तव्य विमूढ़ अपने मुँह पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और उस समय में बहुत दिक्कत होती है जिस बात को हम एक मिनट और दो मिनट में कर सकते है उसके लिए दस-पंद्रह मिनट का समय लग जाता है जो उचित नहीं है। इसके अलावा जो बात कहनी होती है उसकी भूमिका में सारा समय चला जाता है। भूमिका के साथ बहुत समय रीपीटेशन में चला जाता है। परंतु मैंने राज्य सभा में देखा है कि रेपीटेशन को हटाने के लिए कौल-अटेन्शन का जवाब देने के लिए एक बार जो प्रश्न रखे जाते हैं, मंत्री महोदय 80 प्रतिशत प्रश्नों का जवाब नहीं देते। जब हम रीपीटेशन को हटाने के लिए एक नियम बनाये तो मंत्री महोदय को चाहिए कि जितने प्रश्न उठाये गये हैं उसका जवाब तो दे दें। इसी तरह से दोनों तरफ की बातें होनी चाहिए। अतः सबको अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए।

लोकहित

जहाँ तक लोकहित की बातें हैं, उद्घाटनकर्ता के भाषण में भी बात आयी है कि हम लोकहित की बात करें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि एक आफिसर के साथ कहीं पर अन्याय होता है और सुपरसीड करके दूसरे आफिसर को प्रोन्नति दे दी जाती है तो लोग कहते हैं कि यह व्यक्तिगत बात है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब इस तरह की बात होती है तो इससे जितने भी संबंधित मामले होते हैं उसकी जांच करने की बात होनी चाहिए। सारी बातों की छानबीन की जानी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता। बाकी को यों ही छोड़ दिया जाता है। इस तरह की बात नहीं मानी जाती है कि वह भी लोकहित की बात है। मैं दो उदाहरण ऐसे जानता हूँ लेकिन अभी उसका नाम नहीं लूंगा। एक हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरा ऐजुकेशन डिपार्टमेंट का मामला है। उन लोगों का वेतन ढाई वर्षों से नहीं मिला। मैंने पत्र लिखा तो एक का भी जवाब नहीं मिला। मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा संबंधित डिपार्टमेंट को लिखा लेकिन डिपार्टमेंट से कभी जवाब नहीं आता है। यह भी विचारणीय बिंदु है।

बीस सूत्री कार्यक्रम जो चलाये जा रहे हैं उसके बारे में मैं कहूँगा कि यह एक बहुत अच्छी चीज है। सभी बातों को विधान सभा में नहीं लाया जा सकता

है। छोटी-छोटी बातों को ऊँचे लेवल के यथास्थान ही निस्तार किया जा सकता है। उनकी समस्याओं को वहीं पर हल किया जा सकता है।

जीरो आवर की बात होती है और यह आवर बहुत ही महत्त्वपूर्ण होता है। जो सदस्य कौल अटेंशन नहीं दे सके और डिसकशन नहीं हो सका, एकाएक कोई आवश्यक बात हो जाती है तो उसको हम जीरो आवर में उठाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जीरो आवर में सदस्य किस्सा-कहानी कहना शुरू कर देते हैं और समय बर्बाद हो जाता है। इससे सभी को परेशानी होती है। इसलिए नियमानुकुल बातें होनी चाहिए।

सभाध्यक्ष को विधेयक आदि पर चर्चा पहले कर लेनी चाहिए। सदन में कोई भी बिल लाया जाय तो उसके लिए सदन के विरोधी पार्टियों के साथ बैठक कर उनसे डिसकशन कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ऐसा कर लेने के बाद ही उसको आगे बढ़ाना उचित है ओर फिर यह नतीजा नहीं आयेगा। 60-70 एम.एल.ए. निकालकर बाहर नहीं किये जायेंगे, कम से कम उस तरह का मौका नहीं आयेगा। डिसकश करें, सभी बातें करें। डेमोक्रेसी का मतलब टालरेंस से होना चाहिए, सहने की शक्ति बढ़ानी चाहिए, सत्तारूढ़ दल को सहने की शक्ति अधिक होनी चाहिए। इसलिए जब भी इस तरह की बातें हो चाहे हाउस में ही या कहीं बाहर, हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम डेमोक्रेसी के रक्षक हैं। हम लोगों ने सभी बातों को सोचकर ही डेमोक्रेसी लाया है, यदि डेमोक्रेसी समाप्त हो जायेगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे और फिर इतनी अच्छी तरह की सरकार नहीं आ सकेगी। मुझे बस इतना कहना है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय—श्री गुप्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बात सही है। स्पीकर किसी बात को रोक नहीं सकता कानून बनाने से, वह तो सिर्फ सभा ही रोक सकता है, वह (अध्यक्ष) सिर्फ डिसकशन ही करवा सकता है। यह सही बात आपने कहा कि डिसकस हो जाना चाहिए। ❖

श्री कपानाथ पाठक, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार : रामलखन बाबू हमारे लिए सदैव आदरणीय थे। उनसे जब भी मुलाकात होती थी, बड़े ही आत्मीय भाव से हमारी बातचीत होती थी। वे विनम्रता के प्रतिमूर्ति थे।

श्री रामजी लाल मित्तल, वरिष्ठ समाजसेवी, पुपरी बाजार, (सीतामढ़ी) : रामलखन बाबू सिर्फ वैश्य समाज के ही नहीं, राष्ट्र के नेता थे।

बिहार राज्य वाणिज्य कर परामर्शदात्री समिति की बैठक में बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के अध्यक्ष द्वारा सरचार्ज का विरोध

(1) परमिट से छूट की सीमा बढ़ाई जाए और कर्मचारियों में विश्वास लाया जाए।

(2) जनता पार्टी के मैनीफेस्टो में सेल्स टैक्स हटाने की जो बात कही गई है और उस दिशा में कार्रवाई करने के लिए हम सोच रहे हैं तो सरचार्ज, जो एक नई चीज है, लगाने से उस दिशा में कार्रवाई करने के लिए हम सोच रहे हैं तो सरचार्ज, जो एक नई चीज है, लगाने से बदनामी होगी।

बैठक के प्रारंभ में श्री कैलाशपति मिश्र ने अपने प्रारंभिक भाषण में समिति को गत बैठक से विगत अवधि में वाणिज्यकर उसके प्रशासन में कतिपय विशेष रूप से उल्लेखनीय उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि इस अवधि में करदाताओं की सुविधा के लिए कानून एवं प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन तथा सरलीकरण किया गया। निकटवर्ती राज्यों और इस राज्य के बिक्रीकर दरों में विसंगतियों को दूर करते हुए कर के दरों का युक्तिकरण किया गया। करों की अपवंचना के लिए रोकथाम की कार्रवाई की गयी, विभाग में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए निगरानी निदेशालय का गठन हुआ तथा बिक्री कर ढांचे का एक्सपर्ट अध्ययन करने के लिए चेलियाह कमिटी का गठन किया गया है।

उन्होंने वित्तीय साधन स्रोत जुटाने में वाणिज्य-कर द्वारा प्रशासित विभिन्न दरों से राजस्व का महत्त्वपूर्ण योगदान बताते हुए कहा कि चतुर्थ योजना अवधि में वाणिज्य करों से 276 करोड़ रुपये संग्रह किये गये थे जो राज्य करों का 58 प्रतिशत था। पंचम योजना अवधि में वाणिज्य करों से लगभग 600 करोड़ रुपये संग्रह किये जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से जनवरी, 1976 तक 433 करोड़ रुपये संग्रह किये जा चुके हैं, जनता पार्टी सरकार जबसे सत्तारूढ़ हुई अर्थात् जून, 1977 से जनवरी, 78 तक कर-संग्रह में पिछले दो वर्षों की अपेक्षा वद्धि हुई है। इस संबध में प्रत्येक कर से हुए संग्रह के आंकड़ों को स्पष्ट करते हुए वित्तमंत्री ने बताया कि अप्रैल, 77 से जनवरी 78 तक कुल कर-संग्रह 103.61 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले दो वर्षों का उसी अवधि में कुल कर संग्रह 76.84 करोड़ तथा 96.60 करोड़ था। जून, 77 से जनवरी, 76 तक इस वर्ष कुल कर-संग्रह 86.45 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले दो वर्षों में यह मात्र 68.23 करोड़ तथा 82.98 करोड़ रहा है।

वित्त मंत्री ने करदाताओं की सुविधा के लिए कानून एवं प्रक्रिया में संशोधन एवं सरलीकरण का जिक्र करते हुए कहा कि बहुचर्चित 'सामान्य बिक्री कर' और 'अतिरिक्त कर' जैसे बहुमुखी कर की समाप्ति की

दी गई है, तथा अब एक बिंदु पर बिक्री कर अथवा खरीद की देयता रह गई है, कर दायित्व की सामान्य सीमा 40,000/रु. से बढ़ाकर 50,000/रु. कर दी गई है तथा अधिसूचित मालों के लिए भी यह सीमा 10,000/रु. से बढ़ाकर 20,000/रु. कर दी गई है, मासिक विवरणी अब मात्र उन्हीं व्यापारियों से अपेक्षित होगा, जिनकी देय मासिक स्वीकत कर 2500/रु. से अधिक होगा, जिनकी देय मासिक स्वीकत कर 2500/रु. से अधिक हो। एक लाख तक सालाना सकल विक्रय राशि वाले व्यापारियों के लिए प्रशासनिक आदेश द्वारा एक स्वतः कर-निर्धारण की प्रथा विहित की जा रही है तथ निबंधन के लिए आवेदन देने की तिथि से ही अब व्यापारी सभी अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं।

कर की दरों के युक्तिकरण के संबंध में उन्होंने बताया कि निकटवर्ती राज्यों और इस राज्य के बिक्री कर दरों की विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से पेपुल यार्न, जूट, फाउन्टेन पेन, चमड़े के सामान, जूता, प्लास्टिक के सामान, मोटरकार, प्लाइवुड, शीशे के बर्तन, स्टेनलेस स्टील के समान, टेबुल कटलरी, क्राकरीज, लेडीज हैंडबैग, सरसों तेल, टूथपेस्ट एवं दंत मंजन, टायलेट साबुन, ड्राइसेल बैट्रीज, बेबीफुड, हाथ के बने बिस्कुट, खाद, उर्वरक, मिनरल और इनफीरियर किरासन तेल, आटा, मैदा और सूजी, सोना और चाँदी, ताजा फल, आलू, प्याज, मिर्चाई, धान और पावर टीलर आदि सामानों के प्रचलित दरों में कमी लाई गई है। इस दर में कमी के अलावा हिंयरिंग एड्स, कषि के औजार, खांडसारी गुड़, सब्जी के बीज, खादी के कपड़े, चर्खे, कुनेन, स्लेट-पेंसिल, तसर कीकुन, शकरकंद, पोल्ट्री, अंडा, पशु-चारा, कुक्कुट चारा आदि वस्तुओं जिनपर पहले बिक्री कर अथवा अतिरिक्त कर का किसी न किसी प्रकार भार होता था अब इससे पूर्णतः विमुक्त कर दिया गया है।

परिवहन कर तथा मनोरंजन कर के अंतर्गत कंपाउडिंग की सुविधा, सीमावर्ती क्षेत्र पर नये नये चेक पोस्टों का सजन, परिवहन कर के वसूली के लिए सात जांच केंद्रों की स्थापना, कर अपवंचना निरोध शाखा द्वारा अवैध व्यापार करनेवालों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ, मनोरंजन कर के अंतर्गत चिपकाऊ स्टाम्प प्रथा का विस्तारीकरण, कर की वसूली में धांधली तथा व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप में छान-बीन के लिए निगरानी निदेशालय के लिए चेलियाह कमेटी का गठन इत्यादि विषयों की भी वित्त मंत्री ने अपने भाषण में चर्चा की।

श्री रामलखन गुप्त ने कहा कि जब जनता पार्टी के मेनीफेस्टों में सेल टैक्स हटाने की बात कही गई है और उस दिशा में कार्रवाई करने के लिए हम सोच रहे हैं तो सरचार्ज, जो एक नई चीज है, लगाने से बदनामी होगी।

श्री गुप्त ने कहा कि एक लाख तक के सकल विक्रय करने वाले व्यापारियों के लिए जो सेल्फ एसेसमेंट की बात कही गई है यह कोई नई चीज नहीं, क्योंकि कानून में पहले भी धारा 17(1) के सदश 16(1) का प्रावधान था किंतु कोई भी एसेसमेंट इस धारा के अंतर्गत नहीं होता था बल्कि सभी एसेंसमेंट 16(3) में होते थे। आयुक्त वाणिज्य कर ने इस सबंध में उन्हें बताया कि यद्यपि ऐसा प्रावधान कानून में पहले से था किंतु उसे लागू नहीं किया गया क्योंकि कभी-कभी देखा गया है कि वेल एस्टेब्लिस्ड फर्म के एकाउंट में भी वही खाता देखने पर त्रुटि

मिलती है। कभी-कभी इंटर स्टेट बिक्री को आउट ऑफ स्टेट बिक्री दिखाया गया, ऐसा पाया गया है।

श्री गुप्त ने आगे बताया कि विभाग में अफसरों की भरमार है लेकिन काम बहुत कम होता है। उनकी राय में कर निर्धारण फिल्ड में होना चाहिए न कि टेबल पर तथा इस तरह का प्रावधान होना चाहिए कि फिल्ड वर्क ज्यादा से ज्यादा हो। इस सबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि एक ही आदमी अगर दुकान पर इंसपेक्शन करेगा और वही असेसमेंट भी करेगा तो यह उचित नहीं होाग क्योंकि इसमें गोलमाल की गुंजाइश है।

श्री गुप्त ने अपने सुझाव को जोरदार शब्दों में प्रस्तुत करते हुए कहा कि फार्म 9 (सी) रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि फार्म 9 (सी) का जो परपस सर्व होना चाहिए वह नहीं होता है। उसकी उपयोगिता यही है कि जहाँ से माल खरीदा जाय उसका सत्यापन हो लेकिन आजतक 5 प्रतिशत मामले में भी वेरीफिकेशन नहीं हुआ है। उनका कहना है कि डीलर के पास तो चेक इनवॉयस रहता ही है और वह इस बातों को सपोर्ट करता है। इसलिए फार्म 9 (सी) के प्रावधान रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस संबंध में आयुक्त वाणिज्य कर ने कहा कि यह पाया गया है कि डीलर लोग फार्म 9(सी) भी जाली छाप कर रखते हैं। इस पर श्री गुप्त ने कहा कि जब हम व्यापारियों में विश्वास लाने के लिए अनेक तरह की छूट देते हैं तो फार्म 9(सी) जिसका परपस परचेज इनभायस से सर्व हो जाता है, रखने को कोई औचित्य नहीं है। श्री गुप्त का यह भी सुझाव हुआ है कि परमिट से छूट की सीमा बढ़ाई जाय और व्यापारियों में विश्वास लाया जाय।

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त ने कहा कि यद्यपि अपीलीय सहायक आयुक्त का पद हटा दिया गया है किंतु सभी कागजातों में इसका संशोधन नहीं हुआ है। आयुक्त वाणिज्य कर ने उन्हें बताया कि संशोधन कर दिया गया है और देख लिया जायेगा कि कहाँ बाकी है। ❖

व्यक्ति-व्यक्ति में स्वदेश का गुमान हो
मिटे कलुष, समता का नव विहान हो
एकता-प्रतीक हाथ में निशान हो
स्वतंत्रता-सुदीप-ज्योति मुक्त दान हो

उन्नत नव-भाल उठाये चलो।
जागति-मशाल जलाये चलो।।

—'वैश्यों का उद्‌भव और विकास' से

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त के दादाश्री स्व. उमा साह

गुप्त-परिवार

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त के पिताश्री स्व. तनुक लाल साह

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त की माताश्री स्व. तेजो देवी

अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः।
त्रीणि तत्र प्रवर्द्धन्ते दारिद्र्यं मरणं भयम्।।

जिस देश में अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों के साथ उलटा व्यवहार होता है, वहाँ निरन्तर दरिद्रता, मरण और भय बढ़ते चलते हैं।

लोग पूछते हैं हमसे कि यह रामलखन गुप्त कौन हैं?
कोई हमें बतलाए कि हम बतलाएँ क्या!

रस सोखता है मही का जो भीमकाय वक्ष
उसकी शिराएँ तोड़ दो, डालियाँ कतर दो।

—कुरुक्षेत्र

डॉ. चन्द्रमणि प्रसाद गुप्त

माताश्री : श्रीमती सरला गुप्त
पिताश्री : श्री रामलखन प्रसाद गुप्त
जन्मतिथि : 3 जनवरी, 1952
जन्मस्थान : शेखपुरा (जिला-मुंगेर)
शिक्षा : प्राथमिक शिक्षा—नोट्रेडम एकेडमी, मुंगेर
: माध्यमिक शिक्षा—श्री दुर्गा संस्था हाई स्कूल, मुंगेर
: स्नातक शिक्षा—प्री-साइंस तथा बी. एससी. (प्रीवियस) आर डी एंड डी जे कॉलेज, मुंगेर
: तकनीकी शिक्षा—एम.बी.बी.एस., नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना
पत्नी : श्रीमती अर्चना गुप्त, एम.ए., एलएल. बी.
वत्ति : पूर्व रेलवे मुख्य अस्पताल, जमालपुर में वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी

अर्चना गुप्त (पुत्रवधु)

माताश्री : श्रीमती गायत्री देवी
पिताश्री : श्री बलराम प्रसाद, एम.कॉम.
जन्मतिथि : 5 मार्च, 1958
जन्मस्थान : पटना
शिक्षा : प्राथमिक शिक्षा—Mont Carrnel School. Women's College, Patna Campus
: माध्यमिक शिक्षा—नारायणी कन्या उच्च विद्यालय, पटना सिटी
: स्नातक शिक्षा—मगध महिला कॉलेज, पटना
: स्नातकोत्तर शिक्षा—एम.ए. (हिंदी), पटना विश्वविद्यालय, पटना
: तकनीकी शिक्षा—एलएल.बी., रामदेव सिंह लॉ कॉलेज, मुंगेर, भागलपुर विश्वविद्यालय

अभिषेक गुप्त
(राशि नाम : विश्वनाथ)

माताश्री : श्रीमती अर्चना गुप्त, एम.ए., एलएल. बी.
पिताश्री : डॉ. चन्द्रमणि प्रसाद गुप्त, एम.बी.बी. एस.
जन्मतिथि : 20 जुलाई, 1979
जन्मस्थान : पटना
शिक्षा : प्राथमिक शिक्षा—नोट्रेडम एकेडमी, मुंगेर तथा जमालपुर
: माध्यमिक शिक्षा—दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, नई दिल्ली
: स्नातक शिक्षा/तकनीकी शिक्षा —बी. एससी. (इंजीनियरिंग), बी.आई.टी. सिन्दरी
: स्नातकोत्तर शिक्षा—एम.टेक., आई. आई.आई.टी. बैंगलोर
विवाह : अविवाहित
वत्ति : Development Specialist, SAP Labs, Bangalore.

अभिनव गुप्त
(राशि नाम : नोखे लाल)

माताश्री : श्रीमती अर्चना गुप्त, एम.ए., एलएल.बी.
पिताश्री : डॉ. चन्द्रमणि प्रसाद गुप्त, एम.बी.बी.एस.
जन्मतिथि : 31 जनवरी, 1981
जन्मस्थान : पटना
शिक्षा : प्राथमिक शिक्षा—नोट्रेडम एकेडमी, जमालपुर
: माध्यमिक शिक्षा—दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, नई दिल्ली
: स्नातक शिक्षा/स्नातकोत्तर शिक्षा/तकनीकी शिक्षा —बी.ई. (मेकेनिकल), दयानंद सागर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बैंगलोर
: MBA from National Institute of Construction Management & Research, Secundrabad (Hydrabad)
वत्ति : Satyam Computers, Hydrabad for 2 years. Now doing management.

मेरूल गुप्त
(राशि नाम : मोहिनी)

माताश्री : श्रीमती अर्चना गुप्त, एम.ए., एलएल.बी.
पिताश्री : डॉ. चन्द्रमणि प्रसाद गुप्त, एम.बी.बी.एस.
जन्मतिथि : 24 जून, 1985
जन्मस्थान : पटना
शिक्षा : प्राथमिक शिक्षा—नोट्रेडम एकेडमी, मुंगेर एवं जमालपुर
: माध्यमिक शिक्षा—दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, नई दिल्ली
: स्नातक शिक्षा/स्नातकोत्तर शिक्षा/तकनीकी शिक्षा —बी.ई. (अंतिम वर्ष) आर.एन.एस. इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बैंगलोर

श्री जयकुमार गुप्त

माताश्री : श्रीमती सरला गुप्त
पिताश्री : श्री रामलखन प्रसाद गुप्त
शिक्षा : एम.टेक., आईआईटी, दिल्ली, एमबीए

श्री राजेश कुमार गुप्त

माताश्री : श्रीमती सरला गुप्त
पिताश्री : श्री रामलखन प्रसाद गुप्त
जन्मतिथि : 09.07.1962
जन्मस्थान : मुंगेर
शिक्षा : एमबीए, एलएलबी
संप्रति : शाखा प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, धमदाहा, पूर्णिया

श्री राकेश कुमार गुप्त

माताश्री : श्रीमती सरला गुप्त
पिताश्री : श्री रामलखन प्रसाद गुप्त
जन्मस्थान : मुंगेर
शिक्षा : बीए, एलएलबी

बैठे हुए : श्री रामलखन प्रसाद गुप्त की बड़ी पुत्रवधु श्रीमती अर्चना गुप्त, ज्येष्ठ पुत्र डॉ. चन्द्रमणि प्रसाद गुप्त

खड़े हुए : पौत्री सुश्री मेरुल गुप्त, पौत्र श्री अभिषेक गुप्त तथा पौत्र श्री अभिनव गुप्त

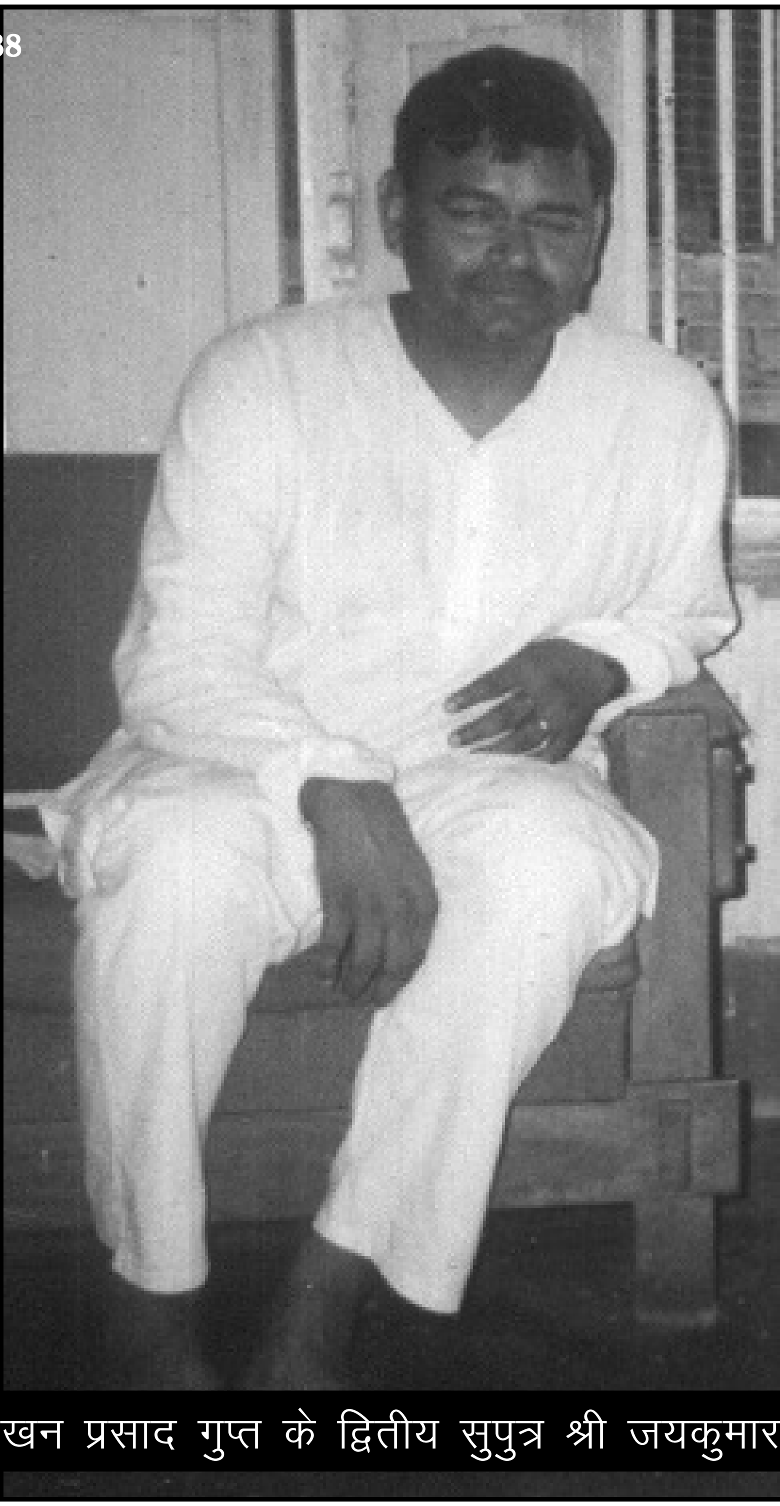

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त के द्वितीय सुपुत्र श्री जयकुमार गुप्त

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त के ततीय सुपुत्र
श्री राजेश कुमार गुप्त तथा पुत्रवधु श्रीमती रेणु गुप्त

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त के चतुर्थ सुपुत्र
श्री राकेश कुमार गुप्त, पुत्रवधु श्रीमती अपराजिता गुप्त
एवं पौत्रियाँ ऋचा तथा मानवी

माँ श्रीमती सरला गुप्त बेटी सुश्री मंजु साह के साथ

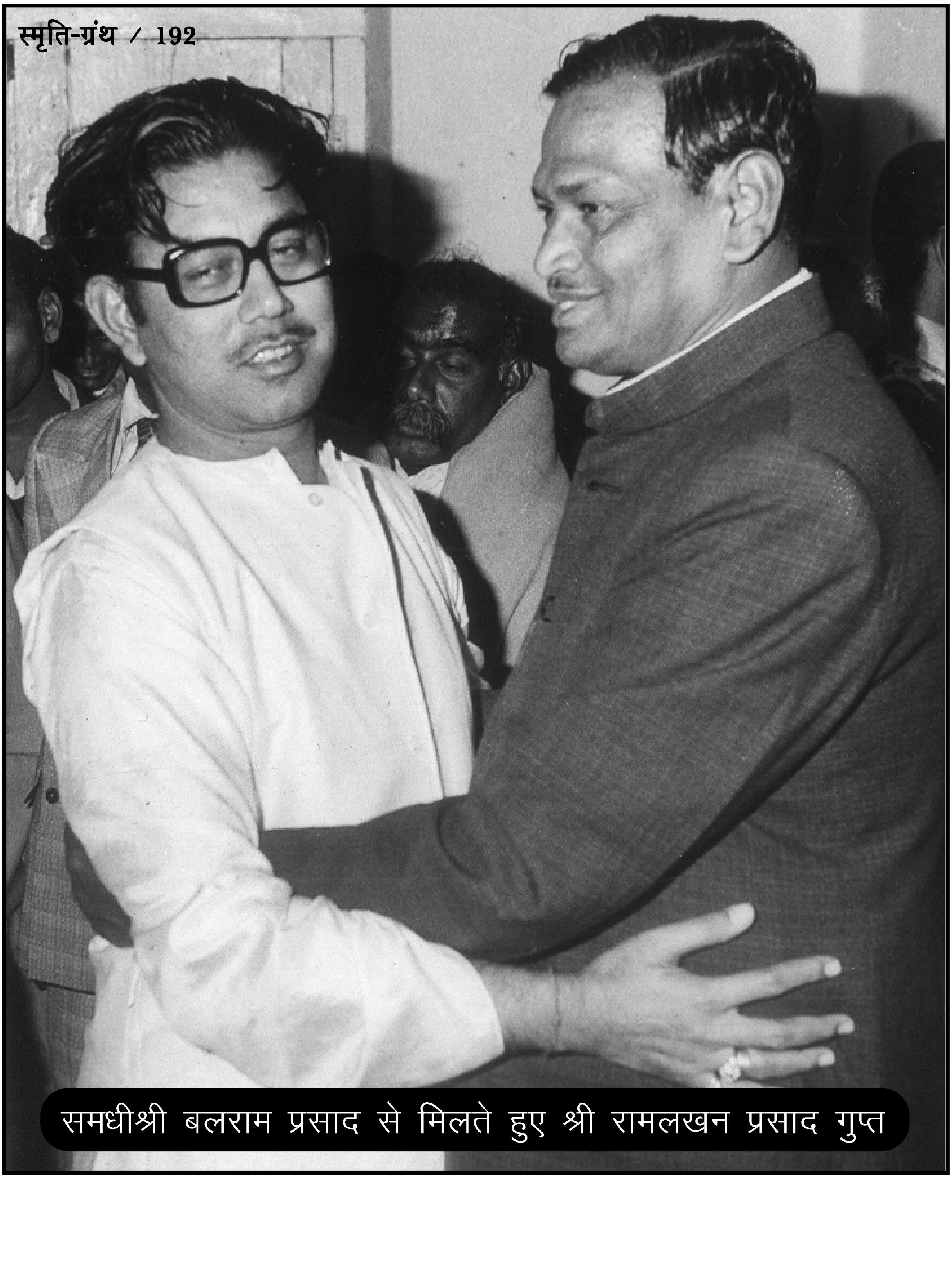

समधीश्री बलराम प्रसाद से मिलते हुए श्री रामलखन प्रसाद गुप्त

जामाता डॉ. हलधर प्रसाद एवं बेटी पुष्पा

दादा की तीनों बहनें—
खगड़िया, मानसी,
खुटियाँवाली
साथ में महना वाली
दीदी और माँ

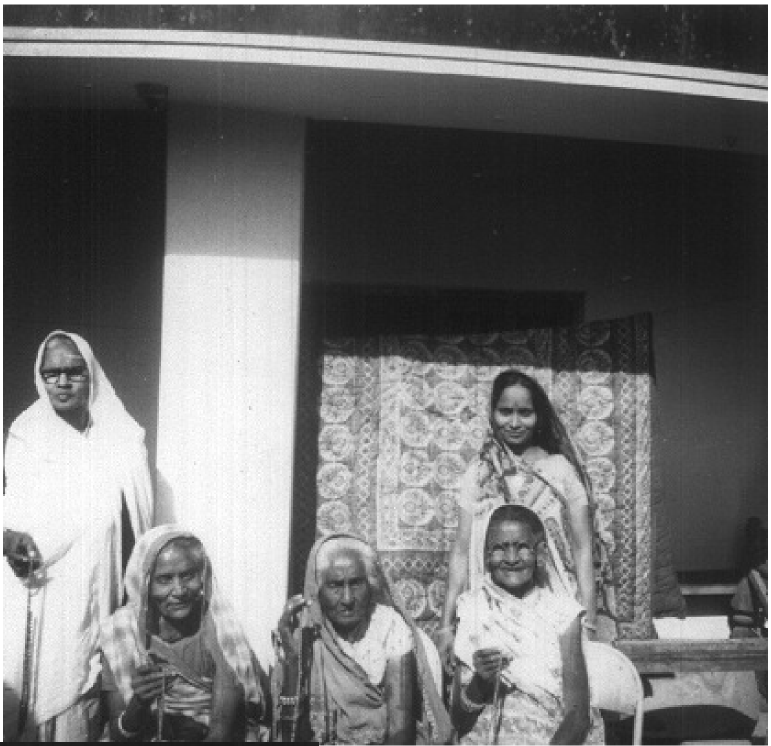

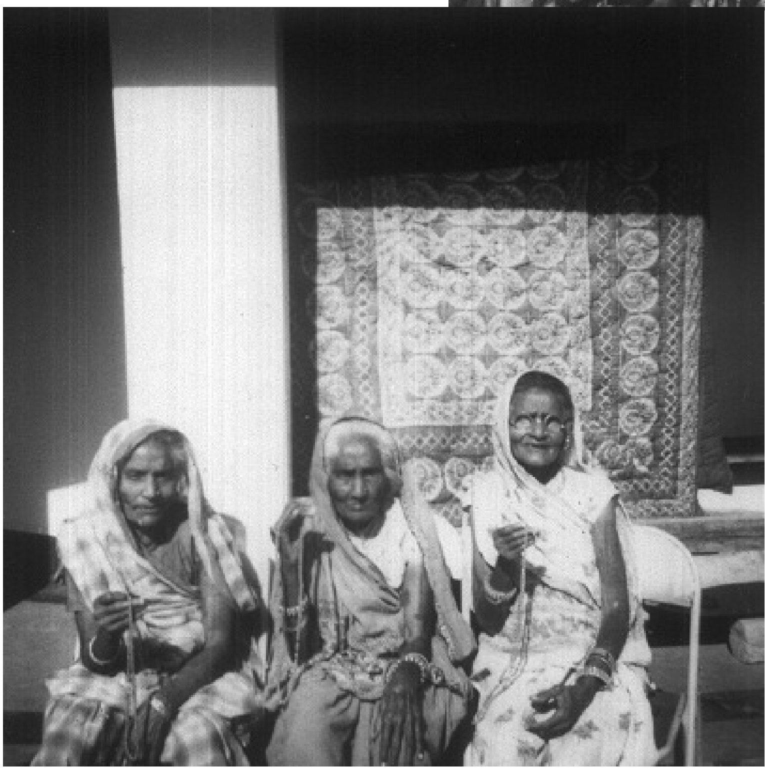

दादा की तीनों बहनें हाथ
में माला लिए हुए दादी
के श्राद्ध-भोज के दिन

श्री शिवचरण गुप्त, वारसलीगंज

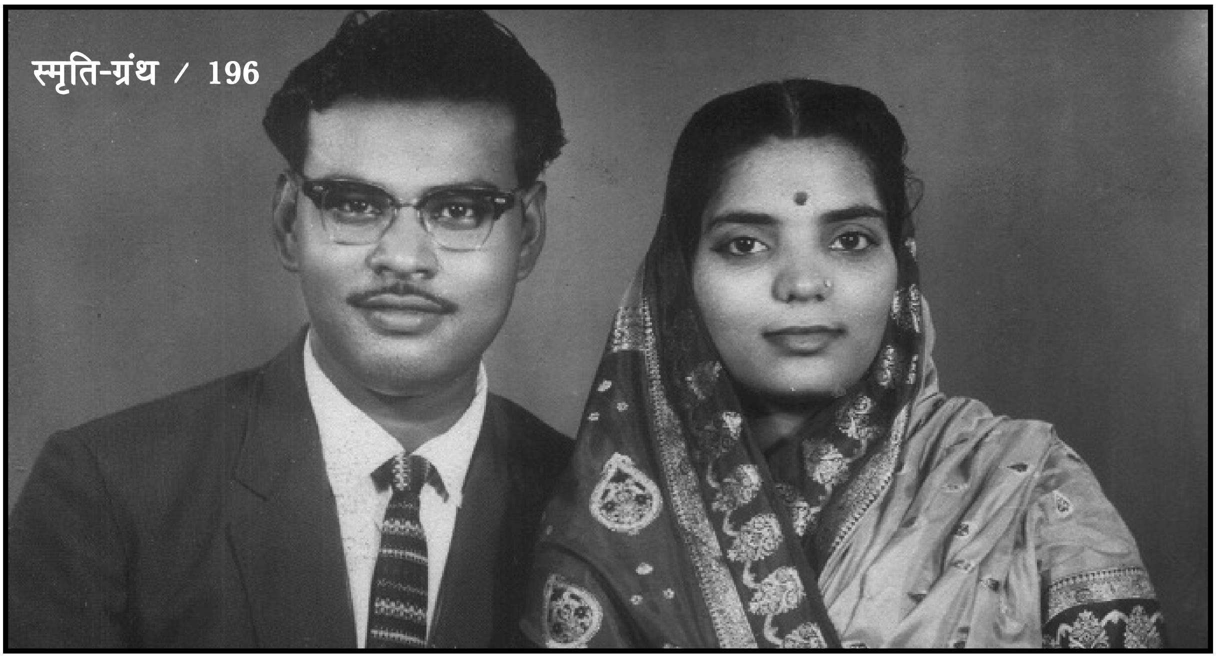

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त का भांजा
श्री विश्वनाथ गुप्त तथा पुत्रवधु श्रीमती सुशीला गुप्त

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त का भांजा श्री एवं श्रीमती अश्विनी कुमार गुप्त

विविधा

यदि अन्तर है आलोकित अन्तःप्रकाश से
तो वाणी भी होगी उससे नित आलोकित
यदि प्लावन-सी कला और कविता भी उमड़े
तो उससे वे जन भी होंगे आप्लावित

जो हैं देख नहीं सकते बाहरी चक्षु से
वे भी मीठी तमिल गिरा से होंगे नन्दित
हम सबका कल्याण अचल होगा संपोषित
और यहीं अध्यात्म तेज भी होगा दर्शित

—राष्ट्रीय कवि सुब्रह्मण्य भारती

संघ के अध्यक्ष स्व॰ रामलखन प्रसाद गुप्त के तैलचित्र का अनावरण

पटना 17 मार्च

आज यहाँ बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के मुख्य कार्यालय नागेश्वर भवन, न्यू मार्केट, पटना-1 में भू.पू. सांसद एवं संघ के अध्यक्ष स्व॰ रामलखन प्रसाद गुप्त के तैलचित्र का अनावरण करते हुए आर्यावर्त्त के संयुक्त संपादक, मूर्धन्य साहित्यकार तथा लेखक श्री रामजी मिश्र 'मनोहर' ने स्व॰ गुप्तजी को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं कहा कि स्व॰ गुप्तजी हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र थे। उन्होंने स्व॰ गुप्तजी को समाज एवं राष्ट्र का एक समर्पित व्यक्ति बताते हुए उनके विशिष्ट गुणों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर राज्य की विभिन्न मंडियों के व्यवसायिक प्रतिनिधियों के अतिरिक्त कतिपय राजनैतिक एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधिगणों ने भी स्व॰ गुप्तजी के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रारंभ में संघ के सहमंत्री श्री रामावतार सर्राफ ने प्रमुख अतिथि श्री रामजी मिश्र 'मनोहर' तथा अन्य आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए स्व॰ गुप्तजी द्वारा किये गए सेवा-कार्यों की चर्चा की तथा उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

संघ के संगठन मंत्री श्री ब्रह्मदेव प्रसाद ने स्व॰ गुप्तजी के अनेक रोचक संस्मरण एवं उनकी संगठन शक्ति की चर्चा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद ज्ञापन किया।

स्व॰ गुप्तजी के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में प्रमुख हैं—संघ के उपाध्यक्ष श्री लखनलाल, महामंत्री श्री बलराम प्रसाद, कार्यालय मंत्री श्री शिवनन्दन प्रसाद, प्रचार-प्रसार मंत्री श्री कष्ण मुरारी ठाकुर एवं प्रचारक श्री सुभाष चन्द्र साह के अतिरिक्त लेखा पदाधिकारी श्री शंभुशरण सिंह तथा महेश कुमार, पाटलिपुत्र समाज कल्याण सहयोग समिति पटना की महासचिव श्रीमती सुमित्रा साहु, वाणिज्य परिषद् नवगछिया के अध्यक्ष श्री रामावतार प्रसाद सर्राफ, धनबाद जिला खुदरा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष श्रीरमाशीष भगत तथा मंत्री श्री कामेश्वर प्रसाद गुप्त, महाराजगंज खाद्यान्न व्यवसायी संघ के मंत्री तथा पटना सिटी बाजार समिति के सदस्य श्री वैद्यनाथ प्रसाद, मंसूरगंज खाद्यान्न व्यवसायी संघ के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र प्रसाद, श्री रामनाथ प्रसाद गुप्त, भू.पू. एम.एल.सी., मर्चेन्ट्स एसोसियेशन बरबीघा के मंत्री श्री शिवपूजन प्रसाद तथा श्री चन्द्र गुप्त, बिहार राज्य तैलिक वैश्य सभा पटना के अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद, विक्रमादित्य नगर सहकारी गह निर्माण समिति के कोषाध्यक्ष श्री मोहन प्रसाद, नागरिक सुरक्षा समिति मुंगेर के उपाध्यक्ष श्री

गुरुमुख प्रसाद साह, बिहार स्टेट बार काउंसिल इम्पलाइज यूनियन के सहायक मंत्री श्री अशोक कुमार, कोल्ड स्टोरेज एसोसियेशन के श्री परमेश्वर प्रसाद, खगड़िया चैम्बर ऑफ कामर्स के मंत्री श्री पशुपतिनाथ तुलस्यान, अखिल भारतीय तैलिक वैश्य सभा के संगठन मंत्री श्री युगलकिशोर गुप्त तथा पटना साइंस कॉलेज के डॉ. रामेश्वर साह तथा जनहित फार्मेसी, पटना के श्री अच्छेलाल साहु के अतिरिक्त अन्य उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने स्व० गुप्तजी के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

अपनों से अपनी बात

बलराम प्रसाद

मुझे भली-भाँति स्मरण है कि इसी साहु-जैन हॉल में एक अक्टूबर, 1967 को व्यवसायी संघ की स्थापना हुई थी जबकि मैं एक दर्शक के रूप में उपस्थित था। स्वर्गीय रामलखन प्रसाद गुप्त जिनकी 79वीं जन्म-जयन्ती आज पूर्वाह्न में मनायी गयी है, उनका प्रथम भाषण, स्थापना दिवस पर सुनने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। वे निर्भीक, स्पष्टवादी, ओजस्वी तथा कुशल वक्ता थे। इसके बाद कई बार उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मुझे स्मरण है कि 1972 में संघ के सम्मेलन की योजना उन्होंने बनाई थी और उसकी सफलता के लिए व्यापारियों के दरवाजे-दरवाजे घूम रहे थे। वे 10 दिसम्बर, 1972 को व्यवसायियों के एक सम्मेलन के अवसर पर स्मारिका प्रकाशित करने का भार मेरे कंधों पर डाल दिया। उनके आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर एवं स्नेहिल एवं अपनत्व भरे व्यवहार से प्रभावित होकर मुझे स्मारिका प्रकाशन का भार स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा। स्मारिका प्रकाशन के पश्चात् मैं हतप्रभ रह गया जब उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि "मैं आपको व्यवसायी संघ में कोई जिम्मेदारी का पद सौंपना चाहता हूँ" और 1973 ई. में उन्होंने कार्यकारिणी समिति के महामंत्री का भार इन दुर्बल और अनुभवहीन कंधों पर सौंप दिया। देश में आपातकालीन स्थिति लागू हो गई तथा व्यवसायी संघ पर मानो आफत आ गयी। रामलखन बाबू को 'मीसा' के अंतर्गत जेल भेज दिया गया, 'व्यवसायी संघ संदेश' पर सेंसरशिप लागू किया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के वित्तीय सहायक होने का आरोप मुझ पर लगाया गया तथा 'मीसा' के अंतर्गत मुझे भी जेल भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी। लगातार 19 महीने फुलवारीशरीफ कैम्प जेल में बंद रहे रामलखन प्रसाद गुप्त जी से साक्षात्कार कर दिशा-निर्देश प्राप्त करता रहा। इन विषम परिस्थितियों में मैं कभी विचलित नहीं हुआ और अपने उत्तरदायित्व को यथासंभव निभाता रहा। मेरा संबल था कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों का सक्रिय सहयोग तथा एकजुटता जिससे व्यवसायी संघ का कार्य चलता रहा।

व्यवसायी वर्ग के हितों की रक्षा, संघ की नैतिक जिम्मेदारी रही है। व्यवसायियों की विभिन्न समस्याओं

जीवन-वृत्त

बलराम प्रसाद
सह-सं. : 'व्यवसायी संघ संदेश'

पिताश्री	: स्व॰ हीरा लाल
स्थायी पता	: मंसूरगंज, पटना सिटी–800 009 फोन : 2221518
राष्ट्रीयता	: भारतीय
शैक्षणिक योग्यता	: एम.कॉम., पटना विश्वविद्यालय
जन्मतिथि	: 04 जनवरी, 1939
पेशा	: वाणिज्य व्यवसाय
अन्य गतिविधियाँ	: समाज सेवारत कार्यकर्ता, विभिन्न सामाजिक एवं व्यावसायिक संगठनों में सक्रिय सहभागिता
महामंत्री	: बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ, पटना (वर्ष 1972 से अद्यतन)
अध्यक्ष	: मंसूरगंज खाद्यान्न व्यवसायी संघ, पटना सिटी
सचिव	: श्रीकष्ण गोशाला, पटनासिटी, 1988
उपाध्यक्ष	: श्रीकष्ण गोशाला, पटनासिटी (अद्यतन)
अध्यक्ष	: गांधी आर्य कन्या उच्च विद्यालय (राजकीय कत), पटनासिटी
कार्यकारी अध्यक्ष	: बिहार राज्य तैलिक साहु सभा, पटना
उपाध्यक्ष	: बिहार प्रदेश साहु वैश्य सभा, पटना
कार्यवाहक अध्यक्ष	: राष्ट्रीय तैलिक साहु राठौर चेतना महासंघ, लखनऊ
उपाध्यक्ष	: फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स एसोसियेशन, दिल्ली
सचिव	: श्री सरस्वती दातव्य होमियो औषधालय, पटना सिटी
सदस्य कार्यकारिणी	: भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, दिल्ली
सदस्य	: बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स, पटना
	: वाणिज्य-कर सलाहकार समिति, बिहार सरकार, पटना
पूर्व सदस्य	: पटना टेलीफोन सलाहकार समिति, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, पटना
सदस्य सलाहकार-समिति	: बिहार वैश्य महासम्मेलन, पटना
संयोजक	: ट्रेड प्रोटेक्शन काउंसिल, पटना
संरक्षक	: बिहार/झारखंड खुदरा व्यापारी संघ, राँची

के समाधान हेतु संघ आपूर्त्ति विभाग, कषि उत्पादन बाजार समिति, वाणिज्य-कर, स्वास्थ्य विभाग आदि से संपर्क कर निरंतर व्यवसायीवर्ग की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता रहा है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण तथा निष्पादन का मार्ग प्रशस्त करता रहा है। खाद्यान्न को आवश्यक वस्तु अधिनियम, आवश्यक वस्तु स्पेशल प्रोविजन बिल से छुटकारा दिला, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्य के निष्पादन हेतु 9 मार्च, 2000 को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन में व्यवसायी संघ की विशेष भागीदारी रही। केन्द्रीय सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करने के बाद भी, बिहार राज्य में यह अधिनियम लागू रहा, अतः खाद्य आयुक्त से मिलकर तत्संबंधी आदेश पारित कराया गया। खाद्यान्न के अतिरिक्त खाद्य तेल, तिलहन, चीनी को भी इस अधिनियम से मुक्ति हेतु खाद्य आयुक्त से बराबर मांग की जाती रही। राजस्व मंत्री श्री रमई राम के अभिनन्दन समारोह के समय खाद्य तेल, तिलहन तथा चीनी को इस अधिनियम से मुक्ति हेतु आग्रह किया गया तथा व्यवसायी संघ के कार्यालय हेतु पटना में एक भूखंड उपलब्ध कराने के लिए निवेदन किया गया। दिसम्बर 2001 के पश्चात् एक लम्बी अवधि बीत जाने पर खाद्य तेल, तिलहन तथा चीनी पर लाइसेंस की आवश्यकता, संघ के अथक प्रयास से समाप्त कराई जा सकी।

केन्द्र सरकार की घोषणा के आलोक में, बिहार सरकार से बिक्री कर सरलीकरण की मांग की गई, साथ ही आलू, प्याज को बिक्री कर से मुक्त करने का आग्रह किया गया। सतहीकरण योजना के अंतर्गत

खाद्यान्न को भी बिक्री कर से मुक्त करने हेतु मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस मांग के समर्थन में 26 अगस्त, 2000 को पटना में जे.पी. गोलम्बर पर धरना दिया गया तथा 2 सितम्बर को राज्य में एक दिन का सांकेतिक हड़ताल आयोजित कराया गया। चूड़ा और सत्तू जो गरीबों का मुख्य भोजन है, इसे भी बिक्री कर से मुक्त करने की मांग जोरदार ढंग से की गई। दिनांक 27 जनवरी, 2001 को संघ कार्यालय में वाणिज्य-कर मंत्री श्री अब्दुलबारी सिद्दीकी का कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा बिक्रीकर संबंधी व्यवसायियों की विभिन्न मांगें प्रस्तुत की गईं। संघ कार्यालय में 19 मार्च, 2001 को वैश्य मंत्रियों तथा विधायकों की एक बैठक आयोजित कर उनसे व्यवसायियों की मांगों को समर्थन देने का आग्रह किया गया।

कषि उत्पादन बाजार समिति के अधिनियम जिसके द्वारा बाजार शुल्क ठेकेदारों द्वारा वसूले जाने की व्यवस्था थी, के विरोध में व्यवसायी वर्ग द्वारा लगातार मिल रही शिकायतों से संबंधित मंत्रिगणों तथा कषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक को संघ द्वारा समय-समय पर अवगत कराया जाता रहा तथा स्थिति की गंभीरता की ओर ध्यान आकष्ट कराया जाता रहा। इसी क्रम में बिहार राज्य कषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक, श्री संजय कुमार 'राकेश' (भा.प्र.से.) जी का संघ कार्यालय में 13 जनवरी 2003 को अभिनन्दन किया गया तथा बाजार शुल्क को ठीकेदारों द्वारा वसूले जाने की प्रथा से उत्पन्न विषम तथा कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर रही परिस्थितियों से अवगत कराते हुए एक ज्ञापन समर्पित किया गया। उन्होंने शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस तरह बाजार शुल्क वसूलने के लिए 1 जुलाई 2003 को ठीकेदारी प्रथा समाप्त करने संबंधी सरकारी आदेश निर्गत हुआ। यह संघ के अनवरत प्रयास का ही प्रतिफल था।

इस कानूनी प्रावधान से आप सभी परिचित हैं कि आपको अपना व्यापार कषि उत्पादन बाजार समिति द्वारा घोषित मार्केट यार्ड या सब-मार्केट यार्ड से ही करना होगा। अपना भवन तथा व्यापार परिसर छोड़कर आपको मार्केट यार्ड प्रांगण से व्यापार करना कितना कष्टसाध्य और अव्यावहारिक है इससे आप सभी सुपरिचित हैं। समुचित सुरक्षा के अभाव के साथ ही सामान्य व्यापारिक सुविधाओं की भी कमी है इन मार्केट यार्डों में। आपको समाचार पत्रों द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई होगी कि इस वर्ष की बाढ़ से दरभंगा मार्केट यार्ड में करोड़ों का नुकसान व्यापारियों को झेलना पड़ा। क्या व्यवसायियों के इस नुकसान की क्षतिपूर्ति कषि उत्पादन बाजार समिति, विपणन बोर्ड या राज्य सरकार करने जा रही है? यदि नहीं, तो निरीह व्यवसायी वर्ग पर मार्केट यार्ड प्रांगण से ही व्यापार करने की बाध्यता क्यों? मैं इस संबंध में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि तथ्यों से आप सभी सुपरिचित हैं।

इसी तरह मनमाने ढंग से मार्केट यार्ड की दुकानों तथा गोदामों का किराया तय करने में बाजार समितियों द्वारा की जा रही मनमानी की समस्या है। हाल ही में दुकानों तथा गोदामों के किराये मनमाने ढंग से बढ़ा दिये गए हैं जबकि पूर्व में परम्परा रही है कि किराये में वद्धि व्यवसायियों की सहमति से किया जाता था। संघ द्वारा मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक से मिलकर इस समस्या की ओर कई

बार उनका ध्यान आकष्ट किया गया है। संबंधित मंत्रीगणों से मिलकर इस संबंध में ज्ञापन दिया गया, परन्तु अभी तक इस समस्या पर निराशा ही हाथ लगी है। विवश होकर व्यवसायियों को माननीय उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित कर सम्प्रति दो रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से किराया निर्धारित किया है।

'वैट' अर्थात मूल्य संवर्द्धित कर प्रणाली के विरोध का स्वर पूरे देश में गूंज रहा है। बड़े व्यापारी तो इसकी चक्की में पिसेंगे ही, छोटे व्यवसायियों के लिए तो यह जानलेवा सिद्ध होगा। नई कर प्रणाली के प्रावधान इतने जटिल और कठोर हैं कि थोड़ी भूल-चूक के लिए भी व्यापारियों को प्रताड़ित और जेल की हवा खानी पड़ेगी। आर्थिक दंड के साथ ही इन्हें गिरफ्तार कर कैद की सजा भी देने का प्रावधान है। नौकरशाही तथा इंस्पेक्टर राज स्थापित करने का यह नया हथकंडा है। बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ भी इससे आंदोलित है तथा खाद्यान्न व्यवसाय को 'वैट' से मुक्त रखने की मांग सरकार से की गयी है। विगत 3 फरवरी 2003 को संघ कार्यालय में 'वैट' पर सबकी राय जानने तथा आम सहमति बनाने के उद्देश्य से व्यवसायियों की एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में श्री श्याम बिहारी मिश्र, पूर्व सांसद को भी आमंत्रित किया गया था। खाद्यान्न व्यवसायियों के अतिरिक्त दवा विक्रेताओं से भी माननीय मिश्र जी ने बातें कीं। अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री मिश्र ने आश्वासन दिया कि जब तक वे संसद में रहेंगे, 'वैट' लगने नहीं देंगे। भारत की भूमि पर 'वैट' जैसा कानून व्यवसायियों के उत्पीड़न तथा भयादोहन का निरंकुश हथियार नहीं सौंपा जायेगा। स्वतंत्र भारत में व्यवसायी वर्ग के आत्मसम्मान पर प्रहार नहीं होने दूंगा। 'वैट' के अन्याय तथा अनीतिपूर्ण प्रावधानों के विरुद्ध बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ सहित विभिन्न व्यवसायिक संस्थानों के संयुक्त आह्वान पर राज्य भर में एक दिन का सांकेतिक हड़ताल भी आयोजित किया गया। 'वैट' के विरोध में राष्ट्रव्यापी (31 मार्च तथा 1 अप्रैल, 2003) को हड़ताल की घोषणा के आलोक में बिहार की सभी व्यापारिक मंडियों में आयोजित एक राष्ट्रीय रैली में भी संघ के कतिपय पदाधिकारियों द्वारा उपस्थित होकर सहभागिता दर्ज कराई गई। उसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने व्यवसायियों के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया और 'वैट' को आम सहमति नहीं होने तक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। केन्द्रीय सरकार द्वारा खेसारी दाल के क्रय-विक्रय पर लगे प्रतिबंध को बिहार सरकार द्वारा 26 सितम्बर 2002 से खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली को शिथिल कर दिया गया। परन्तु कानून के अंतर्गत कम लागत पर सुलभ हो रहे इस खाद्यान्न का व्यवसायियों तथा उत्पादक किसानों को हो रही कठिनाइयों के साथ अन्य खाद्यान्नों के मूल्यों पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से भी अवगत कराया गया। प्रतिबंध हटाने तथा पुनः लगाने की प्रक्रिया में दाल उद्योग धराशायी हो गया। बेरोजगारी बढ़ी तथा इंस्पेक्टर राज का बोलबाला हो गया। इन तथ्यों की पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री को संघ द्वारा दी गई।

कठिनाइयों तथा समस्याओं से जूझता खाद्यान्न व्यवसायी संघ सीमित साधनों के द्वारा व्यवसायियों की

जो भी सेवा कर पाया है या कर रहा है वह आप सभी बंधुओं के सक्रिय सहयोग से ही संभव हुआ है। आज के परिवेश में, विधि-व्यवस्था की चरमराती स्थिति में संघ को अनेकों झंझावातों से दो-चार होना पड़ रहा है। आमतौर से यह महसूस किया जा रहा है कि सार्वजनिक तथा समाजोपयोगी कार्यों में लोगों की अभिरुचि कम होती जा रही है तथा वे इससे कटते जा रहे हैं। समाजसेवा तथा लोकहित के प्रति युवावर्ग की तो मानसिकता ही नहीं बन पाई है। यह वर्ग दिशाहीन तथा भ्रमित हो गया लगता है। इस नकारात्मक मानसिकता को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की पहल समाज को करनी ही होगी। खाद्यान्न व्यवसायी संघ आर्थिक संकटों से जूझता आपलोगों के शुभाशीर्वाद से ही येन-केन-प्रकारेण अपना दायित्व निभाता जा रहा है। यह स्थिति संघ तथा व्यवसायियों के लिए कतई शुभ नहीं है। अतः मैं सभी सुविज्ञ तथा विचारशील और उदारमना व्यवसायी बंधुओं से अपील करना चाहता हूँ कि वे सहृदयता से अपने समय तथा धन का दान अपनी सीमा के भीतर इस संस्था को अवश्य करने की कपा करें जिससे इसके क्रियाकलापों के माध्यम से व्यवसायी वर्ग का अधिकाधिक कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।

खेद है कि स्व॰ रामलखन प्रसाद गुप्त के जीवनकाल में उनकी हृदय की भावनाओं को साकार रूप न दे सका। उन्होंने 1983 में ही अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी। उन्होंने कहा था—"मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भाषण, लेख एवं रचनाएँ आदि हैं, सभी का संकलन एक पुस्तक के रूप में हो।" मैंने स्वीकारात्मक वचन देते हुए कुछ विलम्ब होने की आशंकाओं से उन्हें अवगत करा दिया। संघ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण विलम्ब तो होना ही था। मैंने संस्था पर तत्काल विशेष बोझ देना उचित नहीं समझा। मई, 1984 में जब उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, वे इसके प्रकाशन के लिए कुछ विशेष चिंतित दिखाई दे रहे थे। अपने सारे भाषणों, लेखों एवं रचनाओं का संकलन करते हुए उन्हें देखा। उन्होंने अपनी रचनाओं का जो संकलन व्यवसायी संघ कार्यालय में छोड़ गये हैं, यदि वह पूर्ण प्रकाशित किया जाय तो एक स्मति ग्रंथ ही होता। दिसम्बर, 1984 में वे पुनः लोकसभा चुनाव के तैयारी में व्यस्त हो गए। मुंगेर से पटना जं. पर आते ही उन्होंने कहा कि "बलराम बाबू! मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है!" व्यवसायी संघ का अध्यक्ष सांसद हो, मैंने यह सोचकर कि व्यवसायी संघ की गरिमा, कार्यकलाप, विश्वास, हौसला बढ़ता है, बढ़ेगा, इन्हीं सारी भावनाओं से प्रेरित होकर मैंने स्वीकति दे दी, इस शर्त के साथ कि यदि स्वास्थ्य आपका साथ देता है तो चुनाव लड़ें, वरना नहीं। उन्होंने पुरजोर शब्दों में कहा कि शारीरिक अस्वस्थता हमारी हिम्मत नहीं हिला सकती। मैं चुनाव लडूँगा आप ही लोगों के सहयोग के बल पर क्योंकि चुनाव तो आपलोग लड़ेंगे, मैं तो एक निमित्त मात्र भर रहूँगा। चुनाव में खर्च का अनुमान कर मैंने सोचा कि प्रकाशन अब संभव नहीं हो सकता क्योंकि उन सभी संकलित रचनाओं को प्रकाशित करने में अनुमानित व्यय 30-35 हजार रुपये होंगे। अतएव अभी चुनाव कार्य का ही संपादन पूर्ण निष्ठा से किया जाय।

संयोग ऐसा कि श्री गुप्त चुनाव हारे, दुर्भाग्य ऐसा कि 28 जनवरी, 1985 को हमें वे बेसहारा छोड़ चल बसे। उनकी चिता जल रही थी, मेरे अंतर्मन में ज्वाला जल रही थी। मैंने व्रत लिया कि "तुम्हारे अधूरी कार्यों को पूर्ण निष्ठा से पूरा करूँगा। ❖

रामलखन प्रसाद गुप्त स्मति सम्मान- 2002 से सम्मानित व्यक्तित्व

श्रीमती प्रभावती गुप्त

कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री एवं राजनीति में एक हस्ती के रूप में स्थापित श्रीमती गुप्त ने 1952 से 1984 तक लगातार विधायक, कई प्रमुख विभागों की मंत्री एवं 1984 से 1989 तक सांसद के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनायी। 1985 से अध्यक्ष के रूप में अद्यतन बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ को अपना कुशल नेतत्व एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हुए विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

श्री रामावतार प्रसाद सर्राफ, नवगछिया

सामाजिक क्रियाकलापों में अपना विशिष्ट पहचान रखने वाले श्री सर्राफ जी वाणिज्य परिषद्, नवगछिया के संस्थापक अध्यक्ष तथा बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के उपाध्यक्ष हैं। संघ के विभिन्न कार्यकलापों में आपकी उत्कष्ट सेवा व सहयोग को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप कतिपय व्यावसायिक एवं सामाजिक संस्थाओं से संबद्ध रहते हुए समाज को उल्लेखनीय सेवा प्रदान कर रहे हैं।

श्री पशुपतिनाथ तुलस्यान, खगड़िया

श्री तुलस्यान खगड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक सचिव तथा बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में अपने दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। आप लायन्स क्लब तथा खगड़िया गोशाला में भी विभिन्न पदों पर रहते हुए उल्लेखनीय सेवाएँ प्रदान की हैं। वयोवद्ध होने एवं अस्वस्थता के बावजूद आप अभी भी सामाजिक क्रियाकलापों में गहरी अभिरुचि रखते हुए सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूरा कर चुके हैं।

श्री ताराचंद जैन, देवघर

श्री जैन झारखंड राज्य के गठन से पूर्व तक बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ का संयुक्त मंत्री तथा एक स्तंभ के रूप में हमें सक्रिय सहयोग प्रदान करते रहे हैं। आप देवघर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक

सचिव हैं। आप अनेकों सरकारी एवं गैर-सरकारी सामाजिक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं से संबद्ध हैं। समाजसेवा के क्षेत्र में अपना विशिष्ट पहचान रखने वाले श्री जैन बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के संचालन के लिए झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा गठित 12 सदस्यीय उच्चस्तरीय कमिटी के सदस्य तथा झारखंड राज्य कषि विपणन पर्षद के निदेशक मंडल के भी सदस्य हैं तथा समाजसेवा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए अनेकों संस्था की ओर से सम्मानित किए जा चुके हैं।

श्री केशव कुमार सोनी (वरिष्ठ पत्रकार), पटनासिटी

श्री सोनी साहित्य एवं पत्रकारिता जगत में एक हस्ती के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं तथा बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ को न सिर्फ एक शुभेच्छु बल्कि एक पथ-प्रदर्शक के रूप में सक्रिय सहयोग प्रदान करते रहे हैं। विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में आपकी गहरी अभिरुचि रहती है तथा अनेकों सामाजिक संस्थाओं से संबद्ध रहते हुए उल्लेखनीय सेवा प्रदान कर रहे हैं।

श्री यमुना प्रसाद (एडवोकेट), पटना

बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के संस्थापना काल में श्री प्रसाद की उल्लेखनीय सेवा को भुलाया नहीं जा सकता। आप स्व॰ रामलखन बाबू के निकटतम सहयोगी रहे हैं तथा विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में आपकी गहरी अभिरुचि रहती है।

श्री धर्मनाथ प्रसाद, छपरा

श्री प्रसाद बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के क्रियाकलापों में पूर्ण आस्था एवं निष्ठापूर्वक सहयोग प्रदान करते रहे हैं तथा संघ के कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। आप एक लब्धप्रतिष्ठित व्यवसायी एवं समाजसेवी हैं।

श्री शिव प्रकाश अग्रवाल, बेगूसराय

श्री अग्रवाल बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के संस्थापक सदस्य हैं तथा संस्था के क्रियाकलापों एवं सामाजिक गतिविधियों में पूर्ण सक्रियता के साथ सहयोग प्रदान करते रहे हैं।

श्री उमाशंकर राजगढ़िया, कतरासगढ़

श्री राजगढ़िया झारखंड राज्य के गठन से पूर्व बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ का निकटतम सहयोगी एवं पदाधिकारी रहे हैं। आप विभिन्न सामाजिक एवं व्यावसायिक संस्थानों से संबद्ध रहते हुए उल्लेखनीय सेवा प्रदान करते रहे हैं।

श्री सुधीर कुमार चौधरी, राँची

श्री चौधरी राँची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष तथा बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। झारखंड राज्य के गठन से पूर्व तक संस्था के कार्यकलापों में आपका सक्रिय सहयोग प्राप्त होता रहा है। आपने विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों से संबद्ध रहते हुए समाज को उल्लेखनीय सेवा प्रदान की है।

श्री नन्दलाल खेतान, बखरी बाजार

श्री खेतान व्यापार संघ, बखरी बाजार के अध्यक्ष तथा बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ की

कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। संघ एवं सामाजिक कार्यकलापों में आपका विशिष्ट स्थान है। आप व्यवसायी हितों के लिए सदैव चिंतनशील रहते हैं।

डॉ. ब्रजराज प्रसाद, पटना

श्री प्रसाद एक शिक्षाविद् तथा बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के शुभेच्छु एवं रामलखन बाबू के निकटतम सहयोगी रहे हैं। सामाजिक कार्यकलापों में आपकी गहरी अभिरुचि रहती है।

श्री योगेन्द्र प्रसाद पोद्दार, राँची

श्री पोद्दार झारखंड खुदरा व्यवसायी संघ के महामंत्री तथा झारखंड बनने से पूर्व तक बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के संयुक्त मंत्री रह चुके हैं। सामाजिक कार्यकलापों में विशेष अभिरुचि रखते हुए व्यवसायी हितों के लिए सदैव निर्भीकतापूर्वक कार्य करते रहे हैं।

श्री प्रभात कुमार अग्रवाल, डाल्टेनगंज

श्री अग्रवाल झारखंड राज्य के गठन के पूर्व तक बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के संयुक्त सचिव रह चुके हैं। आप विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी सामाजिक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों से संबद्ध रहते हुए समाज को उल्लेखनीय सेवा प्रदान कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकलापों में अभिरुचि रखना एवं सहयोग प्रदान करना आपके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता है। आप पलामू प्रमंडलीय उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष, नावाहाता सहकारी उपभोक्ता भंडार के सचिव तथा अनेकों सामाजिक संस्थानों से संबद्ध हैं। समाजसेवा के क्षेत्र में उत्कष्ट योगदान के लिए पूर्व में भी कई संस्थाओं की ओर से सम्मानित किये जा चुके हैं।

श्री नन्हु जी प्रसाद, गोपालगंज

श्री प्रसाद गोपालगंज खाद्यान्न व्यवसायी संघ के अध्यक्ष एवं बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ की कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। संघ एवं सामाजिक कार्यकलापों में आप पूर्ण निष्ठा के साथ सहयोग प्रदान करते रहे हैं।

स्व॰ हीरा लाल जी, बक्सर

आप बक्सर के लब्धप्रतिष्ठित व्यवसायी, समाजसेवी तथा बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ का शुभेच्छु थे। संघ के क्रियाकलापों में आपकी गहरी अभिरुचि एवं सक्रिय सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा है। उनकी स्मति में मरणोपरान्त प्रशस्ति-पत्र उनके पुत्र श्री सत्यदेव प्रसाद को प्रदान किया जा रहा है।

श्री विजय बहादुर गुप्त, भभुआ

श्री गुप्त बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के सहायक मंत्री तथा कषि उत्पादन बाजार समिति, भभुआ के निर्वाचित व्यापारी प्रतिनिधि हैं। संस्था एवं सामाजिक गतिविधियों में आपका सक्रिय सहयोग प्राप्त होता रहा है।

श्री रामगोपाल गोयल, फॉरबिसगंज

श्री गोयल एक लब्धप्रतिष्ठित व्यवसायी, समाजसेवी तथा बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ की कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। समाजसेवा

के क्षेत्र में आपका विशिष्ट स्थान है तथा आपका सक्रिय सहयोग हमें सदैव प्राप्त होता रहा है।

श्री रामचन्द्र प्रसाद, बिहारशरीफ

श्री प्रसाद बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ से विगत बीस वर्षों से अधिक साल से जुड़े हैं तथा रामलखन बाबू के निकटतम सहयोगी रहे हैं। सामाजिक कार्यकलापों में आपकी गहरी अभिरुचि रहती है। आप बिहार स्टेट शुगर मिल्स कोऑपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं।

श्री एच.एन. प्रसाद 'इंजीनियर', पटना

श्री प्रसाद दानवीर सरल स्वभाव के व्यक्ति तथा उद्योग जगत के एक जाने-माने हस्ती तथा बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के शुभेच्छु हैं। सामाजिक कार्यकलापों में आपका सहयोग तन-मन-धन से सदैव प्राप्त होता रहा है।

श्री नवल किशोर कानोडिया, पटना

श्री कानोडिया एक व्यवसायी एवं उद्यमी हैं। सामाजिक कार्यकलापों के साथ ही बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के कार्यकलापों में आपका सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा है।

श्री नवल किशोर अग्रवाल (एडवोकेट), पटना

श्री अग्रवाल एक प्रख्यात विधिवेत्ता हैं। बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ को आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा है। सामाजिक कार्यकलापों में आपकी गहरी अभिरुचि रहती है। रामलखन बाबू से आपका आत्मीय संबंध था।

श्री बिन्देश्वरी प्रसाद, शाहपुर पटोरी

श्री प्रसाद शाहपुर पटोरी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष एवं एक लब्धप्रतिष्ठित व्यवसायी एवं समाजसेवी हैं। बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के कार्यकलापों में आपका सक्रिय सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा है।

अधिवक्ता थे, बने पार्षद, संसद गए सुशोभित हो।
लौहपुरुष बन अग-जग चमके, सभी मात थे रामलखन।।

मदुभाषी थे, सफल उद्यमी, दढ़प्रतिज्ञ, निर्भीक, सजग।
प्रतिभाशाली, बात के धनी, व्यक्ति सात थे रामलखन।।

—रमेश नीलकमल

उपप्रधानमंत्री श्री जगजीवन राम के साथ श्री रामलखन गुप्त, श्री रामनाथ गुप्त, श्री ब्रह्मदेव प्रसाद, श्री रामनारायण प्रसाद एवं अन्य

बिहार के मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल, श्री रामलखन गुप्त एवं अन्य

हवाई अड्डे पर श्री एस.वी. चौहान से
हाथ मिलाते हुए श्री रामलखन प्रसाद गुप्त

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त जी एवं श्रीमती सरला गुप्त,
श्री सुरेश प्रसाद सिंह, विधायक, जमालपुर, श्रीमती कष्णा पांडेय पति
प्रो. जानकीशरण पांडेय, श्रीमती शर्मिष्ठा देवी पति श्री जयकिशोर सिंह
अन्य महिलाओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए

श्री रामलखन गुप्त मीसा के तहत लगातार 19 महीने
फुलवारीशरीफ कैम्प जेल से मुंगेर आने के क्रम में।
स्वागत करते भाजपा नेता श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त, श्री वीरेन्द्र प्रसाद,
अधिवक्ता एवं अन्य कार्यकर्तागण

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त, पत्नी श्रीमती सरला गुप्त, श्रीमती शर्मिष्ठा देवी पति श्री जयकिशोर सिंह, अधिवक्ता, विश्वनाथ गुप्त एवं अन्य कार्यकर्तागण जो उस समय जेल की सलाखों के भीतर थे

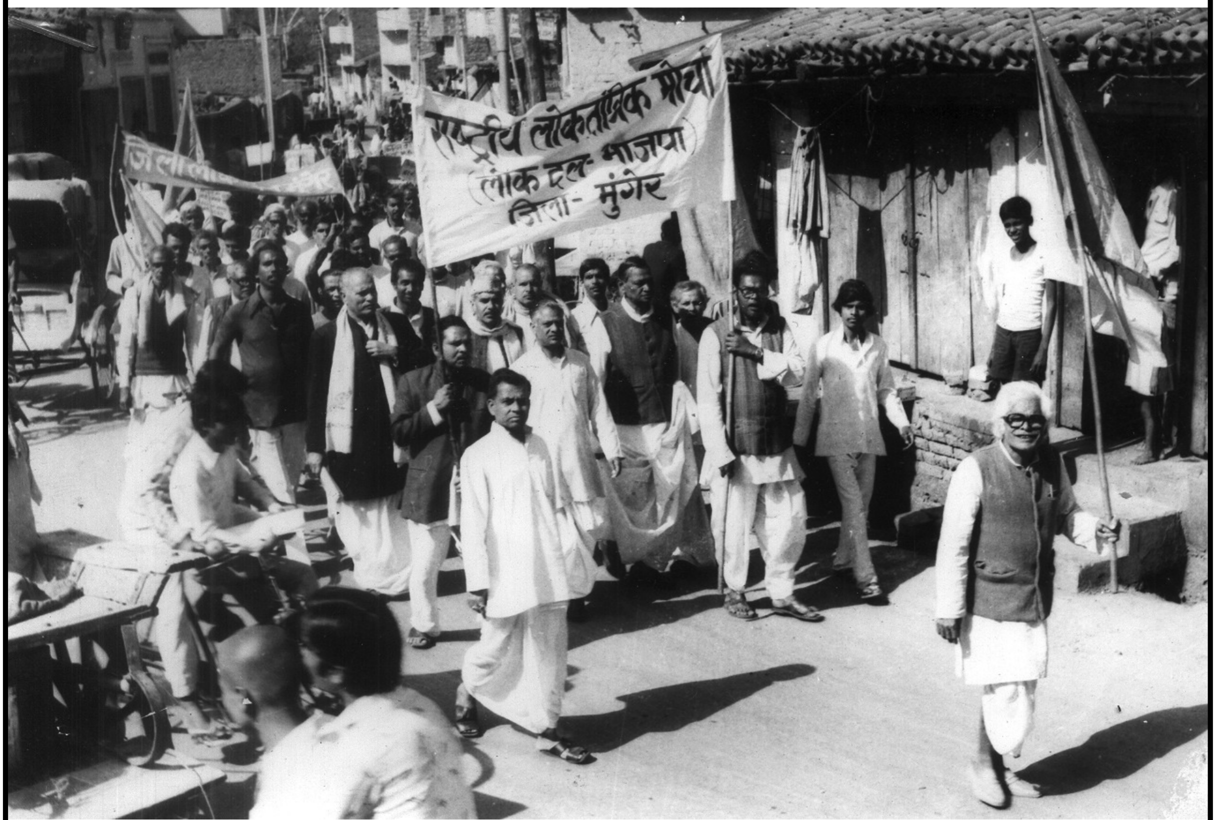

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त, सांसद एवं
केन्द्रीय मंत्री श्री जगदम्बी प्रसाद यादव,
विधायक श्री फाल्गुनी यादव, श्री महेश शर्मा, श्री गोपाल पटेल
एवं अन्य कार्यकर्तागण राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा
(लोकदल+भाजपा) के संयुक्त प्रदर्शन के दौरान

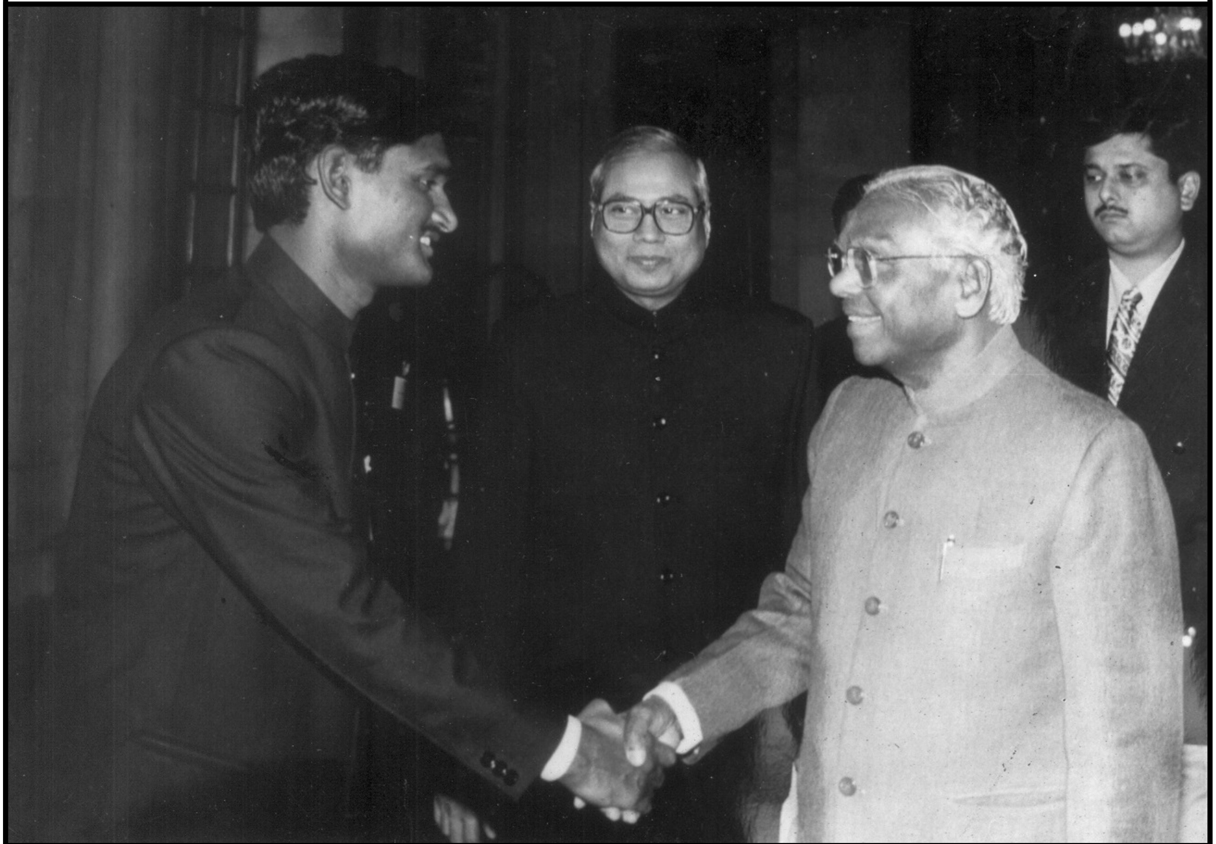

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त के नाती एवं श्रीमती मंजु साह के पुत्र
श्री नीलेश कुमार साह, आई.ए.ए.एस.
तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम के.आर. नारायण से हाथ मिलाते हुए

सांसद श्री रामलखन प्रसाद गुप्त, पत्नी श्रीमती सरला गुप्त, श्रीमती शर्मिष्ठा देवी, श्री महेश शर्मा, भूतपूर्व विधायक श्री सुरेश प्रसाद सिंह, श्री विश्वनाथ गुप्त एवं अन्य कार्यकर्तागण प्रदर्शन करते हुए

शिमला समझौता के विरुद्ध आंदोलन के पश्चात जेल से निकलते श्री रामलखन प्रसाद गुप्त, श्री हरि प्रसाद वर्मा, श्री विश्वनाथ गुप्त, श्री गणेश चौधरी, श्री गरीब साह एवं अन्य कार्यकर्तागण

श्री गंगा प्रसाद, पूर्व वित्तमंत्री श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल, पूर्व वित्त (वाणिज्य) मंत्री श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा तथा पूर्व नगर विकास मंत्री श्री जगबंधु अधिकारी

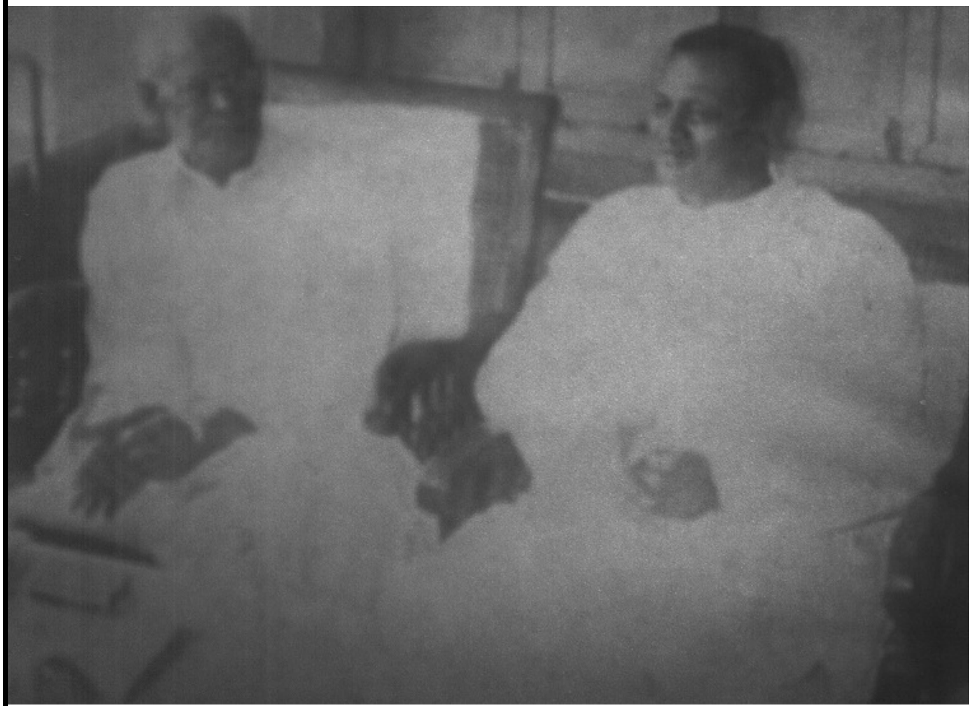

श्री जयप्रकाश नारायण जी के साथ श्री रामलखन प्रसाद गुप्त

सर्वश्री जयकुमार गुप्त, रघुनंदन गोस्वामी तथा राजेश कुमार गुप्त

स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सांसद श्री विजय कष्ण

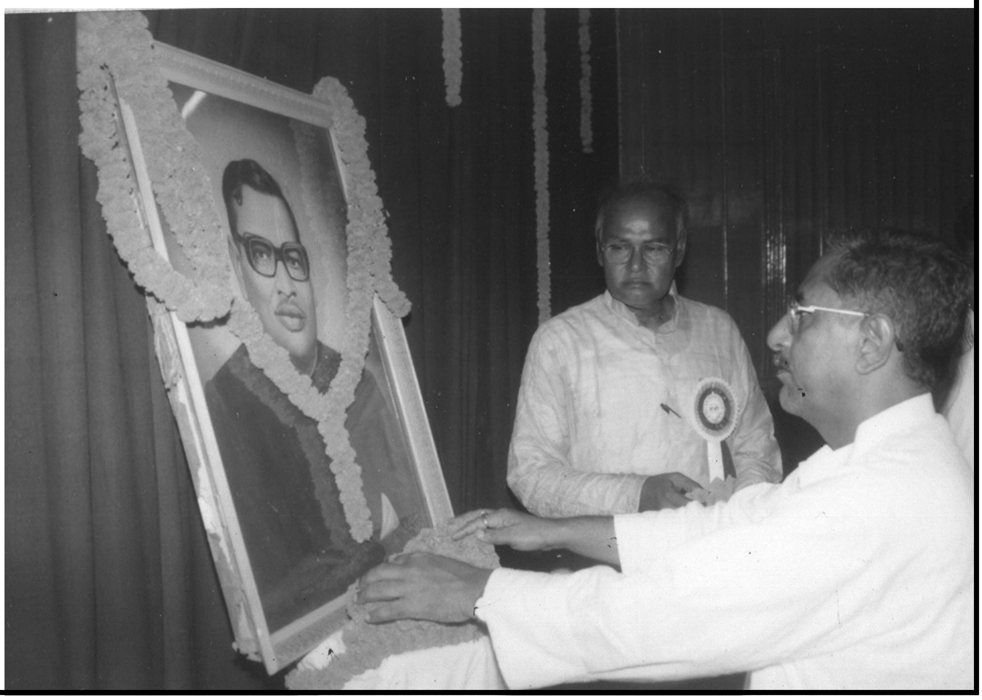

स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मंत्री, पथ-निर्माण विभाग, श्री नंदकिशोर यादव

स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त के जयंती समारोह के अवसर पर सांसद श्री राम नारायण साहु, पूर्व शिक्षा मंत्री, श्री रामचंद्र पूर्वे तथा पथ-निर्माण विभाग मंत्री, श्री नन्दकिशोर यादव। खड़े हैं—श्री बलराम प्रसाद

स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विधान पार्षद श्री गंगा प्रसाद

स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त के जयंती समारोह में सांसद श्री राम नारायण साहु, श्री रामजतन सिन्हा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री सदानंद सिंह तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री डी.पी. यादव

स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त के जयंती समारोह का उद्‌घाटन करते हुए श्री गंगा प्रसाद जी, श्रीमती प्रभावती गुप्त, श्री राम नारायण साहु तथा श्री रामचन्द्र पूर्वे

स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त के जयंती समारोह के अवसर पर बैठे हुए—बिहार राज्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तथा श्री नंदकिशोर यादव। साथ में विधान पार्षद श्री रामचंद्र साह तथा विधायक श्री विजेन्द्र चौधरी

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भाषण देते हुए

स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त के जयंती समारोह में उपस्थित विधायक श्री ज्ञानेन्द्र ज्ञानु, श्री नंदकिशोर यादव, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी, विधानपार्षद श्री गंगा प्रसाद एवं विधायक श्री विजेन्द्र चौधरी

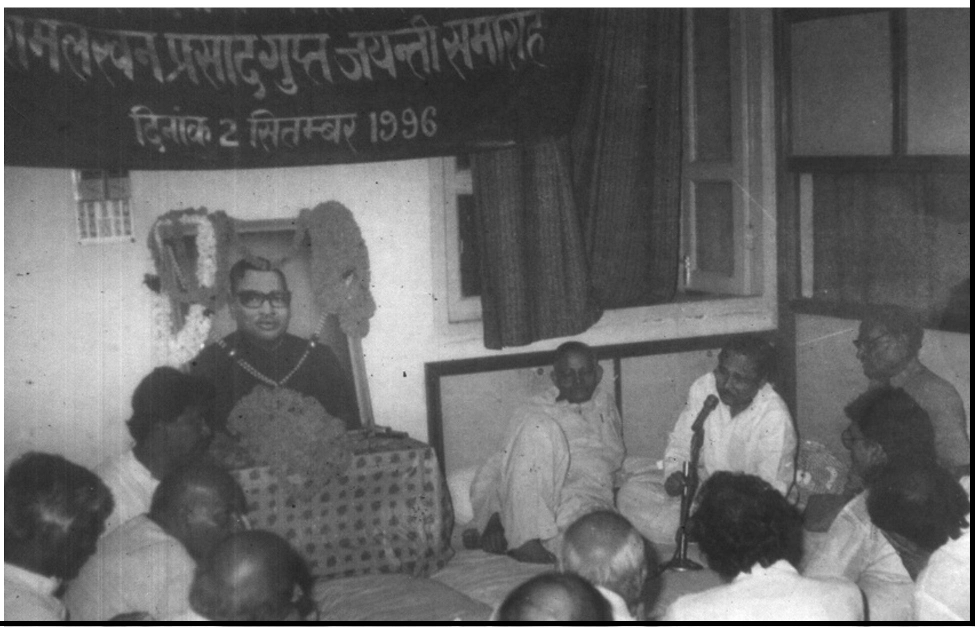

स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त के जयंती समारोह के अवसर पर उपस्थित श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल, श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा, श्री जगबंधु अधिकारी एवं अन्यान्य

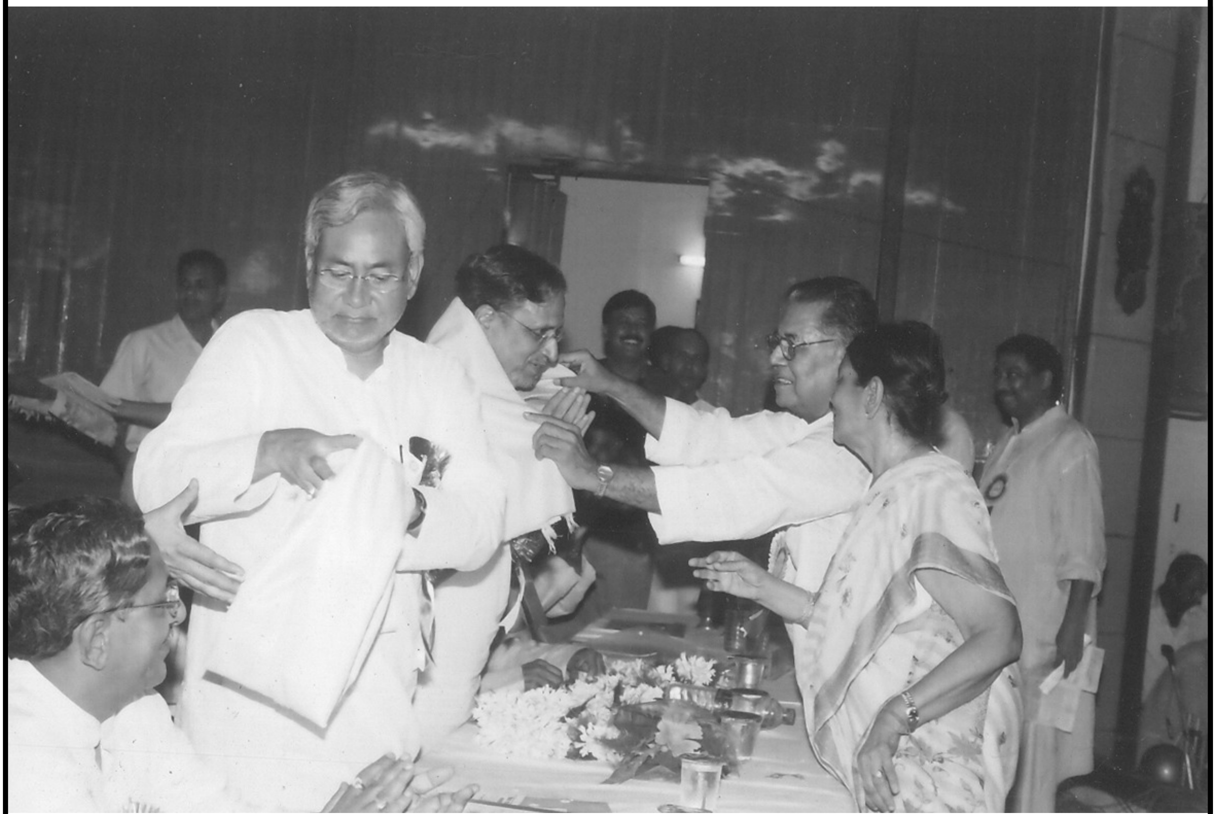

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त के जयंती समारोह के अवसर पर
बिहार राज्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को सम्मानित करती हुईं
बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ की अध्यक्षा श्रीमती प्रभावती गुप्त
तथा बिहार राज्य उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी को सम्मानित
करते हुए बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के
महामंत्री श्री बलराम प्रसाद एवं अन्य

स्मति-ग्रंथ के प्राज्ञपुरुषों के नाम और पते

1. श्री सियाराम प्रहरी
ईदगाह रोड, रेलवे मध्य विद्यालय के पास
केशोपुर, जमालपुर-811214 (बिहार)

2. डॉ. राजेन्द्र पंजियार
पूर्व प्राचार्य, ति.मा. भागलपुर वि.वि.
विक्रमशिला कॉलोनी, रायसर,
भागलपुर-812002 (बिहार)

3. प्रो. अशोक कुमार पोद्दार
बेटवन बाजार, मुंगेर-811201 (बिहार)

4. डॉ. वासुदेव प्रसाद 'श्रीपुंज'
संजय रेस्ट हाउस के सामने
नीमतल्ला, मुंगेर-811201 (बिहार)

5. श्री डी.पी. यादव, पूर्व सांसद
सन्दलपुर, मुंगेर-811201 (बिहार)

6. डॉ. प्रभुनारायण विद्यार्थी
बी-140, हरमू हाउसिंग कॉलोनी,
राँची-834012, झारखंड

7. डॉ. चन्द्रमणि प्रसाद गुप्ता
वरीय मंडल चिक्तिसा अधिकारी,
पूर्व रेलवे, दौलतपुर स्वास्थ्य ईकाई,
जमालपुर-811214 (बिहार)

8. श्री जय किशोर सिंह
अधिवक्ता, मुंगेर न्यायालय,
बेकापुर, मुंगेर-811201 (बिहार)

9. डॉ. ओमप्रकाश साह 'प्रियम्वद'
गेट नं. 6, जमालपुर-811214, मुंगेर (बिहार)

10. श्रीमती मंजु साह
ग्रा.पो. पिपरा, वाया बनमनखी
जि. पूर्णिया-854202

11. डॉ. छेदी साह, डी.लिट्.
प्राध्यापक, हिन्दी विभाग
मदन अहल्या महिला महाविद्यालय,
नवगछिया-854204 (भागलपुर)

12. श्री रामचन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष, बिहार प्रदेश सुगर मिल्स
कोऑपरेटिव फेडरेशन, पटना-800001

13. श्री काशी प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार
पूर्व प्रधानाचार्य, एस.डी.एस. उच्च विद्यालय
गेट नं. 2 के पास, मुंगेर-811202 (बिहार)

14. श्री धर्मपाल विद्यार्थी
पूर्व अध्यक्ष, व्यापारी संघ, आगरा, उत्तर प्रदेश

15. डॉ. जे. एन. साह, भूतपूर्व प्राचार्य
बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, लालू नगर, मधेपुरा
मो. पो. बड़हराकोठी, पूर्णिया-854204

16. श्री बलराम प्रसाद
फर्म : बलराम प्रसाद संजय कुमार
मंसूरचक, पटना सिटी-800008

17. श्री केशव कुमार सोनी
वरिष्ठ पत्रकार, मधुनिलयम्
हरि मन्दिर गली, पटना सिटी-800008

18. श्री अश्विनी कुमार (भूतपूर्व सांसद)
वैयक्तिक सचिव, श्री अटल बिहारी वाजपेयी
भूतपूर्व प्रधानमंत्री, नई दिल्ली-110001

19. श्री शिवनन्दन प्रसाद
कार्यालय मंत्री, बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ, 2, सूर्या अपार्टमेंट, एक्जीवीशन रोड, पटना-800001

20. श्री नवल किशोर अग्रवाल
वरीय अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय

21. श्रीमती अल्पना गुप्त
जौनपुर (उत्तर प्रदेश)

22. श्री गुरुमुख प्रसाद साह
कौड़ा मैदान, चौक पर, मुंगेर-811201

23. श्री कृष्ण मुरारी ठाकुर

24. श्री विनोद कुमार
स्टेशन प्रबंधक, पूर्व रेलवे
नयागांव, जमालपुर-811214

25. श्री शिवनन्दन प्रसाद साहु
अध्यक्ष, बिहार-झारखंड तैलिक वैश्य सभा
भूतपूर्व आयकर आयुक्त
स्नेही भवन, ग्रा.-पत्रालय-चिलदाग
वाया अनगड़ा, जिला-राँची, झारखंड

26. डॉ. अशोक कुमार गुप्त
डायग्नोष्टिक सेन्टर,
काली स्थान रोड, बेगूसराय-851101

27. सुश्री निकिता गुप्त
द्वारा श्री राजेश कुमार गुप्त
'कल्पना', कौडा मैदान रोड, मुंगेर-811201

28. प्रो. डॉ. ज्ञानशंकर पोद्दार
वाणिज्य विभाग, जमालपुर कॉलेज,
जमालपुर-811214

29. श्री ब्रजनन्दन प्रसाद साहु
अधिवक्ता, आशा एन्क्लेव, तिलक नगर,
लहेरिया धर्मशाला लेन, बेगूसराय-851101

स्मति-ग्रंथ-संपादक का चित्र एवं परिचय

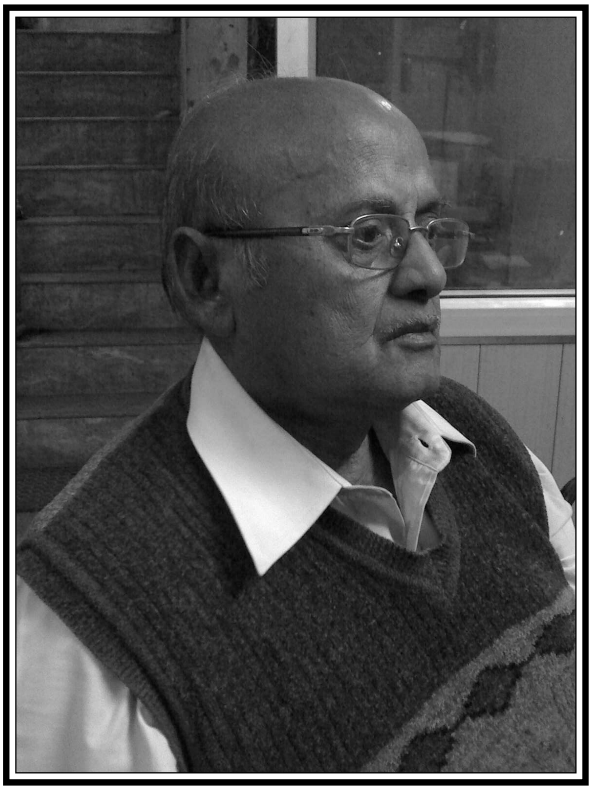

डॉ. रमेश नीलकमल

जन्मतिथि : 21.11.1937
जन्मस्थान : रामपुर डुमरा (पटना)
पिताश्री : श्री जगेश्वर दास (स्व.)
माताश्री : श्रीमती चन्द्रावती देवी (स्व.)
पत्नीश्री : श्रीमती आशा देवी
संतान : शोभा प्रसाद (श्रीमती), बी.ए.
: प्रभा प्रसाद (श्रीमती), बी.ए.
: संजय कुमार (श्री), एम.कॉम
: विकास चन्द्र (श्री), बी.एससी.(ऑनर्स), पीजीडीसीए
: प्रभाकर लाल (इंजी), बी.एससी. (यांत्रिक), एम.टेक (साफ्टवेयर)
: माला प्रसाद (श्रीमती), आई.एससी
पेशा : पूर्व रेलवे कारखाना जमालपुर से 'कारखाना लेखा अधिकारी' पद से सेवामुक्त 'वैश्यवसुधा' तथा 'शब्द-कारखाना' का संपादन
सम्प्रति : स्वतंत्र-लेखन/पुस्तक-प्रकाशन

सम्पर्क : अक्षर विहार, अवन्तिका मार्ग,
जमालपुर-811214 (बिहार)
06344-242373, 0-9430980871
011-20098438, 011-30280100
0-9868374556, 080-41503833

रमेश नीलकमल का सृजन-क्षितिज : प्रकाशित कृतियाँ

कविता-कविता

- चीन की दीवार तक हिल जायगी
- एक अदर नंगी सड़क
- आग और लाठी
- बोल जमूरे
- मांझी-मन होशियार
- अपने ही खिलाफ
- कवियों पर कविता
- राग-रंग-मकरन्द
- गीत छतनार
- कविता का क ख ग

कथा-कहानी

- एक और महाभारत
- नया घासीराम
- लघुकथा और लघुकथा
- अलग-अलग देवता

समीक्षा-मूल्यांकन
- समय के हस्ताक्षर
- गमलों में गुलाब
- किताब के भीतर किताब
- डॉ. प्रभुनारायण विद्यार्थी : दृष्टि एवं सृष्टि
- चोंच भर जिजीविषा

रम्य रचना
- काला दैत्य, राजकुमारी और पहियों पर राजमहल
- आज कविता तुम्हारी करे आरती

शोध-लघुशोध
- वैश्यों का उद्भव और विकास
- मुंगेर जिले के साहित्यकार
- बिहार-झारखंड के वैश्य साहित्यकार

भोजपुरी विविधा
- मन ना मानल

बाल-साहित्य
- आदमी होने का मतलब
- हाराधन के दस बेटे

<u>संपादन-क्षितिज</u>

कविता-कविता
- संभावनाओं से परे
- दर्द अभी तक हम साए हैं

कथा-कहानी
- एक और आसमान
- जकी अनवर और उनकी कहानियाँ
- कोशी के आर-पार
- कथा-पारिजात

परिमूल्यांकन
- राजकमल चौधरी : सृजन के आयाम
- कहानियों का सच
- मूल्यांकन के घेरे में
- निराला निराला
- कविता के कुरुक्षेत्र में अक्षय गोजा
- तरंग-त्रय/रघुवर नारायण सिंह

स्मृति-ग्रंथ
- लौहपुरुष रामलखन प्रसाद गुप्त स्मृति-ग्रंथ

<u>रमेश नीलकमल के जीवन और साहित्य की पड़ताल करती कविताएँ</u>

- सं. डॉ. अशोक लव
  समय के आइने में रमेश नीलकमल
- सं. डॉ. दीनानाथ सिंह
  साक्षात्कार के बहाने
- सं. रामसनेही लाल शर्मा 'यायावर'
  चिट्ठियाँ बोलती हैं
- सं. बलराम
  दूसरा कमल रमेश नीलकमल
- एक शोधार्थी
  तिनका-तिनका घोंसला
- प्रवाचक : बैद्यनाथ पंडित 'प्रभाकर'
  यह जलता तारा है आदमी
- डॉ. विश्वनाथ प्रसाद
  रमेश नीलकमलः तत्त्व और आलोचना
- प्रो. अर्जुन प्रभात
  नीलकमल (खण्ड काव्य)
- सं. डॉ. अर्जुन शतपथी
  रमेश नीलकमल का साहित्य-शिल्प
- सं. डॉ. मुक्तेश्वर तिवारी
  रमेश नीलकमल का गद्य-साहित्य

महाप्रयाण

के लेबे मोर कारज
कहे सन्ध्या रवि
सुनीये जगत रहे
निरुत्तर छवि
माटीर प्रदीप छिले
से कहे स्वामी आमार
स्वामी आमार
जेतुक साध्य करिबो त आमि

—कवि रवीन्द्र

आँखों देखी रपट

एक महामानव की शव-यात्रा

गुरुमुख प्रसाद साह

काल का कुचक्र सोमवार 28 जनवरी, 1985 की मनहूस शाम में श्री रामलखन प्रसाद गुप्तजी को हमसे बरबस छीन ले गया, जबकि हमें उनकी बेहद आवश्यकता थी। श्री गुप्त जी के निधन की खबर नगर के अंदर और बाहर बिजली की तरह दौड़ गयी। विश्वास न करते हुए अपार जनसमूह रोते-बिलखते श्री गुप्त जी के आवास 'कल्पना-भवन' दौड़ पड़े। तुरंत ही जिलाधिकारी महोदय, आरक्षी अधीक्षक महोदय के साथ, श्री गुप्त जी के आवास पर पहुँच कर उन्हें अपनी-अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर गए। साथ ही विभिन्न वर्गों के लोग जिनमें बूढ़े, बच्चे और महिलाएँ भी थीं, अपने प्रिय अभिभावक-सह-नेता को अपनी ओर से श्रद्धांजलि देने और उनका अंतिम दर्शन करने टूट पड़े।

श्री गुप्त जी का पार्थिव शरीर जनता के दर्शनार्थ उनके आवास के मुख्य कार्यालय-कक्ष में लगभग 40 घंटे तक (30 जनवरी की सुबह 9 बजे तक) रखा गया। पूरे नगर, राज्य और देश के कोने-कोने से लगभग पाँच हजार लोग जिनमें विभिन्न संगठन और समुदाय के पदाधिकारीगण, असंख्य डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, व्यवसायी, कर्मचारी, विद्यार्थी और हिंदू-मुस्लिम, सिक्ख-ईसाई, पारसी, बंगाली आदि के बूढ़े, बच्चे और महिलाएँ भी अपनी-अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

30 जनवरी को सुबह 9 बजे से कुछ ऊपर दिवंगत गुप्त जी के आवास में उनकी अर्थी फूलमालाओं से लदकर विभिन्न समुदाय के कंधे पर सवार होकर निकली। लगभग ढाई हजार लोगों ने जिनमें सैकड़ों बाहर के विशिष्ट आगंतुक थे दिवंगत गुप्त जी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। युवकों ने श्री राम नाम सत्य है के अलावा इन गगनभेदी नारों का गुंजन करते हुए प्रस्थान किए—"**जब तक सूरज-चाँद रहेगा, गुप्त जी का नाम रहेगा। जब तक हिन्दोस्तान रहेगा, गुप्त जी का नाम रहेगा। गुप्त जी अमर हैं और अमर रहेंगे।"** शव-यात्रा कौड़ा मैदान से होते हुए बेकापुर स्थित भाजपा कार्यालय प्रांगण में कुछ समय के लिए रखा गया जहाँ उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। फिर वहाँ से जुबली कुआँ मोड़ पर रखा गया, जहाँ उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि और श्रद्धा-पुष्प अर्पित किए गए। वहाँ से पूरबसराय रोड से होते हुए अशोक लाउंड्री के पास चौक पर रखा गया जहाँ घंटों तक लोग पुष्पमाला अर्पित करते रहे। दिवंगत नेता की आरती उतारी गयी। फिर साढ़े ग्यारह बजे वकील संघ के प्रांगण में उनकी अर्थी रखी गयी जहाँ अपार वकील-समूह ने अपने वरीय मित्र तथा बार-काउंसिल के सदस्य को माल्यार्पण कर अपनी-अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दोपहर 12:30 बजे लाल दरवाजा घाट (श्मशान घाट) पर अर्थी पहुँची, जहाँ चिता को उनके बड़े सुपुत्र डॉ. चन्द्रमणि प्रसाद गुप्त ने अग्निदेव को सुपुर्द किया। जब तक चिता शान्त न हुई, घाट पर उपस्थित हजारों लोग उन्हें अश्रुपूर्ण नेत्रों से निहारते रहे।❖

PROCEEDING OF MEETING

An Emergent Meeting of the Bihar State Bar Council On 29.01.1985 at 1:20 p.m. at Bar Council Office, Patna

Members present : Shri Braj Kishore Prasad (Chairman), Shri Ram Dayal Prasad (Vice Chairman), Shri B.P. Samaiyar, Shri Satyendra Sahay Verma, Shri Naseem Ahmad, Shri Jugal Kishore Prasad, Shri Sadhu Sharan Yadav, Shri Baxi S.R.P. Sinha, Shri Shailesh Kumar Sinha, Shri Nand Kishore Prasad.

Agenda : To condole the death of Shri Ram Lakhan Prasad Gupta, Advocate & Member of the Council.

Resolution No. 4 of 1985 : Resolved at an Emergent Meeting that the Bihar State Bar Council expresses its profound grief at the sad and sudden demise of Shri Ram Lakhan Prasad Gupta on 28.01.1985 at his Mungen residence. Shri Gupta was born on 02.09.1926. He was enrolled as a pleader on 08.04.1953 and started practice at Munger. He was enrolled as an Advocate on 17.07.1962. He was a member of the Bar Council from 1968 and remained as such till his death. He was a Member of Rajya Sabha from 1978 to 1984. He was MLC of Bihar for two terms. He was a loveable person who endeared himself to all and was very popular.

As a mark of respect to the departed soul, the office and Bar Council Press will remain closed for the rest of the day.

Resolved further that a copy of the resolution be sent to the bereaved family.

B. K. Prasad
Chairman, B.S.B.C.

K.V. Sihna
Secretary, B.S.B.C.

दिव्य महामानव को अंतिम श्रद्धा-पुष्प

कष्ण मुरारी ठाकुर

विधि का विधान बड़ा ही विचित्र है, जिसने दिन के चकाचौंध प्रकाश के साथ रात्रि का तमिस्रामय अंधकार दिया और दिया इस पंचभौतिक काया में प्राणवायु जिस अमूल्य रत्न को पाकर मनुष्य संसार की समस्त उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है तथा अपने श्रेय कर्मों के द्वारा इन्द्रत्व को भी झुठला सकता है। परमश्रद्धेय दिव्य महामानव श्री रामलखन प्रसाद गुप्त, अध्यक्ष बिहार राज्य व्यवसायी संघ की चरमोत्कर्षता को देखकर विधि को भी डर समा गया कि भूतल का एक मानव रामलखन प्रसाद गुप्त, जो 'गुप्तजी' के नाम से सुविख्यात हैं, कहीं मेरे लोक को ही न छीन बैठे और इसी रस्साकशी में काल के कठोर कराघात से दिनांक 28.01.1985 मंगलवार की संध्या की पूर्व बेला में हमारे श्री गुप्त जी सदा के लिए हमारे बीच से लुप्त हो गए।

उनके आकस्मिक निधन के समाचार को सुनकर सभी स्तब्ध रह गये। किसी को भी उनके असामयिक निधन पर विश्वास ही नहीं होता था।

श्री गुप्तजी के स्वर्गारोहण के कारण समस्त प्रबुद्ध वर्ग एवं व्यवसायी समाज को एक अपूरणीय क्षति हुई है और इस "विधि गति विषम काम कठिनाई" में विशेष कर व्यवसायी समाज दिशाहीन होकर अपनी क्षमता एवं ओज खोकर किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो बैठा है। चिंतनीय विषय यह है कि उनकी रिक्तियों को भरने वाला अन्य कोई प्रतीत नहीं होता है। "तोहर सरिस एक तुही" थे। उनके मर जाने से समस्त व्यवसायी समाज मतप्राय हो गया है जिस प्रकार जलयान (जहाज) के टूट जाने पर पार हो पाना कतई संभव नहीं है।

खैर मत्यु अवश्यम्भावी है। परन्तु वह सामान्य व्यक्तियों की तरह उनकी ज्वलंत छवि को धूमिल नहीं कर सकता। वह तो उनके गुणावलियों को भास्वर करेगा। उनकी बहुमुखी प्रतिभा, उद्दाम व्यक्तित्व, गंभीर चिंतन एवं सफल नेतत्व में उनसे संबद्ध सभी संस्थाएँ चमक उठीं। उनकी कतियाँ चिरकाल तक प्रबुद्ध वर्गों एवं व्यवसायियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी। उनके सामीप्य में रहकर मैंने उनसे असीम स्नेह, सौहार्द, मार्गदर्शन एवं दिव्य महामानव के समस्त गुण पाये।

ईश्वर से प्रार्थना है कि मतात्मा को स्वर्ग में शांति प्रदान करें एवं उनके शोक-संतप्त परिवार को इस गंभीर संकटकाल में धैर्य धारण करने की सामर्थ्य प्रदान करें। अस्तु! उस दिव्य महामानव के चरणों में अंतिम प्रणाम।

जिसने जनहित कारण में अपना सब सुख है भुला दिया।
हे दिव्य महामानव! तुमको, शत बार नमन यह दास किया।

बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के अध्यक्ष श्री रामलखन प्रसाद गुप्त के असामयिक निधन पर विभिन्न सामाजिक तथा व्यावसायिक संस्थानों एवं राजनेताओं तथा प्रमुख व्यक्तियों के शोकोद्‌गार

वाणिज्य परिषद्, नवगछिया (भागलपुर) : संघ के अध्यक्ष श्री रामलखन प्रसाद गुप्त के असामयिक निधन पर दिनांक 03.02.1985 को वाणिज्य परिषद् नवगछिया द्वारा श्री रामावतार सर्राफ की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया एवं अपने प्रिय दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रस्ताव पारित किए गए। प्रस्ताव में कहा गया कि स्व॰ गुप्त जी व्यवसायी समाज के स्तंभ एवं रहनुमा थे। वे व्यापारी समाज की कठिनाइयों एवं समस्याओं के लिए आजीवन संघर्षरत रहे। बिहार के व्यापारियों को संगठित करने एवं उनका आत्मबल जगाने में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। उनके निधन से भारतवर्ष के, खासकर बिहार के, व्यापारियों की अपूरणीय क्षति हुई है।

मर्चेंट्स एसोसियेशन, बरबीघा (मुंगेर) : श्री गुप्त जी के निधन का समाचार सुनते ही सभी व्यवसायी स्तब्ध रह गये एवं शोक में 29.01.1985 को सभी व्यापारियों ने अपना कारोबार बंद रखा। उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने तथा अपना श्रद्धासुमन अर्पित करने हेतु बरबीघा से एक प्रतिनिधि मंडल मुंगेर गए, जिसमें श्री शिवपूजन प्रसाद, श्री श्रीचन्द्र गुप्त, श्री घनश्याम दास डोकानिया, श्री विश्वनाथ छापड़िया तथा श्री सीताराम छापड़िया आदि शामिल थे। दिनांक 30.01.1985 को एसोसियेशन के तत्वावधान में एक शोक सभा श्री ब्रह्मदेव प्रसाद की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रस्ताव पारित कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

वाणिज्य परिषद्, बाढ़ (पटना) : श्री गुप्त जी के निधन का समाचार सुनते ही सभी व्यापारियों में शोक की लहर छा गयी एवं शोक में सभी व्यापारियों ने अपना प्रतिष्ठान दिन भर बंद रखा एवं अपराह्न में वाणिज्य परिषद् के तत्त्वावधान में एक शोक सभा का आयोजन किया गया जिसमें परिषद् के अध्यक्ष श्री रामनारायण प्रसाद, मंत्री श्री नवीन कुमार, श्री सत्यनारायण प्रसाद केजरीवाल, श्री बजरंगबली प्रसाद तथा श्री मथुरा प्रसाद प्रभति लोगों ने श्री गुप्त के निधन को व्यवसायी जगत की अपूरणीय क्षति बताते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें कहा गया है कि श्री गुप्त के निधन से सम्पूर्ण व्यवसायी समाज हतप्रभ है। वे विगत 18 वर्षों से व्यवसायी संघ के अध्यक्ष के रूप में व्यापारियों के हितों के रक्षार्थ प्रयत्नशील रहे, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सभा में दो मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

राय साहब वंशीलाल कॉलेज, बाढ़ (पटना) : बाढ़ स्थित राय साहेब वंशीलाल कॉलेज में भी एक शोक

सभा का आयोजन कर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं महाविद्यालय को बंद कर दिया गया।

राँची थोक खाद्य व्यापारी संघ, राँची : राँची थोक खाद्य व्यापारी संघ के मंत्री श्री सुधीर कुमार चौधरी ने श्री गुप्त जी के निधन पर गहरा दुःख प्रकट करते हुए उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

पाटलिपुत्र समाज कल्याण सहयोग समिति, पटना : पाटलिपुत्र समाज कल्याण सहयोग समिति के महासचिव डॉ. सुमित्रा साहु ने श्री गुप्त जी के असामयिक निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि श्री गुप्त जी के निधन से वैश्य समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। श्रीमती डॉ. साहु ने कहा कि श्री गुप्त जी आजीवन वैश्य समाज के उत्थान एवं कल्याण के लिए संघर्षरत रहे, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

ग्रेन मर्चेंट्स एसोसियेशन, सिवान : ग्रेन मर्चेंट्स एसोसियेशन के मंत्री श्री रमाशंकर प्रसाद ने श्री गुप्त जी के निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि श्री गुप्त जी एक महान जुझारू व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि श्री गुप्त जी ने देश एवं व्यवसायी संघ की जो अमूल्य सेवाएँ की हैं, उन्हें हम कभी भूल नहीं सकेंगे।

गया जिला व्यवसायी संघ, गया : गया जिला व्यवसायी संघ के तत्वावधान में श्री पुरनानन्द तरबे की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया जिसमें श्री गिरवर नारायण तथा श्री सीताराम साहु आदि वक्ताओं ने श्री गुप्त जी के व्यक्तित्व, कतित्व तथा सेवा कार्यों पर प्रकाश डालते हुए श्री गुप्त के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया एवं उपस्थित सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण कर अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की।

गिरिडीह व्यवसायी संघ, गिरिडीह : गिरिडीह व्यवसायी संघ के सचिव श्री हरिराम झुनझुनवाला ने श्री गुप्त के निधन पर गहरा दुःख प्रकट करते हुए कहा कि श्री गुप्त जी के निधन से व्यापारियों की आवाज को संसद एवं सरकार के आगे बुलंद करने वाला एक सितारा हमारे बीच से लुप्त हो गया। उनके निधन से व्यवसायी समाज की अपूरणीय क्षति हुई है।

कषि बाजार थोक खाद्यान्न व्यवसायी संघ, मुजफ्फरपुर : कषि बाजार थोक खाद्यान्न व्यवसायी संघ के तत्वावधान में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने श्री गुप्त के निधन पर दुःख प्रकट करते हुए अपने प्रिय दिवंगत नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

छोटानागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, राँची : छोटानागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री धर्मचन्द बजाज ने श्री गुप्त के निधन पर अपने संवेदना संदेश में कहा कि श्री गुप्त जी विभिन्न सामाजिक तथा व्यावसायिक समस्याओं के निदान हेतु आजीवन संघर्षरत रहे। वे व्यवसायी समाज के एक प्रमुख वक्ता के रूप में सदैव याद किये जाते रहेंगे। उनके निधन से जो रिक्तता पैदा हो गई है, उसकी पूर्ति असंभव है।

पूर्णिया जिला मिल आनर्स एसोसियेशन, पूर्णिया : पूर्णिया जिला मिल आनर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद ने श्री गुप्त के निधन पर अपने शोक

संदेश में कहा कि श्री गुप्त जी देश एवं वैश्य समाज के समर्पित महान नेता थे। उनके निधन से व्यापारी समाज की अपार क्षति हुई है।

आदर्श व्यवसायी संघ, रजौली, नवादा : आदर्श व्यवसायी संघ के मंत्री श्री रामचन्द्र प्रसाद ने श्री गुप्त जी के निधन पर गहरा दुःख प्रकट किया है एवं संघ द्वारा आयोजित शोक सभा में दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

दरभंगा जिला खाद्य पदार्थ फुटकर विक्रेता संघ, दरभंगा : दरभंगा जिला खाद्य पदार्थ फुटकर विक्रेता संघ के मंत्री श्री निरस चौधरी ने संघ द्वारा आयोजित शोक सभा में श्री गुप्त के असामयिक निधन पर गहरा दुःख प्रकट किया एवं उपस्थित सदस्यों ने श्री गुप्त के जीवन पर प्रकाश डालते हुए दिवंगत नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

पलामू जिला सीमेंट स्टाकिस्ट एसोसियेशन : डाल्टेनगंज पलामू जिला सीमेंट स्टाकिस्ट एसोसियेशन के मंत्री श्री प्रभात कुमार अग्रवाल ने श्री गुप्त जी के आकस्मिक निधन पर दुःख प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित किया।

कोशी अंचल चावल एवं तेल उद्योग संघ : पूर्णिया संघ के मंत्री श्री तीर्थनाथ झा ने श्री गुप्त जी के असामयिक निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

पुपरी खाद्यान्न व्यवसायी संघ : पुपरी बाजार (सीतामढ़ी) संघ के अध्यक्ष श्री धर्मनाथ प्रसाद की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों ने श्री गुप्त के असामयिक निधन पर दुःख प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।

पलामू जिला व्यवसायी संघ : डाल्टेनगंज के अध्यक्ष श्री छट्ठूलाल उदयपुरी ने श्री गुप्त जी के आकस्मिक निधन पर दुःख प्रकट किया है एवं संघ द्वारा पारित शोक प्रस्ताव में कहा गया कि श्री गुप्त के निधन से व्यापारी समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।

बिहार राज्य खुदरा व्यवसायी संघ, जमशेदपुरः बिहार राज्य खुदरा व्यवसायी संघ के महासचिव श्री जे.सी. आइच ने श्री गुप्त जी के आकस्मिक निधन पर गहरा दुःख प्रकट करते हुए कहा कि उनके निधन से एक महान सामाजिक एवं कर्मठ हस्ती हमारे बीच से चले गए।

बिहार राज्य खुदरा व्यवसायी संघ, राँची : संघ के मंत्री श्री योगेन्द्र प्रसाद पोद्दार ने श्री गुप्त जी के निधन पर हार्दिक दुःख एवं संवेदना प्रकट की है। संघ द्वारा आयोजित शोक सभा में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि बिहार के व्यापारी समुदाय के महान नेता आज हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही व्यापारी समाज के हित के लिए संघर्ष करने में लगा दिया। ऐसे नेता के निधन से व्यापारी समाज की अपूरणीय क्षति हुई है, जिसकी क्षति होना असंभव है। सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण कर ईश्वर से प्रार्थना की।

मुजफ्फरपुर जिला जन-वितरण प्रणाली दुकानदार संघ : मुजफ्फरपुर जिला जन-वितरण प्रणाली दुकानदार संघ की कार्यकारिणी समिति की एक आपात बैठक संघ के अध्यक्ष श्री पंचानन सिंह, अधिवक्ता की अध्यक्षता में श्री गुप्त जी के निधन पर

श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु आयोजित की गई। शोक सभा में सभी सदस्यों ने श्री गुप्त जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

जनकल्याण समिति : मुजफ्फपुर जनकल्याण समिति के तत्वावधान में समिति के संयोजक श्री धर्मनाथ प्रसाद की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने श्री गुप्त जी को संपूर्ण देश के व्यापारी समाज का शुभचिंतक, प्रखर सांसद एवं महान संघर्षशील व्यक्ति बताते हुए दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण कर ईश्वर से प्रार्थना की।

तैलिक वैश्य संगठन, सगुना (दानापुर कैंट) : तैलिक वैश्य संगठन, सगुना (दानापुर) द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया जिसमें श्री गुप्त जी के निधन पर दुःख प्रकट करते हुए दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

प्रो. श्यामनन्दन शास्त्री 'हंसराज', पटना कॉलेज, पटना के हिंदी के व्याख्याता : श्री गुप्तजी के निधन का समाचार सुनकर हम सभी अवाक् एवं मर्माहत हैं। साहु समाज भवन पटना में दिनांक 01. 02.1985 को आयोजित शोक सभा में श्री हंसराज ने कहा कि समाज के सर्वांगीन विकास एवं प्रगति में जो भी व्यक्ति रुचि लेते हैं, उन सभी व्यक्तियों को श्री गुप्तजी के असामयिक निधन से गहरी वेदना होगी। विभिन्न संस्थाओं से संबद्ध श्री गुप्तजी अपने प्रभावशाली व बहुमुखी व्यक्तित्व तथा गतिविधि से हमें सदैव प्रेरित करते रहे। उन्होंने सुझाव दिया कि श्री गुप्तजी की उपलब्धियों को चिरकाल तक प्रेरणा स्तंभ बनाने के लिए रेखांकित किया जाना चाहिए।

श्री आनन्दलाल साहु मुखिया, मधेपुरा (मधुबनी) : मधेपुरा के मुखिया एवं वैश्य समाज के प्रभावशाली नेता श्री आनन्दलाल साहु ने श्री गुप्तजी के आकस्मिक निधन पर अपने संवेदना-संदेश में कहा कि श्री गुप्तजी के निधन से एक सुयोग्य, कर्मठ एवं लगनशील जनता का सेवक हमारे बीच से चले गये। श्री साहु ने कहा कि हम सबों पर दायित्व है कि श्री गुप्तजी के सपने को साकार करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

श्री मोहन प्रसाद, पटना, दलदली रोड, बाकरगंज, पटना-4 के निवासी एवं बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के कर्मठ सदस्य श्री मोहन प्रसाद ने कहा कि श्री गुप्तजी के निधन से वैश्य समाज की जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति असंभव है। उन्होंने दिवंगत नेता को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

श्री दुर्गा प्रसाद, मंसूरगंज, पटनासिटी : बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के कर्मठ सदस्य तथा सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्री दुर्गा प्रसाद ने श्री गुप्त के असामयिक निधन पर अपने संवेदना संदेश में कहा कि "श्री गुप्त के निधन से व्यवसायी समाज का कल्याणकारी खजाना लुट गया तथा वैश्य समाज का मसीहा एवं मार्गदर्शक हमसे छिन गया।" उन्होंने मतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

श्री पशुपतिनाथ, आरा (भोजपुर) : बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ की कार्यकारिणी समिति के

सदस्य तथा आरा के सुप्रसिद्ध गल्ला व्यवसायी एवं समाजसेवी श्री पशुपतिनाथ ने श्री गुप्तजी के निधन पर अपने संवेदना संदेश में कहा कि श्री गुप्तजी के निधन का समाचार सुनकर व्यवसायी समाज स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि श्री गुप्त के निधन से व्यवसायी समाज पर जो वज्रपात हुआ है, वह हमारे लिये असह्य है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोक-कल्याण एवं व्यवसायियों की उन्नति के लिए समर्पित कर दिया जिसे हम कभी नहीं भूल सकते।

श्री विनोद कुमार अग्रवाल, गोड्डा : गोड्डा के श्री विनोद कुमार अग्रवाल ने श्री गुप्तजी के निधन पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि श्री गुप्तजी गरीब, शोषित एवं अनपढ़ व्यापारियों के मसीहा थे। उनके निधन से संपूर्ण व्यवसायी समाज मर्माहत और शोकाकुल है।

श्री सुग्रीव प्रसाद, खुसरूपुर (पटना) : बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के कार्यकारिणी समिति के सदस्य तथा कर्मठ समाजसेवी श्री सुग्रीव प्रसाद ने कहा कि श्री गुप्त के असामयिक निधन से मुझे गहरा आघात व सदमा लगा है। श्री गुप्तजी महान देशभक्त, समाजसेवी एवं गरीबों के मसीहा तथा व्यवसायी समाज के मार्गदर्शक थे। हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

श्री श्यामलाल सुल्तानिया, तेघड़ा (बेगूसराय): बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ की कार्यकारिणी समिति के सदस्य एवं सुप्रसिद्ध गल्ला व्यवसायी श्री श्यामलाल सुल्तानिया ने कहा कि श्री गुप्तजी के असामयिक निधन से व्यवसायी समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

श्री गणेश प्रसाद, बिहिया (भोजपुर) : बिहिया (भोजपुर) के गल्ला व्यवसायी श्री गणेश प्रसाद ने श्री गुप्तजी के असामयिक निधन पर अपने संवेदना संदेश में कहा कि श्री गुप्तजी के निधन से हमने अपना प्रकाशस्तंभ खो दिया है। उनकी मत्यु से व्यवसायी वर्ग एक कुशल प्रहरी एवं संरक्षक से वंचित हो गया है।

आज, पटना, 29.01.1985 : भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भूतपूर्व सांसद श्री रामलखन प्रसाद गुप्त का सहसा हृदयगति अवरुद्ध हो जाने के कारण आज मुंगेर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। आप साठ वर्ष के थे। श्री गुप्त सवेरे तक पूर्णतः स्वस्थ थे।

आर्यावर्त, पटना, 29.01.1985 : भाजपा के भूतपूर्व सांसद रामलखन प्रसाद गुप्त का आज मुंगेर में देहांत हो गया। वे 60 वर्ष के थे। वे विधान परिषद् के सदस्य भी रह चुके थे।

Searchlight, Patna, 29.01.1985 : Mr. Ramlakhan Prasad Gupta, former BJP member of Parliament, died at Munger today according to a report received here.

आज, पटना, 31.01.1985 : भाजपा विधान मंडल दल के नेता श्री इन्दर सिंह नामधारी ने भूतपूर्व संसद सदस्य एवं बिहार के मुखर समाजसेवी श्री रामलखन प्रसाद गुप्त के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री गुप्त के रूप में बिहार ने दिल्ली में अपनी एक प्रखर आवाज तथा व्यवसायियों ने अपना एक निकटतम हितैषी खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं भूतपूर्व सांसद श्री रामलखन प्रसाद गुप्त के निधन पर दमकिपा के श्री

तपेश्वर गांधी ने भी शोक व्यक्त किया है।

आज, पटना, 1 फरवरी, 1985, (विधान परिषद् प्रतिनिधि) : बिहार विधान परिषद् के शीत सत्र के अंतिम दिन परिषद् और राज्यसभा के भूतपूर्व सदस्य रामलखन प्रसाद गुप्त के निधन पर सदन में शोक व्यक्त किया गया। उनके सम्मान में सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन रखा और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना की। सदस्यों ने कहा कि उनकी मत्यु से सार्वजनिक जीवन से एक कुशल राजनीतिज्ञ उठ गया है। राजनीतिक विरोधियों से उनके संबंध मधुर थे।

स्वर्गीय गुप्त पहली बार 1948 में राजनीतिक बंदी हुए। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ, जनता पार्टी और बाद में भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध थे। इसके अतिरिक्त वे बिहार के व्यापारियों की एक संस्था के अध्यक्ष और बिहार भूमि-विकास बैंक के निदेशक भी रह चुके थे।

कार्यकारी सभापति श्री वली रहमानी, उत्पादमंत्री डॉक्टर उमेश्वर प्रसाद वर्मा, जनता पार्टी के श्री दिवाकर प्रसाद सिंह, दमकिपा के श्री संजय लाल, माकपा के श्री परमानन्द सिंह 'मदन' ने भी रामलखन प्रसाद गुप्त की मत्यु पर शोक प्रकट किए।

प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक शोक सभा श्री कैलाशपति मिश्र की अध्यक्षता में हुई जिसमें भूतपूर्व सांसद श्री रामलखन प्रसाद गुप्त को दो मिनट मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभा में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री महेश्वर प्रसाद सिंह, श्री इन्दर सिंह नामधारी, पं. प्रभाकर शर्मा एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री श्री नन्द किशोर यादव ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

Editorial from Journal of State Bar Council : Condolences – Shri Ram Lakhan Prasad Gupta.

We deeply mourn the loss of the dearest member of the Council who had been a member of the Bar since 1968. By his contribution to the Bar Council he has left a permanent impression and he will always be remembered for his past association. Shri Gupta was born on 02.09.1926 in Munger town. He came from an affluent business community but instead of entering his family business he took up the profession of law and joined the Munger District Bar in 1953 as a pleader and later got himself enrolled as an Advocate on 17.07.1962. He was very much polite in manners and by his wits kept everybody in humour. He will be remembered by us as if he is in our midst. May his soul rest in peace.

The Bar Council on his sad death paid glowing tributes in an emergent meeting held on 29.01.1985 at 1:30 pm soon after the news of his death was received in the Council's office and passed the following resolution :–

"Resolved at an Emergent Meeting that the Bihar State Bar Council expresses its profound grief at the sad and sudden demise of Shri Ram Lakhan Prasad Gupta on 28.01.1985 at his Munger residence. Shri Gupta was born on 02.09.1926. He was enrolled as a pleader

on 08.04.1953 and started practice at Munger. He was enrolled as an Advocate on 17.07.1962. He was a member of the Bar Council from 1968 and remained as such till his death. He was a member of Rajya Sabha from 1978 to 1984. He was MLC of Bihar for two terms. He was a loveable person who endeared himself to all and was very popular."

पाटलिपुत्र टाइम्स, पटना, 07.02.1985 : भूतपूर्व सांसद रामलखन प्रसाद गुप्त का निधन विगत 28 जनवरी को यहाँ उनके निवास स्थान 'कल्पना-भवन' में हो गया। उनकी मत्यु की खबर पाकर जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक ने उनके निवास स्थान, जहाँ पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखा गया था, जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका दाह-संस्कार 30 जनवरी, 1985 को किया गया।

स्व॰ गुप्त छात्रजीवन से ही समाजसेवा में रुचि रखते थे। 1942 के 'भारत छोड़ो' आंदोलन में भी ये सक्रिय रहे और 21 बार जेल की यात्रा की। स्व॰ गुप्त आपातकाल के दौरान 19 माह तक जेल में बंद रहे।

स्व॰ गुप्त एक सफल वकील और व्यापारी भी थे। स्व॰ गुप्त ने अपना राजनीतिक जीवन मुंगेर नगरपालिका की सदस्यता से शुरू की। वे आठ वर्षों तक बिहार विधान परिषद् के सदस्य रहे और इसके बाद राज्यसभा के सदस्य रहे।

इन्होंने एक सांसद के रूप में मास्को, रोमानिया, पेरिस, कुवैत, लंदन, रोम और दुबई आदि स्थानों का भ्रमण किया था।

गुप्त जी जीवन के अंतिम क्षण तक कई सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कतिक संगठनों के अध्यक्ष रहे।

❖❖❖